

फोर्ट विलियम कॉलेज

[१८००-१८५४ ई०]

श्री श्री. लक्ष्मीसागर वाघोपाध्याय जी
सरनेट-

- श्री लक्ष्मीसागर वाघोपाध्याय

२.१२.४७

लेखक

डॉ० लक्ष्मीसागर वाघोपाध्याय, एम० ए०, डी० फिल०, डी० लिट०
लेक्चरर, हिंदी विभाग, इलाहाबाद यूनीवर्सिटी



मूल्य ६।

मुद्रक—पं० मगनकृष्ण दीक्षित, दीक्षित प्रेस, प्रयाग

परिचय

डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णोय से हिंदी पाठक तथा विद्वान् उनकी प्रसिद्ध कृति, 'आधुनिक हिंदी साहित्य' १८५०-१९०० ई० के द्वारा परिचित हैं। पिछले कई वर्षों से उनके अध्ययन का क्षेत्र १७५७ से १८५७ तक का हिंदी साहित्य रहा। यह अध्ययन डी० लिट्० थीसिस के रूप में स्वीकृत हो चुका है और आशा है शीघ्र ही प्रकाशित हो सकेगा। इसी अध्ययन क्षेत्र का एक अंग प्रस्तुत ग्रंथ है।

फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के इस विस्तृत अध्ययन में हिंदी पाठक पहली बार ऐसी सामग्री पावेंगे जो खड़ीबोली हिंदी भाषा और साहित्य विषयक उनके दृष्टिकोण पर नवीन प्रकाश डालेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा संबंधी नीति के संवर्ध में भी पाठकों को बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त भी इस अध्ययन में समकालीन परिस्थितियों के विषय में बहुत कुछ नवीन आकर्षक सामग्री संकलित है।

डॉ० वाष्णोय की इस नवीन कृति को हिंदी पाठकों के संमुख रखने में मुझे हर्ष और गर्व है। विश्वास है कि वे इसे रोचक तथा उपयोगी पावेंगे। इसका प्रकाशन प्रयाग विश्वविद्यालय की ओर से हुआ है।

हिंदी विभाग,
आश्विन अमावस्या, सं० २००४ वि०

धीरेन्द्र वर्मा

ईसा की अठारहवीं शताब्दी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को कुशल व्यापारी ही नहीं, वरन् बढ़ती हुई ब्रिटिश सत्ता के अनुरूप उन्हें भारतीय भाषाओं तथा आचार-विचारों से परिचित कुशल नीतिज्ञ शासक बनाने की एक महत्वपूर्ण समस्या थी। इस समस्या के हल हुए बिना साम्राज्य के हाथ से निकल जाने की आशंका थी।

अपने पूर्ववर्ती अंगरेज शासकों के अपूर्ण प्रयासों के उपरांत मार्किवस वेलेज़ली ने परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंगरेज कर्मचारियों की शिक्षा और उनके चरित्र-सुधार की दृष्टि से, अन्य अनेक कार्यों में व्यस्त रहने पर भी, १८०० ई० में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना और अन्य अनेक विषयों के अतिरिक्त भारतीय भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था की। भारतीय इतिहास में आधुनिकता के निश्चित प्रतीक के रूप में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसायटी (१७८४) के बाद कॉलेज का महत्व तो है ही, साथ ही आधुनिक भारतीय भाषाओं में से प्रधानतः हिंदी, बंगला और उर्दू साहित्यों के इतिहास से भी उसका घनिष्ठ संबंध है। कॉलेज में व्याकरण, कोष, विराय-चिह्न, हिंदी में अरबी-फ़ारसी ध्वनियाँ प्रकट करनेवाले तथा साधारण टाइप डालने, आदि के संबंध में काफ़ी काम हुआ। लल्लूलाल और सदल मिश्र के नाते आधुनिक खड़ी-बोली गद्य के विकास में भी देशी तथा विदेशी इतिहास-लेखक उसका उल्लेख करते रहे हैं। इतिहास-लेखकों का यह मत पूर्णतः स्वीकार किया जा सकता है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कॉलेज-संबंधी मूल सामग्री के अध्ययन के आधार पर ही हो सकता है। इस अध्ययन से हिंदी-उर्दू के वर्तमान संघर्ष को समझने में भी यथेष्ट सहायता मिलती है। प्रस्तुत पुस्तक इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। विषय केवल हिंदी (आधुनिक अर्थ में) और 'हिंदुस्तानी' के विवेचन तक ही सीमित रखवा गया है।

फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के इस इतिहास की सामग्री के प्रधान आधार इंपीरियल रेकॉर्ड्स डिपार्टमेंट (अब नेशनल आरकाइव्स ऑफ इंडिया), नई दिल्ली, में सुरक्षित इस्तलिखित विवरण तथा अन्य सरकारी कागज़ और प्रेस लिस्ट हैं। प्रकाशित ग्रंथों से भी सहायता ली गई है जिनका यथास्थान निर्देश कर दिया गया है। विषय का विभाजन और विवेचन कालक्रमानुसार है। कुछ सूचनात्मक तथा उपयोगी सामग्री परिशिष्ट में दे दी गई है। परिचय लिखने के लिए लेखक श्री डॉ० धीरेन्द्रजी वर्मा, एम० ए०, डी० लिट० (पेरिस) का तथा सामग्री संकलित करने के उद्देश्य से अध्ययन के लिए समस्त सुविधाएँ प्रदान करने तथा प्रस्तुत पुस्तक प्रकाशित करने के लिए क्रमशः इंपीरियल रेकॉर्ड्स डिपार्टमेंट, नई दिल्ली, के अधिकारियों तथा कर्मचारियों, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अधिकारियों का कृतज्ञ है।

‘गिलक्राइस्ट’ शेषक अध्याय तक की सामग्री ‘हिन्दुस्तानी’ (१९४०-१९४३) में लेखों के रूप में प्रकाशित हो चुकी थी किंतु प्रस्तुत पुस्तक में उनमें अनेक आवश्यक परिवर्तन कर दिए गए हैं। शेष अंश प्रथम बार प्रकाशित हो रहे हैं।

हिंदी विभाग,

दीपावली, सं० २००४ वि०

लक्ष्मीसागर वाष्णैय

विषय-सूची

	पृ०
परिचय	(३)
वक्तव्य	(४)
विषय-सूची	(६)
संक्षेप और संकेत	(६)
चित्र	मुखपृष्ठ

१ कॉलेज की स्थापना

भारत में वेलेज़ली : कपनी के कमचारियों का सुधार—कपनों और भाषा-संबंधी समस्या—गिलक्राइस्ट और हिदुस्तानी—‘इंगलिश-हिदुस्तानी डिक्शनरी’—‘हिदुस्तानी ग्रैमर’—‘दि ऑरिएण्टल लिग्रिस्ट’—वेलेज़ली, कपनी के कर्मचारी और गिलक्राइस्ट के प्रयास—ऑरिएण्टल सेमिनरी—वेलेज़ली का कॉलेज स्थापित करने का विचार—गिलक्राइस्ट के विद्यार्थियों की पगीक्षा और कमेटी की रिपोर्ट—वेलेज़ली को कॉलेज-स्थापना संबंधी मिनिट्स—कॉलेज स्थापना-सदस्यो रेग्यूलेशन—वेलेज़ली की आयोजना के विभिन्न पहलू—कोर्ट को स्वीकृति बिना मिले कॉलेज की स्थापना—कॉलेज की व्यवस्था, प्रधानाध्यापक, मुर्शी आदि—कॉलेज के विधान का प्रथम परिच्छेद ।

पृ० १—२४

२. बंगाल सेमिनरी

कॉलेज और साम्राज्य—कॉलेज के संबंध में वेलेज़ली का पत्र-व्यवहार और विभिन्न मत—कोर्ट के डाइरेक्टरों का विरोधी रुख—कॉलेज तोड़ देने के लिए कोर्ट का आज्ञा-पत्र—कोर्ट के आज्ञा-पत्र का प्रभाव—वेलेज़ली का उत्तर—अपने पक्ष-समर्थन के लिए वेलेज़ली द्वारा अन्य व्यक्तियों को पत्र—वेलेज़ली के शासन-काल में कॉलेज ज्यों-का-त्यों—वेलेज़ली की ख्याति और उनकी असफलता के कारण—कॉलेज का छोटा रूप और बालों द्वारा रेग्यूलेशन में परिवर्तन ।

पृ० २५—४२

३. जॉन वॉर्थविक् गिलक्राइस्ट (अगस्त, १८००—फरवरी, १८०४)

वेलेज़ली के शासन में कॉलेज का पूर्ववत् संचालन—पुस्तकें तैयार कराने की व्यवस्था—गिलक्राइस्ट और हिदुस्तानी ग्रंथों का प्रकाशन—गिलक्राइस्ट की प्रकाशन-संबंधी आयोजना—कौंसिल का उत्तर—‘सिहासन बत्तीसी’, ‘वैताल पच्चीसी’, ‘शकुंतला नाटक’ और ‘माधवानल’—गिलक्राइस्ट द्वारा मुंशिया की माँग—मुख्यक और क्रिस्ता खॉ की माँग—‘माखा’-मुर्शी की माँग और लखतूनाल को नियुक्ति—‘सिहासन बत्तीसी’, ‘हिदी मैनुअल’ और ‘वैताल पच्चीसी’—कॉलेज की व्यवस्था में कमियाँ—पुनर्निर्मित हिदुस्तानी विभाग—‘टेबिल्लुस डेंड प्रिंसीपिल्लुस’—‘पौलीग्लोट’—‘स्टोरी टैलर’—‘पेंटी-जागॉनिस्ट’—अप्रैल, १८०३ तक हिदुस्तानी में निर्मित या निर्मित होने वाले ग्रंथ—फ्रैण्टेन मोअऽ प्रथम सहायक के रूप में—गिलक्राइस्ट का यूरोप लौट जाने का विचार—‘ऑरिएण्टल फ्रेन्चुलिस्ट’ और ‘मौरल प्रोसेप्टर’—गिलक्राइस्ट का पत्र : कौंसिल द्वारा अस्वीकृत नेत्रक के

पुरस्कार देने के संबंध में गिलक्राइस्ट का पत्र कौंसिल द्वारा अस्वीकृत 'प्रेमसागर' और 'चंद्रावती' गिलक्राइस्ट का दूसरा पत्र कौंसिल द्वारा स्वीकृत गिलक्राइस्ट द्वारा अपने ग्रंथों के संबंध में आर्थिक सहायता की याचना . कौंसिल की आशिक स्वीकृति दो सहायक प्रधान मुंसियो की माँग : कौंसिल द्वारा अस्वीकृत—ईसाई धर्म-पुस्तकों का अनुवाद—गिलक्राइस्ट का त्याग-पत्र ।

पृ० ४३—६४

४. जेम्स मोश्ट (जनवरी, १८०६—फरवरी, १८०८)

लल्लूलाल और सदल मिश्र—कॉलेज की व्यवस्था में परिवर्तन—प्रधानाध्यापक के पद पर मोश्ट की नियुक्ति—अन्य परिवर्तन—कॉलेज के विधान का द्वितीय परिच्छेद—रचनाएँ तथा टाइप—'सिद्धान्त वत्तीसी'—ईसाई सुसमाचार—'वैताल पञ्चीसी'—सदल मिश्र का कार्य—गिलक्राइस्ट के एजेंटों द्वारा आर्थिक सहायता की याचना—'प्रेमसागर'—मोश्ट का त्याग-पत्र ।

पृ० ६५—७८

५. जॉन विलियम टेलर (फरवरी, १८०८—मई, १८२३)

टेलर—कोर्ट और भारतीय शासन-सवधी कागज़—संस्कृत के ज्ञान की आवश्यकता—कंपनी का राज्य-विस्तार और भाषा-समस्या : विभिन्न पदाधिकारियों के मत—टेलर का मत—रोएक्क का मत—विलियम प्राइस का मत—निष्कर्ष—कॉलेज की व्यवस्था में परिवर्तन—कॉलेज के विधान का तृतीय परिच्छेद—मीर शेर अली की मृत्यु और तारिणीचरण की मीर मुंशी के पद पर नियुक्ति—कॉलेज में शिक्षा का हास : विभिन्न पदाधिकारियों के मत—लम्सडन—टेलर और कैरे के मत—टेलर की रिपोर्ट: 'हिंदी' शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रयोग—रोएक्क का मत—सरकारी समर्थन—कॉलेज के विधान का चतुर्थ परिच्छेद—प्राइस की सहायता के लिए एक पंडित की आवश्यकता—फारसी और हिंदुस्तानी का अनिवार्य ज्ञान—कॉलेज का व्यय और कोर्ट—आवश्यक परिवर्तन—मज़हर अली की मृत्यु—कॉलेज के विधान का पाँचवाँ परिच्छेद—लल्लूलाल की जन्म-तिथि—क़ाज़िम अली 'जवाँ' की मृत्यु—ब्रजभाषा-शिक्षा—कॉलेज के व्यय पर कोर्ट की फिर आपत्ति और आवश्यक परिवर्तन—नरसिंह पंडित कॉलेज से अलग—कॉलेज के विधान का छठा परिच्छेद—लल्लूलाल का अंतिम उल्लेख—कॉलेज के लिए ब्रजभाषा-अध्यापक की आवश्यकता और गंगाप्रसाद शुक्ल की नियुक्ति—ग्रंथ-प्रकाशन—'प्रेमसागर' और 'राजनीति'—सदल मिश्र कृत 'हिंदी-फारसी-शब्द-सूची'—'राजनीति'—'रामायण'—लल्लूलाल कृत 'नक़्खियात-इ-हिंदी' या 'लतायक-इ-हिंदी' और ब्रजभाषा व्याकरण—'प्रेमसागर'—लल्लूलाल कृत ब्रजभाषा व्याकरण—रोएक्क की रचनाएँ—सरकारी कागज़ों के आधार पर अब तक प्रकाशित समस्त ग्रंथों का विवरण—अन्य ग्रंथ—लल्लूलाल द्वारा संपादित 'सभाविलास'—रोएक्क कृत 'ऐनल्स' तथा अन्य ग्रंथ—दुभाषियों के लिए आवश्यक ग्रंथों की आयोजना—टेलर का अवकाश-ग्रहण ।

पृ० ७९—११२

६. विलियम प्राइस (नवंबर, १८२३—मई, १८३०)

प्रधानाध्यापक के पद पर प्राइस की नियुक्ति—प्राइस का हस्तलिखित ग्रंथों के संबंधमें पत्र कॉलेजमें बंगला की उपेक्षा भाषा-समस्या पर विचार रोज़ेन का पत्र कॉलेज

क विधान का सातवा परिच्छेद प्राइस का भाषा सम्बन्धी पत्र हिंदी की प्रधानता नई व्यवस्था के अनुसार नई आवश्यकताएँ अध्यापक और ग्रंथ प्राइस का मत प्राइस का अधकचरा-प्रयास—कैरे का मत—नई व्यवस्था क अतगत कालेज द्वारा प्रयुक्त हिंदी का रूप—मुंशियों को हिंदी पढ़ाने के लिए सीताराम पंडित की नियुक्ति—मुंशियों की हिंदी-परीक्षा और फल—एडमॉन्सटन के भाषा-संबंधी विचार—लॉर्ड ऐम्हर्स्ट के भाषा-संबंधी विचार, भाषा-समस्या का वैज्ञानिक विश्लेषण—कॉलेज के विधान का आठवाँ परिच्छेद—ख्यालीराम पंडित—प्रधानाध्यापक वाला पद तोड़ने की सरकारी आज्ञा तथा अन्य कमियाँ : पेंशनकी व्यवस्था—ब्रह्मसच्चिदानंद—विभिन्न विभागों की नई व्यवस्था—प्राइस के समय में नवीन महत्त्वपूर्ण ग्रंथ-रचना का अभाव—‘प्रेमसागर, शब्दावली सहित’—गंगाप्रसाद शुक्ल कृत ‘हिंदी ऐंड इंगलिश डिक्शनरी’—लल्लूलाल कृत ‘राजनीति’ का नया संस्करण तथा अन्य रचनाएँ—‘सभाविलास’ का नया संस्करण—प्राइस का अवकाश-ग्रहण ।

पृ० ११३—१४५

७. कॉलेज के अंतिम दिन

मधुसूदन तर्कालंकार—कॉलेज की व्यवस्था—ईश्वरचंद्र विद्यासागर—कॉलेज में हिंदी की समुचित शिक्षा के प्रबंध का अभाव : शेष शास्त्री की नियुक्ति—कॉलेज की व्यवस्था में फिर परिवर्तन और आठवें परिच्छेद के स्थान पर नए नियम—योगध्यान मिश्र द्वारा संपादित ‘प्रेमसागर’ का संस्करण तथा अन्य रचनाएँ—कॉलेज की अवनति—डलहौजी की मिनिट्स—अन्य सरकारी पत्र-व्यवहार—कॉलेज तोड़ देने की सरकारी आज्ञा—बोर्ड ऑफ़ ऐज्युकेशन की स्थापना, उसका विधान और पाठ्य-क्रम ।

पृ० १४६—१६१

८. सपसंहार

भारतीय इतिहास में कॉलेज—कॉलेज का भारतीय साहित्यों के इतिहास में महत्त्व—कॉलेज और हिंदी साहित्य—कॉलेज और खड़ीबोली हिंदी गद्य—हिंदी गद्य-परंपरा में लल्लूलाल और सदल मिश्र : विषय—भाषा, लल्लूलाल कृत ‘प्रेमसागर’ की भाषा का प्रधान उद्देश्य—कॉलेज में प्रयुक्त लिपि और भाषा : लिपि—भाषा : भाषा के अध्ययन की दृष्टि से गिलक्राइस्ट के ग्रंथों का महत्त्व—गिलक्राइस्ट के ग्रंथों का-संबंधित विवरण—गिलक्राइस्ट के भाषा-संबंधी विचार—उदाहरण—हिंदुस्तानी या उर्दू का प्राधान्य—गिलक्राइस्ट के बाद भाषा-संबंधी परिस्थिति : प्राइस के समय में हिंदी का प्राधान्य, किंतु गद्य के विकास का अभाव—हिंदुस्तानी के प्राधान्य के संबंध में प्रमाण—निष्कर्ष ।

पृ० १६२—१७२

परिशिष्ट

पृ० १७३—२१३

काल क्रम

पृ० २१४—२१७

सहायक ग्रंथ और सामग्री

पृ० २१८—२१९

अनुक्रमणिका

पृ० २२१—२३१

संक्षेप और संकेत

इं० रे० डि०	इंपीरियल रेकॉर्ड्स डिपार्टमेंट, नई दिल्ली
ओ० सी०	ओरिजिनल कंसलटेशन
जि०	जिल्द
प०	पब्लिक प्रोसीडिंग्स
प० कं०	पब्लिक कंसलटेशन
फ़ो० वि०	फोर्ट विलियम तथा प्रोसीडिंग्स ऑव दि कॉलेज ऑव फ़ोट विलियम
मि०	मिसेलेनियस
ले० बु०	लेटर बुक
ह०	हस्त लिखित
हो०	होम डिपार्टमेंट



پورے ویلیئم کالج کے पुस्तकालय की मोहर

John Gilchrist

गिलक्राइस्ट के स्वाक्षर

कॉलेज की स्थापना

ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की नैतिक दशा सुधारने और एक अनुशासनपूर्ण शिक्षा-प्रणाली द्वारा उन के देश-विषयक ज्ञान की अभिवृद्धि कर उन्हें व्यापारियों के स्थान पर नीति-कुशल शासक बनाने का जो कार्य क्लाइव, हेस्टिग्स और भारत में वेलेज़ली: कॉर्नवालिस न कर सके उसे मार्क्विस् वेलेज़ली (१७६८-१८०५) ने कंपनी के कर्मचारियों का सुधार इतिहास में उनका नाम सदैव अमर रहेगा। जिम साम्राज्य की नींव रॉबर्ट क्लाइव ने डाली और वारेन हेस्टिग्स ने जिसे सुरक्षित बनाया उस पर मार्क्विस् वेलेज़ली ने ब्रिटिश साम्राज्य का भव्य प्रासाद खड़ा किया। उन के भारतवर्ष आने पर ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था मात्र थी। उन्होने उसे सर्वोपरि राजनीतिक सत्ता बना कर छोड़ा।

शासन-सूत्र अपने हाथ में ग्रहण करते समय स्वयं वेलेज़ली ने देखा कि कर्मचारियों की शिक्षा, योग्यता, आचरण और अनुशासन की देखरेख का कोई प्रबंध नहीं है। कम अवस्था में ही वे ईंग्लैंड से भेज दिए जाते थे। उन की शिक्षा अपूर्ण रहती थी। भारत आने पर उन्हें ऐसे देश के शासन करने का भार सौंप दिया जाता था जिस के राजनीतिक, वार्मिक, साहित्यिक, भाषा एवं आचार-विचार संबंधी विषयों से वे बिल्कुल अनभिज्ञ रहते थे। फ़ौजी विभाग के कर्मचारियों का सामरिक ज्ञान अधूरा रहता था और माल-विभाग के कर्मचारियों के लिए रुई की गॉठें गिनना, कपड़ा नापना या हिसाब लगाना प्रधान कर्तव्य समझा जाता था। उन्हें कंपनी के चतुर और कूटनीतिक शासक बनाने की चिंता किसी ने न की थी। अनुशासन-हीन अल्पवयस्क युवकों का चरित्र भ्रष्ट होते कुछ देर भी नहीं लगती। अनुभवहीन और अर्द्धशिक्षित होने के कारण वे अपना और कंपनी का उत्तरदायित्व समझने में नितांत असमर्थ थे। इस प्रकार किन्हीं नियंत्रण के अभाव में वे बहुत जल्दी कुव्यसनों के शिकार बन जाते थे। अपव्यय करने की आदत से उन पर हजारों रुपये का कर्ज़ हो जाता था। दो-तीन वर्ष के ही अंदर यूरोपीय शिक्षा का प्रभाव भी मिट जाता था। साथ ही वे भारतीय भाषाओं एवं ज्ञान-विज्ञान का अध्ययन भी न कर पाते थे। बड़े-बड़े अफसर तक उन्हें मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करते देख कर उन से कुछ न कहते थे। कंपनी के राजत्व-काल के इस भाग में हमें पश्चिमी सभ्यता का महा उदाहरण मिलता है।

शुरू में कंपनी के कर्मचारी एक व्यापारिक संस्था के प्रतिनिधि मात्र थे। परंतु कंपनी का भारत के विभिन्न भूमिभागों पर अधिकार होने के साथ-साथ उन का कार्य भी पेचीदा होता गया। उन की वरिष्ठ प्रवृत्ति अत्र ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा के सर्वथा विरुद्ध जैची। वे अत्र राजदूत, मंत्री, जज और शासको के रूप में थे। इसके लिए पारचात्य राजनीति एवं ज्ञान-विज्ञान के साथ भारतीय इतिहास, गीति-रस्मों, कायदे-कानूनों और भाषाओं का ज्ञान अत्यंत आवश्यक था। सफल शासन के लिए उन की शिक्षा का समुचित प्रबंध होना एक महत्वपूर्ण विषय था। ऐसा करने से ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव दृढ़ हो सकती थी। इंग्लैंड से आने पर कर्मचारियों का शासन और सेना-संबंधी ज्ञान नहीं के बराबर रहता था। इंग्लैंड में तो उन्हें केवल थोड़ा सा व्यापारिक ज्ञान करा दिया जाता था। उन की शिक्षा उस अवस्था पर रोक दी जाती थी जब कि वे अधिक से अधिक ज्ञानोपाजन करने में समर्थ हो सकते थे। भारतवर्ष में भी उन की शिक्षा और योग्यता की ओर अभी तक विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। वेंलेजली का कहना था कि अत्र हमें शुरू से ही उन का जीवन परिश्रम, दूरदर्शिता, सत्यप्रियता और धार्मिकता की भित्ति पर खड़ा कर उन्हें भारतीय जलवायु से उत्पन्न और जनता में प्रचलित दूषित वातावरण से बचाना चाहिए। उन्हें चतुर कूटनीतिज्ञ शासक बनाने में ही ब्रिटिश साम्राज्य का हित है। नहीं तो साम्राज्य के बहुत जल्दी हाथ से निकल जाने की आशंका है।

यह सब देखते और सोचते हुए मार्क्सविस वेंलेजली को ऐसी संस्था के अभाव का अनुभव हुआ जहाँ नवागत सिविलियन कर्मचारियों की शिक्षा, योग्यता, आचरण और चरित्र की देखरेख का समुचित रीति से प्रबंध हो सके। वे चाहते थे कि भारतीय साम्राज्य जैसी अनमोल वस्तु पा कर कर्मचारी भारतवासियों की भाषाओं और रीति-रस्मों का ज्ञान प्राप्त कर उन के सहायक की हैसियत से शासन की बागडोर भली भाँति संभालें। भारतीय भाषाओं और रीति-रस्मों का ज्ञान कराने के लिए एक ऐसी शिक्षा-प्रणाली की आवश्यकता थी जिस की दृढ़ नींव इंग्लैंड में रखी गई हो और जिस पर भवन भारतवर्ष में खड़ा किया गया हो।

जहाँ तक देशी भाषाओं के ज्ञान से संबंध था कंपनी फारसी भाषा का प्रयोग करती थी। अच्छी तरह या कामचलाऊ फारसी जानने वाले कर्मचारियों पर अधिकारीगण विशेष कृपा रखते थे। राजनीतिक कारणों से कंपनी ने १८३७ तक फारसी कर्मचारी और भाषा-भाषा का प्रयोग बराबर बनाए रखा।^१ शुरू में अंगरेजी ने देश की प्रचलित भाषाओं की ओर भी अधिक ध्यान न दिया। परंतु बंगाल में अंगरेजी राज्य का सूत्रपात हो जाने से उन्हें विजितों की भाषा का ज्ञान न होने के कारण माल व फौजी विभागों में अनेक असुविधाओं का सामना होने लगा। फौजी सिपाही अपने प्रदेश की भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा नहीं समझ पाते थे। ऐसी अवस्था में देश की प्रचलित भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य था। प्रारंभ में कंपनी

^१ 'हिंदुस्तानी' (अप्रैल-जून, १९४१) में 'ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा-नीति' शीर्षक लेख देखिए।

के कुछ गिने-चुने कर्मचारियों ने इस ओर अपना ध्यान दिया। कहा जाता है कि गवर्नर लॉवेल ने हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों का, जिनमें दो हिंदी (?) में भी थे, संग्रह किया था। परंतु १७५६ की कलकत्ते की लड़ाई में वे नष्ट हो गए। १५ जनवरी, १७८४ में एशियाटिक सोसायटी की स्थापना से इस ओर ओर भी प्रोत्साहन मिला। स्वयं हेस्टिंग्स ने फ़ारसी के साथ-साथ उर्दू भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्हें पूर्वीय साहित्य एवं भाषाओं का शौक भी था, पर राजनातिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वे इस ओर अपना अधिक समय न दे सके। इनके अतिरिक्त विलफ़ोर्ड, शार, कर्कपैट्रिक, ग्लैडविन, गल्सटन, डॉ० हेरिस आदि कंपनी के प्रमुख कर्मचारियों ने भी देश की प्रचलित भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। परंतु अभी तक संगठित और सुव्यवस्थित रूप से कंपनी के समस्त कर्मचारियों

को उनका ज्ञान कराने की कोई चेष्टा न हुई थी। १७८३ में जॉन

गिलक्राइस्ट और
हिंदुस्तानी

बोथमिक गिलक्राइस्ट (१७५६-१८४१) ईस्ट इंडिया कंपनी में सहायक सर्जन नियुक्त हो कर भारतवर्ष आए।^१ उस समय कंपनी फ़ारसी भाषा का प्रयोग करती थी। गिलक्राइस्ट ने अनुभव किया कि वह

अब देश की भाषा नहीं रह गई थी। उन्होंने देखा कि दिल्ली दरबार की अवनति के साथ-साथ फ़ारसी भाषा का प्रयोग भी कम हो चला था और उसके स्थान पर हिंदुस्तानी का चलन हो गया था। इसलिए कंपनी का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए कर्मचारियों को हिंदुस्तानी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक था। इस विचार से प्रेरित होकर उन्होंने शीघ्र ही हिंदुस्तानी का अध्ययन करना शुरू कर दिया। यह कहना अनुन्युक्त न होगा कि कंपनी के कर्मचारियों में हिंदुस्तानी का प्रचार करने के लिए जितना परिश्रम गिलक्राइस्ट ने किया उतना और किसी ने न किया था। इस कार्य में उन्हें जितने शारीरिक एवं आर्थिक कष्ट उठाने पड़े उनका उन्होंने स्वयं वर्णन किया है।^२ उनकी देखादेखी अन्य व्यक्तियों ने भी हिंदुस्तानी का अध्ययन करना शुरू कर दिया। ४ जून, १७८७ को उन्होंने कलकत्ते से गवर्नर-जनरल लॉर्ड कर्नवालिस के नाम यह पत्र लिखा—

“इन पिछले तीन वर्षों से मैं जिस ग्रंथ (‘इंगलिश-हिंदुस्तानी डिक्शनरी’) की रचना करने में लगा हुआ था उसके प्रथम भाग की पांडुलिपि समाप्त हो गई है। आप की आज्ञा से अब मैं दूसरे और तीसरे भागों की रचना करना चाहता हूँ। जहाँ

^१ एशियाटिक सोसायटी के प्रमुख सदस्यों की साहित्यिक विशेषताओं के विषय में जॉन कोलजिम्स नामक व्यक्ति ने एक कविता लिखी थी। इसमें सर विंजियम जोन्स, रिचर्डसन, मॉर्निंगटन, फ़्लेमिंग, हारिंगटन, रॉक्सवर्थ, एंडर्सन, हंटर, हार्डबिक, क्रॉकडिन, ग्लैडविन, गिलक्राइस्ट, वालरर, स्कॉट, विलफ़ोर्ड, मार्सडेन, बिरिकम्स, कोलब्रुक, बलैन्वायर, फ़ोर्स्टर, ब्यूकैनैन, डेविस, विंजियम्स, कर्कपैट्रिक और हेस्टिंग्स का उल्लेख है।

—‘एशियाटिक ऐनुअल रजिस्टर’, १८०१, खंडन, १८०२, मिनेलेनियस ट्रेस्ट बाबू भाग १ तथा, दे०, परिशिष्ट अ

तक हो सकेगा मैं यह कार्य शीघ्र ही करूंगा क्योंकि जैसा इस विषय 'ग्लिबिश-हिंदुस्तानी' पर लिखे गए कैप्टेन कर्कपेट्रिक के पत्र से मुझे ज्ञात हुआ है, उन्होंने 'डिक्शनरी' जिस कार्य के समाप्त करने का भार अपने ऊपर लिया था उसे अब वे सरकारी काम के कारण पूरा करने में असमर्थ हैं: अब उसमें वे अपना अधिक समय नहीं दे सकते।^१

यही पत्र मैं गिलक्राइस्ट ने लिखा है—

“अपने अध्ययन की सुविधा और कार्य में सहायता मिलने की दृष्टि से मैं श्रीमान् से बनारस की ज़मींदारी में, और आवश्यकता हुई तो सूबा अवध में, जाने की आज्ञा चाहता हूँ। मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार की जैसी कृपा-दृष्टि अब तक मुझ पर बनी रही है वैसे ही इस कार्य के समाप्त होने तक बनी रहेगी। इससे न केवल मुझे वरन् साधारण रूप से सब को लाभ पहुँचेगा।

“इस देश में इतने बड़े ग्रंथ की छपाई में व्यय अधिक होने की आशंका से आर्थिक लाभ होने की कम संभावना है। इसलिए साथ ही मैं श्रीमान् से यह प्रार्थना करने का लोभ भी मन्त्रण नहीं कर सकता कि मुझे वहाँ नील की खेती करने की आज्ञा दी जाय। वेस्ट इंडीज में कुछ वर्ष रहने से मैं यह काम अच्छी तरह जानता हूँ और पूर्ण आशा है कि मैं अपना पारिश्रमिक उससे निकाल लूँगा; विशेष रूप से यदि सौभाग्यवश श्रीमान् की यह सम्मति हो कि इस देश में नील की खेती से ऑनरेबुल कंपनी को अंत में अत्यधिक लाभ पहुँचेगा।

“मैं मन, वचन और कर्म से वर्तमान शासन की दीर्घायु और अपने ऊपर उसकी छाया की सदैव कामना करता रहूँगा। अब मैं अत्यंत विनम्रता के साथ यह प्रार्थना करने का साहस करता हूँ और आशा करता हूँ कि श्रीमान् और बोर्ड इसे स्वीकार करेंगे।”

गवर्नर-जनरल ने उन्हें अपने खर्च पर बनारस में नील की खेती करने की आज्ञा तो दे दी, परंतु सूबा अवध में खेती करने की आज्ञा देना उनके अधिकार से बाहर की बात थी। आज्ञा मिल जाने पर गिलक्राइस्ट महोदय बनारस की ज़मींदारी में चले आए। अपना व्यवसाय करने के अतिरिक्त थोड़े दिन बाद नील के साथ-साथ वे अफ़्रीम का काम भी करने लगे थे। वे भारतीय वेशभूषा में विभिन्न स्थानों पर घूम-घूम कर हिंदुस्तानी भाषा का अध्ययन करते थे। १७६० तक उन्होंने 'डिक्शनरी, इंगलिश ऐंड हिंदुस्तानी' के दो भाग प्रकाशित किए और सरकारी नियम के अनुसार २७ दिसंबर, १७६० को प्रकाशित ग्रंथ की कुछ निश्चित प्रतियाँ बोर्ड के पास भेज दीं। बनारस की ज़मींदारी में गिलक्राइस्ट किन-किन स्थानों पर गए, इसके विषय में ठीक-ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता। परंतु इतना अवश्य ज्ञात है कि १७६१ में वे गाजीपुर में थे; क्योंकि उस वर्ष की ६ जनवरी को ग्रंथ की प्रतियाँ भेजने में सुद्रक और प्रकाशक की शलती हो जाने पर ज़मा-याचना

^१ कोर्ट विलियम, ४ जून, १७८७, होम डिपार्टमेंट, पब्लिक प्रोसीडिंग्स, ओरिएंटल कंसल्टेशन नंबर १०, पृ० २१३३-२१४२, इंपीरियल रेकॉर्ड्स डिपार्टमेंट, नई दिल्ली

करते हुए उन्होंने बोर्ड को जो पत्र लिखा था वह गाजीपुर से लिखा था नील की खेती वे गाजीपुर हा में करते थे। इसी पत्र में उन्होंने 'ग्रैमर' और कोष 'हिंदुस्तानी ग्रैमर' के 'ऐपेंडिक्स' भाग के विषय में बड़ा जो सूचित किया।^१ 'डिक्शनरी' समाप्त हो जाने की सूचना उन्होंने २३ नवंबर, १७६० को भेज दी थी।^२ ग्रंथ का आकार बढ़ जाने से उन्होंने उसका मूल्य बढ़ा दिया था। शुरू में उन्होंने उसका चालीस रुपया मूल्य रक्खा था। बाद को बढ़ा कर पचास रुपया कर दिया। परन्तु ग्राहकों को 'ग्रैमर' और 'ऐपेंडिक्स' मुफ्त भेजने का वचन दिया। वास्तव में इस कार्य के पूरा करने में प्रेस वालों का उन पर कर्ज बहुत हो गया था। मूल्य बढ़ा देने से उन्हें कर्ज चुकाने में मुश्किल हुई। इस पत्र में उन्होंने यह सूचना भी दी कि 'डिक्शनरी' के द्वितीय भाग का फिर से एक नया संस्करण प्रकाशित किया जायगा। १७८७ से १७६४ तक गिलक्राइस्ट गाजीपुर रहे। पर स्वास्थ्य ठीक न रहने तथा अन्य अनेक कारणों से (संभवतः कर्ज बहुत बढ़ गया था, या अफ़ीम और नील के व्यवसाय में लाभ न हुआ हो) वे अब वहाँ न रह सके। ६ दिसंबर, १७६४ के पत्र द्वारा बंगाल सरकार से आज्ञा प्राप्त कर वे और व्यापार में उनके माझीदार चार्टर्स कलकत्ता वापिस चले आए। अपनी जगह उन्होंने अपने एजेंट मेमर्स कॉलमिन् ऐंड बेजेट के दो प्रतिनिधि मैम्युएल बुड और लेविस ह्विनर को भेज दिया।^३ कलकत्ते में रहते हुए उन्होंने 'दि हिंदुस्तानी ग्रैमर' और 'दि ऑरिएंटल लिंग्विस्ट' नामक दो ग्रंथ क्रमशः १७६६-६८ और १७६८ में प्रकाशित किए। १८०२ में कलकत्ते से ही 'लिग्विस्ट' का द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ। 'ग्रैमर' का पहले पचास और फिर साठ रुपया और 'लिग्विस्ट' का बत्तीस रुपया मूल्य रक्खा गया। बंगाल सरकार से उन्होंने प्रार्थना की कि 'लिग्विस्ट' का कंपनी के कर्मचारियों में सब से अधिक प्रचार किया जाय। सरकार ने इस ग्रंथ की तीन सौ प्रतियाँ खरीदीं।^४ १७ सितंबर, १७६८ के पत्र में गिलक्राइस्ट ने आर्थिक सहायता देने पर सरकार के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट की और उसके साथ ही 'ऐपेंडिक्स' की तीन सौ प्रतियाँ भी भेजीं। इस के लिए सरकार ने उन्हें तीन हजार रुपए की स्वीकृति तो दे दी, परन्तु आर्थिक सहायता देने के कारण गिलक्राइस्ट ने 'ऑरिएंटल लिग्विस्ट' की बाबत ६६०० रुपए दिए जाने

^१फो० वि०, २१ जनवरी, १७६१, हो०, प०, ओ० सी० नं० ३०, पृ० २६२-२६४, इं० रे० डि०

^२फो० वि०, २१ जनवरी, १७६१, हो०, प०, ओ० सी० नं० ३१ पृ० २६४-२६७, इं० रे० डि०। प्रोसीडिंग्स में पत्र की तिथि २३ नवंबर, १७६१ दी गई है। परन्तु प्रेस लिस्ट में भूत सुधार कर २३ नवंबर, १७६० कर दिया गया है।

^३फो० वि०, २२ दिसंबर, १७६४, हो०, प०, ओ० सी० नं० १०, पृ० ४८८३-४८८६, इं० रे० डि०

^४फो० वि०, १० सितंबर, १७६८, ओ० सी० नं० ७६, प्रेस लिस्ट, पृ० ३८०, इं० रे० डि०

नी प्रार्थना की सरकार न उनकी प्रार्थना मजूर कर ली । १२ नवम्बर १७६८ को उन्होंने 'लिग्विस्ट' की निश्चित प्रतियाँ भेज दा ।^२ गिलक्राइस्ट की देखादेखी फारसी भाषा के ज्ञाता फ्रान्मिस ब्लैडविन ने भी २४ अक्टूबर, १७६८ के पत्र में अपनी 'ऑरिएण्टल मिसेलेनी' के लिए आर्थिक सहायता माँगी । सोलह रुपये की प्रति के हिसाब से सरकार ने 'मिसेलेनी' की दो सौ प्रतियाँ खरीदी^३ और उसी साल उन्हें बत्तीस सौ रुपये देने की स्वीकृति दी ।^४ २० मार्च, १७६६ को उन्होंने अपनी कृति की दो सौ प्रतियाँ सरकार के पास भेज दीं ।^५

मई, १७६८ में वेलेज़ली कलकत्ता पहुँच गए थे । उन्होंने जॉन बौर्धविक गिलक्राइस्ट के परिश्रम की सराहना की और कर्मचारियों को शिक्षा देने की अपनी आयोजना के प्रकाश में उनके अध्ययन से पूरा लाभ उठाना चाहा । उस समय वेलेज़ली, कंपनी के बगाल में नियुक्त किए गए सिविल सर्विस के प्रत्येक कर्मचारी को कर्मचारी और गणित अपने वेतन के अतिरिक्त तीस रुपये मासिक एक मुंशी के वेतन-स्वरूप गिलक्राइस्ट के प्रवास और मिलते थे । इस वेतन के देने का उद्देश्य यह था कि कर्मचारी देशी भाषाओं, विशेष रूप से फारसी भाषा, का अध्ययन करें । परंतु शिक्षा का माध्यम देशी भाषा या फारसी भाषा इन दोनों में से एक ही हो सकती थी । मुंशी लोग अँगरेज़ी नहीं जानते थे, और कर्मचारी देशी या फारसी भाषा से अनभिज्ञ थे । इसलिए मुंशियों के लिए अँगरेज़ी का या कर्मचारियों का देशी या फारसी भाषा में से एक का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक था । वेलेज़ली को मुंशियों से पढ़ने वाली यह व्यवस्था निरर्थक जँची । इसी समय गिलक्राइस्ट ने उनके सामने कर्मचारियों (जूनियर राइटर्स) को, मुंशियों से फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने से पहले, प्रति दिन हिंदुस्तानी भाषा सिखाने के साथ-साथ फारसी के प्राथमिक सिद्धांत भी सिखाने का प्रस्ताव रक्खा । वेलेज़ली को यह प्रस्ताव अच्छा लगा और उन्होंने कर्मचारियों को अलग-अलग तरीके से मुंशियों का वेतन देने की प्रथा बंद कर दी । इसके स्थान पर उन्होंने यह व्यवस्था कर दी कि भविष्य में वह कर्मचारियों के भारतागमन के पहले बारह महीने तक गिलक्राइस्ट को दिया जाया करे । इसके बदले में गिलक्राइस्ट, रविवार को छोड़ कर, प्रतिदिन कर्मचारियों को हिंदुस्तानी और फारसी भाषाओं की शिक्षा दिया करते थे । १ जनवरी, १७६६ से इस आयोजना को

^१क्रो० वि०, १ अक्टूबर, १७६८, डो०, प०, ओ० सी० नं० १०१, पृ० २६७१
२४७२, डू० रे० डि०

^२क्रो० वि०, १६ नवंबर, १७६८, डो०, प०, ओ० सी० नं० ३४, पृ० ३२३७-
३२३८ डू० रे० डि०

^३क्रो० वि०, १४ दिसंबर, १७६८ डो०, प०, ओ० सी० नं० २७, पृ० ३७८६
३७८७, डू० रे० डि०

^४क्रो० वि०, २१ दिसंबर १७६८, डो०, प०, ओ० सी० नं० ३८, पृ० ४०६०
४०६१, डू० रे० डि०

^५क्रो० वि०, १ अप्रैल १७६९ प्रेस लिस्ट वि० १६, सुबार्ड १७६९—मार्च
१७६९ पृ० १२३

व्यावहारिक रूप दिया गया। बारहवें महीने के अन्त में विद्यार्थियों की परीक्षा लेने की व्यवस्था भी की गई ताकि आयोजना की सफलता या असफलता की जाँच हो सके। कर्मचारियों की सुविधा के लिए राइटर्स विल्डिंग्स में एक कमरा गिलक्राइस्ट को दे दिया गया।

कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय भाषाओं का ज्ञान कराने के लिए यह सर्वप्रथम संगठित प्रयास था। यह न समझना चाहिए कि बेल्लेजली ने हिंदुस्तानी की अपेक्षा फ़ारसी को अधिक महत्व दिया। प्रत्युत उनका दृढ़ विश्वास था कि फ़ारसी के साथ-साथ हिंदुस्तानी का ज्ञान भी अंत में कर्मचारियों को लाभदायक सिद्ध होगा।

परंतु इससे बेल्लेजली की बृहत् आयोजना का शतांश भी पूर्ण न हो सका। न्याय, मालगुजारी और व्यापार विभाग के सुचारु संचालन के लिए उन्होंने उसी समय बोर्ड के सामने भारतीय भाषाओं ही की नहीं बल्कि समस्त आईनों की शिक्षा देने वाली बृहत् आयोजना की एक रूपरेखा रखी थी। परंतु कारोमडल चलने जाने तथा अन्य अनेक राजनीतिक कार्यों की विवशता के कारण वे उसे अधिक विस्तृत रूप न दे सके। तो भी उन्होंने इस और एक कदम और आगे बढ़ाया। अपनी बृहत् आयोजना का बीजारोपण उन्होंने २१ दिसंबर, १७६८ की सरकारी सूचना से किया, जिस में उन्होंने लिखा था कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की सफलता की दृष्टि से यह अत्यंत आवश्यक है कि भविष्य में उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर वे ही व्यक्ति नियुक्त किए जायें जो गवर्नर-जनरल की कौंसिल में पाठ किए हुए नियमों और विधानों और देश की एक या एक से अधिक भाषाओं से भली भाँति परिचित हों। इस के साथ यह सूचना भी प्रकाशित की गई कि १ जनवरी, १८०१ के बाद सिविल सर्विस का कोई भी कर्मचारी उस समय तक किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि वह कौंसिल के नियमों और विधानों और सुशासन के लिए भाषा-संबंधी ज्ञान की परीक्षाओं में उत्तीर्ण न हो लेंगा। परीक्षाओं का वास्तविक रूप क्या होगा, इस का विचार बाद के लिए छोड़ दिया गया। भिन्न-भिन्न स्थानों के न्याय, माल और व्यापार विभागों के लिए जिन-जिन भाषाओं का ज्ञान आवश्यक समझा गया उस का विवरण इस प्रकार है: बंगाल, विहार, उड़ीसा या बनारस में न्याय-विभाग के अफसरों के लिए हिंदुस्तानी और फ़ारसी भाषाएँ; बंगाल या उड़ीसा प्रांत के मालगुजारी इकट्ठा करने वाले कलक्टरों, या चुंगी के या व्यापार के, या नमक के एजेंटों के लिए बंगाली भाषा; और बनारस या विहार प्रांत में मालगुजारी इकट्ठा करने वाले कलक्टरों, या चुंगी के या व्यापार के, या अफ़्रीम के एजेंटों के लिए हिंदुस्तानी भाषा। इन के अतिरिक्त गवर्नर-जनरल की कौंसिल के उन्हें नियमों और विधानों की परीक्षा लेना उचित समझा गया जो कर्मचारियों के काम के और उपयोगी थे। इस नवीन व्यवस्था की सूचना पहले से इसलिए दे दी गई थी ताकि इस अवसर से लाभ उठा कर उन्नत के इच्छुक कर्मचारी यथाविधि तैयारियों करने के लिए यथेष्ट समय पा सकें। बोर्ड भी गवर्नर-जनरल के इन विचारों से पूर्णतया सहमत था और उसकी आज्ञा से यह सूचना गज़ट में प्रकाशित कर दी गई।^१ तत्पश्चात् बंगाल सरकार के उप-मंत्री डंकन कैपवेल ने २४ दिसंबर, १७६८ के

ज द्वारा गिलक्राइस्ट को सूचित किया कि नवागत कर्मचारियों को हिंदुस्तानी और फ़ारसी भाषाओं की शिक्षा के संबंध में आप की सेवाएँ स्वीकार कर ली गईं।
ऑरिएण्टल सेमिनरी है। इस शिक्षा-संबंधी सस्था का 'ऑरिएण्टल सेमिनरी' नाम रखा गया। सरकारी आज्ञा के अनुसार गिलक्राइस्ट यहाँ का मासिक कार्य-विवरण ('जर्नल') सरकार के पास भेजते थे।¹ 'जर्नल' में उन्हें प्रत्येक विद्यार्थी की उन्नति और प्रगति, उस की उपस्थिति या अनुपस्थिति आदि बाने लिखनी पड़ती थी। उसी दिन अर्थात् २४ दिसंबर, १७६८ को सरकारी मंत्री जी० एच० बालों ने उन के पास नियुक्ति पत्र भेजा। राइट्स विलडिंग्स में उन्हें एक कमरा रहने को मिला, और, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि, जो वेतन मुशियों को मिलता था वह अब गिलक्राइस्ट को मिलने लगा।² २५ दिसंबर, १७६८ के पत्र में उन्होंने अपना नया पद सहर्ष स्वीकार किया।³ २६ जनवरी, १७६६ के पत्र के साथ ३१ कर्मचारी-विद्यार्थियों की सूची मिल जाने पर⁴ उसी दिन से उन्होंने विवरण लिखना भी आरंभ कर दिया। १८ मार्च, १७६६ के विवरण में भूमिका के तौर पर उन्होंने भाषा तथा अपनी शिक्षा-प्रणाली के संबंध में मस्येप में विचार प्रकट किए हैं।⁵ पठन-पाठन का वास्तविक कार्य फ़रवरी के महीने से शुरू हुआ। २६ जनवरी के बाद जब तक 'ऑरिएण्टल सेमिनरी' का अस्तित्व रहा वे बराबर अपने यहाँ का कार्य-विवरण सरकार के पास भेजते रहे।⁶

¹वही, ओ० सी० नं० १२, पृ० ३८८७-३८९१, ई० रे० डि०। प्रोसीडिंग्स में पत्र की तिथि पहली दिसंबर दी गई है। परंतु प्रेस लिस्ट (पृ० ४२१) में यह गणती ठीक कर दी गई है।

²फ़ो० वि०, १८ मार्च, १७६६, प्रेस लिस्ट, जिल्द १६, जुलाई १७६७—मार्च १७६६, पृ० २२३ (ओ० सी० नं० ३६ प्रोसिडिंग्स पृ० ६१२-६१८), ई० रे० डि०

³फ़ो० वि०, १८ मार्च, १७६६, वही, पृ० २२३, ओ० सी० नं० ३६, प्रोसीडिंग्स पृ० ६१८-६१६), ई० रे० डि०

⁴वही, (ओ० सी० नं० ३६, प्रोसीडिंग्स पृ० ६१६-६२०)

⁵वही, [ओ० सी० नं० ३६ (३८), प्रोसीडिंग्स पृ० ६२१—६२१]

⁶वही, (ओ० सी० नं० ३८, प्रोसीडिंग्स पृ० ६१६-६१६); फ़ो० वि०, १२ अप्रैल, १७६६, प्रेस लिस्ट, जिल्द १७, अप्रैल १७६६—दिसंबर १८००, पृ० २१ (ओ० सी० नं० २३, २४, प्रोसीडिंग्स पृ० १०१६-१०४६); फ़ो० वि०, ३ मई, १७६६, वही, पृ० ३७-२८ (ओ० सी० नं० २७, २८, प्रोसीडिंग्स पृ० १३४२—१३२८); फ़ो० वि०, १७ जून, १७६६, वही, पृ० ६७ (ओ० सी० नं० ७३, ७४); फ़ो० वि०, ४ जुलाई, १७६६, वही, पृ० ८० (ओ० सी० नं० १३, १४); फ़ो० वि०, ८ अगस्त, १७६६, वही, पृ० १०२ (ओ० सी० नं० १३, १४); फ़ो० वि०, २ सितंबर, १७६६, वही, पृ० १२१ (ओ० सी० नं० १६, २०); फ़ो० वि०, ८ अक्टूबर, १७६६, वही, पृ० १२२ (ओ० सी० नं० १६, १६); फ़ो० वि०, १६ नवंबर, १७६६, वही, पृ० १८७-१८८ (ओ० सी० नं० २६, २७); फ़ो० वि०, २ दिसंबर, १७६६, वही, पृ० २०० (ओ० सी० नं० १६, १६), फ़ो० वि०, ८ जनवरी, १७६६ से २ दिसंबर

पहले-पहल गिलक्राइस्ट को राइटर्स विलुडिंग्स का कमरा नंबर ११ दिया गया था। ३ जुलाई, १७६६ को बंगाल के सरकारी मंत्री एच० वी० डारेल के नाम एक पत्र लिखकर उन्होंने कमरा नंबर १ माँग लिया।^१ वेतन तै होने के समय तक उन्हें बारह हजार रुपया पेशगी दिया गया।

पहले कहा जा चुका है कि २१ दिसंबर, १७६८ की सरकारी सूचना निकालने के समय वेलेज़ली को टीपू सुलतान से छिड़ी लड़ाई में भाग लेने के लिए मद्रास जाना पडा था। परंतु राजनीतिक घटना-चक्र से पड़ कर वे कंपनी के वेलेज़ली का कॉलेज कर्मचारियों का शिक्षा और योग्यता-संबंधी उद्देश्य भूले न थे। स्थापित करने का विचार नमर की जिम अद्वितीय, अभूतपूर्व और महान् संस्था की स्थापना करने का उद्देश्य और उसकी नीति उनके दिमाग में थी उसे मूर्त रूप देने के लिए वे निरंतर व्याकुल रहते थे। एक महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर उन्होंने जो कुछ किया उसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। परंतु इतने से ही उन्हें संतोप नहीं था; यह तो उनकी वृद्ध आयोजना के प्रारंभिक भाग का प्रारंभ भी नहीं था। मद्रास से लौटने के बाद २४ अक्टूबर, १७६६ को उन्होंने राइट ऑनग्रेबुल हेनरी हुंडाज के नाम एक पत्र लिख कर अपने विचार प्रकट किए।^२

कॉलेज स्थापित करने का प्रथम संकेत वेलेज़ली ने इस पत्र में दिया है। ६ जनवरी, १८०० को उन्होंने गिलक्राइस्ट के विद्यार्थियों की परीक्षा लिए जाने का एक आज्ञापत्र निकाला। परीक्षा के लिए तिथि पहली जून निश्चित की गई। इस कार्य के लिए २७ मई को जी० एच० वालों, जे० एच० हारिंगटन, एन० गिलक्राइस्ट के विद्यार्थियों की परीक्षा और वी० एडमॉन्सटन, लेफ्टिनेंट-कर्मल डब्ल्यू० कर्कपैट्रिक और डब्ल्यू० कमेटी की रिपोर्ट सी० ब्लैकवायर की एक कमेटी नियुक्त हुई।^३ २१, २२, २३, २४ और २५ जुलाई की बैठकों के बाद कमेटी ने गिलक्राइस्ट के परिश्रम तथा लगन और उनके विद्यार्थियों के भाषा-संबंधी ज्ञान से पूर्ण संतोप प्रकट किया। २६ जुलाई को उन्होंने अपनी रिपोर्ट गवर्नर-जनरल के पाम भेज दी जो कौंसिल के १७ अगस्त के अविवेशन में उनके सामने रखी गई। गवर्नर-जनरल ने उस पर अपनी स्वीकृति

१७६६ तक के प्रोसीडिंग्स पृ०, क्रमशः, १७७०-१७७७,^१ २२७६-२२६६, २८३०-२८२१, ३०४२-३०४४। २६ जनवरी से ५ मार्च, १७६६ तक का विवरण गिलक्राइस्ट ने एक ही साथ भेजा था। फो० वि०, २३ जनवरी, १८००, वही, पृ० २६२ (ओ० सी० नं० ६०, ६१, प्रोसीडिंग्स पृ० १३३-१३१); फो० वि०, १४ मार्च, १८००, वही, पृ० ३१० (ओ० सी० नं० १२०, १२१, प्रोसीडिंग्स पृ० १२७१-१२७६); फो० वि०, १२ जून, १८००, वही, पृ० ३८३ (ओ० सी० नं० ४०)

^१फो० वि०, ६ जुलाई, १७६६, प्रेस लिस्ट, जि० १६, जुलाई १७६७—मार्च, १७६६, पृ० २२३ (ओ० सी० नं० ३०)

^२दे० परिशिष्ट आ

^३'पब्लिशिंग पेनुमबल रजिस्टर' १८०१ सदन १८०२) पृ० ४

और उस प्रकाशित करने की आज्ञा देने हुए गिलक्राइस्ट की निम्नलिखित शब्दों में शर्तों की—

“हिन्दुस्तानी के महत्वपूर्ण व्याकरण और कोष का निर्माण करने से हिन्दुस्तान की सर्व-प्रचलित भाषा का ज्ञान प्राप्त करने में विद्यार्थियों को जो सुविधा हुई है, उसके लिए हम गिलक्राइस्ट महोदय की योग्यता की अत्यन्त सराहना करते हैं। उन्होंने जिन उल्माह, योग्यता और परिश्रम के साथ कंपनी के कर्मचारियों (जूनियर सिविल सर्वेंट्स) को हिन्दुस्तानी और फ़ारसी भाषाओं की शिक्षा देने में अपने कर्तव्य का पालन किया है उसके लिए वे प्रशंसा से पात्र हैं।

“सरकारी विभागों में अपना कार्य सुसंपादित करने के लिए कंपनी के कर्मचारियों (जूनियर सिविल सर्वेंट्स) का उपादेय ज्ञान की प्रत्येक शाखा की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना और उन्नति करने पर उनको पुरस्कार देना इस मस्था (ऑरिएण्टल सेमिनरी) का प्रधान उद्देश्य है। इससे लाभ उठाने वाले मजदूरों के परिश्रम और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहन देने का हमें अदैव ध्यान रहेगा।”

इससे पहले ६ जुलाई की मिनिट्स में मार्क्स वेलेज़ली और उनकी कौंसिल ने कंपनी शासन की उस समय जैसी कुछ दशा हो गई थी उसका वर्णन कोर्ट के डाइरेक्टर्स के पास भेजा था। उसमें उन्होंने एक तो गवर्नर-जनरल वेलेज़ली की कॉलेज-

स्थापना संबंधी

मिनिट्स

के लिए वैधानिक सुधारों की आवश्यकता दिखलाई और दूसरे, साम्राज्य की तीव्र सुदृढ़ बनाने की इच्छा से कंपनी के कर्मचारियों का राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक और तिजारती ज्ञान, उनकी

यूरोपीय और भारतीय शिक्षा, उनका चरित्र सुधारने तथा सुशासन की दृष्टि से अन्य क्रियाएँ दूर करने और समस्त अज्ञानों के विद्यार्थियों की शिक्षा का समगठित रूप से एक ही स्थान पर समुचित प्रबंध करने की अत्यन्त आवश्यकता प्रदर्शित कर बङ्गाल में एक कॉलेज मस्था स्थापित करने का दृढ़ विचार प्रकट किया। उन्हें पूरा भरोसा था कि ऐसी मस्था कंपनी के कर्मचारियों में नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठ और अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने की भावना पैदा करने में सहायक होगी। इससे न केवल भारतवासियों को सुख शान्ति मिलेगी वरन् स्वयं अंगरेजों को राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त होगा। न्याय और बुद्धिमानों का प्रही तकाजा था कि अंगरेज जाति और कंपनी के हित-साधन के लिए भारतीय शासन सब प्रकार से सुव्यवस्थित और सुसंगठित किया जाता। १७६६ में हेनरी हुंडाज का पत्र लिखने के बाद उन्होंने कॉलेज-स्थापना के विषय में यह दूसरी बार अपना विचार प्रकट किया है। बालों कमेटी की रिपोर्ट मिल जाने पर वे शीघ्र से शीघ्र अपनी आयोजना को व्यावहारिक रूप देने का लोभ मक्खण न कर सके। फ़्रांसिसियों की शक्ति क्षीण करने और

१ टॉम्स रॉयबक : 'दि ऐनक्स ऑव दि कॉलेज ऑव फोर्ट विलियम', कलकत्ता, १८५६, नं० १, पृ० १—१३

२ वेलेज़ली डेस्पैच, दि० १ पृ० ३१२ ३२१

टीपु सुलतान जैसे प्रबल शत्रु की ओर ध्यान लगा रहने पर भी उनका ध्यान कंपनी के कर्मचारियों को शिक्षा, उनके भारतवर्ष सम्बन्धी कायदे-कानून और देशी भाषाओं के ज्ञान और उनके आचरण की ओर गया, यह उनकी प्रतिभा का एक उज्ज्वल उदाहरण है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि वेलेजली के कॉलेज-सम्बन्धी प्रयत्न द्वारा भारतवासियों को आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी। परंतु यह भ्रम है। वेलेजली की आयोजना केवल अंगरेज कर्मचारियों के लिए थी। देशी जनता की शिक्षा की ओर उनका ध्यान कभी नहीं गया था। कॉलेज की स्थापना के विषय में उन्होंने जो आयोजना तैयार की उससे उन की दूरदर्शिता और योग्यता का परिचय मिलता है। यद्यपि कंपनी के सचालक वेलेजली से सहमत नहीं थे और इसके फल-स्वरूप उन्हें विफल-मनोरथ होना पड़ा, तो भी उनकी नीति का सिद्धांत अनेक अशोभे अत्र तक बना हुआ है। कॉलेज की आयोजना तैयार हो जाने पर उन्होंने जिम टप से काम लिया उससे उनकी स्वाभ प्रकृति का अच्छा परिचय मिलता है। कंपनी के कर्मचारी की हैसियत से नहीं बरन् एक उच्च पदाधिकारी होने की दृष्टि से उनका व्यक्तित्व यहाँ था। अपनी इसी निर्भीक और स्वतंत्र प्रकृति के कारण वे डाइरेक्टरों के अप्रिय बन गए थे। २१ दिसंबर, १७६८ में कर्मचारियों के नाम एक सरकारी प्रिन्सिपल प्रकाशित कर के अपनी कॉलेज-सम्बन्धी आयोजना का प्रथम आभास दे चुके थे। ६ जुलाई, १८०० को उन्होंने कौन्सिल के सामने कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव रखवा और अपनी प्रबल तर्क-शैली द्वारा कौन्सिल के सदस्यों को एकमत हो कर इस विषय को डाइरेक्टरों की स्वीकृति के लिए भेजने पर बाध्य किया। दूसरे ही दिन अर्थात् १० जुलाई को उन्होंने कॉलेज-स्थापना के सम्बन्ध में अपनी प्रतिभापूर्ण एवं सुन्दर शैली से समन्वित गंभीर विचार प्रगट किए— 'दि गवर्नर-जनरल्लस नोट्स विथ रेस्पेक्ट टु दि फ़ाउंडेशन आउट ए कॉलेज ऐट फ़ोर्ट विलियम'। इससे उनकी असाधारण विचार और लेखन-शक्ति का परिचय मिलता है। उन्होंने अकाव्य रूप से यह दिखाया है कि यदि कंपनी के कर्मचारियों को केवल एक व्यापारिक सस्था के नीकर मानने के स्थान पर अब उन्हें राजदूत, मंत्री, न्यायाधीश और शासकों के रूप में मान कर उनकी शिक्षा, योग्यता और आचरण एवं चरित्र का ध्यान नहीं रक्खा जायगा तो शासन में सफलता मिलना असंभव है।

इस अवधि में अपनी मिनिट्स द्वारा सब विषयों और पहलुओं पर गंभीरता-पूर्वक विचार करते हुए गवर्नर-जनरल मार्किवस वेलेजली ने फ़ोर्ट विलियम में एक कॉलेज स्थापित करने का निश्चय किया। अपनी आयोजना को व्यावहारिक रूप देने के लिए वे इतने आतुर थे कि उन्होंने ६ जुलाई वाले डाइरेक्टरों के नाम पत्र लिखे जाने के दूसरे ही दिन अर्थात् १०

**कॉलेज-स्थापना
संबन्धी रेग्युलेशन**

ये ही नोट्स १८ अगस्त, १८०० को 'मिनिट्स-इन-कौन्सिल' के रूप में स्वीकृत हुए। इसी दिन उन्होंने फ़ोर्ट के डाइरेक्टरों को भी इन नोट्स के सम्बन्ध में एक पत्र लिखा

वे०, परिशिष्ट ६

, १८००^१ को कोर्ट के डाइरेक्टरों को सूचित किए बिना कालेज स्थापना की गयी (रेग्यूलेशन) भी बना डाली। परंतु गवर्नर-जनरल की विशेष आज्ञा से नातिथि मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टम के प्रथम विजयोत्सव के अनुसार ४ मई, १८०० रक्खी गई।^२ रेग्यूलेशन का भूमिका-भाग इस प्रकार है—

“चूँकि परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से ग्रेट ब्रिटेन को भारत में बुद्धि और बल द्वारा उत्तरोत्तर समृद्धि और यश प्राप्त हुआ है; और चूँकि कई सफल लड़ाइयों के बाद न्यायपूर्ण, कुशल और उदार नीति के सुखद परिणाम द्वारा हिंदुस्तान और दक्षिण के विस्तृत भूमिभाग ग्रेट ब्रिटेन के अधीन है, और काल-प्रवाह में ऑनरेबुल ईंगलिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनातर्गत एक ऐसे बड़े शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है जिसके अनेक बने बसे हुए और धनधान्यपूर्ण भूमिभागों में अपनी-अपनी प्रथाओं, सिद्धांतों और क्रायदे-कानूनों से अनुशासित होने के अभ्यस्त विभिन्न जातीय, भाषाभाषी, धर्मावलंबी, आचार-विचार और स्वभाव वाले लोग बसते हैं; और चूँकि ब्रिटिश जाति के पुनीत कर्तव्य, सच्चे हित, यश और उसकी नीति की दृष्टि से यह आवश्यक है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के सुशासन और उसके निवासियों की समृद्धि और सुख के लिए समुचित प्रबंध हो और जितके लिए निवासियों का उनके अपने क्रायदे-कानूनों, प्रथाओं और पद्धतियों के अनुसार शासन करने की दृष्टि से ब्रिटिश विधान की उदार और पुनीत भावना से प्रेरित होकर गवर्नर-जनरल ने समय-समय पर सुदर और लाभप्रद नियमों की रचना की है; और चूँकि इन सुदर, लाभप्रद और उदार नियमों के साथ भविष्य में सपरिपक्व गवर्नर-जनरल द्वारा जो और क्रायदे-कानून पास किए जायें उनका सदैव सदुपयोग होना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए भारतीय शासनातर्गत ऑनरेबुल ईंगलिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्च पदों पर नियुक्त कर्मचारियों में अपना-अपना कार्य सुसंपादित करने की योग्यता होनी चाहिए; उन्हें साहित्य और विज्ञान के सामान्य सिद्धांतों से परिचित होना चाहिए; और हिंदुस्तान व दक्षिण की विभिन्न देशी भाषाओं और जहाँ वे नियुक्त किए जायें वहाँ के आईनों और रीति-रिवाजों की भाँति ग्रेट ब्रिटेन के आईनों, शासन-व्यवस्था और विधान का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए; और चूँकि ऑनरेबुल ईंगलिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सिविल सर्विस में भर्ती होने वाले व्यक्तियों की यूरोपीय शिक्षा असमय समाप्त हो जाने से उन्हें, भारतवर्ष आने से पहले, साहित्य और विज्ञान के सामान्य सिद्धांतों से पथेष्ट परिचय अथवा ग्रेट ब्रिटेन के आईनों, शासन-व्यवस्था

^१ तदनुसार, २८ आषाढ़, १२०७, बंगाली संवत् ; ४ आश्विन, १२०७, फसली ; २८ आषाढ़, १२०७, विजयावती ; ४ आश्विन, १८२७, संवत् ; और १७ सफर, १२१२, हिजरी ।

^२ कॉलेज के विद्यार्थियों को पुरस्कार-स्वरूप जो पदक दिए जाते थे उनकी एक तरफ यही चिह्न और दूसरी तरफ श्रीरंगपट्टम का चित्र बना रहता था ।

और विधान का अच्छा ज्ञान प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता, और चूँकि भारतीय सिविल सर्विस के दुरुह और महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने के लिए बहुत सी ज़रूरी बातें सरकारी निरीक्षण, दिग्दर्शन और नियंत्रण में भारत में संचालित शिक्षा और अध्ययन के विधिवत् क्रम के बिना पूर्णरूप से नहीं सीखी जा सकती, और चूँकि इस समय भारत में ऐसी कोई सार्वजनिक संस्था नहीं है जिसमें ऑनरेबुल इंगलिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नववयस्क जूनियर कर्मचारी ऊँची और मेहनत की जगहों पर नियुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर सकें; और उन जूनियर कर्मचारियों की शिक्षा का प्रबंध करने, अथवा पहले-पहल भारतवर्ष आने पर उनके आचरण की देखभाल करने, अथवा परिश्रम, दूरदर्शिता, सचाई और धर्म के नियमित और मुसजिबत क्रम द्वारा भारत में अंगरेजों की यश-पताका फैलाने के लिए किसी अनुशासन या शिक्षा की व्यवस्था नहीं है; इसलिए रिचर्ड मार्क्विस वेल्लेजली, नाइट ऑफ़ दि इलस्ट्रियस ऑर्डर ऑफ़ सेंट पैट्रिक, आदि-आदि, सपरिपद गवर्नर-जनरल, ने सुशासन स्थापित करने और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य बढ़ बनाने और ऑनरेबुल इंगलिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों और यश की सुरक्षा करने के लिए एक संस्था और अनुशासन, शिक्षा और अध्ययन की व्यवस्था आवश्यक समझ कर निम्नलिखित विधान पास किया—

“२. इस विधान के द्वारा कंपनी के जूनियर सिविल कर्मचारियों को ईस्ट इंडीज में ब्रिटिश राज्य के सुशासन के निमित्त विभिन्न पद ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से साहित्य, विज्ञान तथा ज्ञान के आवश्यक अंगों की उचित शिक्षा देने के लिए बंगाल के फ़ोर्ट विलियम में एक कॉलेज की स्थापना की जाती है।”^१

गवर्नर-जनरल सरलक और विज़िटर, और सुप्रीम कौंसिल के सदस्य तथा सदर दीवानी और निज़ामत अदालतों के जज कॉलेज के गवर्नर नियुक्त हुए। कॉलेज के लिए एक अलग इमारत, पुस्तकालय आदि बनवाने की व्यवस्था हुई। कोष सपरिपद गवर्नर-जनरल के मातहत रक्खा गया जिन्हें कोर्ट के डाइरेक्टरो के पास वार्षिक रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी। कॉलेज के शासन-प्रबंध के कर्ता प्रोवोस्ट और वाइस-प्रोवोस्ट, या ऐसा कोई दूसरा अफ़सर जिसे विज़िटर नियुक्त करे, हुए। उनके वेतन का निश्चय विज़िटर के ऊपर था, जो जब चाहे तब उन्हें हटा भी सकता था। प्रोवोस्ट के लिए इंगलैंड के चर्च का पादरी होना ज़रूरी था। विज़िटर के लिए हर एक बात का विवरण कोर्ट के डाइरेक्टरो के पास भेजना अनिवार्य समझा गया। फ़ोर्ट विलियम में पहुँचने पर विद्यार्थियों के रहने का प्रबंध करना; उन की नैतिकता और आचरण की देख-भाल करना; उन्हें उपदेश देना या डाँट-फटकार बताना; इंगलैंड के चर्च के सिद्धांत, अनुशासन और रीतियों के अनुसार ईसाई मत की शिक्षा देना प्रोवोस्ट के प्रधान कार्य

रखे गए। प्रोफेसर और उसका वेतन नियुक्त करने का अधिकार विज़िटर को मिला और जल्दी से जल्दी निम्नलिखित विषयों के प्रोफेसर नियुक्त करने का निश्चय हुआ।

भाषाओं में अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदुस्तानी, बंगाली, तैलंग, महाराष्ट्री, तामिल, कन्नड़, अन्य विषयों में, अरब मुहम्मदी, भारतीय धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, न्यायशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय कानून; भारत में ब्रिटिश राज के शासन-प्रबंध के लिए सपरिषद् गवर्नर-जनरल तथा फोर्ट सेट जॉर्ज और बंबई के सपरिषद् गवर्नरों द्वारा पास किए गए क्रायदे-कानून; राजनीतिक अर्थशास्त्र, और विशेष रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक सस्थाएँ और उनका हित; भूगोल और गणित; यूरोप की आधुनिक भाषाएँ, ग्रीक, लैटिन, और प्राचीन अंगरेजी साहित्य (क्लासिक) ; प्राचीन और आधुनिक सामान्य इतिहास, हिंदुस्तान और दक्षिण का इतिहास और पुरातत्व-प्रकृति-विज्ञान; वनस्पतिशास्त्र-रसायनशास्त्र, और ज्योतिषशास्त्र।

विज़िटर एक ही प्रोफेसर को एक से अधिक विषय पढ़ाने की आज्ञा दे सकता था। पूरे भात साल की नौकरी के बाद प्रोवोस्ट, वाइस-प्रोवोस्ट और प्रोफेसरों को उनके वार्षिक वेतन के एक-निहाई रुपए की पेंशन मिल सकती थी। पेंशन पाने का अधिकार ईंग्लैंड या भारत में, जैसा कोई चाहे, दिया गया। विज़िटर पेंशन बढ़ा भी सकता था। कंपनी के नवागत कर्मचारियों को और साथ ही उन कर्मचारियों को भी जिनहे बंगाल में आए हुए तीन वर्ष से अधिक नहीं हुए थे, क्रमशः पहले तीन वर्ष और रेग्यूलेशन की तिथि से तीन वर्ष तक कॉलेज में रह कर केवल अध्ययन करने का नियम स्थापित हुआ। फोर्ट सेट जॉर्ज या बंबई के कर्मचारी भी सपरिषद् गवर्नर जनरल की आज्ञा से कालेज से लाभ उठा सकते थे। उन्हीं की आज्ञा से बंगाल, फोर्ट सेट जॉर्ज और बंबई के जूनियर मैनिक कर्मचारी भी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, परंतु उस समय तक और उन नियमों के अंतर्गत जिन्हें वे उचित समझे। कॉलेज-वर्ष में दो-दो महीने के चार पक्ष रखे गए। बीच-बीच में एक-एक महीने की छुट्टियाँ रखी गईं। साल में दो परीक्षाएँ रखी गईं और विज़िटर और गवर्नरों के सामने योग्य विद्यार्थियों को प्रोवोस्ट द्वारा पुरस्कार देने की व्यवस्था भी की गई। वह भी निश्चित हुआ कि बंगाल, फोर्ट सेट जॉर्ज और बंबई के कुछ सरकारी दफ्तरों में नियुक्ति पाने के लिए खास उपानियाँ (डिग्रियाँ) रखी जायँ और नौकरी में तरक्की विद्यार्थियों की योग्यता-नुसार दी जाय। गवर्नरों की अव्यक्तता में प्रोवोस्ट को कॉलेज की नियमावली बनाने का अधिकार दिया गया जिसका विज़िटर द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य था। इनके अतिरिक्त विज़िटर को प्रत्येक विषय में पूरे-पूरे अधिकार दिए गए। हर एक पक्ष के अंत में कॉलेज का पूरा कार्य-विवरण विज़िटर द्वारा कोर्ट के डाइरेक्टरो के पास भेजना निश्चित किया गया। अंतिम निर्णय का अधिकार कोर्ट के डाइरेक्टरो को दिया गया।

उपर्युक्त रेग्यूलेशन में बेल्लेज़ली की आयोजना के समस्त मूल सिद्धांत सन्निहित हैं।

उनकी इस आयोजना के विरोध में कही जाने वाली अनेक बातों में उनके विपक्षियों का यह भी कहना या कि मद्रास और बंबई के कर्मचारियों का बुलाने

के स्थान पर अपनी-अपनी जगहों पर ही उनकी शिक्षा का प्रबंध बेल्लेजली की शायो- किया जाय। बेल्लेजली ने यह मत स्वीकार न किया। क्योंकि इससे जना के विभिन्न पहलू ज्यादा व्यय होने तथा अन्य अड़चनों के अतिरिक्त कंपनी के समस्त

कर्मचारियों को समान रूप से केंद्रीय सरकार के तत्वावधान में शिक्षा नहीं दी जा सकती थी। तीनों अहातों के कर्मचारियों का पारस्परिक वैमनस्य भी इनसे कम न हो सकता था। साथ ही बंगाल के कर्मचारियों की दशा कुछ अच्छी होने के कारण दूसरे अहातों के कर्मचारी उनके साहचर्य से कुछ लाभ उठा सकते थे। ये सब बातें सोच कर बेल्लेजली ने कलकत्ता ही केंद्र बनाना उचित समझा।

कॉलेज की स्थापना से बेल्लेजली की ही नहीं वरन् कंपनी के संचालकों की आशा पूर्ण होने की पूरी संभावना थी। २५ मई, १७६८ को कोर्ट के डाइरेक्टरों ने गवर्नर-जनरल के नाम एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों में बढ़ती हुई अधार्मिक प्रवृत्तियों और कुव्यसना के प्रति आशंका प्रकट की थी। इसका जिक्र पहले हो चुका है। बेल्लेजली ने डाइरेक्टरों को लिखा कि फ्रांस की राज्यक्रांति के उग्र विचारों से कंपनी के माल व सैनिक विभागों के कुछ कर्मचारी प्रभावित हुए हैं और इससे कंपनी की राजनीतिक और धार्मिक स्थिति को धक्का पहुँचने की संभावना है। कर्मचारियों की शिक्षा के अभाव में ये विचार क्या रूप धारण करते इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए कॉलेज का स्थापना-विषयक रेस्यूलेशन बना कर बेल्लेजली ने डाइरेक्टरों को उनकी उस शका के दूर होने के बारे में लिखा। बेल्लेजली खुद तो ईसाई मत का प्रचार करने में दिलचस्पी लेते ही थे, परंतु डाइरेक्टरों का २५ मई वाला पत्र दृष्टि में रखते हुए भी उन्होंने ईंगलैंड के चर्च के पादरी को विद्यार्थियों का अभिभावक बनाया था। उन्होंने समझा शायद इससे डाइरेक्टर उनकी आयोजना स्वीकार कर लेंगे।

बेल्लेजली की मिनिट्स में कर्मचारियों की शिक्षा, आचरण आदि के विषय में जिन अभावों और नुस्तियों की ओर निर्देश किया गया है वे सब कॉलेज की स्थापना से दूर हो सकते थे। विद्यार्थी-जीवन में कर्मचारियों को तीन-सा रुप मासिक देना तै हुआ। इसमें सुशी का भत्ता शामिल न किया गया। साथ ही उनके रहन-सहन और खान-पान का ऐसा प्रबंध किया गया जिससे वे मितव्ययता सीख कर ऋण के बोझ से न ढब सकें। ईंगलैंड के विश्वविद्यालय और फ्रांस की रॉयल मिलिटरी ऐकेडेमियों तथा यूरोप की अन्य प्रसिद्ध संस्थाओं के अच्छे से अच्छे नियमों की पद्धति स्थापित करना कॉलेज के जन्मदाता की आकांक्षा थी, और उसे यह पूर्ण विश्वास था कि कर्मचारी अपने हित के लिए, अपनी उन्नति और ख्याति के लिए एशिया को इस अपूर्व और अनन्य संस्था से पूरा-पूरा लाभ उठावेंगे। विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए भी कोई बात न उठा रखी गई। नियमों लक्षण के अपराधी विद्यार्थियों के लिए नौकरी से निकालने तथा अन्य प्रकार के दंड देने की व्यवस्था की गई।

कॉलेज के खर्च की सबसे बड़ी समस्या थी। कंपनी के संचालक वैसे ही मार्क्सवस बेल्लेजली की आर्थिक नीति में असंतुष्ट थे। इस पर कॉलेज के चलाने में खर्च भी बहुत बढ़ता था परंतु बेल्लेजली जैसे योग्य व्यक्ति के लिए खर्च की चिंता से उनकी आयोजना

कोई अंतर न पढ़ सकता था उन्होंने ऐसा आर्थिक प्रवचन किया जिससे कंपनी के पोष का अधिक रूपया खर्च न हो। राइटर्स बिल्डिंग्स खरीदने के लिए संचालक अपनी स्वीकृति दे ही चुके थे। लेकिन कॉलेज के मतलब के लिए राइटर्स बिल्डिंग्स ठीक न समझ कर वेलेज़ली ने उतने ही रूप में गार्डन रीच के मैदान में कॉलेज की नई इमारत बनवाने का इरादा किया। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, कॉलेज का शासन-प्रबंध करने और देशी जनत से विद्यार्थियों को कुछ दूर रखने की दृष्टि से गार्डन रीच ही उन्हें उपयुक्त स्थान जँचा। यह जगह कलकत्ते से बहुत दूर भी नहीं थी। लेकिन नई इमारत बनने तक उन्होंने राइटर्स बिल्डिंग्स में ही कॉलेज का काम शुरू करने का निश्चय किया। बाकी और खर्च के लिए उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों की तनखाहों का थोड़ा-थोड़ा हिस्सा लेना चाहा। शुरू में यह तथा मुंशियों के भरो वाली बची हुई रकम बहुत थी। इसमें सरकारी छापेखाने की आमदनी भी जोड़ी जा सकती थी। इस प्रकार वेलेज़ली ने यह स्पष्ट कर दिया था कि शुरू में कंपनी का अधिक रूपया खर्च नहीं होगा; वार्षिक खर्च के लिए कंपनी जितने रूपयों की स्वीकृति देती थी उतने ही में काम चल जायगा। लेकिन चूँकि 'कॉलेज के द्वारा भारतीय प्रजा के लिए ब्रिटिश शासन की उपयोगिता और भी बढ़ जायगी', इसलिए वेलेज़ली ने कोर्ट से यह प्रार्थना की कि बंगाल और मैसूर की मालगुजारी से कुछ वार्षिक रकम कॉलेज के लिए निश्चित कर दी जाय ताकि उसके कार्य में कोई बाधा न पड़ने पाए और सरकारी नौकर भी इस नए कर से बच जायें। साथ ही उन्होंने भारत में ब्रिटिश हित के शुभचिंतकों से कोर्ट की अथक्षता में यूरोप से चढ़ा जमा कर ईंगलिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वैभव के अनुरूप इस कॉलेज-संस्था की सहायता करने का अनुरोध किया।

कॉलेज में आईन और भाषाओं की शिक्षा के लिए कलकत्ते का मुहम्मदन कॉलेज और बनारस का हिन्दू कॉलेज अच्छे माधन समझे गए। मुंशियों और देशी अध्यापकों के ऊपर कॉलेज का एक अफसर रखने का प्रबंध हुआ और कर्मचारियों की बाहर के मुंशियों से पढ़ने की प्रथा बंद कर दी गई। विद्यार्थियों के लाभ के लिए एक पुस्तकालय स्थापित करने और उसके लिए छपी हुई पुस्तकें तथा हस्तलिखित ग्रन्थ खरीदने की व्यवस्था हुई। इस कार्य के लिए बन और अँगरेजी सेना द्वारा कोर्ट को भेंट-स्वरूप भेजे गए टीपू सुलतान के पुस्तकालय के हस्तलिखित ग्रन्थ वेलेज़ली ने कंपनी के संचालकों से माँगे, क्योंकि लंदन में रखने के बजाय कॉलेज में उनका अच्छा उपयोग हो सकता था। जिन विषयों के प्रधानाध्यापक (प्रोफेसर) भारतवर्ष में ही मिल सकते थे उन्हें यहीं से रखने तथा अन्य विषयों के प्रधानाध्यापकों को यूरोप से बुलाने का उन्होंने विचार किया। कॉलेज के प्रधानाध्यापक और अध्यापक कॉलेज के विद्यार्थियों के अतिरिक्त और किसी को नहीं पढ़ा सकते थे। यह प्रतिबन्ध उन्होंने इसलिए लगाया ताकि भारत में रहने वाले यूरोपीय लोग अपने बच्चों की शिक्षा यूरोप न भेज कर यहीं शुरू न कर सकें। अन्त में वेलेज़ली ने कोर्ट को यह सूचित कर कि आगामी नवंबर से कॉलेज का कार्य शुरू हो जायगा, उसके सामने भविष्य में समस्त कर्मचारियों को फोर्ट विलियम कॉलेज के विद्यार्थी बना कर भेजने का प्रस्ताव रक्खा। उस समय कोर्ट उनकी नियुक्ति के स्थानों का उल्लेख भी कर सकता था लेकिन उन्होंने यह कार्य भारतीय सरकार के हाथ में ही छोड़ देना

अच्छा समझा ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी दक्षिण और योग्यता के अनुसार पद दिया जा सकता।

मंचालकों की स्वीकृति बिना मिले ही वेलेजली ने कॉलेज बंधा खोल दिया इसका उन्होंने स्वयं उत्तर दिया है। ऐसा करने के तीन कारण थे। पहला, कॉलेज की आंशिक आयोजना ही कार्य-रूप में परिणत करने से तात्कालिक लाभ पहुँचने की स्वीकृति की उन्हें पूर्ण आशा थी। दूसरा, ऑरिएण्टल सेमिनरी में गिलक्राइस्ट द्वारा शिक्षित विद्यार्थियों से शासन को जो लाभ पहुँचा था वह उनके सामने स्पष्ट था। तीसरा, वे चाहते थे कि पिछले तीन वर्षों में आए हुए कर्मचारी भी कॉलेज से लाभ उठा सकें। साथ ही अपनी प्रिय सस्था के प्रारंभिक संचालन की देखभाल करने और जो बीज उन्होंने बोया था उसे अकुरित होते देखने की उनकी प्रबल उत्कंठा थी।

अस्तु, वेलेजली की आयोजना के अनुसार प्रत्येक कार्य शुरू हो गया। १८ सितंबर, १८०० को प्रधान सरकारी मंत्री जी० एच० बालों ने मेडिकल बोर्ड को कैप्टेन वायट द्वारा कॉलेज की इमारत बनाने की दृष्टि से गार्डन रीच का निरीक्षण करने और वह स्थान स्वास्थ्यप्रद है या नहीं इस सम्बन्ध में लिखा। उसके स्वास्थ्यप्रद न होने पर दूसरा स्थान निश्चित करने का उनका विचार था। २३ सितम्बर को मेडिकल बोर्ड के द्वितीय सदस्य जे० फ्लेमिंग ने अपने पत्र में गार्डन रीच स्वास्थ्य-प्रद बताया। इसलिए ८ अक्टूबर, १८०० को बालों ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को गार्डन रीच में जितने किसान रहते थे उनकी एक सूची तैयार करने और उन्हें वहाँ से हटाने का प्रबंध करने के लिए लिखा। २१ नवंबर को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सरकारी मंत्री को चौबीस परगना के कलक्टर के पास प्रस्तावित ज़मीन का मूल्य निर्धारित करने और कॉलेज के लिए एक नई सड़क बनाने के लिए एक एजीनियर भेजने की सूचना दी। सरकारी मंत्री ने अपने २७ नवंबर के उत्तर में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को उक्त कार्य के लिए एक एजीनियर भेजना स्वीकार किया। १६ अक्टूबर को फ्लोर्ट सेंट जॉर्ज और बम्बई के गवर्नरों को यह सूचना भेजी गई कि १७६८ में आए हुए कंपनी के कर्मचारियों में से जो चाहें उन्हें फ्लोर्ट विलियम कॉलेज में दाखिला कराने की आज्ञा दे दी जाय। दोनों स्थानों से कॉलेज में पढ़ना चाहने वाले विद्यार्थियों की सूचियाँ भेज दी गईं। २० अक्टूबर को गवर्नर-जनरल ने अपनी एक मिनिट्स द्वारा कर्मचारियों को मुंशियों के लिए दिया जाने वाला रुपया बन्द कर देने की आज्ञा दी। लेकिन यह रकम कॉलेज के हिसाब में जमा कर लेने और गिलक्राइस्ट का वेतन, पुरस्कार और मुंशियों का भत्ता देने में जो रकम खर्च हुई थी उसे कॉलेज के नाम लिख लेने की आज्ञा प्रदान की। १७ अक्टूबर को रेवरेंड डी० ब्राउन, प्रोवोस्ट, ने किताबों का बिल बना कर सरकारी मंत्री के पास भेज दिया। ४ नवंबर को यह सरकारी विश्वासि निकाली गई कि ४ मई, १७६७ और ३१ दिसंबर, १७६८ के बीच में आए हुए बंगाल के जो कर्मचारी कॉलेज में दाखिला कराना चाहें कर सकते हैं। १० नवंबर से कुछ दिन पहले फ्लोर्ट सेंट जॉर्ज के सरकारी मंत्री ने मालाबार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में

हॉ के कमिश्नरों को पत्र लिखे। ४ दिसंबर को बोर्ड ने प्रोवोस्ट के पास कॉलेज के वेद्यार्थियों के लिए राइटर्स विल्डिंग्स ले लेने के सम्बन्ध में पत्र लिखा। राइटर्स विल्डिंग्स के अतिरिक्त मेसर्स थ्रोड एंड नॉक्स के कुछ मकान भी इसी काम के वास्ते किराए पर लिए गए। बोर्ड के ३० दिसंबर के प्रस्ताव के अनुसार शरअ्र मुहम्मदी और अरबी, फारसी और हिंदुस्तानी भाषाओं के प्रोफेसर नियुक्त किए गए। इन सब प्रबन्धों के अतिरिक्त विद्यार्थियों के रहने, खाने-पीने आदि सभी बातों का प्रबन्ध किया जाने लगा। कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कलकत्ता, राजशाही, मैमनसिंह, जौनपुर, पटना, भागलपुर, सारन, चटगाँव, माल्दा, ढाका, मुर्शिदाबाद, रङ्गपुर, मद्रास, बम्बई तथा कपनी द्वारा अधिकृत भूमिभाग में अन्य स्थानों से कर्मचारी आने लगे और बड़ी धूमधाम से कॉलेज का काम शुरू हो गया।

१८ अगस्त, १८०० की सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति अपने विभिन्न पदों पर नियुक्त किए गए—

रेवरेंड डेविड ब्राउन

प्रोवोस्ट

रेवरेंड क्लौडियस व्यूकैनैन

वाइस प्रोवोस्ट

प्रधानाध्यापक (प्रोफेसर)

लेफ्टि० जान बेली

अरबी भाषा और शरअ्र मुहम्मदी

लेफ्टि० कर्नल विलियम कर्कपैट्रिक,
फ्रांसिस ग्लैडविन और एन० बी०
एडमन्सटन

} फारसी भाषा और साहित्य

जॉन वीर्थविक् गिलक्राइस्ट

हिंदुस्तानी भाषा

जॉर्ज हिलैरो बालों

गवर्नर-जनरल द्वारा पास किए गए
कायदे-कानून

रेवरेंड क्लौडियस व्यूकैनैन

प्राचीन ग्रीक, लैटिन और अंगरेज़ी
साहित्य (क्लैसिक्स)

१८ सितंबर की विज्ञप्ति में कोसिल के सदस्यों के नाम प्रकाशित हुए—

रेवरेंड डेविड ब्राउन, प्रोवोस्ट

रेवरेंड क्लौडियस व्यूकैनैन, वाइस प्रोवोस्ट

जॉर्ज हिलैरो बालों

} कॉलेज-कौंसिल

एन० बी० _____ , और

लेफ्टि० कर्नल विलियम कर्कपैट्रिक

५ मे, ६ जनवरी, १८०१ से रक्खा।^१ १५ नवंबर, १८०० को प्रोवोस्ट ने अरबी, फ़ारसी और हिंदुस्तानी भाषाओं पर व्याख्यान, निम्नलिखित क्रम से, सोमवार, २४ नवंबर १ शुरू हो कर वर्ष (१८००) के अंत तक रहने की सूचना निकाली -

अरबी—सोमवार और बृहस्पतिवार, १० बजे ; पहला व्याख्यान सोमवार, २४ नवंबर को ।

फ़ारसी—मंगलवार और शनिवार, १० बजे । पहला व्याख्यान मंगलवार, २५ नवंबर को ।

हिंदुस्तानी—बुधवार और शुक्रवार, ६ बजे । पहला व्याख्यान बुधवार, २६ नवंबर को ।^२

रेग्यूलेशन के अनुसार विज़िटर ने फोर्ट विलियम कॉलेज के विधान (स्टैट्यूट्स) का प्रथम परिच्छेद स्वीकृत किया और वे उनकी आज्ञानुसार प्रोवोस्ट द्वारा १० अप्रैल, १८०१ में लागू हुए। इन नियमों के अनुसार विद्यार्थियों को दाखिला कॉलेज के विधान के समय कॉलेज की नियमावली का पालन और उसके वेभव, का प्रथम परिच्छेद ख्याति और हितों के अनुकूल आचरण करने की शपथ लेनी पड़ती थी। शपथ लेने के बाद ही उनका नाम रजिस्टर में लिखा जा सकता था। प्रधानाध्यापको (प्रोफेसरो) आर बड़े-बड़े अफसरों को भी पद ग्रहण करते समय अन्य बातों के साथ ईसाई धर्म की रक्षा और उनके प्रचार करने की शपथ लेनी पड़ती थी। इनके अतिरिक्त कॉलेज के पदों, व्याख्यान और परीक्षाओं, डिस्प्यूटेन्स (वाद-विवाद, ६) प्रमाणपत्रों और उपाधियों, प्रोवोस्ट और कौंसिल के अधिकारों, विद्यार्थियों के खाने-पीने के प्रबंध और उनकी उधार लेने की प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगाने

^१'ऐशियाटिक ऐनुअल रजिस्टर', १८०१, लंदन (१८०२), पृ० ३१-३२। अन्य विषयों के यूरोपीय अध्यापक इस प्रकार थे—

विलियम कैरे	बंगाला और संस्कृत
जेम्स डेन्विडी, एल०एल०बी०	गणित
हु प्लेसी	आधुनिक भाषाएँ
लस्सडन	फ़ारसी विभाग के सहायक अध्यापक
रॉथमैन	कॉलेज कौंसिल के मंत्री

—'वेलेज़ली डेस्पैचेज़', जि० २, परिशिष्ट, पृ० ७३९

हारिंगटन न्यायशास्त्र और आईन पढ़ाते थे ।

युरु में चौसठ विद्यार्थियों का कॉलेज में दाखिला हुआ । उनमें से कुछ ने आगे चल कर बड़ा नाम पैदा किया ।

६ जनवरी, १८०१ को एडवर्ड स्कॉट वारिंग हिंदुस्तानी विभाग में सहायक अध्यापक नियुक्त हुए ।

२७ नवंबर, १८०१ को मज़हर अली खाँ की हिंदुस्तानी विभाग में नियुक्ति हुई ।

^२'ऐशियाटिक ऐनुअल रजिस्टर' - १८०१, लंदन (१८०२) पृ० ४४

के सवध म विविध नियम बने १६ अप्रैल को गवर्नर-जनरल ने विधान की एक प्रति बोर्ड के पास भेजी जिस पर बोर्ड ने अपनी स्वीकृति दे दी ।^१

२६ अप्रैल, १८०१ के अविवेशन मे कौंसिल^२ ने फारसी, अरबी, हिंदुस्तानी और बंगला विभागों मे एक-एक मीर या प्रधान (चीफ) मुंशी, एक-एक सहायक (सेकेड) मुंशी और विद्यार्थियों की संख्या देखते हुए आवश्यकतानुसार अन्य मुंशी रखे जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया । परंतु कुल मिलाकर, प्रधान और सहायक मुंशियों सहित, पचास से अधिक नहा रखे जा सकते थे । उनका पूरा विवरण और उनके वेतनों का लेखा इस प्रकार है—

प्रधान (चीफ) मुंशी	{	फारसी ... १ मुंशी, वेतन, २००	तिक्का	रुपए	मासिक			
		हिंदुस्तानी ... १	१	१	२००	१	१	१
		बंगला ... १	१	१	२००	१	१	१
		अरबी ... १	१	१	२००	१	१	१
		४			८००			
सहायक (सेकेड) मुंशी	{	फारसी ... १ मुंशी, वेतन, १००	१	१	१			
		हिंदुस्तानी ... १	१	१	१	१		
		बंगला ... १	१	१	१	१		
		अरबी ... १	१	१	१	१		
		४			४००			

^१क्रो० वि०, १६ अप्रैल, १८०१, हो०, प०, ओ० सी० नं० १, २, ६० रे० डि०
कॉलेज के चार पक्ष इस प्रकार रखे गए—

पहला, ६ फरवरी से लेकर मार्च के अंत तक,

दूसरा, ४ मई से लेकर जून के अंत तक,

तीसरा, १ अगस्त से लेकर सितंबर के अंत तक, और

चौथा, १ नवंबर से लेकर दिसंबर के अंत तक ।

दो परीक्षाएँ होती थीं—दूसरे और चथे पक्ष के अंत में । एक या एक से अधिक पूर्वीय भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य था । कुल शिक्षावधि बारह पक्षों की अर्थात् तीन साल की थी । इस अवधि के अंत में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र इत्यादि दिए जाते थे । किसी पूर्वीय भाषा या साहित्य या भारतीय धर्मशास्त्र या शरय्य मुहम्मदी में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को एक 'डिग्री ऑफ ऑनर' दी जाती थी । प्रमाणपत्र मिलने से पूर्व प्रत्येक विद्यार्थी को यह दिखाना पड़ता था कि उसे किसी का श्रेय नहीं देना ।

^२२४ अप्रैल, १८०१ में प्रोवोस्ट, वाइस-प्रोवोस्ट के अतिरिक्त गवर्नर-जनरल ने कोमिसन के निम्नलिखित सदस्य नियुक्त किए—

ओम० हेवरी वेल्डग्री, जी० एच० बार्नो और एन० बी० एडमोन्डसन

	फ़ारसी	२०	मुंशी	वेतन	४०	सि०	६०	मा०	८००
मुंशी	हिंदुस्तानी...	१२	१	१	४०	१	१	१	...४८०
	बंगला ...	६	१	१	४०	१	१	१	...२४०
	अरबी ..	४	१	१	४०	१	१	१	...१६०
		<u>४२</u>							<u>१६८०</u>
		५०							२८८०

कौंसिल ने इसी अधिवेशन में व्याख्यानों के दिन भी बदल दिए—

फ़ारसी और अरबी ... सोमवार और बृहस्पतिवार

हिंदुस्तानी ... मंगलवार और शनिवार

बंगला ... बुधवार और शुक्रवार^१

^१ क्रो० वि० २६ अप्रैल, १८०१, हो०, मि०, जि० १, २६ अप्रैल, १८०१

—४ सितंबर, १८०१, पृ० १०३, इ० रे० डि०

मुंशियों के विषय में इस प्रकार का दिव्यस्वरूप वर्णन मिलता है—

“मुंशी सुसज्जमान ही होते हैं, यह बात नहीं है; हिन्दू मुंशी भी होते हैं, लेकिन बहुत कम। इनका कार्य न तो परंपरागत है और न किसी संप्रदाय या उसकी किसी जाति तक ही सीमित है। साधारणतः मुंशी लोग इस बात की बहुत कोशिश करते हैं कि उनके लड़के पढ़ाने योग्य बन जायें। लेकिन इस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए उन्हें ऐसे अनेक धनी व्यक्तियों का मुक़ाबला करना पड़ता है जो अपने लड़कों को अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं। इसमें खर्च ज़रूर थोड़ा अधिक पड़ता है, पर मेहनत बहुत कम करनी पड़ती है। मुंशियों का साधारण ज्ञान बहुत सीमित होता है। कुरान के लंबे लंबे उद्धरण सुनाने और फ़ारसी भाषा की जो कुछ किताबें भारतवर्ष में मिलती हैं उनके साधारण ज्ञान, अधिकतर महापुरुषों की जीवनीयों या हाफ़िज़ को कवित्तियों के ज्ञान के अतिरिक्त सुन्दर लिखना, प्रांतीय भाषाओं की जानकारी रखना, और हस्तलिखित पोथियों की, जिनका पाठ लगभग पढ़ी न जा सकने वाली अँगरेज़ी रचनाओं की भाँति अस्पष्ट होता है, अनेकरूपता समझने के लिए प्रस्तुत रहना, इस इतनी ही बातों पूर्व में विद्वान् कहलाए जाने के लिए ज़रूरी कही जा सकती हैं ! विज्ञान की धार वे न केवल ध्यान ही नहीं देते, बल्कि घृणा करते हैं।

“मुंशी प्रति दिन भारत के वज़त से खाना खाने के वज़त तक पढ़ाता है; और, कभी-कभी शाम को भी। उसका वेतन उसके स्वामी के पद या उस्ताद पर निर्भर रहता है; इस रूप से लेकर चालीस या पैंतालीस रूपए मासिक तक। वह सब नौकरों का प्रधान सम्झा जाता है। दूसरे नौकर उसकी बड़ी इज़ज़त करते हैं। अधिक उदार विद्यार्थियों में से बहुत-से तो उसे जूता पहने ही कमरे में आ जाने देते हैं। क्योंकि यदि कोई दूसरा नौकर जूता पहने कमरे में चला आवे तो घृणा और अनादरसूचक सम्झा जाने के कारण उसे कठोर दंड दिया जाता है।

“सरकारी विभागों में जो सैकड़ों मुंशी काम करते हैं उनका आम तौर से बहुत ही कम वेतन होता है। इसी के मुताबिक वे अपनी पोशाक की तरफ से बेख़बर रहते हैं। वे न तो कोई अधिक सम्मानित ध्याक हाव हैं और न उनका जानकारी ही बहुत अच्छी रहती है।

उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसार ४ मई, १८०१ की बैठक में फ़ारसी, हिंदुस्तानी, बंगला और संस्कृत, और अरबी के प्रधान (चीफ) मुंशी, सहायक (सेकेड) मुंशी, मौलवी और मुशी अर्थात् कॉलेज के अध्यापक नियुक्त हुए। हिंदुस्तानी भाषा के निम्नलिखित अध्यापक थे—

प्रधान (चीफ) मुंशी ...	मीर बहादुर अली ...	मासिक वेतन, २०० सिक्का रुपए
सहायक (सेकेड) मुंशी ...	तारिणी मित्र ...	१०० ,,
	मुंशी . सुर्तजा खाँ ..	४० ,,
	,, गुलाम अकबर	४० ,,
	,, नसरुल्लाह ...	४० ,,
	,, ... मीर अब्मन ...	४० ,,
	,, ... गुलाम अशरफ ..	४० ,,
	,, ... हिलालुद्दीन	४० ,,
	,, मुहम्मद सादिक	४० ,,
	,, ... रहमतुल्लाह खाँ	४० ,,
	,, ... गुलाम शाँस ...	४० ,,
	,, कुन्दनलाल ...	४० ,,
	,, ... काशीराज .	४० ,,
	,, ... मीर हैदरबख़्श	४० ,,

केवल रविवारो को छोड़ कर, प्रधान (चीफ) और सहायक (सेकेड) मुंशियों को छुट्टियों में भी कॉलेज में सुबह १० बजे से १ बजे तक उपस्थित रहना पड़ता था, ताकि विद्यार्थी जब चाहें तब उनसे मदद ले सकें। छुट्टी उन्हें केवल प्रोवोस्ट ही मंजूर कर सकता था। जितने भी मुंशी थे वे सब चीफ़ मुंशी के मातहत थे। इस प्रबंध के अतिरिक्त कौंसिल ने यह व्यवस्था भी रखी कि विद्यार्थी, यदि जरूरत हो तो, कॉलेज के अध्यापक-वर्ग से बाहर के अध्यापको से भी काम ले सकते हैं, लेकिन उन्हीं अध्यापको से जिन्हे अधिकारियों की तरफ़ से पढ़ाने का प्रमाणपत्र मिल चुका हो। कॉलेज में जितने भी मौलवी और मुंशी रखे गए उन में लगभग सभी अँगरेज़ी भाषा से अनभिज्ञ थे। इसलिए प्रत्येक विभाग के प्रधानाध्यापक (प्रोफ़ेसर) को कौंसिल की उनके संबंध की सब बातें अनुवाद कर उन्हें बतानी पड़ती थीं। परीक्षक भी कौंसिल नियुक्त करती थी। कौंसिल की इस बैठक में जी० एच० वालों, एन० बी० एड्मॉन्सटन और एच० टी० कोलब्रुक कॉलेज के दूसरे पक्ष के अंत में होने वाली परीक्षा के परीक्षक और प्रधान (चीफ़) और सहायक (सेकेड) मुंशी उनके सहायक नियुक्त हुए। किसी विशेष कार्य की विवशता के कारण जब तक उन्हें पद-त्याग न करना पड़े तब तक एक बार नियुक्त किए हुए परीक्षक ही बने रहते थे।

किसी संबोधित व्यक्ति की उपाधियों से अच्ची तरह परिचित होना, (देशी लोगों में, ख़ास तौर से बड़े लोगों में, उपाधियों के प्रति स्पष्ट देख कर बड़ा ताउजुब होता है। किसी लंबी बिछारफट का १० भाग तो ठनकी उपाधियों से भर जाता है), और तेज़ पढ़ने के साथ साथ कच्ची किखाना उनके सबसे अच्छे गुण समझे जाते हैं

कॉलेज की पहली परीक्षा १८ जून, १८०१ से ३० जून, १८०१ तक रही। ६ जुलाई १८०१ को उसकी रिपोर्ट अधिकारियों के पास भेज दी गई।^१ १० अप्रैल, १८०१ वाले विधान के पाँचवें नियम (परीक्षा-सबधी) के अनुसार कोई भी विद्यार्थी अपनी किसी विषय की विशेष योग्यता पर पुरस्कार पाने का अधिकारी था। ऐसे पुरस्कार प्रत्येक वर्ष की चौथी मई को घोषित किए जाते थे। दूसरी परीक्षा के अंत में पुरस्कार पाने वाले विद्यार्थियों के नाम अधिकारियों के पास भेज दिये जाते थे और प्रत्येक वर्ष की ६ जनवरी को पुरस्कार वितरित कर दिए जाते थे। थोड़े-बहुत परिवर्तनों के साथ बहुत दिनों तक यह व्यवस्था बनी रही। विद्यार्थियों को मुलेख लिखने के लिए प्रोत्साहन देने की दृष्टि से भी पुरस्कार रखे गए और इस कार्य के लिए फ़ारसी-मुलेखक क़त्ब अली और नागरी-मुलेखक सुन्दर पंडित नियुक्त हुए। इनका मासिक वेतन २० मिक्का रुपए था। देशी भाषाओं में सुन्दर साहित्यिक रचना करने पर मुंशिया और मालवियों को भी उचित पुरस्कार दिया जाता था।^२ विद्यार्थियों के लिए देशी भाषाओं से किताबें नकल कराई जाती थी। इसमें खर्च बहुत होता था। इसलिए १८०१ में कौंसिल ने यह नियम बनाया कि प्रधानाध्यापक स्वयं विभिन्न पुस्तकों के उपयोगी अंशों का संग्रह कर उन्हें छपावें ताकि खर्च भी कम हो और विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें भी सुलभ हो जायें। छपाने से पहले संग्रह उन्हें कौंसिल के पास निरीक्षण और स्वीकृति के लिए भेजना पड़ता था। कौंसिल के इस नियम से देशी भाषाओं के अनेक संग्रह तैयार हुए।^३

इसी वर्ष हिंदुस्तानी विभाग के मुहम्मद सादिक, रहमतुल्लाह खॉं, काशीराज और गुलाम नौम नामक अध्यापकों के स्थान पर सैयद जाफ़र, मुहम्मद तक़ी, सुवारक मुहीउद्दीन और असद अली खॉं नामक अध्यापकों की नियुक्ति हुई। पहले चार अध्यापकों ने अपनी जगहें क्यों इतनी जल्दी छोड़ दीं, इसका कोई विशेष कारण ज्ञात नहीं।^३

यह फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के जन्म की कहानी है। जिस दिन भारतवर्ष में अँगरेज़ी सत्ता का विकास हुआ उस दिन की कीर्ति स्मरणीय बनाए रखने में उसका महत्व है

“भाषाओं का अध्ययन करने वाले सज्जन के मुंशी के पास साधारणतः एक लड़का नौकर रहता है जो घर से आने-जाने के वक़्त उसके लिखने का सामान पकड़े रहने के साथ अपने स्वामी के ऊपर छाता ख़गाता है। इनमें से बहुत-से लड़के अपने स्वामियों की मेहनत और कृपा से टूटी-फूटी फ़ारसी भाषा जान जाते हैं और वक़्त आने पर दरबारों में नौकरी करने के लिए थथेष्ट पढ़ना और लिखना सीख लेते हैं। कुछ तो बड़ी आराम की और ऊँची जगहों पर पहुँचते सुने गए हैं।

—चार्ल्स डौयले और कैप्टेन टॉमस विलियमसन : ‘द्वि यूरोपियन इन इंडिया’,
लंदन, १८१३

^१फो० वि०, ४ मई, १८०१, हो० मि०, जि० १, पृ० ४-८, इ० रे० डि०

^२फो० वि०, ३० जून और ७ जुलाई, १८०१, हो०, मि०, जि० १, पृ० क्रमशः ३ और १२, इ० रे० डि०

^३फो० वि० २ नवंबर १८०१, हो०, मि० जि० १, पृ० १४ १५, इ० रे० डि०

किसी भी रूप में विद्या-दान करने वाले को यदि संसार के इतिहास में यश प्राप्त हो सकता है तो वेंलेज़ली पूर्णरूप से उसके भागी हैं। अपनी हृद्गत प्रिय आयोजना को मूर्त-रूप देने के लिए जो बीज उन्होंने बोया था उस में विशाल वट-वृक्ष छिया हुआ था। उसे अंकुरित होते देख कर उनके हृदय में आनन्द, उत्साह और पूर्ण आशा का संचार हुआ। परंतु क्या अच्छा होता यदि मनुष्य के लिए भविष्य बोधगम्य होता !

बंगाल सेमिनरी

१२ अगस्त, १८०२ को लॉर्ड वेलेज़ली ने फ़ोर्ट विलियम से डेविड स्कॉट को एक निजी पत्र लिखते हुए कहा था : 'दि कॉलेज मस्ट स्टैंड, अॉर दि कॉलेज और साम्राज्य एम्पायर मस्ट फ़ॉल'^१ । बाद के कुछ इतिहासकारों ने लिखा था : 'दि एम्पायर स्टैंड्स ऐंड दि कॉलेज हैज़ फ़ॉलिन'^२ । परंतु यदि वास्तव में देखा जाय तो 'नन हैज़ फ़ॉलिन, बोथ स्टैंड'^३ । कोर्ट के डाइरेक्टरो की नीति के फलस्वरूप वेलेज़ली की बृहत् आयोजना के अनुसार कॉलेज का रूप बना न रह सका और आगे चल कर लगभग पचास वर्ष के बाद रहे-महे कॉलेज का अस्तित्व भी विलीन हो गया, यह ठीक है । किंतु सचालकों ने वेलेज़ली का फ़ोर्ट विलियम कॉलेज ग्रहण न कर वेलेज़ली की नीति ग्रहण की और उसी से आज भारत में अंगरेजी साम्राज्य की मत्ता बनी हुई है ।

वेलेज़ली के शासन-सूत्र ग्रहण करते समय अपनी के कर्मचारियों की कितनी शोचनीय अवस्था थी और कोर्ट के डाइरेक्टरो की उदासीन नीति का कॉलेज के संरंघ अवलंबन ग्रहण न कर वेलेज़ली और उनका पूर्ववर्ती शासका ने में वेलेज़ली का कर्मचारियों की दशा सुधारने के लिए कितना अथक परिश्रम किया पत्र-व्यवहार और यह फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के इतिहास में दिखाया विभिन्न मत जा चुका है । कॉलेज की स्थापना कर्मचारियों के लाभ तथा भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव सुदृढ़ बनाने के लिए की गई थी । उसकी आयोजना वेलेज़ली जैसे महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ के मस्तिष्क की उपज थी । सचालकों की स्वीकृति बिना मिले उनकी आयोजना के अनुसार कॉलेज का प्रत्येक कार्य शुरु भी हो गया था । परंतु इससे हम उन्हें स्वेच्छाचारी शासक नहीं कह सकते । वास्तव में वे कॉलेज को ससार का सर्वोत्कृष्ट शिक्षा-केन्द्र बनाना चाहते थे और अपनी सर्वप्रिय आयोजना को परलपित और पुष्पित होते देखने की उनमें इतनी प्रबल उत्कटा थी कि वे सचालकों की स्वीकृति प्राप्त करने तक का धैर्य धारण न कर सके । साम्राज्य-हित की जिस उत्कट इच्छा ने कॉलेज-संस्था के विचार को जन्म दिया था उस विचार को कार्यरूप में परिणत करने की आतुरता वेलेज़ली जैसे व्यक्ति के लिए लभ्य है । जिस संस्था के संबन्ध में उनका विचार था कि :—

^१ कथयः 'कॉलेज बना रहना चाहिए, नहीं तो साम्राज्य का पतन हो जायगा',
'बना रहा और कॉलेज का पतन हो गया 'किसी का पतन नहीं हुआ दोनों बने हुए हैं' ।

“शांति स्थापित हो जाने पर समस्त संसार इस संस्था के विषय में विचार करेगा। वर्तमान परिस्थिति में चाहे जो कुछ हो, परंतु इसके उद्देश्यों का प्रचार करने से और इसके भविष्य पर विचार करने तथा इसके यश की विमल पताका फहराने से ब्रिटिश हितों और चरित्र को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हो सकते हैं। हमारे अपने देश को इस सस्था की विशेष आवश्यकता, इस देश में इसका विशेष स्थान, एशिया के अधिकांश में इसका प्रकाश और यूरोप के सुहृद्समाज में इसका नवीन रूप—ये सब बातें शीघ्रातिशोघ्र इस सस्था का महत्व सिद्ध कर इसे ऐसी दृढ़ नींव पर स्थापित कर सकेगी जिसे ब्रिटिश साम्राज्य को हटाए बिना कोई हिला नहीं सकता।”^१

ऐसी संस्था के संबंध में उन्हें पूर्ण आशा थी कि सम्राट्, संचालकगण तथा अन्य सभी अनुभवी शासक कंपनी के कर्मचारियों का सुधार करने वाली आयोजना सहर्ष स्वीकार करेंगे। इसी आशा से प्रेरित होकर उन्होंने सचालकों के पास अपने ‘नोट्स’ जरा देर से भेजे। साथ ही उन्होंने कॉलेज-संबंधी अपने ‘नोट्स’, विधान इत्यादि अनुभवी राजनीतिज्ञों के पास उनकी सम्मत्यर्थ भेजे थे। फिट को एक पत्र लिखते समय विल्बफ़ोर्स ने वेलेज़ली की आयोजना की सराहना करने के साथ-साथ उनसे कॉलेज के विद्यार्थियों के अभ्यास-कार्य की पुस्तक सम्राट् को भेंट-स्वरूप देने का अनुरोध किया था।^२ १८ अगस्त, १८०० को वेलेज़ली ने लॉर्ड टेनमथ को एक पत्र में सिविल सर्विस की बुराइयों और कठिनाइयों की ओर निर्देश करते हुए लिखा था—

“ईस्ट इंडिया कंपनी की सिविल सर्विस के सुधार-कार्य के संबंध में कौंसिल द्वारा स्वीकृत विधान की एक प्रति मैं आपके पास भेज रहा हूँ। इस विधान के उद्देश्य का अत्यधिक सार्वजनिक महत्व होने से मुझे भी इस संस्था की, जिसकी स्थापना करना मेरा कर्तव्य था, सफलता का उतना ही अधिक ध्यान है। मैंने कोर्ट के डाइरेक्टरों से प्रार्थना की है कि वे सस्था की आयोजना के संबंध में इसके सिद्धांतों का परिचय देने वाले मेरे निजी ‘नोट्स’ आपके पास भेज दें। यदि आप इस रोचक विषय में मुझसे सहमत हो तो सभापति या कोर्ट को संबोधित करते हुए आपके एक सार्वजनिक वक्तव्य से इंग्लैंड में इस संस्था को अत्यधिक प्रभावशाली रूप में सहायता पहुंच सकेगी।

“आप सिविल सर्विस की प्रारंभिक अवस्था की बुराइयों और कठिनाइयों पर अत्यंत योग्यता और प्रतिष्ठा के साथ विजय पा चुके हैं। इसलिए आपसे बढ़ कर इस सस्था का मूल्य और कोई नहीं आंक सकता। इस नियम पर, जिसे मैं आपके पास भेजने का साहस कर रहा हूँ, आपकी सम्मति अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।”^३

^१ आर० आर० पीथर्स; ‘मेम्बयर्स ऐंड करिसपोण्डेंस ऑफ दि मोस्ट नोबिल रिचर्स मार्किंस वेलेज़ली’, जि० २ लंदन, १८४६, पृ० २०५-२०६

^२ वही, पृ० २००-२०१

^३ लॉर्ड टेनमथ ‘मेम्बयर्स ऑफ दि डाइरेक्टर्स ऐंड करिसपोण्डेंस ऑफ जॉन सॉर्ट टेनमथ’, जि० २, लंदन, १८४६, पृ० २५-२६

३० मार्च, १८०१ को लॉर्ड टेनमथ ने ग्रांट महोदय के नाम एक पत्र लिखत समय अपने विचार प्रकट किए। उनका कहना है : कंपनी के कर्मचारियों की पुष्टिपूर्ण शिक्षा-पद्धति के सबंध में लॉर्ड वेलेजली के जो विचार हैं उनका मेरे अपने और लॉर्ड कॉर्नवालिस के अनुभव से पूर्ण समर्थन होता है। कर्मचारियों में प्रचलित दोगे से सरकारी मशीन के गिर जाने या समय-समय पर साफ करने की आवश्यकता पड़ती रहेगी। किसी भी सरकार को अपने कर्मचारियों के ही गुण या दोषों से यश या अभय प्राप्त होता है। यह बात भारतीय शासन-व्यवस्था के सबंध में पूर्णरूप से लागू होती है। आज कंपनी के कर्मचारियों का उत्तरदायित्व केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं है। अब तो एक अपार जनसमूह का सुख, उसकी शांति और समृद्धि, कंपनी के कर्मचारियों पर ही निर्भर है। भारत में ब्रिटिश चरित्र का दिन-पर-दिन पतन होता जा रहा है। अतः इस समय प्रतिभाशाली और गुणसंपन्न व्यक्तियों के हाथों में शासन-भार सौंपने से ही भारतीय जनता को शांति और राज्य-व्यवस्था को स्थिरता प्राप्त हो सकेगी। यह कार्य दूरदर्शिता और सगठित प्रयास से हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए धार्मिक और नैतिक शिक्षा, भारतीय साहित्य एवं विभिन्न भाषाओं का अध्ययन तथा साधारण ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए फ़ोर्ट विलियम कॉलेज एक उपयुक्त साधन है।

किंतु वेलेजली के अन्य सभी विचारों का समर्थन करते हुए लॉर्ड टेनमथ उनके कुछ विचारों से सहमत नहीं थे। प्रथम, भारतीय रीति-रस्मों और आचार-विचारों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए लॉर्ड टेनमथ कॉलेज में अध्ययन करने की अपेक्षा जनता के साथ संपर्क बढ़ाना अधिक उपयोगी समझते थे। दूसरे, लॉर्ड टेनमथ बंगाल, मद्रास और बंबई के विद्यार्थियों के लिए केवल एक ही केंद्रीय शिक्षा-संस्था के पक्ष में नहीं थे। आयोजना की सफलता के संबन्ध में उनका मत था कि यह बहुत कुछ गवर्नर-जनरल तथा कॉलेज के अन्य पदाधिकारियों की सतर्कता, सच्ची लगन, अनवरत परिश्रम और देख-रेख पर निर्भर है। अब तो उन्होंने यही समझा कि कॉलेज के उद्देश्यों की यथेष्ट पूर्ति तक मार्किंस वेलेजली भारतवर्ष में ही रहते। उस समय उनके सब सदेह दूर हो जाते। क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो कॉलेज का काम करने से जी चुराते। अतः वेलेजली की आयोजना के सब पहलुओं पर गंभीरता-पूर्वक विचार करते हुए लॉर्ड टेनमथ ने उनकी प्रतिज्ञा की अत्यन्त प्रशंसा की। ऐसे एक अनुभवी शासक का सहयोग प्राप्त कर वेलेजली को बड़ा सुख हुआ।^१

सैनिक दृष्टि से कॉलेज जैसी एक संस्था की आवश्यकता बताते हुए कैप्टेन राबर्ट्सन ने रेवरेंड क्लौडियस व्यूकैनैन के पास एक पत्र में लिखा था :

“मेरे तुच्छ विचार में इस संस्था की स्थापना करने में सरकार का प्रधान उद्देश्य नवयुवक अफ़सरो को हिंदुस्तानी और फ़ारसी भाषाओं की शिक्षा देने के साथ-साथ जिन सैनिकों का उन्हें नेतृत्व करना है उनके चरित्र, प्रकृति, रीति-रस्मों तथा धार्मिक विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त कराना है। इस बात की आवश्यकता का प्रत्येक विचारवान व्यक्ति अनुभव करेगा। और विशेष रूप से उस समय जब कि

नवयुवक कर्मचारी इस देश में आते ही सेना में अपने-अपने पदों पर नियुक्त कर दिए जाते हैं और उनकी तरक्की भी हो जाती है।

“ऐसा प्रतीत होता है कि उपर्युक्त महत्त्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने नवयुवकों को देर से अपने-अपने पदों पर नियुक्त करने की आवश्यकता का अनुभव किया है, और साथ ही एक ऐसी संस्था की स्थापना करने के लिए प्रस्तुत ही नहीं, चिंतित भी है। वह एक ऐसी प्रणाली अपनाना चाहती है जो नवयुवका को आगे-आगे भी सुधार का अवसर देकर अपने-अपनी सेना में पहुँच कर वश संचित करने और जिस कार्य पर नियुक्त हों उसे मली भौति संपादित करने योग्य बन सकें।”^१

विलेजली की आयोजना का समर्थन करने वाले अनुभवी और सुयोग्य शासकामे डारेन हेस्टिंग्स के विचार ध्यान देने योग्य हैं :—

“दशमम तीस वर्ष पूर्व मैंने ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय में फ़ारसी भाषा की शिक्षा देने के संबंध में एक प्रस्ताव रखा था और उसकी छपी हुई प्रतियाँ कंपनी के नवाबों के पास भेजी थीं। विश्वविद्यालय के चांसलर महोदय ने उसकी प्रशंसा की थी। सर्गेंट डॉ० जॉनसन ने उसके तै हो जाने पर निश्चयपूर्वक प्रस्तुत करने का वचन दिया था। लेकिन प्रोत्साहन न मिलने पर उसका विचार छोड़ दिया गया। इस बात का जिक्र कर मैं केवल यही दिखाना चाहता हूँ कि प्रस्तुत विषय पर मैं जो कुछ लिख रहा हूँ वह क्षणिक भावावेश का परिणाम नहीं है, वरन् यह मेरी बहुत समय से चली आ रही निश्चित धारणा का फल है। और न मैं लॉर्ड विलेजली से पूर्णतया सहमत होने का इससे अधिक पुष्ट प्रमाण ही दे सकता हूँ कि यदि हमारे साधन मिलाये, तो भी सैद्धांतिक रूप से उनकी आयोजना का उद्देश्य बहुत श्रेष्ठ मेरा अपना ही था। मैंने इस बात की सिफ़ारिश की थी कि नौकरी मिल जाने पर कंपनी के राइटर्स को यूरोपीय ज्ञान की शाखाओं और ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय में फ़ारसी भाषा का अध्ययन करने के लिए एक निश्चित समय के लिए रोक लेना चाहिए। श्रीमान् (विलेजली) ने एक बड़े पैमाने पर वही आयोजना प्रस्तुत की है, और वग़ाल उसका केंद्र बनाया है। यह तो और भी अच्छा है। क्योंकि बड़ी अवस्था पर जाने की अपेक्षा अल्पवयस्क विद्यार्थी अधिकारियों की पूरी देख-रेख में रहने, जलवायु से अभ्यस्त होने और समाज के रहन-सहन से परिचित होने का लाभ उठा सकते हैं। भाषाएँ, विशेष रूप से सर्वसाधारण में प्रचलित भाषाएँ, कम उम्र में सबसे जल्दी सीखी जा सकती हैं, क्योंकि इस अवस्था में उनके उच्चारण सीखने और उन के विचार समझने और स्मरण रखने में बड़ी आसानी पड़ती है।”^२

लॉर्ड टेनन्थ और डारेन हेस्टिंग्स जैसे अनुभवी शासकों का समर्थन ही विलेजली की आयोजना का महत्त्व घोषित करने के लिए यथेष्ट था। परंतु इतने पर भी विलेजली ने

^१वही, पृ० २०२-२०३

^२‘द्वि माक्सि वेलेज़ली’ नामक प्रथम से उद्धृत

इंग्लैंड के मंत्रि-मंडल तथा भारतीय शासन से सबध रखने वाले अन्य सुयोग्य व्यक्तियों मे अपने 'नोट्स', विधान इत्यादि वितरित कर कॉलेज-स्थापना के पक्ष मे सम्मतियों का संग्रह किया। और अपने-अपने दृष्टिकोण से प्रायः सभी ने उनके साथ सहयोग प्रकट किया। ईसाई धर्म-प्रचारकों ने भी अपने धर्म-प्रचार की दृष्टि से उनकी आयाजना की सराहना की।^१ किंतु, १८०१ की अठारहवीं पार्लामेंट के पाँचवे अधिवेशन की ईस्ट इंडिया हाउस डिवेट मे कॉलेज-संबधी जो विवाद हुआ उससे कोर्ट के डाइरेक्टर्स और कुछ प्रोप्राइटर्स के रुख का कुछ और ही पता चलता है। उस समय जो विवाद हुआ था वह इस प्रकार है। लॉर्ड किनेअर्ड ने कॉलेज का जिम्मा करते हुए कहा था : वह विषय कपनी के लिए अत्यंत महत्त्व का है क्योंकि बड़े पैमाने पर बनाए जाने के कारण इसमें बहुत रुपया खर्च होगा। यह विषय अभी कोर्ट के डाइरेक्टर्स के विचाराधीन है। आशा की जाती है कि वे इसे उचित रूप से और दूरदर्शिता के साथ लें करेगे। और इस संबंध में प्रोप्राइटर उनका साथ देंगे। इस पर श्री हेचमैन ने उठ कर कहा : मालूम होता है अन्य प्रोप्राइटर्स की अपेक्षा आपको भी इस सबध में जानकारी अधिक है, नहीं तो इस विषय में आप अपना कोई मत निश्चित न करते। मार्क्स वेलेजली के विरुद्ध झूठी बातें फैलाना ठीक नहीं। कॉलेज के साथ-साथ और बातों के आधार पर मार्क्स को अपने शासन में अपव्यय का दोषी ठहराया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति पर इस प्रकार से दोषारोपण नहीं करना चाहिए। राष्ट्र और कपनी के प्रति उनकी महान् सेवाओं से आभारी होकर हमें उनके इस अप्रत्यक्ष विरोध से उनकी रक्षा करनी चाहिए। यदि गवर्नर-जनरल से असंतुष्ट होने का कोई कारण है तो उसे साफ़ साफ़ कहना चाहिए, ताकि उसका उचित उत्तर दिया जा सके। तब सभापति ने उठ कर कहा कि यह विषय अभी कोर्ट के डाइरेक्टर्स के विचाराधीन है, परंतु अभी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुँच सके।^२

चार्ल्स थियोफिलस मेटकाफ १८०१ की पहली जनवरी को भारतवर्ष आए थे। उस समय कॉलेज अव्यवस्थित अवस्था में था।^३ इसलिए एक ओर तो कॉलेज का कार्य सुचारु रूप से संचालित करने के लिए वेलेजली ने १० अप्रैल, कोर्ट के डाइरेक्टर्स १८०१ को कॉलेज के विधान का प्रथम परिच्छेद^४ (फ़र्स्ट चैप्टर) का विरोधी रुख स्वीकृत किया, उधर दूसरी ओर कपनी के संचालकों की एक बड़ी संख्या उनके विरुद्ध पड़्यत्र रच रही थी। ऐसी हालत में उनका शासन-भार ग्रहण किए रहना कठिन ही था। इसलिए १ जनवरी, १८०१ को उन्होंने पद-त्याग करने का सूचना कोर्ट के डाइरेक्टर्स के पास भेज दी और दिसंबर, १८०२ या जनवरी

^१ १४ सितंबर, १८०१ का चार्ल्स ग्रांट का वेलेजली के नाम पत्र। देखिए, आर० आर० पीअर्स : 'मेम्वायर्स', पृ० २६७

^२ 'एशियाटिक ऐनुअल रजिस्टर', १८०१, लंदन, १८०२, पृ० २११-२१२

^३ जॉन विलियम के : 'लाइव्ज ऑव इंडियन ऑफिसर्स', जि० १, लंदन, १८६७

पृ० ३८०-३८५

^४ 'एशियाटिक ऐनुअल रजिस्टर', १८०१, लंदन १८०२ पृ० ११ स्टे० वेपर्स)

१८०३ में यूरोप के लिए रवाना हो जाने का विचार प्रकट किया।^१ किंतु राजनीतिक ए. सामरिक घटना-चक्र के कारण फोर्ट ने उनसे जनवरी, १८०४ तक भारत में रहने की प्रार्थना की।^२ इस पर वेलेंजली ने कानपुर से फिर १० जनवरी, १८०२ को राइट ऑनरेबुल हेनरी ऐडिंग्टन (फ़र्स्ट लॉर्ड ऑफ़ ट्रेजरी) के नाम एक पत्र लिखा और कहा कि भारत में रहने की जो अवधि मैं अपने पहल पत्र में निश्चित कर चुका हूँ उससे अधिक यहाँ ठहरना मेरे लिए अब असंभव है। जब फोर्ट का मुझमें अविश्वास बढ़ता जा रहा है और वह मेरे स्थानीय शासन-प्रबंध में हस्तक्षेप करने लगा है, साम्राज्य-हित के लिए बनाई गई मेरी आयोजनाओं को जब उसने रद्द कर दिया है, तब मेरा यहाँ ठहरना शासन-नीति के विरुद्ध है। और १३ मार्च, १८०२ को उन्होंने फिर बनारस से अपना पद-त्याग करने का निश्चय लिख भेजा।^३ इसके थोड़े ही दिन बाद वेलेंजली के आत्म-सम्मान पर कुठाराघात हुआ। फोर्ट का २७ जनवरी, १८०२ का लिखा हुआ एक पत्र उन्हें कलकत्ते में मिला जिसमें उनको एकदम कॉलेज तोड़ देने की आज्ञा दी गई। आखिर वेलेंजली का डर सच साबित हुआ। पत्र के कुछ अंश यहाँ उद्धृत किए जाते हैं :—

“फोर्ट विलियम में एक कॉलेज स्थापित करने के संबंध में हमने मार्किंस वेलेंजली की आयोजना तथा कारणों पर काफ़ी विचार किया है। यद्यपि हमें मार्किंस की आयोजना का न्यायोचित मूल्य मान्य है जो उदार और कॉलेज तोड़ देने के लिए उच्च भावना से अतिप्रोत और महान् योग्यता से सयुक्त है; तो फोर्ट का आज्ञापत्र भी कंपनी की वर्तमान परिस्थिति में जब कि भारत में उस पर अभूतपूर्व कर्ज़ लदा हुआ है और जब कि धनाभाव वहाँ इतना है कि जिसका पहले कभी अनुभव नहीं किया गया, और जिसके फल-स्वरूप कंपनी की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचा है, और बहुत से काम या तो घटा दिए गए हैं या विलकुल ही बन्द कर दिए गए हैं—हम, अपने कर्तव्य का ध्यान रखते हुए, एक संस्था की तुरत स्थापना पर जिसके कुछ अंश चाहे हमें पसंद ही हो, अपनी सहमति प्रकट कर स्वीकृति नहीं दे सकते। संस्था की स्थापना से कंपनी के व्यय का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। यह धन कंपनी के हितसाधक किसी अन्य कार्य में लगाया जा सकता है।

“इस प्रकार के बड़े-बड़े काम उठाने से पहले खर्च का लेखा लगाने की रीति चली आई है। इस कार्य के लिए यह उपयुक्त समय था ताकि हम उसके खर्च का ठीक-ठीक अनुमान लगा लेते।

“हम को बिना सूचित किए कॉलेज की स्थापना करने के संबंध में गवर्नर-जनरल ने जो कारण दिए हैं उन पर हमने विशेष ध्यान-पूर्वक विचार किया है। उनकी भावना प्रशंसनीय हैं। लेकिन एक स्थापित प्रणाली से विमुख होने की आज्ञा हम कभी नहीं दे सकते। इस प्रवृत्ति में इस देश में वैधानिक रूप से संस्थापित सत्ता

^१ वेलेंजली डेस्पैचेज़, पत्र नं० १६६, पृ० ६१४-६१६

^२ वही, लि० ३, भूमिका, पृ० २५

^३ वही, भूमिका पृ० ४२४

को ठेस पहुँचती है। क्योंकि एक बार जब काम शुरू हो जाता है तो, चाहे सरकार को उसमें विश्वास हो या अधिक खर्च होता हो, ऐसे मामलों में फिर सभी महत्त्वपूर्ण अवसरों पर शासन-सत्ता का लोप हो जाता है। इसलिए इस नियम का पालन करना भविष्य में आपका सर्वप्रथम कर्त्तव्य होना चाहिए।

“गवर्नर-जनरल की अयोजना पर कोई विशेष वाद-विवाद न कर हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि हमारी सम्मति में कपनी की वर्तमान अवस्था और परिस्थिति में यह वश से बाहर की बात है।

“दिसंबर, १७६८ में डॉ० गिलक्राइस्ट ने ज्ञान की शिक्षा के लिए एक सेमिनरी सस्था^१ स्थापित करने का प्रस्ताव रक्खा था। उसी के सिद्धांतों के आधार पर बड़े पैमाने पर एक सस्था स्थापित करने से हमारी सम्मति में उन बहुत से उपयोगी कार्यों पर प्रभाव पड़ेगा जिनकी आशा गवर्नर-जनरल अपनी प्रस्तावित संस्था से करते हैं। इस सेमिनरी में पढ़ने वाले सज्जनों की जून, १८०० की परीक्षा के फल से हमारी यह धारणा और भी पक्की हो जाती है। विद्यार्थियों की हिंदुस्तानी और फ़ारसी भाषाओं के ज्ञान के सबंध में परीक्षा एक कमेटी के सामने हुई थी जो इस कार्य के लिए नियुक्त की गई थी। उनके भाषा-संबंधी ज्ञान से कमेटी ने पूर्ण सताप प्रकट किया था। यहाँ तक कि कुछ को तो कमेटी की आशा से कहीं अधिक सफलता मिली थी। इसलिए इस सस्था की पुनर्स्थापना पर विचार करने के लिए हम आपको आज्ञा देते हैं। क्योंकि हमारी सम्मति में कपनी के बिना किसी अधिक खर्च से इसका संचालन किया जा सकता है।

“७ मई, १८०० के पत्र में हमने श्री गिलक्राइस्ट द्वारा प्रस्तावित सस्था और गवर्नर-जनरल का उसे विस्तृत रूप देने का विचार जरूर पसंद किया था, किन्तु हमें यह पता नहीं था कि श्रीमान् का विचार एक ऐसी बृहत् आयोजना प्रस्तुत करने का है जिसका परिचय उन्होंने अपनी अगस्त, १८०० की मिनिट्स में दिया है। उस समय हमारा मतलब केवल उन सिद्धांतों को स्वीकृति देना था जिनके आधार पर प्रचलित हिंदुस्तानी, या बोलचाल की बोली का अधिकाधिक और साधारण, और प्राचीन फ़ारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्री गिलक्राइस्ट की सेमिनरी का निर्माण हुआ था। इन भाषाओं के अध्ययन के साथ-साथ गवर्नर-जनरल का सेमिनरी में भारतीय प्रदेशों के शासन के लिए सपरिषद् गवर्नर-जनरल द्वारा स्वीकृत कायदे-कानूनों की शिक्षा देने का विचार भी मालूम होता था। इन कायदे कानूनों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना हम कर्मचारियों के लिए कर्त्तव्य-पालन करने की दृष्टि से उपयोगी ही नहीं वरन् अत्यंत आवश्यक समझते हैं, विशेष रूप से उस समय जब कि उन्होंने अपने भावी जीवन-क्रम के अनुकूल यूरोप में शिक्षा प्राप्त की हो।”^२

^१कॉर्ट के सप्लेमेंटों ने इस संस्था को ‘गिलक्राइस्ट्स सेमिनरी’ के नाम से पुकारा है वास्तव में इसका नाम ‘ऑरिएण्टल सेमिनरी’ था

तत्पश्चात् कोर्ट के डाइरेक्टरों ने केवल हिंदुस्तानी, फ़ारसी और बंगला भाषाओं और भारतीय प्रदेशों के सुशासन के लिए पास किए गए क्रायदे-कानूनों के पूर्ण ज्ञान और यूरोपीय शिक्षा पर जोर दिया है। उनका विचार था कि इन्हीं गुणों के आधार पर उनके कर्मचारी जनसाधारण और राज्य का हित-साधन करने में समर्थ हो सकेंगे। उन्होंने अपने पत्र में गणित के ज्ञान का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इस प्रकार वेलेजली की आयोजना पर विचार करते हुए उन्होंने निश्चय किया :

“चूँकि हमारा इन समय मार्क्स वेलेजली द्वारा प्रस्तावित नई कॉलेज-संस्था के निर्माण के स्थान पर श्री गिलक्राइस्ट की सेमिनरी की पुनर्स्थापना करने का विचार है, इसलिए इस पत्र के मिलने के बाद इस संबंध में जितने भी खर्च हों वे सब बढ़ कर दिए जायें और इसके साथ दूसरे अहातों से बुलाए गए विद्यार्थी भी जल्दी से जल्दी वापिस भेज दिए जायें। और एक ऐसी आयोजना को अन्त देने एवं उसकी व्यवस्था करने के लिए, जो कंपनी की अच्छी आर्थिक परिस्थिति में अत्यंत गंभीरता-पूर्वक विचार करने योग्य थी, मार्क्स वेलेजली की सार्वजनिक भावना और कुशाग्र बुद्धि की प्रशंसा किए बिना हम यह विषय समाप्त नहीं कर सकते।”

कोर्ट के आज्ञा पत्र की अनेक विद्यार्थियों में खूब चर्चा फैली जिससे अधिकारियों का आशंका हुई कि कॉलेज के तुरंत स्थगित होने की बात सुन कर नवयुवक विद्यार्थियों का कहीं अनुशासन शिथिल न हो जाय और वे फिर कहीं प्रलोभनों और कुव्यसनो में न पड़ जायें। क्लोडियस व्यूकैनैन, वाइस-प्रोवोस्ट, ने शीघ्र ही १४ जून, १८०२ को उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के नाम एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने बताया : कोर्ट के डाइरेक्टरों ने मार्क्स वेलेजली की आयोजना की अत्यंत सराहना की है। उन्हें केवल उसके व्यय के मन्वथ में आपत्ति है। वे केवल दो या तीन भाषाओं के अध्ययन के अनिश्चित और बाकी सब खर्च घटा कर कॉलेज छोटे पैमाने पर चलाना चाहते हैं, किंतु कॉलेज एकदम स्थगित कर देने के भयावह परिणाम से गवर्नर-जनरल महोदय भली प्रकार परिचित हैं। उन्हें आशा है कि कोर्ट के डाइरेक्टर उनकी आयोजना स्वीकार कर लेंगे। इस बीच में कॉलेज के पूर्णतया स्थापित हो जाने तक दूसरे अहातों से विद्यार्थियों का आगमन रोकने के लिए उन्होंने कॉलेज ३१ दिसंबर, १८०३ को स्थगित करने का निश्चय किया है। उस समय तक संस्था अपने वर्तमान रूप में चलती रहेगी और प्रस्तुत विधान समान रूप से लागू रहेगा। विधान के अनुसार १७६६ और १८०० में बंबई और मद्रास से आए हुए विद्यार्थी १८०२ के अंत में और १८०१ में आए हुए विद्यार्थी १८०३ के अंत में कॉलेज छोड़ने के अधिकारी होंगे।

व्यूकैनैन के इस पत्र का कुछ अच्छा प्रभाव अवश्य पड़ा, किंतु, जैसा कि वाइकाउट वेल्लेशिया कृत ‘वैयेजेज़ एंड ट्रेवल्स टु इंडिया, सीलोन, दि रेड सी, ऐनीसीनिया एंड ईजिप्ट इन दि ईअर्स १८०२, १८०३, १८०४, १८०५ एंड १८०६’ से

ज्ञात होता है, कॉलेज के विद्यार्थियों में कुव्यसनो और कुप्रवृत्तियों का प्रचार बढ़ता ही गया। कोर्ट के आशा-पत्र से कॉलेज के अनुशासन पर जो वज्रपात हुआ उससे विद्यार्थियों में घुड़दोड़ में दाव लगाने, उधार लेने की प्रवृत्ति आदि कुव्यसन बढ़ने लगे। वेलेज़ली का विचार था कि गिलक्राइस्ट वाली सेमिनरी जैसी संस्थाओं से विद्यार्थियों के चरित्र-सुधार का एक महत्वपूर्ण कार्य कदापि नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने उनकी आशाओं के विरुद्ध उनकी सस्था गिलक्राइस्ट वाली सेमिनरी के पद पर ला खड़ी कर दी। परिणाम वही हुआ जो होना था और जिसके भय से और जिसकी श्रुतियों पर भली प्रकार सोच-विचार कर वेलेज़ली ने अपनी दृष्ट आयोजना प्रस्तुत की थी। कोर्ट के आशा-पत्र के बाद वेलेज़ली ने ३१ दिसंबर, १८०३ तक कॉलेज का पूर्ववत् संचालन करने का निश्चय किया। इसी बीच में उन्होंने ५ अगस्त, १८०२ को कोर्ट के आशा-पत्र का एक अत्यंत विस्तृत उत्तर भेजा। कोर्ट के आशा-पत्र के सामने मार्क्विम वेलेज़ली के इस पत्र की आवश्यकता नहीं थी। तो भी साम्राज्य के हित की दृष्टि से और इस आशा से कि संभव है वे अपनी जवरदस्त तर्क-प्रणाली से कोर्ट द्वारा अपनी आयोजना स्वीकार कराने में सफल हो सके, उन्होंने पत्र लिखने का निश्चय किया।

आर्थिक कठिनाई का उत्तर देते हुए मार्क्विम वेलेज़ली ने अपने पत्र में लिखा है : अब कंपनी के ऊपर कर्ज़ बहुत थोड़ा रह गया है। पिछले नौ महीने के हिसाब से कोर्ट के डाइरेक्टरों को और भी संतोष हो जायगा। साथ ही आमदनी के वेलेज़ली का उत्तर ज़रिये भी बढ़ गए हैं। इन सब बातों से धनाभाव के विषय में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी की प्रतिष्ठा भी अब बढ़ती जा रही है। बंगाल, मद्रास और बंबई में जो रुपया खर्च हो रहा है उससे लाभ ही लाभ है। वहाँ रुपये की वचत करना ठीक न होगा। भारतीय राजनीतिक परिस्थिति भी हम समय सुधरी हुई है। अतः घटने के स्थान पर कंपनी का कोष बढ़ता ही जायगा। कॉलेज पर खर्च किए गए धन के उपयोग का अनुमान सस्था के उद्देश्यों और उससे होने वाले अतीव लाभ से लगाया जा सकता है। धन का इससे अच्छा उपयोग और कोई नहीं हो सकता। सस्था-संबन्धी प्रारम्भिक व्यय अवश्य अधिक होगा। किंतु बाद को यह व्यय भी कम हो जायगा। १८०२-३ के वर्ष में चार लाख व्यय का अनुमान है। भविष्य में इससे अधिक व्यय कभी न होगा। ३१ अक्टूबर, १८०१ तक के प्रथम वर्ष का व्यय छः लाख तीस हजार रुपया है। इसमें से कॉलेज-स्थापना से पहले के बहुत से खर्च कम हो जाएंगे। मुशियो का वेतन और राइटर्स विलिंडम्स का किराया, जो लगभग सत्तर हजार रुपया होता है, कम हो जाने से कुल खर्च तीन लाख तीस हजार रुपया रह जाता है। तीन सौ सिक्का रुपए मासिक राइटर्स का भत्ता दिया जाता है। मद्रास और बंबई के राइटर्स को कुछ अधिक भत्ता मिलता है। लेकिन बंगाल के राइटर्स को कम भत्ता मिलने से यह खर्च बराबर हो जाता है। मेरे ३० जुलाई, १८०१ वाले पत्र के अनुसार यदि अलग-अलग मद्रास और बंबई भेजने के स्थान पर सब राइटर्स को सीधा कनकचे भेज दिया जाय तो आने जाने का खर्च भी कम हो सकता है। कॉलेज का रोडमार्ग का खर्च गवर्नर द्वारा लगाए गए कुछ नए करों से निकल सकता

। १८०१-२ में इन नए करो मे बारह लाख सत्तर हजार रुपए की आय हुई है। प्रगले वर्ष में चौदह लाख की आशा की जाती है। यदि कर वसूल करने का प्रबंध ठीक तरह से किया जाय तो आय और भी बढ़ सकती है। ८ जुलाई, १८०२ को इस ओर प्रयत्न किया भी गया है। इसलिए कंपनी के बंगाल-कोष से कुछ और अधिक व्यय नहीं होता। नवीन कर-पद्धति के असफल हो जाने से भी कॉलेज के लिए धनाभाव का अनुभव न होगा। उसके लिए अन्य बहुत से साधन हमारे पास मौजूद हैं। कॉलेज के चलते रहने या टूटने से कंपनी के रुपयों का लागत पर कुछ भी प्रभाव न पड़ेगा। अब केवल सोचने की बात यह है कि नए साधनों से प्राप्त रुपयों में से तीन लाख तीस हजार रुपया या नौ कॉलेज के ऊपर खर्च किया जाय या कोष में जमा कर दिया या 'सिकिंग फंड' में चला जाय। मेरे विचार से यह धन यदि कॉलेज पर खर्च किया जाय तो साम्राज्य को बहुत लाभ होगा। आगे के लिए तीन खर्च रह जाते हैं :—

१. प्रोफेसरो की संख्या बढ़ाना;
२. प्रोफेसरो तथा अन्य पदाधिकारियो की पेशन, और
३. स्थायी रूप से कॉलेज की एक इमारत।

मैं पूर्वाय साहित्य और कायदे-कानूनों को कॉलेज में अध्ययन का मुख्य विषय बनाना चाहता हूँ। एक ही प्रोफेसर कई विषय पढ़ावेगा। प्रोफेसरो की अवस्था का विचार किया जाय तो पेशन आदि के सबध में भी चिंता की कोई बात नहीं है। परंतु इसमें समयानुकूल परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। इमारत बनवाने के लिए ज़मीन खरीद ली गई है किंतु उसका बनवाना अभी शुरू नहीं हुआ। उसका शुरू का खर्च बहुत अधिक नहीं होगा। गार्डन रीच में कॉलेज की अपनी इमारत होने से बहुत लाभ होगा। जो खर्च होगा वह पाँच या छः साल में बाँट दिया जायगा। स्वर्गीय जनरल मार्टिन (लाखनऊ) से मिला हुआ तीन लाख रुपया कोष में तुरंत जमा भी कर दिया जायगा।

यहाँ तक मार्क्विस् वेलोज़ली ने केवल यही दिखलाया है कि कॉलेज कंपनी के लिए एक आर्थिक भार कभी प्रमाणित नहीं हो सकता, जिसका कोर्ट के डाइरेक्टरों को विशेष भय था।

डाइरेक्टरों द्वारा उल्लिखित गिलक्राइस्ट की सेमिनरी के संबंध में मार्क्विस् वेलोज़ली का कहना है : कोर्ट ने अपने १२ मार्च, १८०२ के पत्र में मद्रास और बंबई में तस्थाएँ स्थापित करने की इच्छा प्रकट की थी। परंतु भाषा-विषयक अध्ययन की सुविधा, मितव्ययिता, प्रोफेसरो की संख्या, शासन और सुव्यवस्था की दृष्टि से कलकत्ता, मद्रास और बंबई में अलग-अलग तस्थाएँ स्थापित करने के बजाय कंपनी के समस्त नवागत कर्मचारियों के लिए कलकत्ते में केवल एक केंद्रीय संस्था अधिक लाभदायक सिद्ध होगी। अलग-अलग तस्थाएँ स्थापित करने से एक ही कार्य के लिए तिगुना खर्च होगा। इतना ही नहीं यदि हिसाब लगा कर देखा जाय तो एक-एक तस्था का खर्च फोर्ट विलियम कॉलेज के पूरे खर्च से कहीं अधिक होगा। और फिर गवर्नर-जनरल की २१ दिसबर, १७९८ की मिनिट्स में प्रत्यक्ष रूप से यह प्रकट कर दिया गया था कि गिलक्राइस्ट वाला आयोजना को मविष्य में विस्तृत रूप दिया जायगा प्रस्तुत आयोजना उससे कहीं अधिक

परिष्कृत, नियम ऋद्ध और व्यवस्थित है सिविलियन कर्मचारियों की शक्ती के त्र में गिलक्राइस्ट महोदय की सेनाएँ स्मरणीय हैं। किंतु उनका कार्य इस सस्था की स्थापना के दृष्टिकोण से प्रारंभिक मात्र था। कोर्ट ने अपने ७ मई, १८०० के पत्र में २१ दिसम्बर, १७६८ वाली मिनिट्स के सिद्धांतों को सराहा था और एक बड़ी आयोजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता स्वीकार की थी। हो सकता है कोर्ट का आशय समझने में मुझे कुछ कठिनाई हुई हो। किंतु कोर्ट का ध्येय कॉलेज के अतिरिक्त और किसी सस्था से पूरा नहा हो सकता। फ्लोर्ट विलियम कॉलेज में ही विद्यार्थियों की उचित देखरख और उन पर कठोर अनुशासन रक्खा जा सकता है। फवल गिलक्राइस्ट महोदय की शिक्षा से यह क्षेत्र अछूता ही पड़ा रह जाता। परंतु ये बातें साम्राज्य के हित के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जिस समय गिलक्राइस्ट महोदय अपनी संस्था में पढ़ाते थे उस समय शिक्षा ही शिक्षा थी, अनुशासन नहीं था। कायदे-कानूनों का ज्ञान नहीं था और ईसाई धर्म के महान् सिद्धांतों का पालन नहीं था। फ्लोर्ट विलियम कॉलेज ने इन सभी बातों पर ध्यान रक्खा जाता है। इतने कठोर अनुशासन के बिना अंगरेज जात के चरित्र पर कलक का टीका लगाने की आशका है। कोर्ट यदि इन सब बातों पर अभीस्तापूर्वक विचार करे तो उसे ज्ञात होगा कि फ्लोर्ट विलियम कॉलेज की केंद्रीय सस्था ही सिविलियन कर्मचारियों का सुधार कर सकती है। इस सस्था की स्थापना करने अपने निजी अनुभव से की है। कोर्ट की आयोजना को व्यावहारिक रूप देने में लाभ की अपेक्षा हानि हानि को समाधान अधिक है। सेमिनरी फिर से स्थापित कर देने और अनुशासन के नियम बरतने से खर्च में किसी प्रकार की कमी न पड़ेगी। वहाँ भी वे सब बातें करनी होंगी जो इस समय हम फ्लोर्ट विलियम कॉलेज में कर रहे हैं। अस्तु, कॉलेज का तीन सेमिनरिया में विभाजित करने से समस्त कार्य अव्यवस्थित और भयावह हो जायगा और खर्च तिगुना पड़ेगा।

पूर्वीय भाषाओं और साहित्य के अध्ययन को दृष्टि से फ्लोर्ट विलियम कॉलेज के विद्यार्थियों ने जो उन्नति की है वह कंपनी के राज्यातगत अभूतपूर्व है। कई उपयोगी ग्रंथ भी प्रकाशित हो चुके हैं। पूर्वी विद्वान् स्वच्छा और उत्साह के साथ हमें हर प्रकार की सहायता दे रहे हैं। कॉलेज की महानता और प्रसिद्धि के कारण ही बालों, हारिंगटन, एडमॉन्स्टन, कर्कपेट्रिक, कॉलेजुक आदि विद्वान् अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। यदि कॉलेज सेमिनरिया में विभाजित कर दिया गया तो ये विद्वान् इस और आकृष्ट न होंगे। विद्यार्थियों में स्थिति बढ़ाना भी कॉलेज के लिए शुभ लक्षण है। वहाँ मैं आप ही के हित की एक बात का उल्लेख कर देना चाहता हूँ। भारत में आने पर नवयुवक सिविलियन कर्मचारियों में मनें जिन कुप्रवृत्तियों और कुव्यसनो का प्रचार देखा था उनमें से अनेक का निवारण ता हा भी चुका है। आपके जो नवागत कर्मचारी कुव्यसनो में फँस कर अपनी जात का सिर नीचा करते थे, वे ही अब अपने परिश्रम, मितव्ययिता, नैतिकता, धार्मिकता, ज्ञानोपार्जन आदि गुणों से अपना और अपने देश का मुख उज्ज्वल कर रहे हैं। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं कि कॉलेज के वर्तमान विद्यार्थी कोई भी उलझी हुई शासन-व्यवस्था संभालने योग्य हो सकेंगे। इस समय जब कि मद्रास और बंबई का शासन-प्रबंध बढ़ता और पेचीदा होता जा रहा है, कॉलेज की शिक्षा ही कंपनी

कर्मचारियों को उसका मार ग्रहण करने योग्य बना सकेगी सब को समान शिक्षा से सरकार को अत्यंत लाभ पहुँचेगा ।

जिन सिद्धांतों के आधार पर कॉलेज स्थापित किया गया है उन सिद्धांतों की सराहना स्वयं कोर्ट ने अपने २७ जनवरी, १८०२ के पत्र में की है । उनकी आपत्तियों का मैंने संतोषजनक उत्तर देने का प्रयत्न किया है । मैंने जो कुछ कहा है उसके ठीक होने में मुझे पूर्ण विश्वास है । इसलिए मैं चाहता तो इस समय कोर्ट की आज्ञा शिरोधार्य न कर इस महत्त्वपूर्ण विषय पर फिर से विचार करने के लिए मैं कोर्ट को लिख देता । मेरे कर्त्तव्य ने मुझे यह सुझाया भी था । किंतु अपना और कोर्ट का विचित्र संबंध और परिस्थिति देख कर मैंने कोर्ट की आज्ञानुसार सभी बातें पूरी करने का निश्चय कर लिया है । परिषद् की सम्मति से २४ जून, १८०२ को मैंने कॉलेज तोड़ने के संबंध में आज्ञा-पत्र प्रकाशित कर दिया है ।

परंतु चूँकि विद्यार्थियों, प्रोफ़ेसरो और देशी अध्यापकों की आशाओं, उन के भविष्य और उनकी कुशलता और कॉलेज का घनिष्ठ संबंध है, चूँकि कॉलेज के एकदम बंद कर देने से विद्यार्थियों के चरित्र और अनुशासन पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ेगा (ब्यूकैनन के १४ जून के पत्रानुसार वेलेज़ली का विचार ठीक निकला), चूँकि मिलकाइस्ट वाली सेमिनरी की पुनर्स्थापना करने और विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखने के लिए कॉलेज के वर्तमान पदाधिकारियों की ज्यों-की-त्यों आवश्यकता पड़ेगी, जिससे खर्च में किसी प्रकार की भी कमी न होगी, और चूँकि अनेक सुयोग्य विद्यार्थियों के अध्ययन और पाठ्य-क्रम के प्रवाह को अद्भुत बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, तथा कंपनी के हितों की दृष्टि से अन्य अनेक विषयों में सोच-समझ कर काम करना है, इसलिए दिसंबर, १८०३ तक कॉलेज अपने वर्तमान रूप में स्थित रहेगा ।

देशी विद्वानों को एकदम कॉलेज से अलग कर देने में कंपनी की बड़ी बदनामी है । ये लोग जब अपने-अपने देश लाट कर जाएँगे तो कहेंगे कि ब्रिटिश सरकार ज्ञान और सद्गुणों की वृद्धि के लिए स्थापित एक सस्था का खर्च न सह सकी और धनाभाव के कारण हमने उनके साथ विश्वासघात किया । वे कहेंगे कि हमारी हालत इतनी बिगड़ गई है कि हम सिविलियन कर्मचारियों को देशी जनता के हितकारी सुशासन की शिक्षा देने वाली सस्था न चला सके ।

इन सब पहलुओं और सिद्धांतों को दृष्टि में रखते हुए, कंपनी के नाम एवं विद्यार्थियों, अध्यापकों और प्रोफ़ेसरो की सुविधा तथा अन्य अनेक विषयों पर विचार करते हुए मैंने निश्चित किया है कि सपरिषद् गवर्नर-जनरल द्वारा प्रकाशित आज्ञा-पत्र पर ३१ दिसंबर, १८०३ तक कोई कार्रवाई न की जाय ।

इस बीच में कॉलेज को धीरे-धीरे बंद करने के सबब में सब प्रबंध कर लिए जाएँगे । साथ ही कोर्ट को भी इस विषय पर फिर से विचार करने के लिए पर्याप्त समय मिल जायगा ।

इन सब बातों से अगले वर्ष कॉलेज का खर्च बहुत कम हो जायगा । नए विद्यार्थियों का तो अब दाखिला नहीं होगा, किन्तु अगले प्रात में नियुक्त राइटर्स के

कॉलेज के बन्द होने की अवधि तक अपना दाखिला कराने की व्यवस्था मैंने जारी रखी है।

फिर से सोच-विचार करने पर भी यदि कोर्ट ३१ दिसम्बर, १८०३ से पहले ही कॉलेज शीघ्र बन्द करने की आज्ञा देगा तो मैं उसे विश्वास दिलाता हूँ कि भारत की स्थानीय परिस्थिति और मेरे विचार और व्यवहार की सचालक मेरी भावनाओं के पूरे ज्ञान पर आधारित उस आज्ञा का अक्षरशः पालन किया जायगा। परंतु इससे मुझे अपने दृढ़ विश्वास छोड़ने पड़ेगे, अपने दिल के अरमान राख कर देने दोगे और सार्वजनिक हित की एक आयोजना का अंत होत देख कर मुझे अत्यंत दुःख और लोभ होगा।

इतना सब कुछ होते हुए भी मकोर्ट द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज के पुनरुद्धार होने की या कम-से-कम धर लाटने पर व्यक्तिगत रूप से जब तक मैं कॉलेज के सबंध में कोर्ट से वात-चीत न कर लूँ उसके वर्तमान अवस्था में स्थित रहने की आशा का परित्याग नहीं करूँगा।

अतः मुझे पूर्ण आशा है कि भविष्य में जब तक कोई और आज्ञा-पत्र न भेजा जाय तब तक कोर्ट कॉलेज को उसकी वर्तमान अवस्था में जारी रखने की शीघ्र ही आज्ञा देगा। और यद्यपि अपना त्याग-पत्र भेज देने से मुझे इन मूल्यवान् प्रदेशों को कोई लाभ पहुंचाने की आशा नहीं है, ता भा मैं यही भावना लेकर भारतवर्ष छोड़ूँगा कि मेरे बाद आने वाले सज्जन कोर्ट की कॉलेज-पुनरुद्धार की आज्ञा का उत्ती उत्साह और सार्वजनिक भावना से पालन करेंगे जिससे मैंने सस्था की स्थापना की थी।^१

कोर्ट को पत्र लिखने के साथ उन्होंने ५ अगस्त, १८०२ को ही एक पत्र राइट ऑनरैबुल दि अर्ल ऑव डाटूमथ का भी लिखा जिसमें उन्होंने कंपनी की आशा-जनक आर्थिक अवस्था और कंपनी के राज्य में सुख-शांति की अपने पक्ष-समर्थन के व्यवस्था का उल्लेख किया है। कोर्ट को लिखे गए पत्र की एक छिपे बेल्लेज़जी द्वारा प्रति उन्होंने डाटूमथ के पास भी भेजी और उनसे प्रार्थना की कि अन्य व्यक्तियों कॉलेज के पुनरुद्धार के सबंध में आपसे जो कुछ हो सके उसे अत्यंत प्रभावोत्पादक रूप में करें और जहाँ तक हो सके सस्था के पुनरुद्धार के संबन्ध में शीघ्र ही आज्ञा-पत्र भिजवाने का प्रयत्न करें नहीं तो

मेरे अपने २४ जून के निर्णय के अनुसार कॉलेज तोड़ दिया जायगा। साथ ही उन्होंने यह भा लिखा है कि : याद कोर्ट ने अपना निर्णय न बदला तो इंगलैंड लौटने पर मैं तुरंत ही पार्लामेंट में इस संबन्ध में एक प्रस्ताव रखूँगा। इस सस्था की आवश्यकता का मुझे इतना दृढ़ विश्वास है कि उसके पुनरुद्धार के लिए मैंने अपना शेष राजनीतिक जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा इसी सस्था से हो सकती है। कंपनी यह खर्च अच्छी तरह बर्दाश्त कर सकती है। जन-मत लेने पर जनता भी इस खर्च की स्वीकृति दे देगी। सिविल सविस के कर्मचारियों की शिक्षा और अनुशासन की व्यवस्था के बिना हम अपना विशाल भारतीय साम्राज्य किसी प्रकार भी नहीं बचा सकत। न्यायोचित रूप में जहाँ भी रुपये की बचत हो सकती थी, वहीं मैंने

रूपया बचाया है। इतने पर भी कोर्ट का हस्तक्षेप असहनीय है। कंपनी की आर्थिक दशा उस समय कितनी अच्छी है, इस बात का विवरण मैं लगभग एक के मास अन्दर आपके पास भेज दूंगा। एक समाचारपत्र द्वारा मुझे ज्ञात हुआ है कि कोर्ट ने स्थानापन्न गवर्नर-जनरल के रूप में श्री बालों की नियुक्ति की है। कोर्ट के नाम पत्र में मैंने जनवरी, १८०३ से आगे भारतवर्ष में रहने की सभावना का उल्लेख नहीं किया। किंतु १३ मार्च, १८०२ के आपके और श्री ऐडिंगटन के नाम पत्रों में व्यक्त मेरे विचारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कॉलेज तोड़ने के सबध में कोर्ट के आज्ञा-पत्र से मेरी सत्ता को कितनी ठेस पहुँची है, इसका आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। और यदि सम्राट् के मन्त्रि-मंडल से पूर्ण सहायता का वचन न मिला तो मैं शासन-भार ग्रहण करने के लिए असमर्थ हूँ और शीघ्र ही मैं उसे श्री बालों को सौंप दूंगा। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कॉलेज के सबध में कोर्ट को लिखे गए पत्र की एक-एक प्रति आप मेरे भाई, श्री पोल, श्री हुडाज, श्री पिट और श्री डेविड स्कॉट के पास भिजवा दें। मुझे विश्वास है कि ऐडिंगटन उसे सरकारी तौर पर देख लेंगे। लेकिन मुझे डर है कि लीडन-हॉल-स्ट्रीट के पदाधिकारी उसे दबा देने का प्रयत्न करेंगे। मैं इस बात के लिए भी विशेष चिंतित हूँ कि उक्त सज्जन कंपनी के आय-व्यय का लेखा भी देखें। उनकी एक प्रति श्री हुडाज के पास भेजने का मेरा विचार है।^१

वेल्लेज़ली के सभी निर्णयों के साथ बोर्ड का भी पूर्ण सहयोग था।^२ कोर्ट के व्यवहार से वेल्लेज़ली को अत्यंत दुःख हुआ था। अपने महत्त्वपूर्ण पक्ष के समर्थन के लिए उन्हें अनेक लंबे-लंबे पत्र लिखने पड़ते थे जिससे बहुत से सरकारी काम अधूरे रह जाते थे और निजी पत्रों का उत्तर देने का तो उन्हें समय ही नहीं मिलता था। एक सार्वजनिक हित के कार्य के लिए उन्हें अत्यधिक मानसिक क्लेश उठाना पड़ा। कभी-कभी तो वे भुँसलाहट और क्रोध के वशीभूत भी हो जाते थे। इन सब बातों का उल्लेख करते हुए १२ अगस्त, १८०२ को डेविड स्कॉट के नाम पत्र लिखते हुए उन्होंने उनसे भारत में ग्रेट ब्रिटेन के पुनीत कार्य के लिए सहायता माँगी और कॉलेज और साम्राज्य के बीच घनिष्ठ सबध स्थापित किया।^३ अक्टूबर, १८०२ और फिर जनवरी, १८०३ में उन्होंने अपने पद-त्याग की सूचना भेजी। परंतु ईंग्लैंड के मन्त्रि-मंडल और कोर्ट के डाइरेक्टरों की प्रार्थना पर वे रुक गए। मरहटा राज्य तथा अन्य राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उन्हें भारतवर्ष ही में रक्खा गया।

११ मार्च, १८०३ को डेविड स्कॉट ने वेल्लेज़ली के नाम एक पत्र लिखा। इस पत्र से ज्ञात होता है कि कॉलेज के पुनरुद्धार के लिए वेल्लेज़ली कितने उत्कण्ठित थे और किस प्रकार पालामेंट के सदस्यों तथा अन्य अनुभवी शासकों और राजनीतियों का मत-संग्रह कर अपना पक्ष मज़बूत बना रहे थे।^४

१ आर० आर० पीअर्स : 'मेम्बयर्स', पृ० २१२-२१७

२ 'वेल्लेज़ली डेस्पैचेज़', पृ० ६३६-६४०

३ आर० आर० पीअर्स : 'मेम्बयर्स' पृ० २११-२१२

४ वही, पृ० २१८-२२०

१६ जून, १८०४ को एक मित्र के नाम पत्र लिखते हुए वेलेजली ने कोर्ट के प्रति वृष्णा प्रकट की और लिखा कि देश लौटने पर मैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सभाएं और अपने देशवासियों से न्याय की भीख माँगूंगा। इस पत्र से वेलेजली की आहत भावनाओं का अत्यंत सुन्दर परिचय मिलता है।^१

कोर्ट और वेलेजली के बीच में 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' के हस्तक्षेप करने से वेलेजली के शासन-काल में कॉलेज उद्योग-का-न्याय बना रहा। १८०४ में वह सुसमाचार प्राप्त हुआ कि जब तक कोई दूसरा आज्ञा-पत्र प्रकाशित न किया जाय तब तक वेलेजली के शासन-काल में कॉलेज विद्यालय न तोड़ा जाय। लेकिन मद्रास और बंबई के विद्यार्थियों के विद्याध्ययन की व्यवस्था बिलकुल हटा दी गई। यह पहले कहा जा चुका है कि वेलेजली ने अठारह महीने तक कॉलेज तोड़ना स्थगित कर दिया था। अबज्ञा का वह दूसरा उदाहरण कोर्ट को असह्य था। परंतु पिट के प्रधान मंत्री होने से कोर्ट वेलेजली का कुछ भी न बिगाड़ सका। और यद्यपि पिट के प्रभावतर्गत कोर्ट को अपना एकदम कॉलेज तोड़ देने वाला आज्ञा-पत्र वापिस लेना पड़ा, तो भी मद्रास और बंबई के विद्यार्थियों के विद्याध्ययन की व्यवस्था हटा देने से वेलेजली की इच्छा भी पूर्ण न हो सकी। १८०५ में वेलेजली के इंग्लैंड लौट जाने पर वहाँ भी उनमें और डाइरेक्टरी में यह वाद-विवाद बना रहा। परंतु उनकी जी तोड़ कोशिश कॉलेज का न बचा सकी। उनकी मूल बृहत् आयोजना का उच्छ्रांभ कर छोटी कर दी गई। मविष्य में उसका यही छोटा रूप चलना रहा।

परंतु स्वाश्रया, उत्साही और पुरुषार्थी व्यक्ति अपने निश्चित किए हुए मार्ग से कभी विचलित नहा होते। प्रतिकूलता ही उनकी सफलता की साधक बन जाती है। ऐसे ही व्यक्तियों को विपत्तियाँ निराश नहीं करती और प्रत्यक्षतः सारा वेलेजली की ख्याति परिश्रम व्यर्थ जाने पर भी मसार में उन्हे यश और ख्याति प्राप्त और उनकी असफलता के कारण परंतु अपने सिद्धांत पर उन्हे अटल विश्वास बना रहा। गुण-ग्राहकों ने उनकी और उनकी आयोजना की भूरि-भूरि प्रशंसा की। विशाल हृदय की विभूति के सामने कोर्ट की सकीर्णता को विजय प्राप्त हुई, किंतु वेलेजली का इससे और भी सम्मान बढ़ा। विलियम कैरे,^२ डेविड ब्राउन,^३ माकिनटोश,^४ विल्बफ़ोर्स,^५

^१ वही, पृ० २२४-२२६

^२ कॉलेज के १८०४ के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर दिया गया भाषण। दे०, आर० आर० पीअर्स : 'मेम्बर्स', पृ० २२०-२२४

^३ १५ जनवरी और २६ मई, १८०६ को चार्ल्स ग्रॉट के नाम लिखे गए पत्र। दे०, जॉन विलियम के : 'लाइव्ज ऑफ इंडियन ऑफिसर्स', जि० १, परिशिष्ट, बंदन, १८६७, पृ० क्रमशः ४७६-४८४ और ४८५-४८६

^४ १६ जुलाई, १८०६ का लिखा हुआ वेलेजली के नाम पत्र। दे०, आर० आर० पीअर्स : 'मेम्बर्स', पृ० ३७६-३८४

^५ नवंबर, १८०० का चार्ल्स ग्राट के नाम पत्र दे० वही, पृ० २२६

विलियम बटवर्थ बेली^१ प्रभृति सज्जनों ने वेलेज़ली की आयोजना की महानता, उनके चरित्र और ध्येय का अपने-अपने दृष्टिकोण से^२ बार-बार गुणगान किया और कोर्ट की स्कीर्णता पर दुःख प्रकट किया। स्वयं कोर्ट ने ईस्ट इंडिया कॉलेज (१८०६), हैलवरी की स्थापना कर वेलेज़ली को सैद्धांतिक विजय प्रदान की, यद्यपि इस संस्था के संबंध में विद्वानों के दो मत हैं। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के विद्यार्थियों ने आगे चल कर जो ख्याति प्राप्त की उससे वेलेज़ली की दूरदर्शिता और उनकी आयोजना की उपयोगिता सिद्ध हुई। अपनी संस्था के छोटे-से रूप के महान् परिणाम देख कर वे अपने जीवन के सध्या-काल में प्रसन्नता के कारण गद्गद् हो उठते थे।^३ परिश्रम और तत्परता का फल मीठा होता है।

इतिहासकारा का कहना है कि शासक की हैसियत में वेलेज़ली अद्वितीय थे, किन्तु कर्मचारी की हैसियत से वे दुःखदायी और परंशान करने वाले थे। किसी विचार के दृढ़ हो जानें पर वे उसे तुरन्त व्यावहारिक रूप में परिणत करते समय अपने उच्च पदाधिकारियों के विचारों की चिन्ता न करते थे। उच्च पदाधिकारियों के मतभेद या विरोध प्रकट करने पर भी वे अपने ही विचार पर अटल रहते थे। अनेक कारणों में से इस प्रवृत्ति के कारण भी उन की आयोजना कोर्ट द्वारा अस्वीकृत हुई। वालों के स्थानापन्न गवर्नर-जनरल नियुक्त होने पर (वाद को लॉर्ड कॉर्नवालिस उनकी जगह दुबारा गवर्नर-जनरल नियुक्त हुए) लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उन को सलाह दी थी : आप भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शासन-भार ग्रहण करने पर कोर्ट की अवहेलना कभी न करें। विधान के अनुसार जिन मामलों में कोर्ट को हस्तक्षेप करने का अधिकार है उनके सम्बन्ध में कोर्ट की आज्ञा लेकर उसका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। कोर्ट के प्रति सदैव शिष्टता का भाव रखना चाहिए। लॉर्ड वेलेज़ली और लॉर्ड क्लाइव के अवहेलनापूर्ण व्यवहार और अशिष्टता से मंत्रियों और 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' को अत्यंत दुःख हुआ है। सार्वजनिक हित के लिए आप चाहे जो कुछ करें, किन्तु कोर्ट की सत्ता पर आक्रमण करना ठीक नहीं। लॉर्ड कैसिलरीश्रा ने बड़े जोरो के साथ कॉलेज का समर्थन किया है। और जहाँ तक बंगाल प्रांत से कॉलेज का संबंध है वहाँ तक वे सफल भी हुए हैं। मैं स्वयं लॉर्ड वेलेज़ली के विचारों से पूर्णतया सहमत हूँ। परन्तु क्या अन्ध्रा होता यदि वे कोर्ट के साथ जरा होशियारी से काम लेंते। उस समय वे अपनी कॉलेज की या कोई अन्य परिमित आयोजना स्वीकार करा सकते थे।^४ कोर्ट ने वेलेज़ली को

^१कोर्ट के स्थापति को हैसियत से इंडिया हाउस में १७ मार्च, १८४१ का भाषण।

दे०, वही, जि० ३ परिशिष्ट, पृ० ४१३-४३६ आदि।

^२उदाहरणार्थ, ईसाई धर्म-प्रचारकों के दृष्टिकोण के लिए दे०, वही, जि० २, प्यारहवाँ अध्याय।

^३१८ और २१ मार्च, १८४१ को बेज़ी के नाम वेलेज़ली के दो पत्र। दे०, जॉन विलियम के : 'लाइव्ज़ ऑव इंडियन ऑफ़िशर्स', जि० १, परिशिष्ट, बंदन १८६७, पृ० क्रमशः ४८१-४८८ और ४८८-४८९

^४वही, पृ० १२१

महत्वाकांक्षी और अवज्ञाकारी समझ कर उनकी आयोजना रही के टोकरे में फेंक दी।

वेलेज़ली की आयोजना की असफलता का यह एक, किन्तु महत्वपूर्ण, कारण था।

वास्तव में वेलेज़ली एक अच्छे शासक तो थे परन्तु कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री अच्छे न थे।

उधर कोर्ट के डाइरेक्टरों में राजनीतिक भावना जाग्रत हो रही थी, किन्तु उनका ध्यान अब भी आर्थिक लाभ पर लगा हुआ था। १७७३ और १७६८ के चार्टरों में भेद होते हुए भी वे व्यापारी ही बने रहना चाहते थे।

डाइरेक्टरों और हेस्टिंग्स में भी मतभेद हो जाया करता था। डाइरेक्टरों की सिफारिशें बहुत चलती थीं और हेस्टिंग्स उन्हें नापसन्द करते थे। कोर्ट का यह व्यवहार वे अन्यायपूर्ण और भद्दा समझते थे। लेकिन वे बड़ी होशियारी से अपना काम चला लेते थे। उनके व्यक्तिगत व्यय की भी कोर्ट के डाइरेक्टर कड़ी आलोचना किया करते थे।

वास्तव में वेलेज़ली की अवध-नीति, हेनरी वेलेज़ली की नियुक्ति, बेसीन की सधि, मरहठों के साथ युद्ध, निजी व्यापार की समस्या और अत्यधिक सरकारी खर्च और अंत में कोर्ट विलियम कॉलेज—इन सब बातों से कोर्ट उनसे असंतुष्ट रहता था। हर विषय में वह वेलेज़ली पर दोषारोपण करने का प्रयत्न करता था। उसने उन पर जो अपराध लगाए वे ये हैं: (१) वैधानिक सत्ता और कौंसिल के अधिकारों की अवहेलना; (२) इंग्लैंड की सरकार की आज्ञा के बिना बड़े-बड़े कामों में हाथ डालना, उस समय जब कि आज्ञा प्राप्त करने के लिए काफ़ी समय रहता है; (३) अनुचित अधिकार ग्रहण करना; (४) अज्ञातों के शासन-प्रबन्ध की ज़रा-जरा सी बातों में हस्तक्षेप करना; और (५) अनुचित नियुक्तियाँ और क्लानून-भंग करना। परन्तु अनेक इतिहासकारों का मत है कि वेलेज़ली पर लगाए गए अपराध कभी साबित नहीं हुए।

जिस समय कॉलेज तोड़ने का आज्ञा-पत्र प्राप्त हुआ था उस समय 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' के एक सदस्य ने वेलेज़ली से कहा था: 'निजी व्यापार (प्राइवेट ट्रेड) के संबंध में आपके पत्र ने आपके कॉलेज का नाश कर दिया।' शुरू में तो सुनने वालों को यह बात अजीब-सी लगी। बाद को पता लगा उस सदस्य की बात ठीक थी।

इन सब बातों के अतिरिक्त आपस की दलबन्दी ने भी कॉलेज का सर्वनाश कर दिया। कोर्ट में वेलेज़ली के विरोधी दल का बहुमत था।

कॉलेज को घर के चरागा से भी आग लगी। कंपनी के पुगने कर्मचारी कॉलेज से घृणा करते थे। प्रत्यक्ष रूप से तो वे वेलेज़ली की आयोजना की प्रशंसा ही नहीं अपना पूर्ण सहयोग भी प्रदान करते थे, परंतु परोक्ष रूप से वे सदैव उसका विरोध करते रहे। उसके विरुद्ध

कॉलेज की उपयोगिता और उसके द्वारा साम्राज्य के हित के सम्बन्ध में वेलेज़ली के बाद के गवर्नर-जनरलों के विचारों से परिचय प्राप्त करने के लिए टॉमस रोएबक द्वारा सम्पादित 'दि ऐनक्स ऑव दि कॉलेज ऑव कोर्ट विद्वियम' (१८११) में संग्रहित मासिक दक्षिण।

लबे-लबे लेख लिखे और उम्मीकी बदनामी की। उन्होंने इस बात का अनुभव किया कि कॉलेज से निकले हुए कर्मचारियों से हम पिछड़ जाएँगे—सरकारी नौकरी में उन्नति करने की दृष्टि में ही नहीं, मानसिक प्रगति की दृष्टि से भी। पुराने कर्मचारियों में सर जॉर्ज गालों ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सब्से हृदय से कॉलेज का समर्थन किया। मारीशस में प्रासीसियों ने कुछ पत्र भारत भेजे थे और कुछ उन्होंने वही प्रकाशित किए थे। उनसे पता चलता है कि किस प्रकार वेलेजली के निकट कर्मचारियों ने ही उनके साथ विश्वासघात किया। ये पत्र पढ़ कर डेविड ब्राउन को अत्यंत मानसिक पीड़ा हुई थी। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वेलेजली के विरुद्ध पड़ोसकारियों ने क्या-क्या किया। कॉलेज के कुछ नवयुवक विद्यार्थी अनुचित व्यवहार कर बैठते थे। किंतु ऐसे अनुचित व्यवहारों के अत्र बहुत कम उदाहरण पाए जाते थे। डेविड ब्राउन का एक स्थान पर कथन है कि जो अनैतिकता एक समय राइटर्स गिल्डिंग्स में देखी जाती थी अब उसका नाम-निशान तक नहीं रह गया। केवल कुछ विद्यार्थियों के अनुचित व्यवहार के आधार पर कॉलेज की ग्यारि कलकित करना मानवोचित नहीं है। सुयोग्य पदाधिकारियों का अभाव भी कॉलेज के पतन का कारण बना। इस संध में लॉर्ड टेनमथ की आशंका ठीक ही निकली।

१८०५ के लगभग शुरू में डेविड ब्राउन, प्रोबोस्ट, को कॉलेज छोटे पैमाने पर कर देने की आज्ञा मिली। आखिर वही हुआ जो कोर्ट के डाइरेक्टर

कॉलेज का छोटा रूप चाहते थे—‘बंगाल सेमिनरी’, जैसी कुछ समय पूर्व गिलक्राइस्ट के और बार्बो द्वारा तत्वाधान में संचालित होती थी। नाम फ़ोर्ट विलियम कॉलेज ही रेग्यूलेशन में परिवर्तन बना रहा। विद्यार्थियों और प्रोफ़ेसरों में उदासी छा गई। परिवर्तन का यह तीव्र चक्र देख कर देशी अध्यापक आश्चर्य-चकित रह गए। वे अब अपनी सोचने लगे। वेलेजली ने जिस विशाल बट-बूझ के बीज बोए थे वह पल्लवित होकर बढ़ रहा था कि कोर्ट ने कुठाराघात किया। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज अब वेलेजली के विचारों का ककाल मात्र था। वेलेजली ने उसे उसके वास्तविक वैभव के साथ बचाना चाहा। किंतु वे असफल रहे।

१८०० ईसवी के रेग्यूलेशन ६ में से ३, १०, ११, १२, १५, १७ और २५ धाराएँ तथा कुछ और विषय निकाल कर डेविड ब्राउन ने १८०६ ईसवी का रेग्यूलेशन बना कर फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की एक परिमित आयोजना प्रस्तुत की। ३१ दिसंबर, १८०६ को गवर्नर-जनरल गालों ने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी।^१

^१फ़ो० वि०, २४ दिसंबर, १८०६—२० जनवरी, १८०७, हो०, मि०, जि० २, पृ० १०१ ११२ ६० २० डि०

जॉन बोथविक गिलक्राइस्ट

(अगस्त, १८८०-फरवरी, १८०४)

फोर्ट विलियम कॉलेज का कार्य सुचारु रूप से संचालित करने के लिए वेलेज़ली ने १० अप्रैल, १८०१ को कॉलेज-विधान का प्रथम परिच्छेद स्वीकृत किया था। वे उसे एशिया का एक महान शिक्षा-केंद्र बना कर संसार के इतिहास में वेलेज़ली के शासन ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिटिश जाति को गौरवपूर्ण पद पर बिठाना में कॉलेज का पूर्ववत् चाहते थे। ऐसा मुनहरा स्वप्न लेकर उन्होंने कदम आगे बढ़ाया ही संचालन था कि कोर्ट के डाइरेक्टरों तथा अन्य पद्धतकारियों ने उनका प्रशस्त मार्ग कंटकाकीर्ण बना दिया। वेलेज़ली को इसकी आशा भी नहीं थी। उन्हें नहीं मालूम था कि पारस्परिक राजनीतिक मतभेद और घन-लोभ का सकुचित दृष्टिकोण भी उनकी दूरदर्शितापूर्ण, उदार, पक्षपात-रहित, सर्व-हितकारिणी एव साम्राज्य-हित की सरदारी आयोजना के फलीभूत होने में बाधा उपस्थित करेगा। अपनी सर्वप्रिय आयोजना के संबंध में कोर्ट का व्यवहार देख कर वेलेज़ली का उत्साह भंग हृदय क्षुब्ध होकर चीत्कार कर उठता था।

परंतु तो भी एक ओर जहाँ वेलेज़ली और कोर्ट के डाइरेक्टरों में अत्यंत खेदजनक पत्र व्यवहार चल रहा था, वहाँ दूसरी ओर कॉलेज की स्थिति के विषय में अग्रिम निर्णय पर पहुँचने के नम्र तक—दिसंबर, १८०३ तक—उन्होंने साहसिक की भाँति कॉलेज का पूर्ववत् संचालन करने का निश्चय कर अपना मनोनीत कार्य आगे बढ़ाया।

व्यावहारिक राजकीय दृष्टिकोण से कॉलेज के विद्यार्थियों के लाभार्थ गद्य-पुस्तकों की अत्यंत आवश्यकता थी। कुछ समय तक तो देशी भाषाओं से पुस्तकें नकल कराई गईं। किंतु शीघ्र ही कॉलेज कौंसिल ने यह व्यवस्था बदल दी। पुस्तकें तैयार कराने नकल कराने वाली व्यवस्था में एक तो अशुद्धियाँ रह जाती थीं, दूसरे उनमें व्यय भी अधिक होता था। इसलिए नवंबर, १८०१ में कौंसिल ने यह निश्चित किया कि प्रधानाध्यापक स्वयं विभिन्न पुस्तकों के उपयोगी अंश सग्रहीत कर उन्हें छुभावे ताकि दोष न रहे और विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें भी सुलभ हो जायें। पुस्तक प्रकाशित करने से पूर्व उन्हें अपना सग्रह कौंसिल के पास निरीक्षण और स्वीकृति के लिए भेजना पड़ता था। कौंसिल के इस नियम के अनुसार विभिन्न विभागों के प्रधानाध्यापक देशी भाषाओं के सग्रह प्रस्तुत करने में दत्तचित्त हुए। आवश्यकतानुसार भारत की प्रायः प्रत्येक भाषा के सग्रह तैयार किए गए। किंतु इनमें फ़ारसी, बंगला और हिंदुस्तानी भाषाओं के सग्रहों का विशिष्ट स्थान था। यहाँ हम केवल हिंदुस्तानी विभाग में किए गए कार्य का उल्लेख करेंगे।

हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष गिलक्राइस्ट थे। हिंदुस्तानी भाषा के संबंध में उनके अपने विचार थे,^१ और उन्हीं विचारों को उन्होंने कार्यरूप में परिणत किया। उन्होंने १२ जनवरी, १८०२ को एक पत्र कौंसिल के पास भेजा जिसमें हिंदुस्तानी गिलक्राइस्ट और भाषा के संग्रह प्रकाशित करने के संबंध में कुछ विचार प्रकट हिंदुस्तानी ग्रंथों किए हैं। कौंसिल ने उस समय उनका पत्र विचाराधीन रक्खा। उस समय केवल मिसकीन कृत 'मर्सिया' की पाँच सौ प्रतियाँ छपाने के लिए गिलक्राइस्ट के तीन सौ पचहत्तर रुपए के बिल पर स्वीकृति दी गई। अपने १२ जनवरी, १८०२ के पत्र में गिलक्राइस्ट ने लिखा था : अभ्यास-पुस्तकों की दो सौ या तीन सौ प्रतियाँ छपाने से कम-से-कम आठ सौ और ज्यादा से ज्यादा एक हजार रुपए खर्च होंगे। इन अभ्यास-पुस्तकों में कॉलेज के मुंशियों और विद्यार्थियों के लाभार्थ समस्त प्रस्तावित प्रश्नों के ठीक-ठीक उत्तर रहेंगे। इस प्रकार एक हजार रुपए के वार्षिक व्यय से हम शीघ्र ही हिंदुस्तानी भाषा-रचना के समस्त नियमों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। इन नियमों की सहायता से देशी अध्यापकों को पढ़ने में सुविधा होगी। इससे उन्हें अपना कर्तव्य पालन करने में भी सफलता प्राप्त होगी। किसी दूसरी आयोजना से हम यह कार्य सिद्ध नहीं कर सकते। हिंदुस्तानी में ऐसे ग्रंथों का नितांत अभाव है जिनका थोड़ा-बहुत भी सहारा लिया जा सके। इसलिए मुझे निम्नलिखित पुस्तकें हिसाब लगाए गए भिन्न-भिन्न खर्च की दर से छपाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस कार्य के लिए मैंने कलकत्ते के प्रायः सभी छापेखानों से सहायता ली है ताकि थोड़े-से समय में हम अपना उद्देश्य पूर्ण कर सकें। मुझे आशा है कि कॉलेज कौंसिल इसे नितांत आवश्यक समझ कर यथाविधि प्रोत्साहन देगी—विशेष रूप से उस समय जब कि वर्षों तक उनके नए संस्करणों की आवश्यकता न होने के कारण कॉलेज का कोई और व्यय भी न होगा, और फिर जब कि आधी प्रतियों की बिक्री से ही पूरी प्रतियों के दाम निकल आवेंगे। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि छपाई का व्यय अपेक्षाकृत कम करने की दृष्टि से प्रतियों की संख्या पाँच सौ कर दी गई थी। यदि कॉलेज कौंसिल, कंपनी के हिसाब में, इन रचनाओं की बिक्री ब्रिटिश भारत के हितों के लिए उपयोगी समझे, तो मैं भविष्य में पाँच सौ के स्थान पर एक हजार प्रतियाँ छपाने की सिफारिश करूँगा। कारण प्रत्यक्ष है।

इसी पत्र के साथ गिलक्राइस्ट ने छपी हुई पुस्तकों का विवरण और उनके हिसाब का एक चिह्न बन कर भेजा। इसमें उन्होंने यह भी लिख दिया था कि कॉलेज के लिए छपाई का कार्य अगले वर्ष तक चलता रहेगा। यह हिसाब उन्होंने रचनाओं की हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर लगाया था।^२

१८०२ में हिंदुस्तानी विभाग में संग्रह और छपाई का व्यय तिरसठ हजार रुपया बैठता था इसलिए कॉलेज कौंसिल ने यह निश्चय कर को लिखा कि भविष्य

म जब तक हस्तालिखित प्रति कोसिल को न दिखा दी जाय तथा छुपाए जाने बात अशुभ, प्रतियो की सख्या और व्यय क चिठ्ठे क सबध म स्वीकृति न ल ली जाय, तब तक्र और पुस्तको का कार्य न उठाया जाय और न उन पर कोई व्यय हो। ३० जून, १८०१ को कौंसिल ने एक यह प्रस्ताव स्वीकार किया था कि अब आगे कालेज के खर्च पर विद्यार्थियों को पुस्तके न दी जायें। इस संबंध म उसने व्यय के लेखे के साथ छुपे हुए ग्रंथों का हिसाब भी गिलक्राइस्ट से माँगा।

इसके उत्तर म गिलक्राइस्ट ने १२ जनवरी के पत्र का हवाला देते हुए उसमें दिए गए चिठ्ठे की ओर संकेत किया। २० जनवरी, १८०२ तक उन्होंने केवल पंद्रह रुपए की लागत की किताबें प्रेस भेजी थीं। हिंदुस्तानी साहित्य बहुत थोडा गिलक्राइस्ट की प्रकाशने के कारण वे हर प्रकार के ग्रंथ स्वयं प्रस्तुत करने के लिए शन संबंधी आयोजना अपना विशेष उत्तरदायित्व समझते थे। हिंदुस्तानी अमी प्रभवकाल में थी। इसलिए अत्यधिक मिनव्ययता वे उसके लिए घातक समझते थे। 'चार दरवेश' के साठ पृष्ठ तैयार करने म उन्हें छः या आठ महीने लगे थे। लगभग इतने ही उसे पूर्ण करने लिए जरूरी थे। ऐसी दशा में उन्हें सरकारी वादविवादों द्वारा अपनी प्रगति में हस्तक्षेप रूचकर प्रगति न हुआ। वे डरते थे कि सरकार के साथ पत्र-व्यवहार करने में कहीं और समय नष्ट न हो जाय। अपने विभाग पर सरकारी व्यय भी वे बढ़ाना नहीं चाहते थे। अतएव पूरे कार्य का भार उन्होंने अपने ऊपर लेकर व्यापारिक दृष्टिकोण से अपनी निम्नलिखित शर्तें कालेज कौंसिल के पास लिख भेजी :

१. ग्रंथकर्ता और प्रकाशक के रूप म मुझे प्रोत्साहन देने के लिए सरकार विद्यार्थियों के उपयोग के लिए प्रकाशित मेरे प्रत्येक ग्रंथ की सौ प्रतियाँ बाजार भाव पर लेगी।

२. कालेज के लिए मेरे द्वारा लिए गए और प्रकाशित किए जाने वाले प्रत्येक ग्रंथ के रूप और उसके साधारण विषय की पूर्व-स्वीकृति के लिए मैं उसे कौंसिल के सम्मुख उपस्थित करूँगा।

३. उपर्युक्त प्रतियाँ या तो संसार के विभिन्न कालेजों म मुफ्त बाँटी जाएँगी या पूरे सत्करण के लुक जाने तक कालेज म सुरक्षित रहेगी।

४. इन सुरक्षित प्रतियो म से आवश्यक प्रतियो की लागत सरकार को देते ही वे मेरी समझी जाएँगी।

५. हिंदुस्तानी कदा म आवश्यक ग्रंथों की एक-एक प्रति प्रत्येक विद्यार्थी को बाजार भाव पर खरीदनी होगी।

६. जब तक मैं स्वयं अपने विद्यार्थियों की माँग पूरी कर सकता हूँ, तब तक मैं चाहे जिस समय ये ग्रंथ बेचने की स्वतंत्रता रखूँगा, और इस सबध म ग्रंथकर्ता की हैसियत से मुझे प्रत्येक स्वत्व और विशेषाधिकार प्राप्त रहेगा।

७. रचना, अनुवाद और प्रतिलिपि का पूरा खर्च मैं इस शर्त पर दूँगा जब कि सरकार मीर शेरशली को अपने खर्च पर हिंदुस्तानी साहित्य के संशोधक के उनके वर्तमान पद पर मेरी म बनाए रखगी, और उनके पद-त्याग करने या उनकी मृत्यु हो

जाने पर एक दूसरा सुयोग्य व्यक्ति रखेगी जिसका वेतन वही रहेगा जो अब है अर्थात् दो सौ रूपए मासिक ।

८. यदि कुछ विद्यार्थी तीनों वर्ष तक कक्षा में उपस्थित या अनुपस्थित रह कर पढ़ना चाहें और मेरे विभाग में विदित की जाने वाली पुस्तकें माँगें तो ऐसी हालत में मेरी प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए किताबों का खर्च प्रथम वर्ष में पचास रूपए मासिक, द्वितीय में तीस रूपए मासिक, और तृतीय में बीस रूपए मासिक से अधिक किसी हालत में नहीं होगा ।

९. विद्यार्थियों की पुस्तकों की माँग पूर्ण करने वाले और प्रकाशक की हैसियत से मेरे व्यवहार का निरीक्षण करने का पूरा अधिकार कॉलेज कौंसिल को होगा, किन्तु साथ ही वह विद्यार्थियों के कॉलेज छांटन से पहले उनसे मेरा उधार का रूपया वसूल करने में मेरी हर प्रकार की समुचित सहायता करेगी ।

१०. चूँकि अनेक ग्रंथ जो इस समय छप रहे हैं भिन्न परिस्थिति में दिए गए हैं, इसलिए उनका ठीक-ठीक हर्जाना भी दिया जाय ।

अपनी इन दस शर्तों के अतिरिक्त गिलक्राइस्ट कोई अन्य सरकारी शर्त भी यथा-संभव मानने के लिए तैयार थे । वे सरकार को यह सुझाना चाहते थे कि यह नवीन आयोजना मान लेने में उसका लाभ ही लाभ है । अनेक विद्यार्थी तो इतने लापरवाह थे कि सरकार की ओर से मिली हुई पुस्तकें या तो खो देते थे या उनके एक या दो पृष्ठ फाड़ डालते थे । इस प्रवृत्ति से चालीस या पचास रूपए की लागत का एक ग्रंथ बेकार हो जाता था । इसमें सरकारी व्यय अधिक होने की संभावना थी । यह व्यय रोकने के दो ही उपाय थे । या तो सरकार गिलक्राइस्ट के निचारानुसार उनकी पुस्तक-प्रकाशन आयोजना स्वीकार कर लेती, या लापरवाह विद्यार्थियों को ग्रंथ देना बंद कर दिया जाता । यह दूसरी बात विद्यार्थियों की उन्नति और प्रगति में बाधक सिद्ध होती । इसलिए गिलक्राइस्ट हम कठोर नियम का पालन करना नहीं चाहते थे । वे केवल इस बात के इच्छुक थे कि तीन वर्ष के लिए उनके विभाग की पुस्तकों का प्रकाशन-प्रबंध उनके हाथ में रहने दिया जाय और सरकार उनकी शर्तें मान ले, विशेष रूप से २, ५, ६, ७, ८, ९, १० शर्तों को । विद्यार्थियों का हिंदुस्तानी भाषा का ज्ञान पूर्ण बनाने और कॉलेज की तीन वर्ष की अवधि तक उनका अभ्यास लगातार बनाए रखने की दृष्टि से वे सरकार में तीन हजार रूपया वार्षिक पेशगी पाने पर हिंदुस्तानी रचनाओं का एक बृहत् और विविध संग्रह प्रकाशित करने के लिए राजी थे । अपनी आयोजना के विषय में वे इतने आशावादी थे कि पत्र में अस्पष्ट स्थलों को स्वयं व्यक्तिगत रूप से कॉलेज कौंसिल में जाकर स्पष्ट करने के इच्छुक थे । किंतु शायद सरकार ने उनकी यह आयोजना विशेष आकर्षक न समझी । गिलक्राइस्ट ने अपने २० जनवरी, १८०२ के पत्र में इस आयोजना का उल्लेख किया था । २५ जनवरी, १८०२ तथा बाद के सरकारी पत्रों में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता । २५ जनवरी के पत्र में उनके पास केवल एक सरकारी प्रस्ताव की सूचना मेली गई जिसमें उनसे चुनी हुई पुस्तकों का विवरण और उनकी छपाई में अनुमानित व्यय का लेखा माँगा गया किंतु

गिलक्राइस्ट को कालज कौंसिल के इस प्रस्ताव पर आपत्ति थी उनका कहना था कि हिंदुस्तानी विभाग के विद्यार्थियों के लिए रचनाओं की प्रतिलिपि भर करा कर कय समाप्त करा देने से निश्चय ही लाभ की अपेक्षा हानि होने की अधिक संभावना है। हिंदुस्तानी भाषा में उन्हें कोई ऐसा ग्रंथ भी नहीं मिला था जिसे वे अपने विद्यार्थियों के लिए उपयोगी समझते। ऐसी दशा में किसी भी हिंदुस्तानी रचना की प्रतिलिपि करा कर कौंसिल के पास भेजने का कार्य वे बालू में से तेल निकालना समझते थे। जहाँ तक हिंदुस्तानी कविता से संबंध था वह केवल इस भाषा के पंडितों के पारायण के योग्य थी। कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए वह समय श्रमी दूर था। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ग्रंथों की केवल प्रतिलिपि कराने की अपेक्षा उनके छपाने में कॉलेज को अधिक लाभ था, क्योंकि प्रारम्भिक व्यय के बहुत शीघ्र भर जान की संभावना थी। इसलिए कॉलेज कौंसिल का प्रस्ताव गिलक्राइस्ट के लिए अत्यंत निराशाजनक सिद्ध हुआ। निराश होने की बात भी थी। क्योंकि एक तो हिंदुस्तानी भाषा में उन्हें कोई ऐसा उत्तम ग्रंथ नहीं मिला जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होता। इस अभाव की पूर्ति वे स्वनिर्मित ग्रंथों से करना चाहते थे। दूसरे, अपनी आर्थिक दशा ठीक न होने के कारण वे कुछ धनोपार्जन भी कर लेना चाहते थे। अपने २७ जनवरी, १८०२ के पत्र में उन्होंने दस हजार से बीस हजार रुपए तक प्रारम्भिक व्यय के रूप में कौंसिल से माँगा—इस शर्त पर कि यदि इतना खर्च करने पर भी कोई अच्छा परिणाम न निकले तो हिंदुस्तानी विभाग में मितव्ययता का सिद्धांत लागू किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि यदि इतने पर भी कौंसिल मेरा प्रस्ताव अग्रहण समझे तो मैं छपाई तुरत बंद करा दूँगा और एक ऐसी भाषा से, जिसमें विद्यार्थियों के लिए एक भी उपयोगी ग्रंथ नहीं है, एक या दो जिल्दों में संग्रह प्रस्तुत कर कौंसिल के पास मुद्रणार्थ भेज दूँगा। वास्तव में जो ग्रंथ गिलक्राइस्ट लिख रहे थे उनके पूर्ण होने तक वे कॉलेज कौंसिल का प्रस्ताव असामयिक समझते थे। अपूर्ण रचनाओं से संग्रह प्रस्तुत करना वे अनुपयुक्त मानते थे। हिंदुस्तानी भाषा के ग्रंथ छापने या छपाने के सभी साधन उनके पास थे। धनाभाव ही उनके मार्ग में रोड़ा अटका रहा था। सार्वजनिक कार्य के लिए छपाई में अपना रुपया लगा कर वे एक बार आर्थिक संकट भुगत चुके थे। इसलिए अब वे केवल अपना रुपया लगा कर कोई कार्य करना नहीं चाहते थे। इस संबंध में उनको इतना कटु अनुभव हो चुका था कि प्रकाशका और ब्रिटिश भारत को अत्यंत लाभ पहुँचते देख कर भी उन्हें अपना रुपया लगाने का साहस न होता था। उनके इस विचार की परीक्षा का एक ही उपाय था। १८०२ के अंत तक हिंदुस्तानी साहित्य के जितने भी ग्रंथ निकलते उन्हें एक निश्चित मूल्य पर ग्राहकों को बेचने के संबंध में विज्ञापन करने का अधिकार गिलक्राइस्ट को दे दिया जाता। विद्यार्थियों से मूल्य लिए या न लिए जाने की समस्या हल करने का भार कौंसिल पर रहता। गिलक्राइस्ट ऐसा चाहते भी थे। ग्राहकों से आशानुकूल चर्चा मिलने पर अन्य सभी भार ग्रहण करने के लिए वे तैयार थे। उनके विचार में इतने कम या अंत में नहीं के बराबर व्यय से न केवल कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए हिंदुस्तानी भाषा के ग्रंथ कुछ ही धाम मुलम हो जाते वरन् कपन के समस्त कर्मचारियों में भी इस भाषा का प्रचार

करना अत्यन्त सुगम कार्य हो जाता गिलक्राइस्ट की इस आयोजना के सम्बन्ध में दो-तीन महीनों के भीतर निश्चय हो जाना आवश्यक था ।

इन सब बातों के उत्तर में कॉलेज कांसिल ने १ फरवरी, १८०२ को एक पत्र गिलक्राइस्ट के पास भेजा । हिंदुस्तानी विभाग के विद्यार्थियों के लाभार्थ उसने गिलक्राइस्ट के १२ जनवरी वाले पत्र के साथ दी गई सूची में उल्लिखित पुस्तकों के मुद्रित अर्शा का, या उन्हें उन दूमेरे अर्शों के साथ जिन्हें गिलक्राइस्ट अपने विद्यार्थियों के लिए उपयोगी समझे, पाँच सौ पृष्ठों का केवल एक संग्रह प्रस्तुत कराना ही उचित समझा । यह ग्रंथ एक या अधिक भागों में विभाजित किया जा सकता था । वह पाँच सौ प्रतियों पर दस हजार सिक्का रुपए से अधिक खर्च करना नहीं चाहती थी । इनमें 'मर्सिया-इ-मिसकीन' का खर्च भी शामिल था । हिंदुस्तानी विभाग की पाठ्य-पुस्तकों के लिए उसने केवल दस हजार रुपया ही रक्खा । किंतु गिलक्राइस्ट-कृत 'हिंदुस्तानी प्रिंसिपिल्स' ('हिंदुस्तानी भाषा के सिद्धांत') और अम्यास-पुस्तकों की उपयोगिता समझकर कांसिल ने अधिक से अधिक पाँच हजार सिक्का रुपए की लागत पर पाँच सौ प्रतियाँ और छपाने की आज्ञा दी । हिंदुस्तानी-प्रचार-आयोजना के संबन्ध में मितव्ययता के सिद्धांत के कारण गिलक्राइस्ट को अधिक प्रोत्साहन न मिल सका । जहाँ तक ग्राहकों से चढ़ा लेकर ग्रंथ छपाने की बात थी, कांसिल 'चार दरवेश' और 'मुलिस्ताँ' या उन अन्य ग्रंथों के, जिन्हें हिंदुस्तानी के ज्ञान के प्रसार की दृष्टि से गिलक्राइस्ट उचित समझते थे, छप जाने पर केवल कॉलेज के लिए अधिक से अधिक पाँच हजार सिक्का रुपए में उनकी पाँच सौ प्रतियाँ खरीदने के लिए सरकार को लिख सकती थी । अतः में कांसिल ने कॉलेज के लिए छापी गई पुस्तक का, या जो पुस्तकें छप रही थीं, उनका विवरण और लेखा बना कर गिलक्राइस्ट के पास भेज दिया ।^१

गिलक्राइस्ट द्वारा १२ जनवरी, १८०२ वाले पत्र के साथ भेजे हुए विवरण और उपर्युक्त विवरण में जो अंतर है वह दोनों की तुलना करने पर स्पष्ट हो जायगा । कांसिल ने व्यय कितना कम कर दिया है यह बात ध्यान देने योग्य है । इसके बाद फिर गिलक्राइस्ट ने इस संबन्ध में कोई पत्र न लिखा । कांसिल का रख देख कर उन्हें कितना दुःख हुआ होगा, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है ।

उपर्युक्त विवरणों से एक बात का और पता चलता है । उनमें 'सिंहासन बत्तीसी', 'बैताल पच्चीसी', 'शकुन्तला नाटक' और 'माधवानल' (कामकदला), 'सिंहासन बत्तीसी' का उल्लेख है । ये चार ग्रन्थ लखनूलाल की कहाँ तक स्वतंत्र रचनाएँ हैं, इसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा । उन्होंने अपनी 'आत्मकथा' में लिखा है:

“एक दिन साहिब ने कहा कि 'ब्रजभाषा में कोई अच्छी कहानी हो उसे रखते की बोली में कहो ।' मैंने कहा, 'बहुत अच्छा, पर इसके लिये कोई पारसी लिखने वाला दीजे, तो मली भौंति लिखी जाय ।' उन्होंने दो शाइर मेरे तैनाथ किये, मजहर अली खान विला और काजिम अली जवाँ । एक वर्ष मे

चार पोथी का नरजभा ब्रजभाषा से रेखत का वाली म क्रिया सिद्धान्तवर्तीमी बेताल पञ्चीमी । सञ्जुतजा नाटक । ओ मावानल । सबत १८५७ म आजीविका कपनी के कालज मे स्थित हुई ।.....”

साहित्य ने किससे कहा और कौन किसके तैनात हुआ तथा तरजुमा किसने किया, इस संबंध में विवरणों से पाठक स्वयं अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं । वहाँ इन चार ग्रन्थों के विषय में इतना कहना यथेष्ट होगा कि हस्तलिखित रूप में उनकी रचना १८०१ म हा चुकी थी और १२ जनवरी, १८०२ तक ‘सिद्धान्त वर्तीमी’ के छत्तीस पृष्ठ और ‘शब्दतला नाटक’ के चौबीस पृष्ठ क्रमशः हरकारा प्रेस और कलकत्ता प्रेस में प्रकाशित हो चुके थे । कॉमिल द्वारा तैयार किया गया विवरण १ फरारी, १८०२ का है और केवल व्यय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । ग्रन्थों के प्रकाशन की दृष्टि से गिलक्राइस्ट वाला विवरण मान्य है ।

ग्रन्थों की तरफ से ध्यान हटा कर गिलक्राइस्ट ने अपने विभाग के मुंशियों की ओर ध्यान दिया । नवंबर, १८०१ तक हिंदुस्तानी विभाग में साठ विद्यार्थियों से कम किसी हावन में नहीं थे । इन साठ विद्यार्थियों के पढ़ाने गिलक्राइस्ट द्वारा का कार्य बारह मुंशियों के हाथ में था, जो चालीस रुपया मासिक वेतन पाते थे । अतः कार्य अधिक होने के कारण गिलक्राइस्ट ने गुलाम अशरफ को, जो विभाग में अलग कर दिए गए थे, फिर विभाग में ले लिया । इसके अतिरिक्त कुछ सर्दिकिकेट (प्रमाण-पत्र प्राप्त) मुंशी भी, जिन्हें हिंदुस्तानी भाषा का ज्ञान अच्छा न होने के कारण विभाग में अलग कर दिया था, फिर ले लिए गए । कॉलेज-स्थापना के प्रारंभिक काल में फारसी विभाग को कुछ अधिक महत्त्व दे दिया गया था । उस समय फारसी भाषा के अधिक महत्त्व प्राप्त होने का यह कारण था कि लोगों में हिंदुस्तानी भाषा सीखने के लिए अवकाश, चाव या योग्यता नहीं थी । एक नए विषय का ज्ञान प्राप्त करने के संबंध में प्रायः ऐसा ही जाया करता है । दूसरे, एक कारण यह भी था कि अरबी और फारसी भाषाओं के विद्वान् तो अत्यधिक संख्या में मिल सकते थे और मिल जाते थे, किंतु हिंदुस्तानी या बंगला भाषा का वैज्ञानिक ज्ञान रखने वाले विद्वान् बहुत कम मिलते थे । अस्तु, गिलक्राइस्ट ने ५ नवंबर, १८०१ को कॉलेज कॉमिल से बारह के अतिरिक्त आठ मुंशी और, अर्थात् अपने विभाग के लिए चालीस रुपया मासिक वेतन पर कुल बीस मुंशी माँगे । हिंदुस्तानी विभाग के कुछ मुंशियों को छोड़ कर ऐसे मुंशी ही अधिक थे जिनका हिंदुस्तानी भाषा का ज्ञान अपरिपक्व था । कॉलेज में नौकरी करने से पूर्व उन्हें हिंदुस्तानी भाषा के सिद्धांतों का वैज्ञानिक अध्ययन करने का अवसर कभी न मिला था । उनका ज्ञान युवावस्था में सीखा गई भाषाओं तक ही सीमित था । अतएव उन्हें हिंदुस्तानी भाषा

१ सर्दिकिकेट मुंशी कॉलेज में अध्यापन-कार्य नहीं करते थे । वे या तो विद्यार्थियों के घर पर उनके अध्ययन में सहायता करते थे या स्वयं प्रधानाध्यापक उनसे काम चला करते थे

ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने और फिर उनसे सुयरे ढग स काम लेन ही दृष्टि से ही गिलक्राइस्ट ने नए और पुराने मत्र मुशियों का चालीस रुपया मासिक तन रक्खा था। आठ नए मुशियों के वेतन का खर्च भी कुछ अधिक नहीं था। बहुत न मुशियों को स्वयं गिलक्राइस्ट रोमन और नागरी लिपियों और हिंदुस्तानी व्याकरण की शेक्षा देने थे। मुशियों की संख्या बढ़ाने में गिलक्राइस्ट कृतकार्य हुए। १६ फरवरी, १८०२ को कॉलेज कौंसिल ने इस मवध में अपनी स्वीकृति दे दी।

विद्यार्थियों को सुलेख लिखने के लिए प्रोत्साहन देने की दृष्टि से कॉलेज में सुलेखको की नियुक्ति होती थी। इनका मासिक वेतन बीस सिक्का रुपए था। सर्वप्रथम सुंदर पंडित नागरी सुलेखक और कलब अल्लो फारसी सुलेखक नियुक्त हुए थे। सुलेखक और क्रिस्ता कितु कुछ समय बाद व्यवस्था बदल गई। फारसी सुलेखक हिंदुस्तानी ख्रॉं की माँग और फारसी दोनों विभागों में काम करने और सौ रुपया मासिक वेतन पाने लगा। नागरी सुलेखक कोई न रहा। इसलिए ४ जनवरी, १८०२ को गिलक्राइस्ट ने पचास सिक्का रुपया मासिक वेतन पर एक नागरी सुलेखक (खुशनवीर) माँग। सुलेखक के साथ-साथ उन्होंने एक क्रिस्ता-ख्रॉं भी माँग। क्रिस्ता-ख्रॉं प्रत्येक विद्यार्थी के घर जाकर हिंदुस्तानी में क्रिस्से सुनाया करता था। इसमें विद्यार्थियों का भाषा-सम्बन्धी ज्ञान बढ़ता था। इसका वेतन उन्होंने चालीस रुपए मासिक रक्खा। एक चतुर क्रिस्ता-ख्रॉं न मिलने पर उन्होंने बीस-बीस रुपया मासिक वेतन पर दो क्रिस्ता-ख्रॉं रखने की अनुमति माँगी। उनकी दोनों माँगें ठीक थी और १६ फरवरी, १८०२ को उन्हें कौंसिल की स्वीकृति भी मिल गई।

कितु उपर्युक्त पत्र में इन दोनों माँगों से भी अधिक महत्वपूर्ण उनकी माँग थी भाषा ('भाखा')-मुंशी की; गिलक्राइस्टी हिंदुस्तानी में अरबी-फारसी शब्दों का बाहुल्य रहता था। कितु इसका भवन हिंदी (आधुनिक प्रचलित अर्थ में) की नींव पर खड़ा हुआ था। इसलिए बिना हिंदी-ज्ञान के हिंदुस्तानी माँग और लल्लू-का ज्ञान प्राप्त करना कठिन था। कॉलेज के मुशियों का हिंदी-ज्ञान जाद की नियुक्ति शून्य के बराबर था। इसमें गिलक्राइस्ट को बड़ी कठिनाई होती थी। स्वयं उन्हीं के शब्दों में :

“मूल में हिंदुस्तानी और ब्रजभाषा का इतना घनिष्ठ संबंध है कि मुंशियों को ब्रजभाषा का बहुत ही अपूर्ण ज्ञान होने के कारण इस अश के संबंध में समुचित सहायता के अभाव में मुझे प्रायः कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए कॉलेज के कामों में सहायता करने के लिए मैं पचास रुपए वेतन पर एक सुयोग्य व्यक्ति रखने की प्रार्थना करता हूँ।”^१

१६ फरवरी, १८०२ को कॉलेज-कौंसिल ने उनकी यह 'भाखा'-मुंशी की माँग सहर्ष स्वीकार की। कहना न होगा कि इस पद पर लल्लूलाल की नियुक्ति हुई। कौंसिल ने २५ फरवरी, १८०२ को नागरी सुलेखक और 'भाखा'-मुंशी को १ अगस्त, १८०१ से ३१

जनवरी, १८०२ तक का पिछला पतन दे देने की भी स्वीकृति दी। इससे पता चलता है कि अब तक लल्लूलाल सा फिक मशा व' हैसियत में काम कर रहे थे।

इस प्रकार अपने विभाग की व्यवस्था कर गिलक्राइस्ट निश्चित हुए और प्रतिदिन का कार्य-क्रम सुचारु रूप से चलने लगा।

संशोधित विवरण और अनुमान-पत्र के अनुसार कौंसिल ने हिंदुस्तानी पाठ्य पुस्तकों के लिए दस हजार सिक्का रुपए की स्वीकृति दी थी। इसमें से २६ मार्च, १८०२ को एक हजार सिक्का रुपए 'निहासन वृत्तीसी' की पाँच सौ प्रतियों के 'सिंहासन बत्तीसी' मुद्रक लथियोप (लथोप ?) को दे दिए गए। इसी वर्ष की १२ अप्रैल को 'चार दरवेश' की छपाई का मूल्य एक हजार तीन सौ नैतीस रुपया भी चुका दिया गया। २६ अप्रैल को 'हिंदी मैनुअल' (गिलक्राइस्ट कृत) बेचने के संबंध में गिलक्राइस्ट को आज्ञा मिल गई। २४ मई को 'गुलिस्ताँ' की छपाई के एक हजार नासठ रुपए आठ आने और 'बैताल पच्चीसी' की छपाई के पाँच सौ बाए भी चुका दिए गए। यह सब रुपया मिला कर एक साथ प्रेस को दिया गया।

इस प्रकार जब एक ओर कॉलेज का कार्य दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, तो दूसरी ओर कोर्ट का २७ जनवरी, १८०२ का लिखा हुआ एक पत्र वेलेंजली को कलकत्ते में मिला जिसमें उन्हें एकदम कॉलेज तोड़ने की आज्ञा दी गई थी। कॉलेज की व्यवस्था अच्छी तरह से सोच-विचार करने के बाद वेलेंजली ने ३१ दिसंबर, १८०३ तक कोर्ट की आज्ञा का पालन करना स्थगित रखवा। इस का उल्लेख पहले ही चुका है। इसी बीच में ३१ मई, १८०२ को कांसिल ने कॉलेज के विभिन्न विभागों में आवश्यक और व्यावहारिक रूप से कमी करने का निश्चय किया। और पहली जून से कॉलेज में काम करने वाले खानसामों, रसोइयों, खिदमतगारों, मशालचियों, फ़ारसी, भिश्तियों, धोबियों, मेहतरों आदि की संख्या और उनके वेतनों में कमी करने के साथ-साथ कांसिल ने फ़ारसी और हिंदुस्तानी विभागों के प्रधानाध्यापकों से पूछा कि प्रबान और सहायक मुशी क्या काम करते हैं और क्या उनका विभागों में रहना बहुत जरूरी है। एन० बी० एडमॉन्सटन तथा जे० बेली ने फ़ारसी विभाग और गिलक्राइस्ट ने हिंदुस्तानी विभाग की ओर से क्रमशः ६ और ७ जून, १८०२ को पत्र लिख कर प्रबान और सहायक मुशियों की उपस्थिति अनिवार्य बताई। इन मुशियों का कार्य विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकों के रचना-क्रम का निरीक्षण कर उन्हें शुद्ध करना, व्याकरण के विभिन्न विषयों के लिए मन्त्र प्रस्तुत करना, दूसरे मुशियों की देखभाल करना और किसी रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नयागत मुशी को परीक्षा लेना, और प्रधानाध्यापकों की सहायता करना तथा उनकी कठिनाइयाँ सुलभाना था। विद्यार्थी भी उनकी सहायता ले सकते थे। रविवार छोड़ कर प्रत्येक दिन ६ बजे सुबह से ५ बजे शाम तक उन्हें कॉलेज ही में रहना पड़ता था। गिलक्राइस्ट के 'हिंदुस्तानी प्रिन्सिपल्स' नामक ग्रंथ की रचना मुशियों की सहायता से ही पूर्ण हो सकी थी। साथ ही मुशी प्रायः कादिल होते थे और काम से ज चुगते थे उनके लिए गिलक्राइस्ट को प्रतिदिन

आज्ञा-पत्र निकालने पड़ते थे। इन आज्ञा-पत्रों में मुंशियों को शिक्षकों के रूप में अपने कर्तव्य का उचित रूप से पालन करने के संबंध में जो शिक्षाएँ दी जाती थी, वे व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हिंदुस्तानी में लिखी जाती थी। प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में यह कार्य प्रधान और सहायक मुंशी ही किया करते थे। वे देशी अध्यापकों की जायतियों का निरीक्षण भी करते थे। परीक्षाओं का भार भी प्रायः इन्हा दो मुंशियों पर रहता था। प्रधान मुंशी के अधिक परिश्रम के ही कारण हिंदुस्तानी विभाग के अन्य समस्त मुंशियों ने रोमन तथा नागरी लिपियों और 'हिन्दी', अरबी और फ़ारसी व्याकरणों के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। भीरू बहादुर अली को गिलक्राइस्ट-भारतवर्ष में हिंदुस्तानी भाषा का सर्वश्रेष्ठ विद्वान् समझते थे। तारिखीचरण मित्र हिंदुस्तानी क अच्छे विद्वान् होने के अतिरिक्त फ़ारसी और अंगरेजी का भी अच्छा ज्ञान रखते थे और गिलक्राइस्ट के रोमन-लिपि संबंधी सिद्धांत से पूर्णतया परिचित थे।

इसलिए जब प्रधान और सहायक मुंशियों की उपस्थिति अनिवार्य समझी गई तो कॉलेज में और जगहों पर कमी कर कौंसिल ने ७ जून, १८०२ पुनर्निर्मित हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी विभाग का इस प्रकार पुनर्निर्माण करने का निश्चय विभाग किया :

अनुवादक	{ मीर शेर अली	...	२००	६०	मा०
	{ काज़िम अली ख़ाँ	..	८०	"	"
	{ मज़हर अली ख़ाँ	...	८०	"	" ३६०
	मीर बहादुर अली, प्रधान मुंशी	...	२००	"	"
	तारिखीचरण मित्र, सहायक मुंशी	...	१००	"	"
२० स्थायीरूप से नियुक्त	} मुंशी, प्रत्येक को ४० ६० मा०	८००	"	"
२० सर्टिफ़िकेट प्राप्त		} मुंशी, प्रत्येक को ३० ६० मा०	...	६००	"
	श्री लाल कवि, 'भाखा'-मुंशी		...	५०	"
	क्रिस्ता-ख़ाँ	४०	"	"
	मुहम्मद (? महानंद), नागरी सुलेखक	५०	"	" २२००

कोर्ट की नीति के फल-स्वरूप हिंदुस्तानी विभाग में इस समय कोई कमी न होकर कॉलेज के अन्य छोटे-छोटे कार्य-क्षेत्रों में बहुत-कुछ कमी हुई। किंतु गिलक्राइस्ट की बढ़ी हुई उमंगों के लिए भी भविष्य अधिक आशाजनक नहीं था।

७ जून, १८०२ को कॉलेज की व्यवस्था में जो कमी की गई थी उससे एक ही दिन पहले, अर्थात् ६ जून, १८०२ को गिलक्राइस्ट ने अपने पत्र के 'ट्रिबिल्स ऐंड प्रिंसिपल्स' नामक रचना कॉलेज कौंसिल के पास प्रकाशन-अनुमति प्राप्त करने के लिए भेजी थी १४ जून के अधिवेशन में कौंसिल ने उसे लौटा

दिया और रचयिता को उस प्रकाशित करने के आग्रह से सवाचन रखना कतु गिलक्राइस्ट की सिकारश पर मीर अब्दुल को पाच सौ सयका रुपए पारभामिक रूप में देना स्वीकृत हुआ। उन्होंने 'चार दरवेश' का हिंदुस्तानी में अनुवाद किया था। इसके बाद विला और किस्सा-खों की आवश्यकता न समझ उन्हें क्रमशः ३० और ३१ सितंबर १८०२ को कॉलेज से अलग कर दिया गया। वेतन के अतिरिक्त विला का लखनऊ तक जानें का खर्च और मिला। लेकिन इन सब बातों का यह तात्पर्य नहीं है कि आर्थिक बंधनों के सामने कौंसिल हिंदुस्तानी का महत्व सुला बैठी था। आवश्यकता-नुसार वह हिंदुस्तानी विभाग के प्रधानाध्यापक को सदैव आर्थिक सहायता देती थी। १३ नवंबर, १८०२ को गिलक्राइस्ट ने स्वरचित 'पालीगला' को एक नमूने की प्रति कौंसिल के पास निरीक्षणार्थ भेजी और गस्कृत के जिस पंडित ने उनकी सहायता की थी उसका लिए एक अनिश्चित अवधि तक तीस रुपया मासिक वेतन माँगा। कॉलेज कौंसिल ने उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर उनके कार्य की सराहना की। इतना ही नहीं, काम की अधिकता देख कर उसने २६ नवंबर, १८०२ को एजिनियर्स विभाग के श्रायुत मकडूगल को सहायक हिंदुस्तानी प्रोफेसर भी नियुक्त किया। १२ जनवरी, १८०३ को गिलक्राइस्ट ने कौंसिल के पास एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी 'गुलिस्तों' का पूर्ण अनुवाद प्रकाशित करने में समर्थ हो सकने की सूचना दी। 'गुलिस्तों' और उसके साथ-साथ 'पदनामा' का अनुवाद भी उन्होंने कौंसिल के पास भेजा था। वे चाहते थे कि 'गुलिस्तों' और 'चार दरवेश' के लिए जो पाच हजार रुपया नियत हुआ था, उसमें 'गुलिस्तों' और 'पदनामा' खरीद लिया जाय। फ्री प्रति का मूल्य बेंसे बत्तीस रुपया रखना गया था, लेकिन चूंकि गिलक्राइस्ट केवल 'गुलिस्तों' की एक प्रति का मूल्य ग्राहकों से त्र्तीस रुपया लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बत्तीस रुपए के स्थान पर कॉलेज द्वारा निर्धारित मूल्य लेना स्वीकार किया। 'चार दरवेश' के समाप्त होने की अभी कुछ महीनों तक आशा नहीं थी। साथ ही छपाई के कार्य में उन्हें इतना नुकसान उठाना पड़ रहा था कि कौंसिल की सहायता के बिना उनका आगे बढ़ाना कठिन ही था। व्यापारिक दृष्टिकोण से उनका आशाओं पर तुषारापात हो चुका था। ऐसा भारी काम अपने ऊपर लेने की उनमें अत्र हिम्मत नहीं थी। वे चाहते थे कि जिस कार्य के लिए उन्होंने कौंसिल से किसी भी प्रकार की आर्थिक याचना नहीं की, उसके लिए वह आपात्स के समय उनकी कुछ सहायता करे। उधर कुछ विद्यार्थियों ने भी उनका ऋण न चुकाया था। इन आर्थिक सक्तों के कारण गिलक्राइस्ट को कौंसिल से सहायता की प्रार्थना करनी पडी। कौंसिल ने 'गुलिस्तों' और 'पदनामा' की सौ प्रतियाँ तीस रुपए फ्री प्रति के हिसाब से खरीदी। गिलक्राइस्ट ने उभे इस कार्य के लिए धन्यवाद दिया। सच देखा जाय तो कौंसिल की आर्थिक सहायता के बिना गिलक्राइस्ट का हिंदुस्तानी-प्रचार और शिक्षा-कार्य का सूत्रपान भी न हो सकता था। यह कार्य कोर्ट के विरोधी रुझ के होते हुए भी संपन्न हुआ।

१८०३ दिसंबर

३१ जनवरी, १८०३ को गिलक्राइस्ट ने फिर अपने 'द्वि हिंदी स्टीर' टैलर के पूर्ण होन की सूचना दी और कौंसिल से 'चार दरवेश'

(अपूर्ण) के स्थान पर उसकी दो सौ प्रतियाँ खरीद लेने की प्रार्थना की। 'स्टोरी टैलर' तीन विभिन्न निपिया में छापा गया था। अतः गिलक्राइस्ट ने मूल्य बारह रुपया रक्खा। हिंदुस्तानी प्रचार की दृष्टि से ग्रंथ की उपयोगिता देखते हुए वे इसे साधारण मूल्य ममभूत थे। और फिर 'गाइड', 'लिंग्विस्ट' के द्वितीय संस्करण, और 'ऐंटी-जागोनिस्ट' 'ऐंटी-जागोनिस्ट' के लिए भी तो, यद्यपि ये कॉलेज से प्रकाशित होने वाले ग्रंथों की सूची में शामिल थे, सरकार या कॉलेज ने उन्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं दी थी। 'चार द्रवेष' के लिए नियत दो हजार रुपए में से एक हजार में 'स्टोरी टैलर' का सौ प्रतियाँ खरीद कर उनकी प्रार्थना स्वीकार की गई। इस प्रकार जहां तक हो सकता था सरकार या कालज कौंसिल गिलक्राइस्ट की सहायता करने में कभी कोई संकोच न करती थी।

कॉलेज की स्थापना हुए दो वर्ष पूर्ण हो चुके थे, और अब तीसरा चल रहा था। इस बीच में कॉलेज ने प्रधानाध्यापकों तथा अन्य अध्यापकों की सहायता से संस्कृत, फ़ारसी, अरबी, बंगला, हिंदुस्तानी, तामिल अप्रैल, १८०१ तक सहायता से संस्कृत, फ़ारसी, अरबी, बंगला, हिंदुस्तानी, तामिल हिंदुस्तानी में निमित्त-मराठी आदि भाषाओं के अनेक ग्रंथ प्रकाशित किए। हिंदुस्तानी या निमित्त हाने-ग्रंथों की रचना अंगरेजी और हिंदुस्तानी दोनों भाषाओं में हुई। अंगरेजी में हिंदुस्तानी ग्रंथों की रचना का श्रेय गिलक्राइस्ट को है। ४ अप्रैल, १८०३ तक हिंदुस्तानी भाषा के अनेक ग्रंथ निर्मित हुए या हो रहे थे।^१

तीन वर्ष से भी कम समय में ग्रंथों की रचना और विषयों की विविधता से कॉलेज कांसिल को आयोजन और हिंदुस्तानी-प्रचार संबंधी उत्सुकता पर विशेष प्रकाश पड़ता है। गिलक्राइस्ट ने कुछ तो व्यापारिक और कुछ हिंदुस्तानी प्रचार के कैप्टेन मोन्ट पथम दृष्टिकोण से अपना सहयोग प्रदान किया। धन-संबंधी उनकी माँगों सहायक के रूप में कांसिल ने स्वीकार कीं। और यह सब कुछ कोर्ट की इच्छा के प्रतिकूल हो रहा था। मार्किंस वेलजली अभी भारतवर्ष ही में थे। हिंदुस्तानी विभाग में कार्य बहुत देख कर उन्होंने कैप्टेन मोन्ट (Mouat) को प्रथम सहायक के रूप में नियुक्त करने की कांसिल को स्वीकृति भी दी। उनकी नियुक्ति २ मई, १८०३ को हुई। वैसे भी देखा जाय तो कॉलेज के इतिहास में उसके प्रथम तीन वर्ष हिंदुस्तानी भाषा-संबंधी रचनाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहे। कॉलेज में रचनाएँ सदैव हाता रही, किंतु जिनकी रचनाएँ इन प्रथम तीन वर्षों में हुईं उनमें फिर आगे कभी न हुईं। इस उदासीनता के कारण अनेक थे जिनमें प्रधान कारण था कोर्ट के डाइरेक्टरों का विरोध। वेलजली के चले जाने के बाद आगे आनेवाले गवर्नर-जनरलों का इस और उल्हास भी कम रहा। किंतु हिंदुस्तानी विभाग के प्रकाशन-कार्य के मद पड़ जाने के कारण का सुत्रगत गिलक्राइस्ट के निम्नलिखित पत्र से हुआ, जो उन्होंने कालज कौंसिल के मंत्री चार्ल्स रॉथमैन के नाम लिखा था :

कृपया कॉलेज कौंसिल को यह सूचना दे दीजिए कि सभवत दिसबर मास में यूरोप लौट जाने के अपने विचार से मैं उसे इतनी जल्दी परिचित करा देना अपना कर्तव्य समझता हूँ। इधर कुछ दिनों से मैं सिर दर्द, बुखार और गिलक्राइस्ट का यूरोप कष्टप्रद जुकाम ने निरंतर और अन्धत पीड़ित रहना हूँ। मेरे इरादे लौट जाने का विचार का प्रधान उद्देश्य समय रहते अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना है। मेरे कारण विभाग में जो कठिनाई उत्पन्न होगी—देर से सूचित करने का यही परिणाम होता—उमका प्रबंध करने के लिए कॉलेज कौंसिल के पास यथेष्ट समय है, क्योंकि १८०३ के बाद बंगाल में टहरना न तो मेरी अपनी अधिकाधिक कुशलता और न घर पर मेरे परिवार और निजी कारोबार के हित की दृष्टि में अच्छा होगा।”

गिलक्राइस्ट ने ११ अप्रैल, १८०३ को यह पत्र लिखा जो २ मई, १८०३ की बैठक में कॉलेज कौंसिल के सामने रखवा गया। किंतु कौंसिल उस समय किसी अनिम निर्णय पर न पहुँच सकी।

२० जून, १८०३ को गिलक्राइस्ट ने फिर एक पत्र कॉलेज कौंसिल के मंत्री के पास भेजा, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तानी छापे में सुधार करने के संबंध में अपने प्रयत्नों का उल्लेख किया, और कौंसिल से आर्थिक सहायता की प्रार्थना की। साथ ‘ऑरिएंटल फैब्रूलिस्ट’ ही उन्होंने ‘ऑरिएंटल फैब्रूलिस्ट’, ‘हिंदी मौरल प्रीसेप्टर’ आदि और ‘मौरल प्रीसेप्टर’ कुछ हिंदुस्तानी भाषा संबंधी रचनाओं के नमूने कौंसिल के निरीक्षण के लिए भेजे। इनके लिए भी उन्होंने पाँच हजार वार्षिक वाली रकम में से रुपया माँगा। हिंदुस्तानी ग्रंथकर्ता का श्रेय प्राप्त करने के उत्साह में वे कौंसिल द्वारा स्वीकृत धन प्राप्त किए बिना अपने पान से रुपया खर्च कर देते थे। क्योंकि उनका यह दृढ़ विश्वास था कि हिंदुस्तानी विभाग की रचनाएँ हिंदुस्तानी भाषा को किसी दिन गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित करने में सफल हो सकेंगी, और देशी विद्वान उमका उसी प्रकार आदर करेंगे जिस प्रकार वे किसी अन्य प्राचीन भारतीय भाषा का करते हैं। ईंगलैंड में ग्रीक और लैटिन का बहुत कुछ आदर उनकी प्राचीनता के कारण था, न कि उपादेयता के कारण। उपयोग की दृष्टि से फ्रेंच भी बालचाल की भाषा की अपेक्षा अधिक महत्व नहीं रखती थी। इसी तुलना के आधार पर वे हिंदुस्तानी भाषा को, यदि वह किसी असामान्य और अलक्षित कारण से दब न गई, उसी पद पर प्रतिष्ठित होते देखना चाहते थे जिस पद पर उनके अपने देश में अंगरेजी प्रतिष्ठित थी। स्वयं कौंसिल के कई सदस्य साहित्यिक अभिरुचि रखते थे। वे गिलक्राइस्टी ग्रंथों का मूल्य निर्धारित करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे। उन्होंने कौंसिल की २७ जून, १८०३ की बैठक में १ फरवरी, १८०२ को स्वीकृत पाँच हजार रुपए की रकम में से एक हजार रुपया ‘ऑरिएंटल फैब्रूलिस्ट’ और ‘हिंदी मौरल प्रीसेप्टर’ के लिए दिया। साथ ही उन्होंने उन नौ हिंदुस्तानी रचनाओं के लिए भी, जिनके नमूने गिलक्राइस्ट ने कौंसिल के निरीक्षणार्थ भेजे थे, पाँच हजार रुपए देना स्वीकार किया और गिलक्राइस्ट को प्रत्येक रचना की बीस-बीस प्रतियाँ कॉलेज को देने का आदेश दिया।

कौंसिल की इसी बैठक में गिलक्राइस्ट का १५ जून, १८०३ का लिखा हुआ एक

पौर पत्र पेश हुआ। इस पत्र से उनकी हिंदुस्तानी भाषा की शुद्धता, उसके महत्व और आर्थिक सहायता के संबंध में चिंता प्रकट होती है। गवर्नर-जेनरल का पत्र : जनरल से मिलने के बाद उन्होंने यह पत्र लिखा था। उनका कौंसिल द्वारा अस्वीकृत रहना है : "श्रीमान् गवर्नर-जनरल पहला अवसर मिलते ही इस विषय पर विचार करने को उत्सुक थे। मेरे भेजे हुए १ और २ सम्बन्ध वाउचरो से कॉलेज कौंसिल को स्वयं ज्ञात हो जायगा कि २१ जुलाई, १८०० से लेकर अब तक मैं आशा करता रहा हूँ कि सरकार के समस्त हिंदुस्तानी अनुवाद भेरे विभाग द्वारा होंगे। क्योंकि मेरा विश्वास है कि पूरे कोड के अत्यंत कठिन रंग्यूलेशनो में मेरे एक के अनुवाद में मैंने उसके साथ पूर्ण न्याय किया था। वरिषि उनके कारण मैंने अत्यंत कष्ट सहन किया और उस समय का अशुभ भाग नष्ट किया जिसे दूसरे लोग आनंद मनाने और निद्रा देवी की गोद में व्यतीत करते हैं, तो भी सरकार ने न तो मुझे आज तक कोई पारिश्रमिक ही दिया और न इतनी कठिनाइयों के बाद किए जाने वाले कार्य के लिए कोई सराहना ही की। अभी थोड़े समय पहले श्री फ़ॉर्स्टर ने जिस परिस्थिति में हिंदुस्तानी अनुवादक की हैसियत में काम किया है वह किसी भी व्यक्ति को, जिसे मेरी अपेक्षा अन्य किसी प्रसिद्ध पूर्व विद्वान की सफलता का कहीं अधिक कम ध्यान होता, एक ऐसी बात पर जोर देने से गंठ देनी जिससे उस समय उसकी भोमित आशाओं पर नानी फिर जाता। बुद्धिमान सरकार की उदारता और न्यायप्रियता से अब उन आपत्तियों का निवारण हो जाने पर अब मेरे सरकारी अनुवादों के वे अंश मांगना जो स्पष्ट रूप से हिंदुस्तानी प्रोफ़ेसर को मिलने चाहिए अपने व्यक्तिगत चरित्र के अयोग्य नहीं समझता। यदि एक विभिन्न परिस्थिति में रहनेवाले व्यक्ति को अपना एक ऐसा व्यक्ति जिसे सुंदर हिंदुस्तानी बोलने और लिखने का गवर्नर हो और जो उसका मुख्य कार्य हो सच्चा और सुंदर रूपांतर कर सकता है, तो मैं आशा करता हूँ कि कॉलेज कौंसिल श्री फ़ॉर्स्टर से भी कहीं अधिक अच्छा हिंदुस्तानी अनुवादक रखने की आज्ञा देने में किसी प्रकार का सकोच न करेगी, और प्रत्येक दृष्टिकोण से अपने लिए इतने बड़े दिलचस्प विषय के संबंध में इतने दिना से गंभीरतापूर्वक शांति धारण किए रहने पर मुझे कुछ श्रेय देगी। जब कि सिविल सर्विस के बहुत कम कर्मचारी भारत की लोकप्रिय भाषा का ज्ञान रखते थे उस समय यह कोई चिंता की बात नहीं थी कि सरकारी रंग्यूलेशन किसने कब और किस प्रकार उपयोगी भाषा में रूपांतरित किए, और बहुत कुछ संभव है कि इस दृष्टि से श्री फ़ॉर्स्टर के रूपांतर जिस काम के लिए कराए गए थे अच्छे सिद्ध हों। विचारशील सरकार के खूब सोच-विचार कर लेने के पश्चात् स्थानीय बोलों के संबंध में अब बातें दूसरी हैं, तथा दिन-प्रति-दिन उन्हें और भी ऐसा होना चाहिए जब कि हम देखते हैं कि कॉलेज के इस पद्य में कम से कम ऐसे नौ विद्यार्थी भारत के विभिन्न अक्षांशों में कॉलेज से भेजे गए हैं जो कई पूर्वीय भाषाएँ अच्छी तरह जानते हैं। ऐसी हालत में मेरा विचार है कि भारत की सर्वोच्च सरकारी अस्था को आज्ञा से भविष्य में प्रकाशित सभी पूर्वीय भाषाओं के रूपांतरों के रूप और उनकी रचना का ब्रिटिश भारत के वास्तविक हित, जाति

क मान आर कालज सस्था क सरलक क उच्च पद और उसके समस्त सदस्या के यश के साथ वनिष्ठ संबंध है। मैंने स्वयं श्रीमान् से कहा था कि मेरे विद्यार्थियों से ईसप् की कहानियों का अनुवाद कराने के बजाय, जैसा कि इस समय मैं कराता हूँ, उन्हें धीरे-धीरे सरकारी नियम अनुवाद करने के लिए देने चाहिए। इस प्रकार मैं उन्हें अम्बाल के लिए तीस या चालीस सर्वोत्तम चीजें हूँ और सरकार की ओर से स्वयं उन्हें अंत में शुद्ध कर ग्रहण करने योग्य बनाऊँ। उदार सरलक को मेरे विभाग की इस अध्ययन-पद्धति के लाभ इतने रुचे कि मुझे कोई सफ़ाई देने की ज़रूरत न पड़ी। इसलिए एक ऑरिएंटल कॉलेज की कौंसिल के सामने यह विषय विस्तार के साथ रखने में और भी बुद्धिमत्ता होगी—और एक ऐसी कौंसिल के सामने जो अपने स्थानीय और साहित्यिक ज्ञान के कारण एक ऐसी शिक्षा-आयोजना की बारीकियाँ तुरंत समझने योग्य हो सकेगी जो सरकारी कर्मचारियों के लिए इतनी फलदायक है। यदि मैं अब भी पूर्वीय भाषाशास्त्र का एकमात्र प्रोफ़ेसर रहता, जैसा कि मैं पहले था, तो जितना वेतन मुझे उस समय मिलता था, और जिसे कॉलेज संस्था ने किसी प्रकार से नहीं बढ़ाया, मैं उसी में संतुष्ट रहता और सरकार को इस विषय में कष्ट देना कभी न्यायोचित न समझता। उस समय कुछ ऐसी ही हालत में इसी कॉलेज के मुझसे बहुत छोटे पूर्व विद्याविदों को चाहे जो कुछ वेतन मिलता। मुझे मालूम हुआ है कि अरबी भाषा के प्रोफ़ेसर की हैसियत से मिलने वाले सोलह सौ मासिक वेतन के अतिरिक्त श्रियुत बेली को अरबी अनुवादक की हैसियत से एक हजार रुपये और मिला करेगा। वह भी जब से कॉलेज स्थापित हुआ है तब से मिलेगा और भविष्य में भी निश्चित वेतन के रूप में मिलता रहेगा। तो क्या मेरा ऐसा ही कुछ सानुपातिक संरक्षण माँगना निन्दनीय ठहराया जायगा ? वह भी एक ऐसे विभाग के लिए जो, मेरे द्वारा शिक्षितों को गणना करने पर, अरबी की अपेक्षा भारतवर्ष के लिए दसगुना अधिक लाभदायक है, विशेष रूप से जब कि हिंदुस्तानी प्रोफ़ेसर को दी गई आर्थिक सहायता का वनिष्ठ संबंध तिविल सर्विस के कर्मचारियों को देशी जनता में मजिस्ट्रेट, व्यापारी, अफ़सर-माल इत्यादि की हैसियत से भली भाँति कार्य करने योग्य बनाने वाले कॉलेज के महान् सरकारी ध्येय से हैं। मैं तो यूरोप जाने वाला था। श्रीमान् ने कॉलेज में निश्चित समय के बाद तक मेरी उपस्थिति अनिवार्य समझ कर मुझे सम्मानित किया है। सरकारी इच्छा तुरत स्वीकार कर लेने के फलस्वरूप मुझे आशा है कि जब तक मैं इस देश में हूँ कॉलेज कौंसिल किसी अवसर पर मुझे मेरे सहयोगी प्रोफ़ेसर के बराबर वेतन देकर मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाएगी। यदि श्रीमान् गवर्नर-जनरल ने कॉलेज की स्थापना के समय फ़ारसी में नाम पैदा कर लेने पर भी मुझ से वह विभाग ले लेने की ओर ध्यान दिया होता, यदि मेरी अध्ययनता में फ़ारसी की प्राथमिक शिक्षा हिंदुस्तानी के ही साथ जुड़ी होती और फ़ारसी और अरबी साहित्य के लिए बिल्कुल दूसरा ही प्रोफ़ेसर रखा जाता तो संभव था कि आज मैं कॉलेज की निगाहों में इतना नीचा ठहरता और मुझे इतना कम वेतन मिलता होता कि मुझे अपनी स्थिति कम से कम अरबी प्रोफ़ेसर के बराबर बनाने के लिए श्रीमान् या कॉलेज कौंसिल को कष्ट देने पर मजबूर होना पड़ता श्रियुत बेना के विद्वान् भाषाविद् और सुयोग्य व्यक्ति होन में कोई सदेह

ती है लेकिन तो भी मैं अपनी और उनकी स्थिति में इतना अंतर नहीं समझ सकता - मेरे मुकाबले में उन्हें छुट्टीस सौ रुपये मासिक मिले। इस देश में मेरा अपेक्षाकृत अधिक समय का निवास, गरीब बहुत दिनों की नौकरी, पूर्वीय भाषाओं के ज्ञाता के रूप में मेरी अनेक रचनाएँ, उस भाषा के संबंध में मेरे मूल प्रयास जिनके अध्ययन में देशी लोगों ने मेरी कोई सहायता नहीं की, और एक ग्रंथकर्ता के रूप में मेरा निरंतर उत्साह, सब बातें मुझे इस संस्था में उदराराधय पाने का समुचित अधिकारी बनाती हैं।

अपनी भावनाओं और स्वार्थ से अलग, मेरा यह विश्वास है कि पूर्वीय भाषाओं की सबसे अधिक उपयोगी शाखाएँ निम्नलिखित रूप से विभाजित करने में कॉलेज को और भी लाभ पहुँचेगा :

संस्कृत, बंगाली और दूसरी हिंदी बोलियाँ;

अरबी और फ़ारसी साहित्य;

हिंदुस्तानी और प्रारम्भिक फ़ारसी।

इनके तीन प्रोफ़ेसर होने चाहिए, जो वेतन आदि की दृष्टि से बराबर हों। सुविधाओं और यहाँ तक कि सरकारी बचत की किसी पूर्ण, उदार और विस्तृत आयोजना के अंतर्गत मिलने वाले किसी अधिक वेतन के बदले में विभिन्न भाषाओं के सरकारी अनुवाद की उन्हा को दिए जाने चाहिए।”

इस पत्र पर विचार करने के बाद कौंसिल ने गिलक्राइस्ट को सूचना दी कि हिंदुस्तानी अनुवादक का कॉलेज से कोई संबंध न होने के कारण, प्रार्थनापत्र श्रीमान् गवर्नर-जनरल के पास नहीं भेजा सकता। कौंसिल के इस उत्तर के फलस्वरूप आर्थिक दृष्टि से गिलक्राइस्ट कितने हतोत्साह हुए होंगे यह सोचने की बात है। इससे पहले भी कौंसिल उनकी आर्थिक माँग अस्वीकार कर चुकी थी।

गिलक्राइस्ट का १६ अगस्त, १८०३ का एक दूसरा पत्र कौंसिल की बैठक में पेश हुआ जिसमें उन्होंने देशी विद्वानों के परिश्रम के लिए कौंसिल के उदार सरक्षण और प्रोत्साहन देने के लिए उनके वास्ते पुरस्कार माँगे। रचनाओं की सूची लेखकों को पुरस्कार देने के संबंध में और ग्रंथकर्ताओं के संबंध में अपनी सिफ़ारिशें उन्होंने पत्र के साथ भेजी। उन्होंने उसे पहले ही से चेता दिया था कि रकम देखने में तो गिलक्राइस्ट का पत्र : बड़ी है किंतु ध्वेय की महानता और ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के हित कौंसिल द्वारा अस्वी- और उसकी स्थिरता की दृष्टि से भविष्य में उसके परिणाम पर विचार करने से यही रक्षक छोटी लगेगी। श्रीमान् गवर्नर-जनरल से उन्होंने और ‘चंद्रावती’ हिंदुस्तानी विभाग के प्रति पूर्ण सहानुभूति प्रकट करने की आशा की।

लोकप्रिय हिंदुस्तानी भाषा का अध्ययन सरल बनाने और भारतवर्ष में प्रचार तथा प्राचीन हिंदुस्तानी रचनाओं के आधार पर निश्चित सिद्धांत स्थिर करने की दृष्टि से हिंदुस्तानी विभाग में तैयार या तैयार हो रही चवालीस पुस्तकों की गिलक्राइस्ट द्वारा प्रेषित सूची और सिफ़ारिशों के उत्तर में कौंसिल के मंत्री ने गिलक्राइस्ट को लिखा:

कांसिल का यह इरादा कभी नहीं था कि जो देशी विद्वान कॉलेज में नियमित वेतन पर हैं उन्हें भी पुरस्कार दिया जाय, जो अपूर्ण या प्रस्तावित रचनाओं के लिए पहले से ही पुरस्कार घोषित कर दिया जाय। कांसिल असाधारण परिश्रमी और सुयोग्य व्यक्तियों को जिन्हें कॉलेज से अच्छा वेतन न मिल रहा हो, कर्मानुष्ठी विशेष अवसरों पर पुरस्कार देने के लिए तैयार है। जिन देशी विद्वानों को कोई वेतन नहीं मिलता वे २ नवम्बर, १८०१ के प्रस्ताव के अन्तर्गत आते हैं। किन्तु चूँकि गिलक्राइस्ट महोदय वेतन पाने वाले लेखकों की प्रत्येक और यहाँ तक कि अपूर्ण रचनाओं पर भी पुरस्कार देना चाहते हैं इसलिए कॉलेज कांसिल उनके भेजे हुए प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं कर सकती।

इस पर गिलक्राइस्ट ने अपने ६ सितम्बर, १८०३ के पत्र में कांसिल के उक्त प्रस्ताव का उल्लेख किया जो इस प्रकार है : 'स्वीकृत हुआ कि देशी भाषाओं में साहित्यिक रचनाएँ करने पर देशी विद्वानों को पुरस्कार दिए जाया करेंगे।'

गिलक्राइस्ट का दूसरा पत्र - कांसिल द्वारा स्वीकृत

इस पर अपना विचार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी सम्मति में यह प्रस्ताव कॉलेज के देशी विद्वानों के संबंध में भी लागू होता है। किंतु यदि कांसिल की इच्छा दूसरी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। बिना किसी प्रतिबंध के देशी विद्वानों को उनके परिश्रम के लिए पुरस्कार देने का मन जो निश्चय किया था उसके लिए मुझे दुःख नहीं है। साथ ही यदि अपूर्ण या प्रस्तावित रचनाओं को मैं विभाग की ध्येय-पूर्ति के लिए सहायक न समझता तो रचयिताओं को पुरस्कार देने की कभी सिफारिश न करता। किंतु अब भविष्य में मैं कांसिल की इच्छानुसार ही कार्य करूँगा।

प्रस्ताव के अनुसार गिलक्राइस्ट ने एक दूसरी सूची बना कर भेजी जो कांसिल के १२ सितम्बर, १८०३ के अधिवेशन में उनके पत्र के साथ ही पेश हुई। लगभग एक सहीन बाद कांसिल ने अपने निर्णय की सूचना उनके पास भेज दी।

कांसिल का उत्तर पाने के बाद फिर प्रधान सरकारी मंत्री जॉन लम्सडन के नाम भेजे हुए २६ अगस्त, १८०३ के पत्र में पूर्वोक्त ज्ञान-सम्बन्धी अनेक ग्रंथों के रचयिता होने की हैसियत से गिलक्राइस्ट ने अपने लिए आर्थिक सहायता, चंदा, प्रोत्साहन आदि पाने की प्रार्थना की। कॉलेज की स्थापना के समय से वे निम्न-लिखित ग्रंथ प्रकाशित कर चुके थे :

पहला भाग—प्रारंभिक रचनाएँ

१. 'दि ऐटी-जागोनिस्ट, ए शार्ट इंट्रोडक्शन टु दि हिंदुस्तानी,' ... १६ ६०
२. 'दि आरिएटल लिग्विस्ट', द्वितीय संस्करण, अनन्त संशोधन सहित, ... २० ६०

३.	'दि गाइड', ह्यूश्रोडेसीम, ८ ६०
४	'ग न्यू थियरी ऑव पर्सियन वर्ल्स विथ् देअर हिंदुस्तानी सिनोनिम्स' १०६०			
५	'दि हिंदी, अरेबिक टेबिल', हिंदुस्तानी और फ़ारसी भाषाओं में प्रयुक्त अरबी भाषा का ज्ञान सरल और सुगम बनाने के लिए ।	४ ६०
६	} विभिन्न रूपों में रोमन, नागरी और फ़ागसी अक्षर दिखलाने वाली दो लिपियाँ ३ ६०
७.				... ६१ ६०

दूसरा भाग—साहित्यिक रचनाएँ

८.	'हिंदुस्तानी गुलिस्तों', दो जिल्द, अठपेजी ३२ ६०
९.	'हिंदी स्टोरी टैलर', एक जिल्द, अठपेजी १२ ६०
१०.	'हिंदी मौरल प्रीसेप्टर', एक जिल्द, अठपेजी २० ६०
११.	'मालीग्लोट फ़ेब्रिल्स' अथवा अंगरेजी, अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, हिंदुस्तानी, ब्रजभाषा और बंगला में ईसप् की कहानियाँ ६३ ६०
			१५७ ६०

इन सब ग्रंथों के लिए विभिन्न रूपों में चार हजार रुपया तो मिल चुका था और छः हजार मिलने को था। यह रुपया 'गुलिस्तों', 'स्टोरी टैलर', 'प्रीसेप्टर' और 'टेबिल्स' नामक प्रकाशित और निम्नलिखित प्रकाशित होने वाले अत्यंत लाभदायक ग्रंथों के लिए सहायता के रूप में दिया था : 'हिंदुस्तानी कुरान', 'नख-इ-बेनज़ीर', 'अख्लाक-इ-हिंदी', 'हातिमताई', 'तोता कहानी', 'बाश-ओ-बहार', 'बकावली', 'अयार-दानिश' 'नक़्लियात' २ जिल्द, और 'प्रेमसागर'। यह दस हजार रुपया 'गुलिस्तों', 'स्टोरी टैलर', 'प्रीसेप्टर', और 'टेबिल्स' की सौ (?) प्रतियाँ की लागत में थोड़ा ही अधिक होता था। इन प्रकाशित ग्रंथों का व्यय प्रकाशित होनेवाले ग्रंथों के एक चौथाई व्यय से अधिक नहीं था। एसी हालत में गिलक्राइस्ट महोदय कॉलेज कौंसिल से आर्थिक सहायता माँगने पर बाध्य हुए थे। वे केवल ग्रंथों की बिक्री पर निर्भर रहना चाहते थे। और यद्यपि कॉलेज कौंसिल ने हिंदुस्तानी साहित्य की माँग बढ़ा दी थी, ता भी इस साहित्य के लिए सीमित समाज होने के कारण पुस्तकों की बिक्री कम होती थी और छपाने का व्यय अत्यधिक हाता था। फिर नए टाइप की भी उन्हें ज़रूरत थी। अतः गिलक्राइस्ट ने अपने ग्यारह ग्रंथों के लिए सरकार से आर्थिक सहायता और माँग। किंतु कॉलेज कौंसिल के मंत्री रॉथमैन ने २४ अक्टूबर, १८०३ के पत्र में प्रधान सरकारी मंत्री जोन लम्सडन को १ फ़रवरी, १८०२ के प्रस्तावानुसार स्वीकृत किए गए एक हजार रुपए से अधिक की सहायता देना स्वीकार न किया।

५ नवंबर, १८०३ को गिलक्राइस्ट ने एक और पत्र कॉलेज कौंसिल के पास भेजा जिसमें उन्होंने हिंदुस्तानी विभाग में कार्य बढ़ जाने के कारण अस्सी और साठ रुपया मासिक बत्तन पर दो सहायक प्रधान मुर्शी माँगें। कौंसिल के स्वीकार न करने

दो सहायक प्रधान
मुंशियों की माँग:
कौंसिल द्वारा अस्वी-
कृत। ईसाई धर्म-
पुस्तकों का अनुवाद

पर वे चाहते थे कि मेजर आर० डब्ल्यू० कोलब्रुक के पत्रानुसार मिर्जा फ़ितरत को अस्सी रुपया मासिक वेतन दिया जाय या उन्हें स्वतंत्र रूप से मेजर कोलब्रुक को चार धर्म-पुस्तकों के फ़ारसी और हिंदुस्तानी रूपांतरों के सशोधन करने और दुहराने में महायता देने की आज्ञा दी जाय। स्वयं गिलक्राइस्ट मिर्जा फ़ितरत को भेजने के लिए तैयार थे। मेजर कोलब्रुक ने अपने ३ नवंबर,

१८०३ वाले गिलक्राइस्ट के नाम पत्र में चार धर्म-पुस्तकों के फ़ारसी और हिंदुस्तानी अनुवाद का उल्लेख किया था। 'उत्पत्ति की पुस्तक' का अनुवाद तो उस समय समाप्त भी हो चुका था। कार्य जल्दी समाप्त करने के ध्येय से उन्होंने फ़ितरत की सहायता माँगी थी क्योंकि सरकार की ओर से भौगोलिक निरीक्षण-कार्य में व्यस्त रहने के कारण स्वयं उन्हें अधिक समय नहीं मिलता था। वन भी वे उसमें काफ़ी लगा चुके थे। ४ नवंबर, १८०३ के पत्र में उन्होंने कॉलेज कौंसिल के नाम भेजे गए पत्र के संवध में गिलक्राइस्ट की सराहना की। अस्सी रुपए का वेतन वे फ़ितरत के लिए कम समझते थे क्योंकि इंग्लैंड-यात्रा करने के कारण उन पर कुछ कर्ज़ हो गया था। चार महीने पहले फ़ितरत से उनका परिचय हुआ था। उस समय मेजर कोलब्रुक उनके लिए सौ रुपए और उसके बाट कार्य सतोषप्रद होने पर डेढ़ सौ रुपए माँगते थे। गिलक्राइस्ट ने मेजर कोलब्रुक के ये दोनों पत्र कौंसिल के पास भेजे दिए थे। कौंसिल ने ७ नवंबर, १८०३ के अधिवेशन में दो सहायक प्रधान मुंशिया की माँग तो अस्वीकार की, किंतु मिर्जा फ़ितरत को अस्सी रुपए मासिक वेतन देना निश्चित किया। मिर्जा फ़ितरत को मेजर कोलब्रुक की सहायता के लिए उनके पास भेजने के संवध में उसने गिलक्राइस्ट का विचार पसंद किया और मेजर कोलब्रुक को उनके कार्य का निरीक्षण करने के लिए भन्ववाद दिया। ५ दिसम्बर, १८०३ को कौंसिल ने निश्चित किया कि मेजर कोलब्रुक द्वारा तैयार किए गए चार धर्म-पुस्तकों के फ़ारसी और हिंदुस्तानी अनुवाद, जिन्हें उस समय गिलक्राइस्ट दुहरा रहे थे, कॉलेज क्लर्क से और गिलक्राइस्ट की निगरानी में छापे जायें। यहाँ यह याद रखना चाहिए कि मार्किवस वेलज़ली ईसाई धर्म के प्रचार-कार्य में दिलचस्पी लते थे।

गिलक्राइस्ट के पद-त्याग करने और यूरोप लौट जाने के विचार का पहले उल्लेख किया जा चुका है। उनके एक पत्र से यह ज्ञात होता है कि श्रीमान् गवर्नर-जनरल के अनुरोध करने पर उन्होंने अपना यूरोप जाना स्थगित कर दिया था। किंतु इधर उनको कई आर्थिक माँगों कोसिल ने अस्वीकृत ठहराई थी। इससे उन्हें, जैसा उनके पत्रों से भी ज्ञात होता है, अत्यंत निराशा हुई होगी। पत्रों से उनके अस्वस्थ रहने का हाल भी मालूम होता है। संभवतः इन सब कारणों से उन्होंने यूरोप लौट जाने का अब हृदयानुशय कर लिया था। कदाचित् उनके इस हृदयानुशय का पता लग जाने पर ही हिंदुस्तानी विभाग के सहायक प्रोफ़ेसर कैप्टेन जे० मोअट ने १६ जनवरी, १८०४ के एक पत्र में कौंसिल से अपने सहायक प्रोफ़ेसर की हैसियत से किए गए कार्य का गवर्नर-जनरल से सिफ़ारिश करने का प्रार्थना की। वे हिंदुस्तान में कुछ समय व्यतीत कर चुके थे। उन्हें

गिलक्राइस्ट का
रथाग-पत्र

हिंदुस्तानी भाषा का अच्छा ज्ञान था और भारतीय आचार विचारों से भी वे परिचित थे। इसलिए सब प्रकार से अपने को योग्य समझ कर वे आवश्यकता पड़ने और अवसर पाने पर कॉलेज द्वारा हिंदुस्तानी प्राफेसर के पद पर नियुक्त होना चाहते थे। जनरल सर रॉबर्ट ऐवरकॉम्बो ने उनकी सिफारिश की थी। २३ जनवरी, १८०४ को कॉलेज के मंत्री राथमैन ने उन्हें उत्तर देते हुए लिखा कि कॉलेज इसके लिए उपयुक्त अधिकार नहीं रखता। लेकिन समय आने पर उनकी योग्यता, परिश्रम आदि की सिफारिश करने का उन्होंने कॉलेज की तरफ से वचन दिया।

ऐसा प्रतीत होता है कि गिलक्राइस्ट को कॉलेज के सम्बन्ध में कोर्ट के डाइरेक्टरों के रुख का पता नहीं था, और यदि था भी तो वे आवश्यकता से अधिक उत्साही थे। कोर्ट के डाइरेक्टरों के रुख पर उनकी दृष्टि रहती तो कदाचित् वे इतनी खचीली आयोजनाएँ कॉलेज के सम्मुख उपस्थित न करते और न उन्हें इतना निराशा ही होना पड़ता।

अतः में उनका त्याग-पत्र कॉलेज के पास पहुँच ही गया। २६ फरवरी, १८०४ की बैठक में कॉलेज के मंत्री राथमैन के नाम गिलक्राइस्ट का २३ फरवरी, १८०४ का लिखा हुआ निम्नलिखित पत्र सदस्यों के सामने रखा गया :

“यकायक स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण किसी तैयार जहाज़ से यूरोप जान के लिए मैं हिज़ एक्सेलेन्सी दि मोस्ट नोबिल गवर्नर-जनरल से प्रार्थना करने पर बाध्य हुआ और तदनुसार उनकी आज्ञा प्राप्त करने में सफल हो सका हूँ। इसलिए सपरिषद् हिज़ एक्सेलेन्सी द्वारा स्थापित कॉलेज में श्रीमान् की कृपा से ग्रहण किए हुए हिंदुस्तानी प्राफेसर के पद से त्याग-पत्र देना मैं उचित समझता हूँ।

“कॉलेज कॉलेज को यह सूचना देने की मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस ‘कलकत्ता’ नामक जहाज़ से मैं यूरोप-यात्रा कर रहा हूँ उसकी खानगी का तारीख से मेरा पद-त्याग समझा जाय।

“मुझे बड़ा विश्वास है कि इस अवसर पर कॉलेज मेरे कार्य के संबंध में, मेरे व्यवहार और परिश्रम के विषय में हिज़ एक्सेलेन्सी दि पैट्रन ऐंड विज़िटर को जिस तरह अच्छा समझेंगे लिखेंगे। कृपया आप उसे मेरी यह हार्दिक प्रार्थना जता दें कि वह मेरी अंतिम विनती ऐसी आशा लेकर स्वीकार करें जिससे मुझे कोर्ट के ऑनरैबल डाइरेक्टरों की उदारता प्राप्त करने के लिए सपरिषद् हिज़ एक्सेलेन्सी का सिफारिश मिल जाय।

“मेरे त्याग-पत्र देने से केवल मेरी आर्थिक व्यवस्था को ही तुरंत जबरदस्त आघात नहीं पहुँचेगा वरन् इससे मेरी उस आशा पर पानी फिर जायगा जो मैंने श्रीमान् गवर्नर-जनरल के सरक्षय में कॉलेज में रहते हुए एक दीर्घ काल के साहित्यिक परिश्रम के बाद अतः में विश्राम ग्रहण कर अपने कुटुंब के साथ आराम से जीवन व्यतीत करने की लगा रखी थी। इस संबंध में मुझे विश्वास है कि इस समय अपने उस अत्यधिक व्यय की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए कॉलेज मुझे क्षमा करेगी जो कॉलेज के

स्थापना-काल से हिंदुस्तानी भाषा के अपने ग्रंथों के अंतर इनसे ज्यादा उन्हें जा प्रेस में प्रकाशित करने में हुआ है और जिन्हें मुझे अब एक बड़ी अनिश्चित और अव्यवस्थित हालत में छोड़ जाना पड़ रहा है।

“१८०३ के गत वर्ष में ही छपाई में मेरा तेईस हजार आठ सौ से अधिक रकमा खर्च हुआ। जल्दी करने के सिवाय और कोई चारा न होने के कारण मुझे जितना नुकसान हुआ है उसका मैं अनुमान नहीं लगा सकता। मुझे इस समय बहुत कम रकमा मिलेगा। मैं एक वर्ष और वहाँ रह जाता तो शायद मुझे मेरा सब रकमा मिल जाता।

“कॉलेज में पढ़ाए जाने के लिए निर्मित हुए अपने कई ग्रंथों के संबंध में मेरा कुछ खर्च हुआ है और मुझे ‘टि डाइरेक्टरी’ और ‘कास्केट’ नामक दो ग्रंथों की बिक्री का हिसाब देना है। ये दोनों ग्रंथ कॉलेज की संपत्ति हैं। लेकिन यह हिसाब साफ़ करने का भार मैंने अब अपने एजेंट मेसर्स मार्किटोश फ़ुल्टन ऐंड कंपनी को दे दिया है। सब जरूरी कागजात उनके पास हैं।

“कॉलेज के प्रेस और टाइप, साथ ही अपनी अपूर्ण रचनाएँ, और हिंदुस्तानी प्रेस इस समय में साधारण रूप में मेसर्स मार्किटोश फ़ुल्टन ऐंड कंपनी के मेल में डॉक्टर हंटर और श्री मैक्डूगल के प्रबंध और निरीक्षण में छोड़े जा रहा हूँ।”

कॉलेज कौंसिल ने उनका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया और गिलक्राइस्ट की इच्छा अनुसार गवर्नर-जनरल से उनकी लिफ़ाफ़िश करते हुए उनके हिंदुस्तानी ग्रंथों से कॉलेज के ध्येय की पूर्ति में विशेष रूप से सहायता मिलने का उल्लेख किया। गिलक्राइस्ट के पत्र और कौंसिल के प्रस्ताव की नक़ले श्रीमान् विज़िटर के पास भी भेज दी गई।

गिलक्राइस्ट के चले जाने के बाद उनकी इच्छानुसार हिंदुस्तानी व्याकरण और साहित्य के सबंध में उनकी मसल रचनाएँ कॉलेज को भेंट में दी गईं। साथ ही भविष्य में भी उसे इस प्रकार की भेंट मिलने का वचन प्राप्त हुआ। कॉलेज कौंसिल ने इस सबंध में एजेंट को धन्यवाद दिया। ६ अगस्त, १८०४ को कौंसिल ने मेसर्स मार्किटोश फ़ुल्टन ऐंड कंपनी को हिंदुस्तानी रचनाओं के लिए पाँच हजार रुपए देने के अपने २७ जून, १८०३ के वचन के सबंध में लिखा। रचनाओं के नमूने गिलक्राइस्ट ने कौंसिल के निरीक्षणार्थ भेज दिए थे। उनमें से चार ग्रंथ प्रकाशित हो चुके थे जिनके नाम ये हैं: ‘हिंदी स्टोरी टैलर’ दूसरी जिल्द, ‘अखलाक-इ-हिंदी’, ‘नल-इ-बेनजीर’ और ‘गुलबकावली’। इन चार ग्रंथों और ‘शकुतला नाटक’ की सौ (?) प्रतियों की बिक्री से छयालीस सौ रुपया मिला था। इसलिए २७ जून, १८०३ के प्रस्तावानुसार कौंसिल ने पाँच हजार रुपया गिलक्राइस्ट के एजेंट को देना स्वीकार किया। भविष्य में प्रकाशित होने वाले अन्य ग्रंथों के लिए भी सहायता देने का वचन दिया। इस वचन के अनुसार ३१ अगस्त, १८०४ को कौंसिल ने ‘चार दरवेश’, ‘हिदायतुल्लुहस्ताम’, ‘तोता कहाना’ और ‘हिंदुस्तानी बायलौस’ के लिए पाँच हजार रुपया देना स्वीकार किया और ‘फ़यान ‘अमार दानिश’, ‘हातिमताई’ और ‘प्रेमसागर’ के लिए, जो प्रेस में थे, आर्थिक

सहायता देने का वचन दिया। पहले की तरह प्रत्येक ग्रंथ की बीस-तीन प्रतियाँ उसने कॉलेज के लिए लीं।

यहाँ गिलक्राइस्ट का भारत में साहित्यिक जीवन समाप्त हो जाता है। इसके बाद, जैसा कि उनके त्याग-पत्र से भी संकेत मिलता है, उनका कार्य-क्षेत्र लंदन रहा। किंतु भारत से जाने के बाद वे कोई नवीन रचना प्रकाशित न कर सके। वे केवल सिविलियन विद्यार्थियों को कोर्ट के ईस्ट इंडिया कॉलेज, हेलीबरी की नई आयोजना के अनुसार हिंदुस्तानी भाषा की सार्वजनिक रूप से शिक्षा देते रहे। वहाँ कोर्ट की ओर से उन्हें वेतन मिलता था। तत्कालीन ईस्ट इंडिया हाउस डिबेट्स में इन बातों का मविस्तार उल्लेख मिलता है।^१

जेम्स मोअट

(जनवरी, १८०६—फरवरी, १८०८)

६ मई, १८०४ को जेम्स मोअट ने कॉलेज कौंसिल के मंत्री, चार्ल्स रॉथमैन, के नाम लिखे गए पत्र में हिंदुस्तानी विभाग के लिए 'भाखा'-मुंशी लल्लूलाल और सदल मिश्र पंडित की उपस्थिति अनावश्यक समझी। उनका यह पत्र लल्लूलाल और सदल मिश्र कौंसिल की ११ जून, १८०४ की बैठक में पेश हुआ और १ जुलाई, १८०४ से उन्हें वेतन मिलना बंद हो गया। दूसरे शब्दों में, वे कॉलेज से अलग कर दिए गए^१। किंतु 'भाखा'-ज्ञान की आवश्यकता कॉलेज में बराबर हुआ करती थी। इसलिए कॉलेज कौंसिल ने १७ अक्टूबर, १८०४ की बैठक में, जिसमें ब्यूकैनैन, हारिंगटन, आर कोलब्रुक उपस्थित थे, लल्लूलाल (श्री लाल कवि) और सदल मिश्र को फिर कॉलेज में ल लिया और पिछली जुलाई के बाद का वेतन भी उन्हें दे दिया^२ क्योंकि वे जुलाई से ही रखे समझे गए। कौंसिल ने भीर बहादुर अली के स्थान पर भीर शेर अली का हिंदुस्तानी विभाग का प्रधान मुंशी और भीर बहादुर अली को हिंदुस्तानी अनुवादक नियुक्त किया।

यह पहले कहा जा चुका है कि कोर्ट के डाइरेक्टर विलेजली की आयोजना से महमत नहीं थे। धन का अपव्यय समझ कर उन्होंने उसे कम करने की आज्ञा दी थी।

इसी आज्ञा के अनुसार सरकारी मंत्री, टॉमस ब्राउन, ने १६ मई, १८०५ को एक पत्र लिखा। इस पत्र के साथ उन्होंने गवर्नर-जनरल को कॉलेज की व्यवस्था में परिवर्तन की ३० अप्रैल, १८०५ की परिषद् की काररवाई के उद्धरण भी भेजे और १ जून, १८०५ से उन्हें कार्य रूप में परिणत करने का आदेश दिया। कोर्ट के नए आज्ञा-पत्र में बंबई और मद्रास के विद्यार्थियों को वापिस भेजने, भविष्य में उचित अवसर पर प्रोवोस्ट और वाइस-प्रोवोस्ट के स्थान पर दो हजार रुपया मासिक वेतन पर केवल एक प्रोवोस्ट रखने, आधुनिक भाषाओं और दर्शन के अध्यापकों का पद तोड़ने, अरबी और फ़ारसी के दो अलग-अलग प्रोफेसर्स के स्थान पर पंद्रह सौ रुपया मासिक वेतन पर केवल एक ही प्रोफेसर रखने, हिंदुस्तानी प्रोफेसर का वेतन पंद्रह सौ रुपया मासिक निर्धारित करने, फ़ारसी और हिंदुस्तानी भाषाओं के द्वितीय

^१ क्रो० वि०, २६ अप्रैल, १८०१—४ सितंबर १८०५, हो०, मि०, जि० १, पृ० १२०, ६० रे० वि०

^२ वही, पृ० १८२

सहायक प्रोफेसरो का पद तोड़ने और उनके स्थान पर एक हजार रुपया मासिक वेतन पर केवल एक ही सहायक प्रोफेसर रखने, कॉलेज कॉंसिल के मंत्री और पुस्तकाध्यक्ष नामक दो व्यक्तियों के स्थान पर चार सौ रुपया मासिक वेतन पर केवल एक ही व्यक्ति नियुक्त करने, विभिन्न भाषाओं के भारतीय अध्यापकों की संख्या में कमी करने और पुरस्कार-वितरण, परीक्षाओं, नौकरों, इमारत आदि के अन्य व्यय में कमी करने का आदेश था। उन्होंने भारतीय अध्यापकों और उनकी साहित्यिक रचनाओं पर केवल चालीस हजार रुपए वार्षिक का सीमित व्यय निर्धारित किया। इस सबब में पिछले चार वर्ष में औसत व्यय इतना ही हुआ था। इन चालीस हजार रुपयों का कॉलेज के सामान्य व्यय से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि भारतीय साहित्य को प्रोत्साहन देने की नीति तो सरकार की हमेशा रही थी।

कॉलेज कॉंसिल की २४ जून, १८०५ की बैठक में इस विषय पर विचार हुआ और सपरिपद गवर्नर-जनरल की आज्ञानुसार जहाँ-तहाँ कमी करने का निश्चय हुआ। व्यावहारिक दृष्टिकोण से भारतीय अध्यापकों की संख्या में कमी की गई। किंतु फ़ारसी और हिंदुस्तानी विभागों के मुंशियों की संख्या में कोई कमी न की गई, क्योंकि यह कार्य तो पहले ही हो चुका था। हाँ, सर्टिफिकेट मुंशियों की संख्या अवश्य घटा दी गई। संस्कृत, बंगला और मराठी विभाग मिलाकर एक विभाग कर दिया गया। इस प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी कॉंसिल ने सुविधानुसार कमियाँ कीं। हिंदुस्तानी विभाग का विवरण इस प्रकार है :

	१ जून, १८०५ को	प्रस्तावित कमी
प्रधान मुंशी	२०० रु०	कोई कमी नहीं
सहायक मुंशी	१०० रु०	” ”
दो मुंशी—प्रत्येक को ८० रु० मा०	१६० रु०	” ”
दो मुंशी— ” ” ६० ” ”	१२० रु०	” ”
बारह मुंशी ” ” ४० ” ”	४८० रु०	” ”
‘भाखा’ मुंशी	५० रु०	” ”
सत्ताईस सर्टिफिकेट मुंशी, प्रत्येक		
को ३० रु० मा०	८१० रु०	१६ सर्टिफिकेट मुंशी
	१६२० रु०	प्रत्येक को ३० रु० मा०—४८० रु०
		१५६० रु०
		कुल कमी—३३० रु०

हिंदुस्तानी अनुवादक

१ हिंदुस्तानी अनुवादक	२०० रु०	४ हिंदुस्तानी अनुवादक,
३ ” ” प्रत्येक		प्रत्येक को ८० रु० मा०
को ८० रु० मा०	२४० रु०	३०२ रु०
	४४० रु०	कुल कमी १२० रु०

ये हिंदुस्तानी अनुवादक बड़ी दूर-दूर से बुलाए गए थे। इसलिए उन्हें एकदम न हटाया जा सका। किंतु कांसिल ने भविष्य में नए अनुवादक न रखने का निश्चय किया। नागरी मुद्रांकक पहले की भाँति ही रहने दिया गया। इसके अतिरिक्त कांसिल ने हिंदुस्तानी विभाग के क्लर्कों तथा अन्य नौकरों की संख्या और उनके वेतनों में कमियाँ कीं।^१

२५ जुलाई, १८०५ के सरकारी पत्र में नए परिवर्तन स्वीकृत हुए। कांसिल को उन्हें तुरत कार्य रूप में परिणत करने की इच्छा थी, किंतु प्रोवोस्ट के बीमार पड जाने से प्रस्तावित कमियाँ तुरत ही कार्यान्वित न हो सकीं। इसलिए २ सितंबर, १८०५ को कांसिल ने सबंधित व्यक्तियों को सूचित करने और सितंबर के शुरू से नई आयोजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया।

गिलक्राइस्ट के बाद अभी तक हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हुई थी। ७ अगस्त, १८०५ को कांसिल ने इस आशय का पत्र सपरिषद् गवर्नर-जनरल को लिखा। द्वितीय सहायक प्रोफेसर का पद तोडना निश्चित हो ही प्रधानाध्यापक के पद चुका था। किंतु कॉलेज कांसिल यह पद अभी थोडे दिन और पर मोश्ट की नियुक्ति बनाए रखना और हिंदुस्तानी के प्रोफेसर की नियुक्ति तक एन्साइन मैकडूगल को द्वितीय सहायक के रूप में स्थित रखना चाहती थी। फिर स्वयं ही इस संबंध में निर्णय कर उसने सपरिषद् गवर्नर-जनरल को सूचना दी कि गिलक्राइस्ट के बाद प्रथम सहायक कैप्टेन मोश्ट स्थानापन्न प्रोफेसर की हैसियत से और द्वितीय सहायक मैकडूगल प्रथम सहायक की हैसियत से अच्छा कार्य कर रहे हैं और इन दोनों के परिश्रम से कॉलेज को यथेष्ट लाभ पहुँचा है।^२ १ जनवरी, १८०६ को मोश्ट के संबंध में परिषद् के उप-सभापति ने अपनी स्वीकृति दे दी।^३

कॉलेज कांसिल की १६ सितंबर, १८०५ की बैठक में हिंदुस्तानी और फ़ारसी विभाग के कर्मचारियों की संख्या, वेतन आदि पर विचार किया गया। २५ जुलाई को सरकार उसके प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी थी और सितंबर मास के अन्य परिवर्तन प्रारंभ से वे कार्यान्वित होने वाले थे। इस समय कॉलेज कांसिल ने निश्चित किया कि :

प्रधान और द्वितीय मुंशी का वेतन क्रमशः २०० रु० और १०० रु०।

दो मुंशी—प्रत्येक को ८० रु० मा०।

दो मुंशी—प्रत्येक को ६० रु० मा०।

इन मुंशियों का कर्तव्य प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर की सहायता करना, विद्यार्थियों के लिए अभ्यास तैयार करना तथा अन्य आवश्यक कार्य करना था।

^१ वही, पृ० ४०६-४२१

^२ वही, पृ० ४३३

^३ क्रो० बि०, १६ सितंबर १८०५ १७ जनवरी, १८०६ हो० मि० बि० २ पृ० ८६, ६० २० बि०

बारह मुशी -- प्रत्येक को ४० रु० मा० ।

न मुंशियों का कार्य विद्यार्थियों को फ़ारसी और हिंदुस्तानी भाषाएँ पढ़ाना था । एक विद्यार्थी के लिए एक मुशी नियुक्त हुआ ।

तीस रुपया मासिक वेतन पाने वाले मुशी कॉलेज के अस्थायी विभाग में रखे गए । इनकी संख्या विद्यार्थियों की संख्या पर निर्भर रहती थी ।

'भाखा' पढ़ाने के लिए 'भाखा'-मुशी की आवश्यकता न होने पर उन्हें हिंदुस्तानी अनुवादकों के साथ रखा गया । उपयुक्त अवसर पर उन्हें कॉलेज से अलग कर दिया जा सकता था ।

अस्थायी विभाग के मुशी भी साहित्यिक कार्य करने और पिछली ३० अप्रैल को स्वीकृत चालीस हजार रुपए की रकम में से पुरस्कार पाने के अधिकारी थे ।

इन सब प्रस्तावों की सूचना हिंदुस्तानी विभाग को दे दी गई और प्रस्तावानुसार उससे पूरा विवरण माँगा ।^१

द्वितीय सहायक (?) मैकडूगल के बीमार हो जाने से हिंदुस्तानी विभाग में बड़ी कठिनाई उपस्थित हुई । इसी दिन अर्थात् २३ सितंबर को कौंसिल ने परिषद् के उप-सभापति ऑन० सर जॉर्ज वालों को एक पत्र लिखा और मैकडूगल के अच्छे होने तक एक सहायक माँगा । वेतन का निर्णय उप-सभापति पर ही छोड़ दिया गया । साथ ही कौंसिल ने हिंदुस्तानी भाषा के अच्छे जानकार विलियम हंटर की सिफ़ारिश की । उस समय हिंदुस्तानी विभाग में विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार थी :

कैप्टेन मोन्टग के साथ—१४

मैकडूगल के साथ—१४

नए दाखिल हुए—१४

२६ सितंबर, १८०५ को उप-सभापति ने अपनी स्वीकृति के साथ-साथ वेतन आठ नौ सिक्का रुपया मासिक वेतन नियत किया । ३१ दिसंबर, १८०५ को मैकडूगल के वापिस आ जाने की सूचना कौंसिल ने परिषद् के उप-सभापति जॉर्ज उडनी को दी । इसके बाद विलियम हंटर सहायक न रहे ।

१६ सितंबर के प्रस्तावानुसार कैप्टेन मोन्टग ने अपने विभाग के भारतीय अध्यापकों का विवरण भेजा जो कौंसिल की ३० सितंबर, १८०५ की बैठक में पेश हुआ :

	सि० रु०	कार्य
मीर शेर अली, प्रधान मुंशी	२००	'तवारीख-इ-खुलासदुल-हिंद' आदि का अनुवाद
तारिणीचरण मित्र, द्वितीय मुंशी	१००	हिंदुस्तानी प्रेस में

	सि० र०	कार्य
मीर बहादुर अली	८०	अनुवादक
मिर्जा काज़िम अली	८०	
मजहर अली खाँ	८०	
मिर्जा फ़ितरत	८०	
मीर अम्मन	८०	डोरिन्
मों० मुहम्मद वाजिद	८०	मौकूटन
मुर्तूज़ा खाँ	६०	मैकूडूगल
यूसुफ़ अली	६०	मरिश्तेदार
महानद पंडित	५०	नागरी मुलेखक
श्री लाल कवि	५०	हिंदुस्तानी प्रेस, आदि

इसके अतिरिक्त मुहम्मद सादिक, मीर मसूर अली, बशरुद्दीन, खलील खाँ, मुहम्मद तक़ी, गुलाम शौस, गुलाम अली, नज्जरुल्लाह, मुहिव अली, गुलाम नक्शबन्द, गुलाम सुभान, मौलवी कमालुद्दीन—प्रत्येक को चालीस रुपए मासिक मिलते थे—गॉर्डन, वालपोल, पैरी आदि विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। ये सब स्थायी विभाग के अध्यापक थे। देवीप्रसाद तथा अन्य छब्बीस अस्थायी विभाग के अथवा सर्टिफिकेट मुंशी थे। प्रत्येक सर्टिफिकेट मुंशी को तीस रुपया मासिक वेतन मिलता था। एक अध्यापक एक विद्यार्थी के लिए नियुक्त था। हिंदुस्तानी का कुल व्यय दो हजार दो सौ सठ रुपया होता था। कौंसिल ने हिंदुस्तानी विभाग की यह व्यवस्था स्वीकार की और फ़ारसी विभाग के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले मुंशी फ़ारसी विभाग में वापिस बुला लिए।^१

कैप्टेन मोअट चाहते थे कि प्रधान मुंशी शेर अली उनके यहाँ, और फिर नियत समय पर कॉलेज में, उपस्थित हों। किन्तु शेर अली से ऐसा न हो सका। इसलिए मोअट ने कौंसिल से उनके कर्त्तव्य-पालन न करने और सुस्ती की शिकायत और उनके स्थान पर मीर काज़िम अली की सिफ़ारिश की। किन्तु कौंसिल का निर्णय शेर अली के पक्ष में हुआ, क्योंकि शेर अली से सुबह नौ बजे गार्डन हाउस पहुँचने की आशा नहीं की जा सकती थी। जो मुंशी विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाते थे उनके पहुँचने का स्थान कॉलेज हॉल था जहाँ २३ सितंबर के नियमानुसार मंगलवार, वृहस्पतिवार और शुनिवार को हिंदुस्तानी पर व्याख्यान दिए जाते थे।

४ जून, १८०६ की बैठक में कौंसिल ने मुंशी मीर अम्मन को उनकी इच्छानुसार चार महीने का वेतन देकर कॉलेज से अलग कर दिया। इसी बैठक में कौंसिल ने फ़ारसी और हिंदुस्तानी दोनों भाषाएँ न पढ़ा सकने वाले अस्थायी या स्थायी विभाग के मुंशियों को कम वेतन देने का निश्चय किया।

गिलक्राइस्ट के बाद कॉलेज लगभग दो वर्ष तक, कुछ परिवर्तनों के अतिरिक्त,

पहले की तरह चलता रहा : किंतु १८०६ में कालेज के जीवन की गति फिर बदली डाइरेक्टरों के २ सितंबर, १८०३ के पत्र का उत्तर भेज दिया गया था। कॉलेज की आयोजना में प्रस्तावित कमियों पर इस पत्र में विचार किया गया था। २१ मई, १८०६ के पत्र में डाइरेक्टरों ने लिखा था—“इस सम्बन्ध में आपकी बातों पर सूक्ष्म रूप से विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छी तरह सोच-विचार कर लेने के बाद ही हमने उस देश (इंग्लैंड) में एक बड़ी संस्था स्थापित करने का निश्चय किया है। कंपनी के जो कर्मचारी भारतवर्ष भेजे जाएँगे, उन्हें पूर्वीय साहित्य और यूरोपीय ज्ञान की शिक्षा देने का पहले यहीं भरसक प्रयत्न किया जायगा। किंतु यदि वे पूर्वीय साहित्य की समुचित शिक्षा यहाँ प्राप्त न कर सकेंगे तब उनके लिए भारतवर्ष में एक संस्था की आवश्यकता होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कॉलेज बनाए रक्खा जा सकता है। और हमारा यह निश्चय है कि कलकत्ते का कॉलेज केवल इसी उद्देश्य-पूर्ति का साधन रहेगा। इस सीमित उपयोगिता की दृष्टि से उस पर अधिक धन व्यय करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु साथ ही हमारी यह भी हार्दिक इच्छा है कि पूर्वीय साहित्य के देशी विद्वानों को हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाय, उनका कॉलेज के साथ संबंध बनाए रक्खा जाय, और विद्यार्थियों को पूर्वीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए उनकी प्रतिभा का भरपूर उपयोग किया जाय। हमारा इच्छा यह है कि यहाँ की संस्था में शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी (राइटर) केवल पूर्वीय भाषाओं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कलकत्ते के कॉलेज में एक वर्ष और व्यतीत करे। इसलिए आपने अपने ५ जून के पत्र में जो कमियाँ निर्दिष्ट की हैं, कॉलेज को उससे भी अधिक छोटा रूप दिया जा सकता है। हमारा सिद्धान्त ध्यान में रखते हुए प्रोवोस्ट और वाइस-प्रोवोस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुशासन की देखरेख प्रोफेसर लोग ही अथवा कभी-कभी गवर्नर-जनरल या उनकी परिषद् के सदस्य कर सकते हैं। विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाने से सुशियों की संख्या में भी कमी की जा सकती है। सहायक प्रोफेसर की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इनके साथ-साथ पुरस्कार-वितरण, मकान-किराया, रसोईघर आदि के व्यय में काफी कमी की जाने की गुंजायश है। हमारी सम्मति में प्रोफेसरो और सुशियों की निम्नलिखित व्यवस्था ठीक रहेगी :

अरबी और फ़ारसी के प्रोफेसर का वेतन,

सि० ६०

मकान-किराया आदि—

१८,०००- वार्षिक

हिंदुस्तानी

”

” १२,०००- ”

बंगला और संस्कृत का अध्यापक

”

” १२,००० ”

मुंशी, सुलेखक आदि

”

” ३३,००० ”

प्रधान सुशियों और पंडितों का वेतन आजकल की भाँति दो सौ रुपए मासिक ही रहेगा। यदि विद्यार्थियों के लिए मकान-किराया, पुरस्कार, छुपाई आदि में कमी करके कुल व्यय जोड़ा जाय तो निस्संदेह कॉलेज का कुल व्यय एक लाख पचास हजार वार्षिक के अंदर रक्खा जा सकता है। हमने अपने विचारों की केवल रूपरेखा मात्र

आपके धामने रखी है उचित स्थला पर की गई और भी कमियों का हम स्वागत करेंगे और यहाँ की संस्था में पूर्वीय ज्ञान की आवश्यकतावश आप एक फ़ारसी और एक हिंदुस्तानी मुंशी तीन या उससे अधिक वर्षों के लिए भेज दीजिए। किफ़ायत का ख्याल रखते हुए आप ही उनका वेतन और राह-खर्च तै कर दें। हमारे विचार से अनुशासन की देखरेख करने वाली कमेटी के लिए अरबी और फ़ारसी के प्रोफ़ेसर के साथ-साथ हारिंगटन और कोलत्रुक उपयुक्त व्यक्ति होंगे। उनके बाद भी कंपनी के कर्मचारियों में से उपयुक्त व्यक्ति मिलना कठिन न होगा। अबू तालिब नामक एक मुंशी पहले यहाँ इंगलैंड में थे। हमने उनकी विद्वत्ता के संबंध में अच्छी सूचना प्राप्त की है। यदि वे बंगाल में हों और यहाँ के कॉलेज में नौकरी करना चाहें तो हम उन्हें लेना पसन्द करेंगे।”

प्रधान सरकारी मंत्री, टॉमस ब्राउन, ने ४ दिसंबर, १८०६ को डाइरेक्टरी का पत्र कौंसिल के पास विचारार्थ भेजा। २४ दिसंबर, १८०६ को कौंसिल के सदस्यों ने उस पर विचार किया। टॉमस ब्राउन ने अपने पत्र में सपरिषद् गवर्नर-जनरल की इस इच्छा का संकेत दे दिया था कि कॉलेज की प्रस्तावित कमी ३१ दिसंबर, १८०६ से कार्य रूप में परिणत हो जानी चाहिए और नए परिवर्तना के अनुसार नए नियम बनाए जायें। सपरिषद् गवर्नर-जनरल के आदेशानुसार और सब पहलुओं पर विचार करते हुए कौंसिल ने आयोजना में जो कमियाँ कीं उनका विवरण इस प्रकार है :

दिसंबर, १८०६ की व्यवस्था

फ़ारसी विभाग	..	११६०	₹०
अरबी	”	४५०	” — १६१० ₹०
हिंदुस्तानी	”	स्थायी १४८०	”
		अस्थायी ८७०	” — २३५० ”
बंगला इत्यादि का विभाग		स्थायी ८००	”
		अस्थायी ३३०	” — ११३० ”
फ़ारसी पुस्तकाध्यक्ष	...		२० ”
सुलेखक	”		४०० ”
नौकर	...		६०७ ”
			<u>५६१७ ₹०</u>

प्रस्तावित कमियाँ

स्थायी विभाग—

अरबी विभाग—एक मुंशी हटाने पर	२५०	₹०
फ़ारसी ” — एक मुंशी, ८० ₹० मा०, और			
एक मुंशी, ६० ₹० मा०, को			
हटाने पर	१४०	”
हिंदुस्तानी ” —	”	१४०	”
दो अनुवादक हटाने पर	”	१६०	” — ३०० ₹०
तीन सुलेखक	”		१५० ”

वायी विभाग—

फ़ारसी और हिंदुस्तानी दोनों

विभागों में एक विद्यार्थी के लिए

एक ही मुंशी की नियुक्ति

करने पर ... २७० रु० का अंतर (अब से)

विद्यार्थियों की संख्या कम

होने पर ... २४०, ५१० रु० १३५० रु०

देशी कर्मचारियों की संख्या

कम होने पर ... ४२६७ रु०

नई व्यवस्था

देशी कर्मचारियों की संख्या

कम होने पर—४२६७ रु० मा० ... ५१,२०४ वार्षिक

मकान-किराया—६०० रु० मा० ... ७२०० ”

पदक और पुरस्कार के लिए पुस्तकें ... ५००० ”

छपाई, देशी लेखकों को पुरस्कार

आदि विशेष अवसरों के लिए ... २०००० ”

अरबी और फ़ारसी का प्रोफ़ेसर—१५०० रु० मा० ... १८००० ”

हिंदुस्तानी का प्रोफ़ेसर—१००० रु० मा० १२००० ”

बंगला आदि का प्रोफ़ेसर—१००० रु० मा० १२००० ”

मन्त्री और पुस्तकाध्यक्ष ... १२००० ”

दो परीक्षक, प्रत्येक को ५०० रु० मा० ... १२००० ”

१,४६,४०४ रु०

कॉलेज की यह नई आयोजना २४ दिसंबर, १८०६ को सपरिषद् गवर्नर-जनरल के पास भेज दी गई। कौंसिल की सम्मति में एक लाख पचास हजार से कम में संस्था का कार्य सुचारु रूप से नहीं चलाया जा सकता था, इंग्लैंड के कॉलेज में पहले से शिक्षा देने पर भी। मंत्री, पुस्तकाध्यक्ष और दो परीक्षकों का वेतन उन्होंने कार्य की अधिकता देख कर बढ़ा दिया था। नई आयोजना के साथ-साथ कौंसिल ने २३ दिसंबर, १८०६ का 'ए० डी० १८०६ रेग्यूलेशन' भी सपरिषद् गवर्नर-जनरल की कॉलेज के विधान का स्वीकृति के लिए भेजा दिया। इस रेग्यूलेशन के अंतर्गत फोर्ट विलियम कॉलेज के विधान का द्वितीय परिच्छेद ३१ जनवरी, १८०७ को सपरिषद् गवर्नर-जनरल की स्वीकृति के लिए भेजा गया। १२ फ़रवरी, १८०७ को गवर्नर-जनरल ने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी। पहला परिच्छेद १० अप्रैल, १८०१ को स्वीकृत हुआ था २

गवर्नर-जनरल ने ३१ दिसंबर, १८०६ को ऊपर की आयोजना पर अपनी स्वीकृति दे दी। कौंसिल ने प्रोवोस्ट का पद बनाए रखने की सिफारिश की थी। कट्टु कोर्ट के डाइरेक्टरों की आज्ञा के सामने वे इस संबंध में कुछ करने के लिए असमर्थ थे। नई व्यवस्था गवर्नर-जनरल की आज्ञानुसार ३१ दिसंबर, १८०६ को कार्यान्वित हुई। १ जनवरी, १८०७ को कोल्लेज कॉलेज कौंसिल के सभापति नियुक्त हुए।

१ जनवरी, १८०७ से हिंदुस्तानी विभाग की व्यवस्था

कैप्टेन मोअट, हिंदुस्तानी के प्रोफेसर ...	१०००	६०	मा०
प्रधान मुंशी	२००	११	११
द्वितीय मुंशी	१००	११	११
१ मुंशी	८०	११	११
१ मुंशी	६०	११	११
१२ मुंशी, प्रत्येक को ४० ६० मा० ...	४८०	११	११
२ अनुवादक, प्रत्येक को ८० ६० मा०	१६०	११	११
१ 'भाखा'-मुंशी	५०	११	११
१ नागरी सुलेखक	५०	११	११
<hr/>			
२१८० ६०			

आवश्यकता न रहने पर दोनों अनुवादक अलग कर दिए जा सकते थे। इस नई व्यवस्था का विवरण कौंसिल ने गवर्नर-जनरल के पास भेज दिया। समय-समय पर ओर भी छोटे-छोटे परिवर्तन होते थे। मिर्जा अबू तालिब के अतिरिक्त हिंदुस्तानी और फारसी पढ़ाने के लिए मीर अब्दुल अली छः सौ पौंड वार्षिक वेतन और राइ-खर्च पर हर्टफोर्ड कॉलेज भेजे गए। इसी प्रकार बाद को मिर्जा खलील भी भेजे गए थे। वे अरबी, फारसी और हिंदुस्तानी जानते थे।

गिलक्राइस्ट के बाद २० सितंबर, १८०४ को फ्लोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापकों द्वारा रचित पुस्तकों की सूची कौंसिल के सामने पेश हुई। इस सूची में उन पुस्तकों का उल्लेख है जो गत वर्ष प्रकाशित हो चुकी थीं या होने वाली थीं।^२ इसी सूची के साथ फारसी, अरबी, बंगला, मराठी, उड़िया, तामिल और मलय भाषाओं में रचित अथवा रची जाने वाली पुस्तकों की सूची भी दी गई थी। इसी वर्ष विद्यार्थियों द्वारा वार्षिकोत्सवों पर पठित फारसी, हिंदुस्तानी, अरबी और बंगला की थीसियों का संग्रह प्रकाशित हुआ। अरबी और संस्कृत के प्रशानाध्यापकों के अरबी और संस्कृत में भाषण भी संग्रह में दे दिए गए थे। टाइप में भी अनेक सुधार हुए। विल्किंस द्वारा निर्मित

^१ पृ. २२२-२३०

^२ दे०, परिशिष्ट जो

स्तालीक टाइप में विराम-चिन्ह बनाए गए। साथ ही अरबी और फारसी ध्वनियों परकट करने वाले नागरी अक्षरों और नागरी टाइप में भी विराम-चिन्हों का निर्माण हुआ। गिलक्राइस्ट ने अरबी, फारसी और नागरी अक्षरों के लिए रोमन लिपि अपनाई थी। इन उन सुधारों में गिलक्राइस्ट का काफ़ी हाथ था। विलियम कैरे ने संस्कृत और बंगला के टाइप तैयार किए। इस संबंध में वे तथा इनके पूर्ववर्ती विद्वाह भारतीय भाषाओं के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेंगे।^१

२५ फ़रवरी, १८०५ को विलियम हंटर (डॉ०) ने सरकारी प्रधान मंत्री, लम्सडन, को प्रस्तावित 'हिंदुस्तानी-इंग्लिश-डिकशनरी' की आयोजना से परिचित कराया। (पब्लिक डिपार्टमेंट के) सरकारी मंत्री, टॉमस ब्राउन, ने उसे कौंसिल के सम्मत्यर्थ भेजा। कौंसिल ने हंटर की आयोजना की अत्यंत प्रशंसा की और उसे स्वीकार कर लिया।

२० मई, १८०५ की बैठक में कॉलेज कौंसिल ने विलियम हंटर के १३ मई, 'सिंहासन बचीसी' १८०५ के पत्रानुसार 'सिंहासन बचीसी' की सोलह रुपये की प्रति के हिसाब से सौ प्रतियाँ खरीदने का निश्चय किया।^२

इसी समय कॉलेज कौंसिल ने विलियम हंटर के १५ मई, १८०५ के पत्रानुसार 'फ़ौर गौलपेल्स' (चार सुसमाचार) का हिंदुस्तानी में अनुवाद करने पर मिर्ज़ा फ़ितरत को पाँच सौ सिक्का रुपये देना निश्चित किया। स्वयं विलियम हंटर ने इन अनुवादों की तुलना अंगरेज़ी, लैटिन और फ्रेंच संस्करणों से की थी।

'अख़लाक-इ-जलाली' का हिंदुस्तानी अनुवाद प्रस्तुत करने पर अमानतुल्लाह को दो सौ सिक्का रुपये पुरस्कार-स्वरूप दिए गए।

३० सितंबर, १८०५ की बैठक में कैप्टेन मोअट का २७ सितंबर, १८०५ का लिखा हुआ पत्र कौंसिल के सामने पेश हुआ। यह पत्र कॉलेज कौंसिल के मंत्री के नाम था: "उच्च कक्षाओं के लिए नागरी अक्षरों में लिखी गई एक पाठ्य-पुस्तक की आवश्यकता होने से मैं सादर 'बैताल पच्चीसी' की सिफ़ारिश करता हूँ।" पुस्तक छपाने आदि का व्यय दिखाने के लिए उन्होंने विलियम हंटर तथा हिंदुस्तानी प्रेस के अन्य प्रोप्राइटरों का अपने नाम लिखा गया पत्र प्रेषित कर दिया था। विलियम हंटर के पत्रानुसार हिंदुस्तानी प्रेस ने 'बैताल पच्चीसी' छापना शुरू भी कर दिया था। मोअट उसे पाठ्य-पुस्तक के रूप में स्वीकार कर चुके थे। इसलिए उसकी सौ प्रतियों के लिए हंटर आर्थिक सहायता चाहते थे। पुस्तक लगभग दो सौ पृष्ठों में समाप्त होने वाली थी। साढ़े छः रुपये प्रति सौ पृष्ठ के हिसाब से एक प्रति का मूल्य तेरह रुपये होता था। किंतु कौंसिल ने छः रुपये प्रति सौ पृष्ठ के हिसाब से

^१ को० वि०, २६ अप्रैल, १८०१—४ सितंबर, १८०२, हो०, मि०, डि० १, पृ० ३२०-३२४, इ० २० डि०

^२ वही, पृ० ४०४-४०२

सौ प्रा ११' लिए अनुमति दी १६ नववरी, १८०६ की बैठक में कौंसिल ने उसकी सौ प्रतियों के लिए बारह सौ रुपए की स्वीकृति दी ।^२

'रामायण' का प्रतिलिपि करने के सम्बन्ध में कौंसिल ने १८ नवंबर, १८०५ की बैठक में सदल मिश्र पंडित को छुब्बीस रुपए आठ आने दिए ।^३ और १७ मई, १८०६ की बैठक में कौंसिल ने तत्कृत की 'अध्यात्म रामायण' का खबी-सदल मिश्र का कार्य बोली में अनुवाद करने पर उन्हें तीन सौ रुपए देने का प्रस्ताव स्वीकार किया ।^४ सदल मिश्र की यह रचना दुर्भाग्यवश अभी तक अप्राप्य है ।

१० फरवरी, १८०६ को कौंसिल ने 'ग्रहटिल्स ऑन हिन्दी गौस्पेलस' के लिए हटर के प्रेस को साढ़े बारह रुपये दिए । कोर्ट का १८ फरवरी, १८०६ का लिखा हुआ एक पत्र कौंसिल की ३० जुलाई, १८०६ की बैठक में पेश हुआ । इस पत्र में कोर्ट ने विद्यार्थियों द्वारा रचित विभिन्न थीसिसों की निंदा की और उन्हें 'बाल-प्रयास' कहा । उसकी सम्मति में ऐसी थीसिसें कॉलेज की स्थापना न होने पर भी लिखी जा सकती थीं । १२ नवंबर, १८०६ की कौंसिल ने गुलाम हैदर कृत 'गुल-ओ-हुर्मुज़' के अनुवाद की बारह रुपए फ्री प्रति के हिसाब से सौ प्रतियाँ लेने और उसे हिंदुस्तानी विभाग के प्रधान मुशी के निरीक्षणार्थ भेजने का निश्चय किया ।

ग्रन्थ-रचना की दृष्टि से मोन्सट का समय अधिक महत्वपूर्ण नहीं है । अनेक ग्रंथों की रचना पहले से होती आ रही थी । मोन्सट के समय में वे केवल पूर्ण हुए । दूसरे शब्दा में, कुछ ग्रंथ ऐसे थे जो ३१ दिसंबर, १८०६ से पहले पूर्ण न हो सके थे । उन पर पुरस्कार देने के लिए सरकार बचन-बद्ध हो चुकी थी । किंतु इस पुरस्कार संबंधी व्यय का उल्लेख नई व्यवस्था के अंतर्गत कहीं भी न हुआ था । इसलिए कौंसिल के मंत्री ने इस सबध में सरकारी मंत्री के नाम एक पत्र लिखा । कौंसिल छः रुपए प्रति सौ चौपैजी पृष्ठ के हिसाब से 'हिंदुस्तानी-इंगलिश-डिक्शनरी' की सौ प्रतियाँ देने का बचन दे चुकी थी । इस कोष के चार सौ पृष्ठ छप भी चुके थे । कुल अनुमान सोलह सौ चौपैजी पृष्ठों का था । इस प्रकार एक प्रति का मूल्य एक सौ चार रुपया और कुल प्रतियों का मूल्य दस हजार चार सौ रुपया होता था । शीघ्र ही आधा मूल्य देना भी था । किंतु ५ फरवरी, १८०७ को सरकार ने यह अतिरिक्त व्यय स्वीकार कर लिया ।

कौंसिल ने हैदरअखश को 'बहार दानिश' का हिंदुस्तानी अनुवाद करने पर तीन सौ रुपए और खलल खॉ को 'क्रिस्स-इ-रज़वी' और 'इतखाब-इ-सुलतानी' का हिंदुस्तानी अनुवाद करने पर सत्तर रुपए पुरस्कार-स्वरूप दिए ।

^१फो० वि०, १६ दिसंबर, १८०५-२७ नववरी, १८०६, हो० मि०, जि० २, पृ० ६२-६३; इ० रं० ६०

^२वही, पृ० ८६

^३वही, पृ० ७०

^४वही, पृ० १२२

हथर गिलक्राइस्ट के इंगलैंड चले जाने से कुछ हिंदुस्तानी रचनाएँ अधूरी रह गई थीं। ये रचनाएँ गिलक्राइस्ट की संपत्ति थीं। पूर्ण न हो सकने के कारण गिलक्राइस्ट को काफ़ी आर्थिक हानि हुई थी। अपूर्ण ग्रंथों पर वे रुपया तो लगा गिलक्राइस्ट के एजेंटों चुके थे, किंतु बदले में उन्हें कुछ भी न मिल सका था। इसलिए गिलक्राइस्ट के एजेंटों ७ फ़रवरी, १८०७ को गिलक्राइस्ट के एजेंट मेसर्स माकिनटोश एंड कंपनी को पत्र लिखते हुए गवर्नर-जनरल से आर्थिक हानि पूरी करने की प्रार्थना की। प्रारंभ में कौंसिल ने आठ रुपए प्रति सौ चाँपेजी या दो सौ अठपेजी पृष्ठ के हिसाब से प्रत्येक पूर्वीय साहित्य-संबंधी रचना की सौ प्रतियाँ लेकर लेखकों को प्रोत्साहन देने का वचन दिया था। लेकिन बाद को उसने हिंदुस्तानी रचनाओं के लिए केवल पाँच हजार वार्षिक व्यय सीमित कर दिया था। गिलक्राइस्ट के चले जाने के बाद एजेंटों ने ३० अगस्त, १८०४ को रेवरेंड डॉ० ब्यूकैनैन के नाम इस संबंध में एक पत्र भी लिखा था। इस पत्र के आधार पर कौंसिल ने यह निश्चित किया था कि १८०४ में गिलक्राइस्ट के जितने ग्रंथ छप चुके थे या छपने को थे उनके लिए पाँच हजार रुपए दे दिए जायें। एजेंटों के विचार में यह रकम गिलक्राइस्ट की आशाओं से बहुत कम थी। डॉ० ब्यूकैनैन के नाम लिखे गए पत्र के साथ उन्होंने दो चिट्ठे (Memorandum) भेजे थे।^१ इन चिट्ठों का विस्तार सहित विवरण एजेंटों ने अपने पत्र में दिया।^२ कौंसिल की १४ मार्च, १८०७ की बैठक में उनका पत्र पेश हुआ। चिट्ठा नं० १ की अंतिम पाँच पुस्तकों (पाँच हजार रुपया) और चिट्ठा नं० २ में सम्मिलित प्रत्येक पुस्तक की सौ-सौ प्रतियों के लिए उन्होंने चौदह हजार रुपया (चार हजार रुपया अधिक) माँगा। उनकी सम्मति में गिलक्राइस्ट का परिश्रम देखते हुए चार हजार रुपए की रकम अधिक नहीं थी। २६ फ़रवरी, १८०७ को सरकारी मंत्री ने एजेंटों का पत्र कौंसिल के पास विचारार्थ भेज दिया।

१४ मार्च, १८०७ के कौंसिल के उत्तर के अनुसार छः रुपए प्रति सौ चाँपेजी पृष्ठ के हिसाब से 'अयार दानिश', 'हातिमताई' और 'प्रेमसागर' की सौ-सौ प्रतियों के लिए आर्थिक सहायता देना उचित होता। 'प्रेमसागर' किंतु गिलक्राइस्ट के यूरोप चले जाने से ये ग्रंथ अपूर्ण रह गए थे। इसलिए कौंसिल ने प्रत्येक ग्रंथ के छपे हुए अंश मिला कर एक विविध संग्रह तैयार करा देने की युक्ति सोची। इससे हिंदुस्तानी रचना की विविध शैलियों का एक ही संग्रह में प्रदर्शन हो जाता था। कौंसिल ऐसे संग्रह की सौ प्रतियाँ लेने के लिए प्रस्तुत थी। इनमें से उन्होंने चालीस प्रतियाँ हर्टफ़र्ड भेजने की सिफ़ारिश की। एजेंटों के अनुसार इस संग्रह की पृष्ठ-संख्या तीन सौ

^१दे०, परिशिष्ट आ

^२क्रो० वि०, १६ सितंबर, १८०६—२७ जनवरी, १८०६, हो०, मि०, वि० २
पृ० २९-३९६, ३० र० वि०

वापन होती थी और मूल्य दो हजार दो सौ श्रद्धार्थ सिक्का रूपए होता था कौंसिल तना रूपया दे देन के पक्ष मे थी। अन्य ग्रंथों के संबध में कौंसिल मौन धारण किए रही। केवल 'कुरान' का प्रकाशन उसने अनधिकृत बताया। १६ मार्च, १८०७ को मरकार ने कौंसिल का मत स्वीकार कर लिया।^१

'भाला'-मुंशी लल्लूलाल कवि ने अपने चार वर्ष पूर्व प्रकाशित ग्रंथों (१) के लिए कुछ आर्थिक सहायता या पुरस्कार माँगा, किंतु २३ मई, १८०७ की बैठक में कौंसिल ने उनकी प्रार्थना स्वीकार न की।^२

कोलब्रुक ने अपनी १५ अगस्त, १८०७ और १७ सितंबर, १८०७ की मिनिट्स में बंबई लिटरेरी सोसायटी (बंबई की साहित्यिक सभा) के सभापति सर जेम्स माकिन्टोश के प्रस्तावानुसार भारतीय भाषाओं के शब्दों की एक तुलनात्मक सूची तैयार करने की आयोजना निर्मित की जिसे कॉलेज कौंसिल ने स्वीकार किया। कोलब्रुक ने नागरी और फारसी लिपियों में ग्लैडविन की शब्दावली के आधार पर हिंदी और फारसी तथा बंगला और संस्कृत की सूची तैयार कर सर जेम्स माकिन्टोश की आयोजना में कुछ सुधार पेश किए थे। कौंसिल ने भारतवर्ष के विभिन्न भागों से शब्द इकट्ठा करने और डा० फ्रांसिस थ्यूकैनेन से सहायता लेने का निश्चय किया। फारसी और हिंदुस्तानी शब्द-सूची की प्रतियाँ हिंदुस्तानी प्रेस छापने के लिए तैयार था। साथ ही संस्कृत और बंगला की शब्द-सूची प्रकाशित करने की आयोजना निश्चित की गई। सौ चापेजी पृष्ठों के अनुमान से एक सेट का मूल्य चार सौ पचास रूपए रखा गया।

प्रधान मुंशी मोर शेर अली कृत 'दुलासतुल हिंद' के आधार पर भारतीय इतिहास तैयार हो जाने पर कौंसिल ने तरह रूपए की प्रति के हिसाब से सा प्रतियाँ लेन का निश्चय किया। हिंदुस्तानी प्रेस के प्रोप्राइटरों को 'हिंदुस्तानी डिक्शनरी', जिल्द १, के चार हजार पाँच सौ सिक्का रूपए दिए गए और उसकी चालीस प्रतियाँ इर्टफ़ंड भेजी गई।

२४ अगस्त, १८०७ को कौंसिल के मंत्री ने कैप्टेन मोथ्रट का निम्नलिखित कथन कौंसिल के सामने रखा :

"हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफ़ेसर, गिलक्राइस्ट, के फ़रवरी, १८०४ में चले जाने पर उनके कार्य का भार प्रथम सहायक (Senior Assistant) की हैसियत से मेरे ऊपर पड़ा। यह कार्य मैं बिना वेतन बढ़वाए १ जनवरी, १८०६ कोथर का त्याग-पत्र तक करता रहा। १ जनवरी, १८०६ को मैं प्रोफ़ेसर नियुक्त हुआ। ऐसी ही परिस्थिति में जब अरबी और फ़ारसी के प्रोफ़ेसर कार्यवश बाहर चले गए थे तो उस विभाग के प्रथम सहायक को प्रोफ़ेसर का वेतन मिला था। मुझे इस प्रकार का कोई वेतन नहीं मिला। मैंने लॉर्ड वेलेज़ली का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था, किंतु अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वे

स पर विचार न कर सके थे। प्रोफेसर नियुक्त होने पर मुझसे यह कहा गया था कि मेरी पहली आर्थिक हानि पूरी कर दी जायगी। यह बढ़ा हुआ वेतन मुझे केवल वय भर ही मिल पाया था कि कोर्ट की आज्ञानुसार हिंदुस्तानी प्रोफेसर का वेतन बढ़ा कर पहले के प्रथम सहायक के वेतन के बराबर कर दिया गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब मेरा पुराना वादा पूरा हो जाना चाहिए। दूसरे, अन्य विभागों की अपेक्षा हिंदुस्तानी विभाग में विद्यार्थियों की संख्या भी दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है। इस दृष्टि से भी मेरी बात पर विचार होना चाहिए।”

२६ सितंबर, १८०७ की बैठक में कौंसिल ने कैप्टेन मोअट का प्रस्ताव स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की। कोर्ट और सरकारी आज्ञा-पत्रों के सामने वह कुछ न कर सकती थी। हाँ, इतना उसने अवश्य कहा कि मोअट यदि चाहें तो सरकार के पास एक प्रार्थना-पत्र भेज सकते हैं, कौंसिल उस पर अपनी सिफारिश कर देगी।^१

किंतु संभवतः उनकी इच्छा पूर्ण न हुई। अतः ३ फरवरी, १८०८ को कैप्टेन मोअट ने कौंसिल के मंत्री, विलियम हटर, को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण तुरत ही यूरोप लौट जाने की इच्छा प्रकट की। उनका विचार ‘लडी कैसिलरी’ (Lady Castlereagh) जहाज़ की रवानगी के अवसर पर हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर पद से त्याग-पत्र देने का था। अपनी सेवाओं के संबंध में कौंसिल से उन्होंने एक प्रमाण-पत्र पाने की प्रार्थना की।

५ फरवरी, १८०८ को कौंसिल की आज्ञा से मंत्री ने प्रधान सरकारी मंत्री, टी० ब्राउन, के माध्यम द्वारा सपरिषद् गवर्नर-जनरल के पास मोअट का पत्र भेज दिया और उनकी सेवाओं की प्रशंसा की। उसी दिन ब्राउन ने मोअट के पत्र की प्राप्ति स्वीकार की और उनकी सेवाओं के संबंध में अच्छा प्रमाण-पत्र दिया।^२

२० फरवरी, १८०८ को कैप्टेन मोअट ने ‘एच० सी० शिप लैडी कैसिलरी’ से यूरोप जानने के प्रमाण में जहाज़ के सचालक, बार्टूलेट, के सर्टिफिकेट के साथ अपना त्याग-पत्र कौंसिल के मंत्री, विलियम हटर, के पास भेज दिया। उन्होंने उसे २४ फरवरी, १८०८ को सपरिषद् गवर्नर-जनरल के पास भेज दिया।^३

^१वही, पृ० ३६२-३६४

^२वही, पृ० ३००-३०१

^३वही, पृ० ३२४-३२६

जॉन विलियम टेलर^१

(फरवरी, १८०८—मई, १८२३)

फरवरी, १८०८ में कैप्टेन मोन्ट्रट का त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया गया था। उनके बाद २२ फरवरी, १८०८ को सपरिषद् गवर्नर-जनरल ने कैप्टेन जॉन विलियम टेलर को फ़ोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा का प्रोफ़ेसर नियुक्त किया।^२

टेलर

फ़ोर्ट विलियम कॉलेज में नागरी और हिंदी भाषा (आधुनिक अर्थ में) को अधिक प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, यह दूसरी बात है। किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी कर्मचारी भारतीय शासन के प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी और नागरी का महत्व अवश्य जानते थे। २ मार्च, १८०८ को कोर्ट के डाइरेक्टरों ने सपरिषद् गवर्नर-जनरल से कुछ ऐसी सामग्री माँगी थी जो हर्टफ़ोर्ट कॉलेज में विद्यार्थियों के भारतीय शासन-पद्धति में दक्ष होने और उसका अध्ययन करने के लिए अत्यंत आवश्यक थी। फ़ारसी, हिंदुस्तानी और बंगला में लिखे गए अनेक विचारों से सबध रखने वाले कागज़ात, पत्र, प्रार्थना-पत्र, सनद, हिसाब के रजिस्टर आदि उन्होंने माँगे थे। इनमें से वे ही हिंदुस्तानी पत्र माँगे थे जो नागरी में लिखे हुए थे। क्योंकि बिहार तथा उत्तरी प्रांतों (Upper Provinces) में पत्र-व्यवहार और व्यावसायिक कार्य साधारणतः नागरी अक्षरों में ही होता था। इतना ही नहीं हिंदुस्तानी या उर्दू के स्थान पर हिंदवी का प्रचार अधिक होने के कारण हिंदवी भाषा की सामग्री उन्होंने सबसे अधिक माँगी थी। मूल सामग्री सुलभ न होने पर प्रतिलिपियों से भी उनका कार्य सिद्ध हो सकता था।^३ प्रधान सरकारी मंत्री, टी० ब्राउन, ने कोर्ट का यह पत्र कौंसिल के पास भेज दिया जो उसकी २६ नवंबर, १८०८ की बैठक में पेश हुआ। इससे पहले कौंसिल के मंत्री, विलियम हंटर, ने सदर दीवानी अदालत और निज़ामत अदालत के रजिस्ट्रार, डब्ल्यू० बी० बेली, और बोर्ड ऑफ़ ट्रेड, बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू आदि को पत्र लिखे थे। किंतु उनमें से किसी ने भी मंत्री के पत्रों का उत्तर न दिया। कौंसिल की आज्ञा से मंत्री ने फिर सबके पास

^१John William Taylor

^२फ़ो० वि०, १६ सितंबर, १८०९—२७ जनवरी, १८०३, द्यो०, मि०, जि० २, पृ०

२२२, ६० रे० वि०

^३पृ०, पृ० २१२

प्र मेजे १० दिसबर, १८०८ और उसके बाद तक सब माम्मी सकलित हो पाई
त्यश्चात् वह कोर्ट के पास मज दी गई ।^१

इसी प्रकार २२ मई, १८११ के पत्र में कोर्ट ने कंपनी के कर्मचारियों के लिए
संस्कृत का ज्ञान आवश्यक बताया । क्योंकि मस्कृत भाषा के माध्यम द्वारा ही वे हिंदुओं
के आचार-विचार, रीति-रस्मों आदि के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर
संस्कृत के ज्ञान की आवश्यकता सकते थे और साथ ही इससे उन्हें हिंदुओं में प्रचलित विभिन्न
बोलियों आसानी से सीखने और समझने में सहायता मिल सकती
थी । संस्कृत की छोटी-बड़ी सब प्रकार की पुस्तकों पर सरकारी धन
बर्च होने पर भी विद्यार्थी उसके अध्ययन की ओर अधिक ध्यान नहीं देते थे, यह
एक चिंतनीय विषय था । कोर्ट ने सुझाया कि विद्यार्थियों को विलकिन्स कृत व्याकरण
का अध्ययन करना चाहिए, और सरकारी जीवन शुरू करने और कॉलेज छोड़ने से पहले
संस्कृत में ज्ञान-प्राप्ति अनिवार्य मानी जाय । साथ ही एक संस्कृत अंगरेज़ी कोष प्रकाशित
करने और योग्यता-प्राप्त विद्यार्थियों को पुरस्कार देने की कोर्ट ने आज्ञा दी ।^२

वास्तव में विद्यार्थियों को संस्कृत-शिक्षा देने की व्यवस्था थी अवश्य, किंतु अरबी
और संस्कृत के अध्ययन में समय अधिक लगने से विद्यार्थी प्रायः बंगला, हिंदुस्तानी
और फ़ारसी की ओर अधिक आकृष्ट होते थे ।

हिंदी प्रदेश में ज्यो-ज्यो कंपनी के राज्य की सीमा का विस्तार होता गया, त्यो-त्यो
सरकारी कर्मचारियों को वहाँ के निवासियों के आचार-विचार समझने तथा राजकीय कार्य
सुचारु रूप से चलाने के लिए हिंदुस्तानी के अतिरिक्त विभिन्न
कंपनी का राज्य-विस्तार स्थानों की बोलियाँ जानने की आवश्यकता पड़ी । हिंदुस्तानी का
और भाषा-समस्या : प्रचार तो केवल उच्च श्रेणी के लोगों और अफ़सरों तक ही
विभिन्न पदाधिकारियों सीमित था । सामान्य लिखा-पढ़ी के लिए हिंदुस्तानी के स्थान
के मत पर विभिन्न प्रदेशों की स्थानीय बोलियों का ही प्रयोग होता था ।
उन्हीं बोलियों का व्यवहार वहाँ के निवासी अपनी बोलचाल में
भी करते थे । कोर्ट भी इस परिस्थिति के अनुकूल था । १ अक्टूबर, १८१३ को गवर्नर
जनरल ने ये ही विचार जनरल विभाग के अधिवेशन में प्रकट किए थे । उन्होंने ७
अक्टूबर, १८१३ को कौंसिल से इस प्रकार के अध्ययन का प्रबंध करने के लिए कहा ।
अतिरिक्त व्यव फ़ौजी हिसाब में डाल दिया गया । गवर्नर-जनरल ने फ़ारसी, अरबी,
मस्कृत, बंगला और हिंदुस्तानी तथा अन्य भाषाओं में सहायक प्रोफ़ेसर नियुक्त करने का
निश्चय किया । उनका विचार चार-चार सौ रुपया मासिक वेतन पर दो सहायक प्रोफ़ेसर
रखने का था । साथ ही उन्होंने तीस-तीस रुपया मासिक वेतन पर बीस मुंशी रखने और

^१वही, पृ० २१३-२१४, २३०-२३३

^२फो० वि०, १४ सितंबर १८११ १२ जनवरी, १८१४, हो० मि०, वि० ४,

विद्यार्थियों को पुरस्कार-वितरण की आयोजना तैयार की। फ़ौजी विद्यार्थियों की संख्या की वृद्धि के लिए गुंजायश रखी गई—वैसे भी यह सब कुछ सैनिक दृष्टि से ही हो रहा था। गवर्नर-जनरल की अनुमति से कैप्टन वेस्टन अरबी और फ़ारसी के और लेफ़्टिनेंट प्राइस मस्कट, बंगला और हिंदुस्तानी के सहायक प्रोफ़ेसर नियुक्त हुए। चार सौ रुपए मासिक के अतिरिक्त फ़ौजी भत्ता उन्हें बराबर मिलता था। किंतु ३० अक्टूबर, १८१३ को टेलर ने कौंसिल के मंत्री, कैप्टन लॉकेट, से अपने विभाग के लिए एक अलग सहायक प्रोफ़ेसर माँगा, क्योंकि हर्टफ़र्ड से जो विद्यार्थी आते थे वे हिंदुस्तानी के प्राथमिक सिद्धांतों से भी अनभिज्ञ रहते थे। इसलिए टेलर को उन्हें सब बातें शुरू से बतानो पड़ती थीं। वे इस कार्य में इतने व्यस्त रहते थे कि अपने कर्तव्य का पूर्णरूप में पालन करने का अवकाश उन्हें नहीं मिल पाता था। यहाँ तक कि उन्हें हिंदुस्तानी भाषा की एक शाखा, या कहिए उसकी मूल, शुद्ध हिंदी को जो थोड़े-थोड़े भेद के साथ तत्कालीन बिहार, अवध, इलाहाबाद, बुंदेलखण्ड आदि प्रदेशों में तथा समस्त देशी सेना में बोली जाती थी, पढ़ाने का अवसर ही नहीं मिलता था। शुद्ध हिंदी का अध्यापन कार्य फिर से शुरू करने के लिए वे कौंसिल के सम्मुख प्रार्थी, विशेषतः जब कि उसका ज्ञान प्रधान रूप से सैनिक विद्यार्थियों के लिए हितकर था। कौंसिल ने अपनी सिफ़ारिश लिख कर सरकारी मंत्री, रिक्टर्स, के पास भेज दी। सरकारी मंत्री के १६ नवंबर, १८१३ के पत्रानुसार सातवीं रेजिमेंट, नेटिव इन्फ़ैंट्री, के लेफ़्टिनेंट और० मार्टिन हिंदुस्तानी के सहायक प्रोफ़ेसर नियुक्त हुए। इस बात की सूचना टेलर के पास भी भेज दी गई।^१

१० रोएबक, द्वितीय परीक्षक और हिंदुस्तानी के एवजी सहायक प्रोफ़ेसर, ने भी ८ सितंबर, १८१८ को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अधिकारियों का हर्टफ़र्ड से आने वाले विद्यार्थियों की हिंदुस्तानी भाषा के प्राथमिक सिद्धांतों से अनभिज्ञता की ओर ध्यान आकृष्ट किया। विद्यार्थियों का फ़ारसी और बंगला का ज्ञान अवश्य अच्छा होता था। लेकिन बंगला भाषा राजमहल से आगे बोली या समझी नहीं जाती थी। राजमहल से आने कपनी की तत्कालीन राज्य-सीमा के अंत तक हिंदुस्तानी या उसकी वे बोलियाँ जो ब्रजभाषा और पूर्वी भाषा के नाम से पुकारी जाती थीं, सब जगह बोली या समझी जाती थी और जहाँ कपनी के अधिकांश सैनिक और दूसरे प्रकार के कर्मचारी काम कर रहे थे। इसलिए फ़ोर्ट विलियम कॉलेज और हर्टफ़र्ड दोनों स्थानों पर ऐसे प्रबंध की आवश्यकता थी जिससे भविष्य में न केवल हिंदुस्तानी का ही और अधिक अध्ययन हो, वरन् उन बोलियों का भी जिन्हें ब्रजभाषा और पूर्वी भाषा कहते थे। अकेली पूर्वी भाषा ही बंगाल प्रांत से अधिक विस्तृत भूमि-भाग में बोली जाती थी। रोएबक की सम्मति में जो स्थान फ़्रेच का यूरोप में था वही स्थान भारत में हिंदुस्तानी का था। उस समय तक प्रचलित विचारों

^१को०, वि० २४ सितंबर १८११ १२ जनवरी १८१४, हो०, मि० वि० ४

गैर २५ जुलाई, १८१५ के स्थानापन्न (ऐक्टिंग) विजिटर के भाषण के अनुसार वह रसपरिक सम्पर्क और पत्र-व्यवहार का बहुत बड़ा साधन थी। देश के एक विस्तृत भाग में उसका प्रयोग होता था और साम्राज्य-शासन की प्रत्येक शाखा से उसका वृत्ति मन्त्र था। ब्रजभाषा का अध्ययन लेफ़्टिनेंट प्राइस की अध्यक्षता में १८१५ से अनेक फ़ौजी विद्यार्थियों द्वारा सफलतापूर्वक हो रहा था। स्थानापन्न विजिटर ने भी अपने भाषण में इस तथ्य का उल्लेख किया था। ब्रजभाषा के और भी व्यापक अध्ययन की आवश्यकता थी।

संस्कृत हिंदी की और अरबी-फ़ारसी उर्दू के अध्ययन की कुजियाँ थीं। किंतु कॉलेज के पाठ्य-क्रम की यह विशेषता थी कि उसमें आधुनिक प्रचलित भाषाओं के सामने संस्कृत और अरबी को अधिक प्रधानता नहीं दी गई। पहले तो बंगला और हिंदुस्तानी में दक्षता प्राप्त करने की आवश्यकता समझी गई। संस्कृत और अरबी का अध्ययन हिंदुस्तानी, ब्रजभाषा, पूर्वी भाषा, बंगला और फ़ारसी के स्थान पर कभी नहीं रखा गया था। बंगाल अहाते के अन्तर्गत हिंदुस्तानी तथा अन्य भाषाएँ ही उपयोगी ठहरती थी। बंगला, हिंदुस्तानी या फ़ारसी का अच्छा विद्वान् होने के लिए संस्कृत और अरबी की आवश्यकता थी। तो भी यह आवश्यक नहीं था कि संस्कृत और अरबी का अच्छा विद्वान् बंगला, हिंदुस्तानी और फ़ारसी का भी अच्छा विद्वान् हो। रोएवक के अनुसार देशी लोगों को देखकर इसका उल्टा ठीक भी हो सकता था। वास्तव में स्थिति तो यह थी कि बंगाल या हिंदुस्तान के बड़े-बड़े संस्कृतज्ञ पंडित अपनी मातृभाषा बंगला या हिंदी में एक पत्र भी उतनी अच्छी तरह नहीं लिख सकते थे जितनी अच्छी तरह एक कायस्थ लिख सकता था। इसी प्रकार एक आलिम मौलवी भी, जो अरबी को छोड़ कर अन्य प्रत्येक भाषा से वृणा करता था, एक मुंशी की भाँति सुंदर फ़ारसी-पत्र लिखने में असमर्थ रहता था। इसलिए आधुनिक प्रचलित भाषाओं में दक्षता प्राप्त किए बिना संस्कृत और अरबी में पुरस्कार-वितरण के रोएवक विरुद्ध थे।^१

विलियम प्राइस ने ब्रजभाषा के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। बंगाल के उत्तर-पश्चिमी भूमि-भाग में ब्रजभाषा का प्रचार ही उन्होंने अधिक बताया। देशी सिपाही भी ब्रजभाषा का ही अधिक प्रयोग करते थे। जब तक कॉलेज में फ़ौजी विद्यार्थी रहे, उन्हें ब्रजभाषा पढ़ाना प्राइस का मुख्य कर्त्तव्य था। किंतु उन विद्यार्थियों के चले जाने से ब्रजभाषा के अध्ययन का कार्य रुक गया था। १८२८ के लगभग अंत में तो उसके अध्ययन को और निलकुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ब्रजभाषा का स्थान एक महत्वपूर्ण स्थान था। वह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उपेक्षा के योग्य नहीं थी। जिस समय ब्रजभाषा पढ़ाई जाती थी उस समय निम्नलिखित प्रथों से सहायता ली जाती थी :

^१फो० वि०, ४ मई, १८१८ ६ दिसंबर १८१६, हो०, मि०, वि० •

प्रेमसागर—हिंदवी म खडानोली म एक अनुवाद ।

‘राजनीति’—ब्रजभाषा मे ।

‘समा विलास’—” । और

तुलसी कृत रामायण ।

उस समय कॉलेज के स्थायी विभाग में केवल लल्लूलाल ही ब्रजभाषा-मुश्री थे । प्राइस के लिए वे बहुत ही काम के व्यक्ति थे । विद्यार्थियों ने उनके हिंदवी और ब्रजभाषा क ग्रंथों से भरपूर लाभ उठाया । प्राइस को दुःख इस बात का था कि इतने वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी कंपनी ने हिंदू जनता की भाषाओं और उसके साहित्य के प्रति इतना कम ध्यान दिया । ६ सितंबर, १८१६ की प्राइस की रिपोर्ट के अनुसार उस समय इक्का-दुक्का फ्रॉजी विद्यार्थी ही ब्रजभाषा को शिक्षा ग्रहण करता था ।^२

वास्तव में सच तो यह है कि कॉलेज में प्रधानतः हिंदुस्तानी, उर्दू या ‘हिंदी’ का अध्ययन होता था । उन्हें जब हिंदवी (आधुनिक अर्थ में हिंदी) के अध्ययन की आवश्यकता होती थी, और आवश्यकता होती अवश्य निष्कर्ष थी, तो उसके के लिए विशेष प्रबंध किया जाता था । इसी विशेष प्रबंध के अंतर्गत लल्लूलाल और उनके उत्तराधिकारियों को कॉलेज में नोकरी मिली थी और इसी विशेष प्रबंध के अंतर्गत ‘प्रेमसागर’ तथा अन्य (हिंदी के—आधुनिक अर्थ में) ग्रंथों की रचना हुई । यह विशेष प्रबंध थोर-थोर उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाने लगता था । आवश्यकता पडने पर 1917 उसके पुनरुद्धार की चिन्ता होती थी । गिलक्राइस्ट द्वारा स्थापित भ्रमपूर्ण और अशुद्ध परंपरा तोडने का साहस किसी को न होता था, क्योंकि इसमें परिश्रम को अथवा हिंदवी के पूर्व और पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता थी । हिंदवी के पूर्व ज्ञान और परिश्रम के अभाव में उसके अध्ययन का प्रधानता देने का मतलब अपनी नोकरी खो देना था—प्रधानाध्यापको और अध्यापको दोनों के लिए । प्राइस ने यह भ्रमपूर्ण परंपरा तोडने का साहस किया, क्योंकि उन्हें ‘हिंदवी’ का पूर्व ज्ञान था । किंतु ग्रंथ-रचना के संबंध में वे भी गिलक्राइस्टी परंपरा तोडने में असमर्थ रहे । प्राइस के विचार और कार्य के संबंध में आगे उल्लेख किया जायगा ।

जहाँ तक कॉलेज की व्यवस्था तथा अन्य विषयों से संबंध है डेलर के समय में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन न हुआ । केवल व्यय, विद्यार्थियों के अनुशासन आदि की दृष्टि से कॉलेज के विधान में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे ।

कॉलेज की व्यवस्था में परिवर्तन जिस वर्ष डेलर ने अपना पद ग्रहण किया था उसी वर्ष हिसाब-निरीक्षण ने आकस्मिक व्यय बीस हजार से सात सौ सतहत्तर छः आना (सि० ६०) अधिक व्यय होने पर आपत्ति की थी । ईंगलैंड में हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर को पाँच सौ पाँच वार्षिक वेतन मिलता था । भारतवर्ष से उसकी सहायता के लिए जो दो मंशी भेजे गए थे उनका वार्षिक वेतन

ऊ-छ: सो पौड होता था। कोर्ट ने इस पर आपत्ति की और अपने ७ सितंबर, १८०८ के पत्र में भविष्य के लिए भारतीय सरकार को चेतावनी दी तथा एक मुंशी और मौंगी। १८०६ में १८०७ वाले स्वीकृत विधान के परीक्षा-सवधी कॉलेज के विधान नियमों में फिर परिवर्तन हुए।^१ १६ जून, १८०६ को कौंसिल के का तृतीय परिच्छेद मंत्री, विलियम हंटर, ने सरकारी मंत्री, टुकर ('Tucker'), के नाम लिख गए पत्र में २६ मई के सरकारी पत्र की प्राप्ति स्वीकार करते हुए नए परिवर्तनों की दृष्टि से कौंसिल द्वारा निर्मित विधान के तृतीय परिच्छेद को भी सपरिपद गवर्नर-जनरल की स्वीकृति के लिए भेजा। इस परिच्छेद में १२ फरवरी, १८०७ के पिछले विधान से बाद के परीक्षा तथा अनुशासन संबंधी नए नियमों का समावेश किया गया था। १६ जून, १८०६ को लॉर्ड मिटो ने उस पर अपनी स्वीकृति दी और १८०७ वाला विधान रद्द कर दिया गया।^२

लगभग इसी समय हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष, जे० डब्ल्यू० टेलर, का स्वास्थ्य खराब हो गया। चिकित्सकों के परामर्श से वे थोड़े दिनों के लिए समुद्र-यात्रा के लिए चले गए। उनके स्थान पर लेफ्टिनेंट लॉकेट स्थानापन्न प्रोफेसर नियुक्त हुए। लॉकेट की अस्थायी नियुक्ति १५ अगस्त, १८०६ के सरकारी पत्र द्वारा हुई।

२१ दिसंबर, १८०६ को टेलर की सिफारिश के साथ मिर्जा काजिम अली ने मीर मुंशी होने की प्रार्थना की, क्योंकि मीर शेर अली की उस समय मृत्यु हो चुकी थी। किंतु कौंसिल ने उनकी प्रार्थना स्वीकार न की। मीर मुंशी के पद के मीर शेर अली की लिए मिर्जा काजिम अली से उच्चतर पद पर स्थित व्यक्ति की तरफ हो सकती थी। मीर शेर अली की मृत्यु १६ दिसंबर, १८०६ को हुई। शरण की मीर मुंशी २१ दिसंबर, १८०६ से तारिखीचरण उनके स्थान पर हेड या के पद पर नियुक्ति मीर मुंशी नियुक्त हुए। तारिखीचरण के स्थान पर मिर्जा काजिम अली को सेकेण्ड मुंशी का पद मिला। इसी समय मुहम्मद वाजिद की अस्ती रूपया मासिक वेतन पर, मुर्तजा खॉ की साठ रूपया मासिक वेतन पर और मीर सैयद अली की चालीस रूपया मासिक वेतन पर नियुक्तियाँ हुईं।

कैप्टेन टेलर वापिस तो आ गए थे, किंतु अब भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। इसलिए उन्होंने कौंसिल से प्रार्थना की कि हिंदुस्तानी की प्रारंभिक कक्षाएँ लॉकेट ले लिया करें। १४ फरवरी, १८१० को यह बात सरकार के सामने रखी गई। सरकार ने उसी दिन उसे स्वीकार कर लिया।

कॉलेज का खर्च पन्द्रह हजार में चल रहा था, इसलिए कोर्ट ने ६ सितंबर, १८०६ को सराहना लिख भेजी जिसकी सूचना कौंसिल को दे दी गई।

^१को० वि०, २१ मार्च, १८०६—१० जुलाई, १८११, हो०, मि०, जि० ६, पृ० ६७-१००, ई० २० डि०

^२वही, पृ० १०६-११६

कुछ महीने बाद ऐब्राहम लॉकेट ने अरबी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन करने की दृष्टि से अरब जाने की अनुमति माँगी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था—“कॉलेज की स्थापना का ध्येय पूर्वीय साहित्य और भाषाओं तथा ज्ञान-भण्डार का यूरोप में प्रचार करना है, न कि केवल देश की भाषाएँ सिखाने के लिए एक सेमिनरी मात्र बना रहना। पूर्वीय साहित्य के लिए यूरोप के लोग कॉलेज का मुँह ताकते हैं। इसके लिए सरकारी सरक्षण और देशी विद्वानों की सहायता आवश्यक है। हिंदुस्तानी और फ़ारसी भाषाओं में तो अब कुछ करने को बाकी नहीं रह गया। गिलक्राइस्ट और उनके उत्तराधिकारियों ने हिंदुस्तानी व्याकरण को शास्त्रीय रूप दे दिया है। शेष कार्य डॉ० हंटर अपने कोप द्वारा कर रहे हैं।”^१ सरकार ने लॉकेट को अरब जाने की आज्ञा दे दी।

अस्वस्थ रहने के कारण टेलर ने फिर ३० अगस्त, १८११ को कोसिल के एवजी मंत्री, कैप्टेन गैलोवे, को वर्षा ऋतु के प्रारंभ में अपने ज्वर-ग्रस्त हो जाने और स्वास्थ्य खराब रहने के संबंध में लिखा। उनका पत्र सरकार के पास भेज दिया गया और ६ सितंबर, १८११ को उन्हें सरकारी स्वीकृति मिल गई। टेलर एक महीने के लिए सैंडहैड्स चले गए।

१ नवंबर, १८११ को कौंसिल के मंत्री, डॉ० विनियम हंटर, ने अपना त्याग-पत्र दे दिया था। ३० मई, १८१२ को उनके स्थान पर ऐब्राहम लॉकेट कोसिल के मंत्री और परीक्षक नियुक्त हुए। अरब से लौटने के समय तक ए० गैलोवे की नियुक्ति लॉकेट के स्थान पर और लेफ़्टिनेंट रोएचक की नियुक्ति (सहायक मंत्री और परीक्षक की हैसियत से) गैलोवे के स्थान पर हुई। नियुक्तियों १ नवंबर, १८११ से ही मानी गईं। जुलाई, १८१२ में लॉकेट के अरब से लौट आने पर रोएचक की कोई आवश्यकता न रही।

इधर कुछ दिनों से कॉलेज की व्यवस्था बिगड़ती जा रही थी। विद्यार्थियों में अनुशासन भंग करने की प्रवृत्ति के साथ-साथ शिक्षा का भी दिन-पर-दिन हास होता जा रहा था। इस संबंध में १४ फ़रवरी, १८१२ को कोर्ट ने गवर्नर-जनरल के नाम एक पत्र लिखा। गवर्नर-जनरल ने १ अगस्त, १८१२ को कोसिल के नाम एक पत्र लिखा। कोसिल ने कॉलेज के परीक्षकों और प्रोफ़ेसर्सों से इस संबंध में रिपोर्टें माँगी और शिक्षा-सुधार के संबंध में मत प्रकट करने के लिए लिखा। फ़ारसी के प्रोफ़ेसर लम्सडन ने अपने पत्र में फ़ारसी-शिक्षा का हास स्वीकार किया। किंतु टेलर और कैरे ने क्रमशः हिंदुस्तानी और बंगला-शिक्षा का हास स्वीकार न किया। परीक्षा का मापदंड केवल पढ़ना, लिखना और अँगरेज़ी से पठित भाषा में अनुवाद करना था। इस दृष्टि से टेलर और कैरे के विचार ठीक थे। शासन की दृष्टि से इससे अधिक ज्ञान की आवश्यकता भी न थी। वास्तव में कोर्ट के डाइरेक्टरों ने फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की उपयोगिता कभी स्वीकार न की थी। इस संबंध

लम्सडन, टेलर
और कैरे के मत

मे उन्हें सदैव संदेह बना रहता था। कॉलेज को वे केवल एक प्रयोग मात्र समझते थे और अपनी इच्छानुसार उसकी निन्दा या प्रशंसा करने लगते थे। शुरू में ही उन्होंने उसकी आयोजना में बड़ी भारी कमी कर दी थी। आर्थिक दृष्टि से उन्होंने उसे सदैव एक बोझ समझा। बहुत-से लोगों का तो दृढ़ विश्वास था कि कोर्ट का अंतिम ध्येय कॉलेज तोड़ देना है। उनके इस प्रकार के विचारों से अनुशासन पर बड़ा घातक प्रभाव पड़ता था। क्योंकि लोग यही समझते थे कि न जाने कॉलेज कब टूट जाय और इस भावना से अनुशासन में शिथिलता आ जाना अनिवार्य था।

किंतु कोसिल की आज्ञानुसार टेलर ने जो रिपोर्ट दी थी वह यहाँ पर 'हिन्दी'-हिंदुस्तानी की व्याख्या या रूप की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। कॉलेज-डेक्टर की रिपोर्ट सचची उपलब्ध सामग्री में टेलर की रिपोर्ट में संभवतः 'हिंदी' 'हिंदी' शब्द का शब्द का आधुनिक अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। उनका आधुनिक अर्थ में कहना है :

प्रयोग

“आपने कॉलेज में शिक्षा के हास का जो कारण पूछा है उस संबंध में सविनय निवेदन है कि मेरे दृढ़ विश्वास के अनुसार स्वतंत्र रूप से विचार करते हुए हिंदुस्तानी-शिक्षा में कोई हास नहीं हुआ। किंतु मैं सविनय आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मैं केवल हिंदुस्तानी या 'रेख्ता' का जिक्र कर रहा हूँ जो फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है और जिसे पढ़ाने का मुझे श्रेय है। मैं हिंदी का जिक्र नहीं कर रहा जिसकी अपनी लिपि है अथवा मैं उस भाषा का जिक्र नहीं कर रहा जिसमें अरबी-फ़ारसी शब्दों का प्रयोग नहीं होता और मुसलमानी आक्रमण से पहले जो भारतवर्ष के समस्त उत्तर-पश्चिम प्रांत की भाषा थी और जिसका वहाँ के मूल-निवासी हिंदुओं में अब तक प्रयोग होता है। उस विस्तृत प्रदेश में, जहाँ यह अब तक बोली जाती है, इसके दीर्घकालीन अस्तित्व का विशेष महत्त्व है। मन इस भाषा के ज्ञान के प्रचार का कॉलेज में भरसक प्रयत्न किया, किंतु अत म इस प्रयत्न के कारण मेरा स्वास्थ्य नष्ट हो गया। मैंने बड़ी-बड़ी दिक्कतों और क्वाकवा का सामना भी किया। आखिर मैंने इस बात का अनुभव किया कि मुझे अपने सीमित साधनों और कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने से केवल हिंदुस्तानी के पठन-पाठन तक ही रहना चाहिए। हिंदी और हिंदुस्तानी में से हिंदुस्तानी का ही महत्त्व अधिक है, इस दृष्टि से शिक्षा का हास अवश्य हुआ है।”¹

रिपोर्ट के अंत में टेलर ने हर्टफ़र्ड में दी जाने वाली हिंदुस्तानी-शिक्षा की त्रुटियाँ की ओर संकेत किया। साथ ही यह भी कहा कि हिंदुस्तानी को जो इस (बंगाल) अर्हात के अंतर्गत प्रायः सभी प्रांतों में सभी श्रेणी के लोगों की साधारण बोलचाल की प्रधान भाषा है गौण समझना हर्टफ़र्ड के अधिकारियों की गलत धारणा है। वहाँ से भारत

¹को० वि०, २४ सितंबर, १८१३ १२ जनवरी, १८१४, हो०, मि०, वि० ४,

गने वाले विद्यार्थियों का फ़ारसी-ज्ञान भी अपरिपक्व रहता था। टेलर के मतानुसार :
‘हिंदुस्तानी और फ़ारसी का पारस्परिक संबंध है’।^१

ए० लॉकेट ने भी परीक्षक को हैसियत से अपनी रिपोर्ट दी थी।^२ टी० रोएबक ने भी परीक्षक की हैसियत से अपनी रिपोर्ट १६ नवंबर, १८१२ को दी। उसमें उन्होंने भाषा-संबंधी कुछ महत्त्वपूर्ण बातें कही हैं :

“यह कह देना मेरा कर्तव्य है कि हिंदुस्तानी भाषा की बोली (Dialect) उर्दू के ज्ञान में कोई ह्रास नहीं हुआ, प्रत्युत् उसकी उन्नति ही हुई है। मैंने तो यह देखा कि वह बोली (Dialect) जिसे खड़ीबोली या ठेठ हिंदी कहते हैं, रोएबक का मत अथवा हिंदुस्तानी की वह बोली (Dialect) जिसका प्रयोग बहुसंख्यक हिंदू समस्त हिंदुस्तान में करते हैं, विशेष रूप से दिल्ली और आगरा शहरों में, पहले की भाँति कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। उस समय हिंदुस्तानी प्रोफ़ेसर के दो सहायक होने थे और विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक और वार्षिक परीक्षा-संबंधी अभ्यास फ़ारसी और नागरी दोनों लिपियों में छापे जाते थे। अब केवल फ़ारसी लिपि में छापे जाते हैं। इस दृष्टि से ह्रास अवश्य हुआ है। मैं इस ह्रास के कारण ये समझता हूँ: १. कॉलेज में जो विद्यार्थी आते हैं उन्हें हिंदुस्तानी के प्राथमिक सिद्धांतों का भी ज्ञान नहीं होता, हालाँकि बंगला और संस्कृत का उन्हें कुछ ज्ञान होता भी है। प्रोफ़ेसरों की रिपोर्टों से यह बात स्पष्ट है। २. विद्यार्थियों की संख्या अन्य सब विभागों के विद्यार्थियों से अधिक है। प्रोफ़ेसर की सहायता के लिए कोई दूसरा अध्यापक भी नहीं। इसलिए वे हिंदुस्तानी की केवल वह बोली पढ़ाते हैं जो महत्त्व की है, यद्यपि वे दूसरी बोली भी पढ़ाने योग्य हैं।” रोएबक के विचार में कभी भी कॉलेज टूट जाने की धारणा से अनुशासन में शिथिलता आ जाती थी।^३

प्रोफ़ेसरों और परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर कौंसिल ने लॉर्ड मिंटो को २६ दिसंबर, १८१२ को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने प्रोफ़ेसरों और परीक्षकों के निष्कर्ष का समर्थन किया। सबने हिंदुस्तान की भाषा के ज्ञान के लिए हर्टफ़र्ड सरकारी समर्थन अनुपयुक्त स्थान समझा और कॉलेज के महत्त्व की ओर संकेत किया। कौंसिल ने अनुशासन के सबब में कोई विशेष शिथिलता नहीं पाई। वास्तव में जब से हर्टफ़र्ड कॉलेज की स्थापना हुई थी तब से कोर्ट के डाइरेक्टरों और भारतीय सरकार में काफी संघर्ष चल रहा था। लॉर्ड मिंटो वेलेज़ली के ध्येय के समर्थक थे।^४

कैरे, लम्सडन और टेलर के मतानुसार कौंसिल ने फ़ौजी विद्यार्थियों के दाखिला के संबंध में विशेष नियम बनाए।

^१वही

^२वही, पृ० २७७-२८२

^३वही पृ० २८८-२८९

^४वही, पृ० २९१-२९८

कुछ कारणों से अवकाश न मिलने पर गवर्नर-जनरल २६ दिसंबर, १८१० की रिपोर्ट पर विचार न कर सके थे। कौंसिल की भौति वे भी भारतीय साम्राज्य के लिए कॉलेज का महत्व अच्छी तरह समझते थे। किंतु कॉलेज के **विधान का अनुशासन, परीक्षा-नियम, फौजी विद्यार्थियों के दाखिला तथा चतुर्थ परिच्छेद** कौंसिल की १२ जनवरी, १८१४ की रिपोर्ट आदि नई-नई समस्याओं की दृष्टि से गवर्नर-जनरल ने कॉलेज के लिए नए विधान की आवश्यकता समझी। इसलिए इस संघर्ष में सरकारी मंत्री, सा० एम० रिकेट्स, ने कौंसिल के नाम पत्र लिखा। समुचित परामर्श के बाद कौंसिल ने पुराने नियमों में आवश्यकता-नुसार परिवर्तन कर नए नियम बनाए और ३ जून, १८१४ को लॉर्ड मिगे ने, जो कॉलेज के डिप्टी थे, अपनी स्वीकृति दे दी। १ जुलाई, १८१४ को कौंसिल ने गवर्नर-जनरल के निर्देश से फोर्ट विलियम कॉलेज के विधान का चतुर्थ परिच्छेद जारी किया।^१

लॉकट और लम्सडन स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण १८१५ की जनवरी के प्रथम सप्ताह में छुट्टी पर चले गए। मंजर वेस्टन अरबी और फ़ारसी के तथा लॉकट के स्थान पर रोएबक और रोएबक के स्थान पर जेम्स ऐट्किसन की नियुक्ति हुई। किंतु ऐट्किसन ने, जो मिट में काम करते थे, अपना नया पद अस्वीकार किया। कौंसिल ने उसे अपनी अवस्था समझ उनसे जवाब तलब किया। अंत में उन्हें पद स्वीकार करना पड़ा।

१४ जनवरी, १८१५ को टी० रोएबक ने एवजी सरकारी मंत्री, ए० ट्रॉटर, को अध्यापक के रूप में लिखा—“कॉलेज कौंसिल के आदेश से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप (सरकारी) परिषद् के माननीय उप-सभापति को इस बात की सूचना दें कि कॉलेज में लफ़्टिनेंट प्राइस की अध्यक्षता में ‘ब्रजभाखा’ और पूर्वी भाषा के संबंध में व्याख्यान दिए जाते हैं। परीक्षक का कहना है कि सस्था में ऐसा कोई पंडित नहीं है जो इन बोलियों में अभ्यास तैयार करने और उनकी परीक्षा लेने में सहायता दे सके। इसलिए चालीस रुपया मासिक वेतन पर ‘ब्रजभाखा’, पूर्वी और संस्कृत से भली भौति परिचित एक उत्तरी प्रांतों (Upper Provinces) का निवासी पंडित रखने की कौंसिल प्रार्थना करती है।” २० जनवरी, १८१५ को सरकार ने उनके लिए अपनी स्वीकृति दे दी।^२

५ सितंबर, १८१५ की बैठक में कौंसिल ने यह नियम बनाया कि जो व्यक्ति फ़ारसी और हिंदुस्तानी का ज्ञान न रखता हो उसे कॉलेज में न लिया जाय। उसने फ़ारसी, हिंदुस्तानी और अरबी के स्थायी विभाग के मुंशियों का मासिक वेतन तीस रुपया और अस्थायी विभाग के पंडितों और मुंशियों के लिए मासिक वेतन बीस रुपया निर्धारित किया।

^१ फो० वि०, १३ जून, १८१४—१२ फरवरी १८१६, हो०, मि०, डि० ४, पृ० ७६-१०३. इ० रे० डि०

५ सितंबर, १८१४ के अनुसार ब्रजभाषा पढ़ाने वाले पंडितों के लिए बीस रुपया मासिक वेतन रक्खा गया ।

अपने १६ जुलाई, १८१५ के पत्र में कोर्ट ने फिर कॉलेज के व्यय, अनुशासन आदि के संबंध में आपत्ति की । वास्तव में फ्रौजी विद्यार्थियों के दाखिले के कारण

व्यय कोर्ट द्वारा स्वीकृत व्यय से अधिक हो रहा था । सहायक कॉलेज का व्यय और प्राफेसरों का खर्च भी काट नहीं चाहता था । ८ जनवरी, १८१६ कोर्ट : आवश्यक परि- को सरकारी मंत्री ने उन्हें हटाने के लिए एक पत्र भी लिखा । २६ बर्तन ! मज़हर अली जनवरी, १८१६ को कौंसिल ने देशी अध्यापकों के रखने अथवा की मृत्यु अलग कर देने के संबंध में फ़ारसी, अरबी, संस्कृत, बंगला, हिंदु-

स्तानी, मराठी आदि के प्रोफेसरों से परामर्श किया । देशी अध्यापकों में से कौंसिल ने प्रोफेसरों का ध्यान विशेषतः ब्रजभाषा के अध्यापक लल्लूचाल जो पचास रुपया मासिक वेतन, हिंदुस्तानी विभाग के प्रधान मुंशी तारिणीचरण मित्र जो दो सौ रुपया मासिक वेतन, द्वितीय मुंशी मिर्जा काज़िम अली जो सौ रुपया मासिक वेतन, तृतीय

मुंशी मुहम्मद वाज़िद जो अस्सी रुपया मासिक वेतन, और चतुर्थ मुंशी मुर्तजा खाँ की ओर जो साठ रुपया मासिक वेतन पाते थे आकृष्ट किया । इन लोगों का वेतन कम करने अथवा कम न करने के संबंध में भी प्रोफेसरों से मत लिया गया । वैसे, इन लोगों की सेवाओं को देखते हुए कौंसिल वेतन कम करना नहीं चाहती थी । विचारों के आदान-प्रदान के

पश्चात् कौंसिल ने ३० जनवरी, १८१६ को सपरिषद् गवर्नर-जनरल को पत्र लिखा । कोर्ट ने चाहे जिन कारणों से सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति स्वीकार न की हो, कौंसिल को इस बात पर अत्यंत दुःख था । वास्तव में फ्रौजी विद्यार्थियों के कारण सहायक प्राफेसरों की

नियुक्ति हुई थी । कोर्ट के ६ मई, १८१५ के पत्र में, जो कौंसिल को ८ जनवरी, १८१६ को मिला, इन सहायक प्रोफेसरों को हटाने की आज्ञा दी गई थी । लॉफ़्टिन्ट प्राइस ने

अनेक फ्रौजी विद्यार्थियों को शिक्षा दी थी । उनकी शिक्षा से निश्चय ही सैनिक लाभ हुआ था । देशी सिपाहियों की बहुत बड़ी संख्या ब्रजभाषा बोलती थी । इसलिए कौंसिल ने

प्रार्थना की कि या तो स्वयं गवर्नर-जनरल उनका नियुक्ति के बारे में कुछ कहें अथवा जब तक कोर्ट का अंतिम निर्णय मालूम न हो जाय सैनिक विद्यार्थी दाखिल न किए जायें ।

सहायक प्रोफेसरों को अलग करना हा अंतिम सरकारी निश्चय होने का अवस्था में कौंसिल ने प्रार्थना की कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उस समय कार्य कर रहे सहायक प्रोफेसरों को ही लिया जाय, क्योंकि उन लोगों ने बड़ी तत्परता, लगन और उत्साह के साथ काम

किया था । उन्हें अपने परिश्रम का पुरस्कार मिलना नितांत न्यायपूर्ण था । इन सब बातों के साथ-साथ कौंसिल ने दो-तीन वर्ष के आय-व्यय का लेखा भी गवर्नर-जनरल के पास

भेजा । प्रोफेसरों की रिपोर्टें भी कौंसिल को मिल गई थीं । कैरे ने लिखा कि लल्लूचाल का संबंध मेरे विभाग से नहीं है । उनके विषय में लेफ़्टिन्ट प्राइस से पूछा जाय ।

लम्सडन और टेलर ने अपने-अपने विभाग के देशी अध्यापकों की उपस्थिति आवश्यक बताई । इस समय मज़हर अली की मृत्यु हो चुकी थी । प्रोफेसरों की रिपोर्टें पाकर कौंसिल

ने लगभग सभी देशी अध्यापकों की समझ कर उन्हें ज्या-का-त्या रहने

के साथ-साथ कौंसिल ने दो-तीन वर्ष के आय-व्यय का लेखा भी गवर्नर-जनरल के पास भेजा । प्रोफेसरों की रिपोर्टें भी कौंसिल को मिल गई थीं । कैरे ने लिखा कि लल्लूचाल का संबंध मेरे विभाग से नहीं है । उनके विषय में लेफ़्टिन्ट प्राइस से पूछा जाय ।

लम्सडन और टेलर ने अपने-अपने विभाग के देशी अध्यापकों की उपस्थिति आवश्यक बताई । इस समय मज़हर अली की मृत्यु हो चुकी थी । प्रोफेसरों की रिपोर्टें पाकर कौंसिल ने लगभग सभी देशी अध्यापकों की समझ कर उन्हें ज्या-का-त्या रहने

प्रदा 'भाखा के के लिए कौंसिल ने अपना निर्णय सरकारी निर्णय होने के समय तक स्थगित रक्खा ।^१

कौंसिल की ३० जनवरी, १८१६ की रिपोर्ट पाकर २३ मार्च, १८१६ को सपरिपद् गवर्नर-जनरल ने संतोष प्रकट किया । फ़ौजी विद्यार्थियों के सबंध में अवश्य उन्होंने अपना निर्णय दिया । १८१३ में सैनिक विद्यार्थियों की संख्या बीस थी । फिर उनकी संख्या तीस हुई । किंतु औसत संख्या बीस से अधिक शायद ही कभी हुई थी । सपरिपद् गवर्नर-जनरल ने सैनिक विद्यार्थियों की तत्कालीन संख्या दस निश्चित की और उनका अध्ययन-काल एक वर्ष । सेना के लिए इस प्रकार यथेष्ट संख्या में दुभाषिए मिल सकते थे । उनके लिए फ़ारसी, हिंदी या ब्रजभाषा का ज्ञान आवश्यक था । अरबी और संस्कृत के दुभाषियों की कोई आवश्यकता नहीं थी । साथ ही फ़ारसी और हिंदुस्तानी पढ़ाने के लिए एक ही मुंशी काफ़ी समझ गया । इस प्रकार के प्रबंध से व्यय भी कम हो जाता था और आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाती थी । अस्तु, सपरिपद् गवर्नर-जनरल ने निम्नलिखित व्यय निश्चित किया :

१० मुंशी, प्रत्येक को ३० रु० मा०	३६०० वार्षिक
पदक इत्यादि	१४०० ”
	५०००

इससे कोर्ट द्वारा स्वीकृत व्यय तक कॉलेज का व्यय होने पर उन्नीस हजार चार सौ उन्तालीस रुपए वार्षिक की वचत होती थी । फ़ौजी विद्यार्थियों के कारण कुल व्यय उन्नीस हजार चार सौ रुपए होने पर उन्तालीस रुपए वार्षिक की वचत थी । गवर्नर-जनरल की आज्ञानुसार आगामी जुलाई से इसी प्रकार आर्थिक व्यवस्था रही ।^२

१३ सितंबर, १८१५ के कोर्ट के पत्रानुसार कौंसिल के मंत्री और परीक्षक-पद तोड़ देने की आज्ञा हुई । इन दोनों पदों पर आठ सौ रुपए मासिक खर्च होते थे । सरकारी मंत्री, रिकेट्स, ने इसकी सूचना कौंसिल को दी और १ मई, १८१६ से कोर्ट की आज्ञा का पालन करने का आदेश दिया । कोर्ट ने साहित्यिक ग्रंथों पर व्यय भी पहले की भाँति बीस हजार रुपए वार्षिक तक सीमित कर दिया ।^३

१० मई, १८१६ को गवर्नर-जनरल के पास भेजे गए पत्र के अनुसार कॉलेज की व्यवस्था इस प्रकार थी :

यूरोपियन अध्यापक

कैप्टेन टेलर, हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफ़ेसर	१००० रु० मा०
कैप्टेन रोएबक, एवज़ी मंत्री और परीक्षक	१२०० रु० मा०

^१फ़ौ० वि०, १३ जून, १८१४—१२ फ़रवरी, १८१६, हो०, सि०, जि० २, पृ० ४४४-४१६, ४६२-४६६, ४६७-४६०, ४६२-४६६, इ० रे० डि०

^२फ़ौ० वि०, २७ फ़रवरी, १८१६—२२ अप्रैल, १८१८, हो०, सि०, जि० ६, पृ० २७-२८, इ० रे० जि०

^३वही, पृ० ७२-७३

देशी अध्यापक हिंदुस्तानी विभाग

प्रधान मुशी	२००	६०	मा०
द्वितीय ,,	१००	"	"
तृतीय ,,	८०	"	"
चतुर्थ ,,	६०	"	"
१२ मुशी विद्यार्थियों के लिए, प्रत्येक को ४०	६०	६०	मा०
नागरी सुलेखक	५०	"	"
२ अनुवादक, प्रत्येक को ८०	१६०	"	"
अस्थायी विभाग			११३० ६० मा०
१४ मुशी, प्रत्येक को ३०	४२०	"	"
६ पंडित, ,, ३०	१८०	"	"
पिछले महीने में बीमार या छुट्टी पर गए मुंशियों की जगह काम करने वाले	७५	"	" ६७५ ६० मा० ^१

कोर्ट ने कौंसिल के मंत्री और परीक्षकों के पदों पर आपत्ति की थी। इस संबंध में रोएबक ने एक पत्र कौंसिल के नाम लिखा जिसके साथ उन्होंने कौंसिल का एक पत्र भी नत्थी कर दिया था। किंतु इस संबंध में उस समय कोई विशेष निर्णय न हो सका। उसके बाद कॉलेज में केवल एक ही परीक्षक रह गया था। रोएबक के अतिरिक्त प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर भी परीक्षक का कार्य करते थे।

२ मार्च, १८१६ को सरकारी मंत्री, रिकेट्स, ने कोर्ट के १६ मई, १८१५ के पत्र का हवाला देते हुए पुस्तक-प्रकाशन-संबंधी चालीस हजार वार्षिक व्यय पर आपत्ति की। उस समय तक जितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थीं वे ही शिक्षा-कार्य के लिए बहुत समझी गईं। इसलिए कौंसिल को यह आदेश दिया गया कि अत्यधिक साहित्यिक मूल्य की पुस्तक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की पुस्तक पर व्यय न किया जाय।^२ रोएबक ने २० जून, १८१६ के पत्र में कोर्ट की आज्ञा स्वीकार की। उसके बाद सरकारी मंत्री ने तत्कालीन व्यवस्था ठीक बताई। सैनिक विद्यार्थियों के दाखिले की संभावना थी। विद्यार्थियों को पुरस्कार, पदक आदि का वितरण बंद हो गया था। प्रोफेसरो और सहायक (असिस्टेंट) प्रोफेसरो के वेतन तथा पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की पुस्तक पर व्यय न करना आदि बातों के संबंध में भी सरकारी मंत्री ने लिखा। उन्होंने कॉलेज की कटी-छूटी आयोजना पसंद की और कौंसिल से एक नया विधान प्रस्तुत करने के लिए कहा।^३

^१ वही, पृ० १०७-१०६

^२ वही, पृ० ११६-१३०

^३ वही, पृ० ११८-१७७

लॉकेट वापिस आने पर मंत्री और परीक्षक नियुक्त हुए और रोएबक द्वितीय परीक्षक।

सरकारी मंत्री के २२ जून, १८१६ के सरकारी पत्रानुसार कौंसिल के मंत्री लॉकेट ने २ नवंबर, १८१६ को नया विधान गवर्नर-जनरल के विचारार्थ भेजा।

इस विधान में आर्थिक पुरस्कार स्थगित होने और ३० मई कॉलेज के विधान और ४ जुलाई, १८१५ के पत्रों में स्वीकृत सभी बातों को स्थान का पाँचवाँ परिच्छेद दिया गया। आगामी परीक्षा दिसंबर में होने वाली थी इसलिए उन्होंने नवंबर में नया विधान लागू करने की आज्ञा माँगी।

फोर्ट विलियम कॉलेज के चतुर्थ परिच्छेद (३ जून, १८१४) के स्थान पर १६ नवंबर, १८१६ को पाँचवें परिच्छेद पर सरकारी स्वीकृति प्राप्त हुई। तत्पश्चात् कौंसिल ने उसे प्रेस भेज दिया।^१

टेलर और आर० मार्टिन द्वारा मीर बख्शीश अली तथा अन्य मुंशियों की फ़ारसी और हिंदुस्तानी में परीक्षा ली जाने पर मीर बख्शीश अली द्वितीय मुंशी नियुक्त हुए। भावभ्य में मीर मुंशी के पद के लिए भी वे योग्य हो गए थे। उनसे फ़ारसी के उद्घरणों का 'हिंदी और हिंदुस्तानी' में अनुवाद कराया गया था। यहाँ 'हिंदी' और 'हिंदुस्तानी' शब्द, पृथक अर्थों में, ध्यान देने योग्य हैं। अन्य परीक्षार्थी-मुंशी काज़िम अली, अब्बास अली, सैयद अली युसुफ़ अली और गंगा विष्णु थे। प्रत्येक को साठ रूपए मासिक मिलते थे।^२

एच० बुड, हिसाब-निरीक्षक, के पास मंत्री, लॉकेट, ने १६ दिसंबर, १८१६ को कॉलेज का विवरण भेजा था। इस विवरण की विशेषता यह है कि प्रत्येक अध्यापक की तत्कालीन अवस्था इसमें दी गई है। हमारे विषय से संबंधित प्रमुख-प्रमुख व्यक्तियों का विवरण इस प्रकार है:

सरकारी नौकरी पाने की तिथि	अपने पद पर काम करने की मूल तिथि	व्यक्ति की वर्तमान अवस्था	ईसाई व्यक्ति का नाम	देशी व्यक्ति का नाम	मासिक वेतन
×	×	×	×	मुंशी :	×
×	सितंबर, १८०१	४५ वर्ष	×	तारिखी चरण मित्र	२००
×	×	×	×	×	×
×	फ़रवरी, १८०२	५६ वर्ष	×	महानंद	५०
×	फ़रवरी, १८०२	५५ वर्ष	×	श्री लाल कवि	५०
×	×	×	×	×	×
×	जनवरी, १८१५	४५ वर्ष	×	इंद्रेश्वर	४० ^३

^१ वही, पृ० २६२-२६६

^२ वही, पृ० २६२-२६६

^३ वही, पृ० २६०-२६३

इस विवरण से लल्लूलाल की जन्म-तिथि १७४७ ठहरती है। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के विवरणों से उनकी मृत्यु-तिथि निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होती। केवल अनुमान लगाया जा सकता है। जिस वर्ष उन्होंने कॉलेज की नौकरी छोड़ी लल्लूलाल की संभवतः उसी वर्ष उनकी मृत्यु हुई, अथवा नौकरी करते हुए ही वे मृत्यु को प्राप्त हुए। कॉलेज में नौकरी करते हुए उन्हें अनेक वर्ष हो गए थे। यदि जीवित रहते तो उन्हें पेंशन अवश्य मिलती। किंतु कॉलेज के विवरणों में उनकी पेंशन का कहां भी उल्लेख नहीं मिलता।

हिदुस्तानी के सहायक प्रोफ़ेसर, रसेल मार्टिन, अस्वस्थ रहने के कारण १८ जनवरी, १८१७ को यूरोप लौट गए। उनके स्थान पर रोएबक की नियुक्ति हुई। कोर्ट की आज्ञानुसार कौंसिल के सहायक मंत्रि पद से वे हट ही चुके थे। सहायक की हैसियत से उन्हें दो सौ रुपया मासिक वेतन मिलता था। ऐट्किंसन को भी हिदुस्तानी के परीक्षक होने से दो सौ रुपया मासिक वेतन मिलता था। २२ जून, १८१६ के पत्रानुसार प्रोफ़ेसर या सहायक प्रोफ़ेसर अपने विषय के परीक्षक नहीं बन सकते थे। किंतु रोएबक अपवाद-स्वरूप रक्खे गए। वेलेज़ली के कहने से लखनऊ के रेज़ीडेंट, कर्नल स्कॉट, ने काज़िम अली जवाँ को लखनऊ से भेजा था। ३ जुलाई, १८१६ को उनका देहात हो काज़िम अली 'जवाँ' गया। टेलर ने उनकी विधवा स्त्री और संतान के लिए पेंशन की की सृत्य सिफ़ागिश की, किंतु कौंसिल ने उनका प्रस्ताव स्वीकार न किया।

एवज़ी हिसाब-निरीक्षक, डब्ल्यू० एच० ओक्स, ने लॉकेट से कॉलेज का १ मई, १८१८ तक विवरण माँगा। लॉकेट के इस विवरण के अनुसार केवल लम्सडन और कैरे ग़ैर-सरकारी कर्मचारी थे। कैरे की नियुक्ति अप्रैल, १८०१ में हुई थी। वे बंगला और संस्कृत के अध्यापक की हैसियत से एक हजार रुपया मासिक वेतन पाते थे। इसी विवरण के अनुसार 'भाखा' विभाग में लल्लूलाल (५० रु० मा०) मुंशी, इंद्रेश्वर (४० रु० मा०) पंडित और महानद (५० रु० मा०) नागरी सुलेखक थे।^१ १७ दिसंबर, १८१८ तक हिदुस्तानी विभाग के अध्यापकों की व्यवस्था में कोई परिवर्तन न हुआ। तारिणी-चरण मित्र की असाधारण प्रतिभा के लगभग सभी लोग कायल थे। उस समय एक कोष तैयार करने में वे रोएबक की सहायता कर रहे थे। १० सितंबर, १८१८ को वेस्टन ने अपनी नौकरी छोड़ दी।

सरकार ने विद्यार्थियों की योग्यता का मापदंड कम कर देने के संबंध में कौंसिल से पत्र-व्यवहार किया। कौंसिल के मंत्री ने ६ अप्रैल, १८१६ को (अब) मेजर जे० डब्ल्यू टेलर, लम्सडन, ऐट्किंसन और रोएबक से मत माँगे। पिछलौ रिपोर्ट और रोएबक की ब्रजभाषा के संबंध में रिपोर्ट पर गवर्नर-जनरल पूर्ण संतोष प्रकट कर ही चुके थे। केवल कुछ शासन-संबंधी विषयों पर मतभेद था। रोएबक के पत्रानुसार शिक्षा का मापदंड जितना कम होना चाहिए उतना

^१को० वि०, ४ मई १८१८ ६ दिसंबर १८१६ हो० मि०, वि० ७, पृ० २१

तो उसी समय था। हिंदुस्तानी के एवजी परीक्षक, ऐट्किंसन, के पत्रानुसार मापदंड कुछ कम कर देने से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति ही होती थी। क्योंकि विद्यार्थियों में हिंदुस्तानी से अंगरेजी में और अंगरेजी से हिंदुस्तानी में अनुवाद करने की यथेष्ट योग्यता थी। उनके मतानुसार कॉलेज का उद्देश्य विद्वान् उत्पन्न न कर विद्यार्थियों को शासन-सबधी साधारण कार्य करने योग्य बनाना था। दस में से एक ही व्यक्ति ऐसा निकलता था जो साधारण से अधिक ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक रहता था। जिसे अधिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रहती थी उसके लिए उपयुक्त साधन उपस्थित थे। प्राइस के अनुसार ब्रजभाषा की शिक्षा बहुत थोड़े सैनिक विद्यार्थियों को दी जाती थी। किंतु इस समय सरकार किसी अंतिम निर्णय पर न पहुँची सकी और शिक्षा का मापदंड पहले की भाँति बना रहा।

कॉलेज मंत्री के १ मई, १८१६ के विवरणानुसार अध्यापक-वर्ग गत वर्ष की भाँति था। किंतु इस विवरण का महत्त्व प्रत्येक अध्यापक के स्थायी होने की तिथि की दृष्टि से आवश्यक है। उनमें से कुछ की तिथियाँ इस प्रकार हैं :

स्थायी होने की तिथि

१ जनवरी, १८०७ श्री लाल कवि	१८०२
२० जनवरी, १८१५ इंद्रेश्वर	१८१५
मेजर जे० डब्ल्यू० टेलर	१८०८
कैप्टेन लॉकेट	१८०८
कैप्टेन रोएबक (द्वितीय परीक्षक के रूप में)	१८११
लेफ्टिनेंट विलियम प्राइस	१८१३
कैप्टेन रोएबक (हिंदुस्तानी के एवजी सहायक प्रोफेसर के रूप में)	१८१६
ऐट्किंसन (हिंदुस्तानी के एवजी परीक्षक)	१८१६

प्रोफेसर लम्सडन कुछ अवकाश लेना चाहते थे, इसलिए लेफ्टिनेंट ब्राइस उनके स्थान पर नियुक्त हुए। कुछ महीने बाद कैप्टेन रोएबक की मृत्यु हो गई। प्राइस, डी० रड्डेल (Ruddell) और लेफ्टिनेंट जे० बेकेट (Beckett) ने उनके स्थान पर हिंदुस्तानी के सहायक प्रोफेसर नियुक्त होने के लिए प्रार्थना-पत्र भेजे। लेफ्टिनेंट ए० फैल (Fell) ने भी अपना प्रार्थना-पत्र भेजा। किंतु २५ जनवरी, १८२० को रड्डेल हिंदुस्तानी के सहायक प्रोफेसर नियुक्त हुए। अस्तु, निम्नलिखित परिवर्तनों के अतिरिक्त, १ मई, १८२० को अध्यापक-वर्ग लगभग पहले की भाँति था :

१६ नवंबर, १८१३ लेफ्टिनेंट डब्ल्यू० प्राइस [१८१३], बंगला और संस्कृत के सहायक प्रोफेसर, ४०० रु० मा०

२१ जनवरी, १८१७ ऐट्किंसन, हिंदुस्तानी के एवजी परीक्षक, २०० रु० मा०

२५ जनवरी, १८२० लेफ्टिनेंट रड्डेल [१८२०], हिंदुस्तानी के सहायक प्रोफेसर, ४०० रु० मा०

१ जनवरी १८०७ श्री लाल कवि [१८०२] मुशी, ५० रु० मा०

२० जनवरी, १८१५ नरसिंह [१८१८], पंडित, ४० व० मा०^१

२८ जून, १८२० को कोर्ट ने फिर एक पत्र भारतीय सरकार के नाम लिखा जिसमें

उसने सैनिक विद्यार्थियों के कारण बढ़े हुए व्यय, सहायक प्रोफेसरों के पद तथा अन्य आर्थिक समस्याओं पर आपत्ति की २१ मई, १८०६ में स्वीकृत पंद्रह हजार वार्षिक व्यय

से कोर्ट कदापि आगे बढ़ना नहीं चाहता था। साथ ही उसने अपने

कॉलेज के व्यय पर ४ दिसंबर, १८१६ के पत्र में किसी प्रकार का भी परिवर्तन करने

की कोई आवश्यकता न समझी और विधान के पाँचवें परिच्छेद में

और आवश्यक

परिवर्तन

आवश्यक परिवर्तन करने की आज्ञा दी। अतएव गवर्नर-जनरल ने

कौंसिल से परीक्षा, विद्यार्थियों की कॉलेज में अध्ययन की अवधि,

व्यय आदि के संबंध में सम्मति माँगी और २६ जनवरी, १८२१ को

सरकारी मंत्री, लाशिंगटन, ने उसे इस संबंध में एक पत्र लिखा।^२

कौंसिल ने अपनी रिपोर्ट ३ मार्च, १८२१ को गवर्नर-जनरल के विचारार्थ भेज

दी। कौंसिल ने कोर्ट की इच्छा-पूर्ति करने का वचन दिया। वह सहायक प्रोफेसर का पद

तोड़ने, केवल दो परीक्षक रखने, मंत्रि-पद को परीक्षक-पद से अलग रखने—वह भी अलग-अलग

व्यक्तियों द्वारा, एवजी परीक्षक हटाने, और कॉलेज के भारतीय अध्यापकों की

संख्या कम करने के लिए तैयार थी। सैनिक विद्यार्थियों के संबंध में उसने अपना मतभेद

प्रकट किया। उसका नया प्रस्ताव फ़ारसी और हिंदुस्तानी विभागों में क्रमशः छः-छः

मुंशी, बंगला विभाग में चार पंडित और एक हिंदुस्तानी अनुवादक रखने का था। इससे

तीस हजार नौ सौ चवालीस रुपए वार्षिक की बचत होती थी। परीक्षक का मासिक वेतन

पाँच सौ रुपया रक्खा गया और संख्या दो। मासिक वेतन के अतिरिक्त फ़ौजी भत्ता एक

सौ चौरानवे, यदि लेफ़्टिनेंट हो तो कुछ अधिक, रखने का विचार हुआ। इससे सोलह

हजार छः सौ छप्पन रुपए वार्षिक व्यय बढ़ने की आशंका थी। किंतु तीस हजार नौ सौ

चवालीस में से घटाने पर फिर भी चौदह हजार दो सौ अठ्ठासी की बचत होती थी। फिर

प्रोफेसरों की अनुपस्थिति में परीक्षकों के पढ़ाने का सुझाव पेश किया गया और गुजायश

होने पर भारतीय अध्यापकों की संख्या और कम करने की सूचना दी। पुरस्कार, पदक-

वितरण आदि के संबंध में पहले की भाँति प्रतिबंध रखे गए।^३

२३ मार्च, १८२१ को सरकारी मंत्री, लाशिंगटन, ने गवर्नर-जनरल के विचारों

का आशय देते हुए कौंसिल को पत्र लिखा। गवर्नर-जनरल ने सैनिक विद्यार्थियों का

दाखिला बंद कर दिया। लेकिन चूँकि असैनिक विद्यार्थी कॉलेज से वर्ष में दो बार

निकलते थे, इसलिए, सहायक प्रोफेसर हटाने पर भी, सैनिक विद्यार्थियों का सीमित संख्या

^१ फो० वि०, १३ दिसंबर, १८१६—६ मई, १८२२, हो., मि० जि० ८, पृ० १११-११६, इ० २० डि०। कोष्ठकों में स्थायी होने की तिथियाँ हैं।

^२ वही, पृ० ३२३ ३३०

^३ वही, पृ० ३५३ ३६६

में दाखिला किया जा सकता था। संभवतः कोर्ट का ध्यान इस ओर नहीं गया था। व्यय कोर्ट की इच्छा से भी अधिक कम कर दिया गया था। सैनिक विद्यार्थियों की सीमित संख्या की शिक्षा उन्होंने अधिक लाभदायक समझी। इस संबंध में उन्हें आशा थी कि कोर्ट अपना पिछला आज्ञापत्र वापिस ले लेगा। किंतु कोर्ट की आज्ञा प्राप्त होने तक उन्होंने सैनिक विद्यार्थियों का दाखिला बिल्कुल बंद कर दिया और उस समय जो सैनिक विद्यार्थी थे उन्हें अपना पाठ्य-क्रम पूर्ण करने की आज्ञा दी। सहायक प्रोफेसर हटाने के लिए उन्होंने अगले महीने की पहली तारीख निश्चित की। इन बातों के अतिरिक्त गवर्नर-जनरल ने कौंसिल की रिपोर्ट पर पूर्ण संतोष प्रकट किया।^१

दो परीक्षाओं की प्रस्तावित जगहों के लिए (अब) कैप्टेन प्राइस, लेफ्टिनेंट डी० रडेल और लेफ्टिनेंट जेम्स ऐलैक्जैंडर एटन (Aytton) ने प्रार्थना-पत्र भेजे।^२ गवर्नर-जनरल ने प्राइस और रडेल को परीक्षक नियुक्त किया।^३

१ मई, १८२१ के विवरण के अनुसार हिंदुस्तानी विभाग के दस मुंशियों में से तारिणीचरण मित्र प्रधान मुंशी और महानद नागरी सुलेखक थे। 'भाखा' विभाग में लल्लूलाल मुंशी और नरसिंह (१८१८) पंडित थे। कोर्ट ने अपने ४ जुलाई, १८२१ के पत्र में कॉलेज की नई व्यवस्था पर पूर्ण संतोष प्रकट किया। गवर्नर-जनरल के विचारों से वह पूर्णतया सहमत था। इस बात की सूचना कौंसिल को दे दी गई।^४

स्थायी विभाग के नरसिंह 'भाखा'-पंडित ने १२ मार्च, १८२१ से चार महीने की छुट्टी ली थी। अपने एवज में वे एक दूसरा व्यक्ति रख गए थे। नरसिंह पंडित किंतु छुट्टियाँ समाप्त होने पर भी वे वापिस न आए। इसलिए कॉलेज से अलग कौंसिल ने अपनी २१ दिसंबर, १८२१ की बैठक में ३१ दिसंबर, १८२१ से उन्हें स्थायी विभाग से अलग कर दिया।^५ लम्सडन के लौट आने पर लेफ्टिनेंट ब्राइस कॉलेज से अलग कर दिए गए।

विद्यार्थियों की शिक्षा के मापदंड का ऊपर उल्लेख हो चुका है। उस समय सरकार किसी निर्णय पर न पहुँच सकी थी। १८२२ के प्रारंभ में सरकार ने विद्यार्थियों के अनुशासन, परीक्षा-क्रम, नौकरी के लिए योग्यता का मापदंड आदि समस्याओं के संबंध में फिर एक नई रिपोर्ट माँगी। कौंसिल के मंत्री ने २५ फरवरी, १८२२ को विभिन्न मिनिट्स सरकार के सामने रखी। जहाँ तक हो सकता था वे जल्दी से जल्दी विद्यार्थियों का शिक्षा-काल समाप्त कर देना चाहते थे।^६

^१वही, पृ० ३०६-३०७

^२वही, पृ० ३६६-३६८

^३वही, पृ० ३०६-३०७

^४वही, पृ० ५११-५१४

^५वही पृ० ५२७

^६वही पृ० ५२५-५२८

सरकार ने इस संबंध में गियोर्गे मॉर्गा । १३ अप्रैल, १८२२ को मंत्री, लॉकेट ने अपने पत्र के साथ नए विधान का मसौदा गवर्नर-जनरल के विचारार्थ भेजा । उससे एक दिन पहले कौंसिल के सदस्यों ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर कॉलेज के विधान दिए थे । और इसी तिथि अर्थात् १२ अप्रैल, १८२२ से नए का छठा परिच्छेद विधान का छठा परिच्छेद लागू हुआ माना गया । चौथे परिच्छेद में कुछ आवश्यक परिवर्तन कर यह नया परिच्छेद बनाया गया था ।^१ ३ मई, १८२२ को सरकार ने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी ।^२

१ मई, १८२२ का कॉलेज-विवरण लगभग पहले विवरण की भाँति है । 'भाखा' विभाग में केवल लल्लूलाल का ही उल्लेख है, अन्य किसी का नहीं ।^३ १ मई, १८२३ के विवरण में भी केवल लल्लूलाल का उल्लेख मिलता है ।^४ लल्लूलाल का कॉलेज के विवरणों में उनका यह अंतिम उल्लेख है । संभवतः १ मई, १८२४ से पहले ही उनका देहात हो गया था । यदि नियमित रूप से वे अवकाश ग्रहण करते तो उन्हें पेंशन मिलती । किंतु उनकी पेंशन का उल्लेख कहीं नहीं मिलता ।

लल्लूलाल के बाद कॉलेज को एक ब्रजभाषा-अध्यापक की आवश्यकता थी । अतः विलियम प्राइस को एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण मिले जो पिछले छः वर्ष से श्रीरामपुर मिशनरियों के यहाँ कनौजी बोली में ईसाई धर्म-पुस्तक के नए कॉलेज के लिए ब्रज-भाषा-अध्यापक की आवश्यकता और गंगा-प्रसाद की नियुक्ति शनिवार की दोपहर को प्राइस ने उनकी संस्कृत और हिंदी की बोलियाँ (Hindee dialects) में परीक्षा ली । पूर्ण सन्तुष्ट हो जाने पर प्राइस ने २३ सितंबर, १८२३ को उन्हें रख लेने के लिए कौंसिल से सिफारिश की—विशेष रूप से उस समय जब कि वे तारिणीवर्ष मित्र के संग्रह-ग्रंथ की आयोजना के अंतर्गत 'प्रेमसागर' के नए संस्करण के प्रूफ ठीक करने और प्राइस कृत शब्दकोष का संशोधित और परिवर्धित संस्करण तैयार करने में सहायक सिद्ध हो सकते थे । इन नए 'भाखा'-पंडित का नाम गंगाप्रसाद शुक्ल था ।^५

ग्रंथ-प्रकाशन की दृष्टि से टेलर का समय, गिलक्राइस्ट के बाद, विशेष महत्त्वपूर्ण

^१ वही, पृ० ५१७-६००

^२ फो० वि०, १७ जून, १८२२—१५ दिसंबर, १८२४, हो०, मि०, जि० ६, पृ० ६७, ६० ६० डि०

^३ वही, पृ० ६०८-६११

^४ वही, पृ० २१४-२१८

^५ फो० वि०, २५ मार्च १८०६—१० जुलाई १८११, हो० मि०, जि० २, पृ० १ ३० २० डि०

उनके समय में माकिनटोश के शब्दकोष (१८०८) की चार सौ अस्सी और मीर शेर अली कृत ऐतिहासिक ग्रंथ के द्वितीय भाग (१८०८) की सौ प्रतियाँ ग्रंथ-प्रकाशन (सौ चौपेजी पृष्ठ, साढ़े छः रुपया फ्री प्रति के हिसाब से) कौंसिल ने मोल लीं। कौंसिल की २५ मार्च, १८०८ की बैठक में हिंदुस्तानी प्रोफेसर का १८ दिसंबर, १८०८ का लिखा हुआ पत्र पढ़ा गया। इस पत्र के अनुसार लल्लू जी लाल कवि ने एक प्रार्थना-पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने 'प्रेमसागर' के शेषांश और 'राजनीति' की छपाई के संबंध में लिखा था। टेलर के मतानुसार ये दोनों ग्रंथ हिंदुस्तानी भाषा के परिपक्व ज्ञान के लिए अत्यंत महायक थे। 'भाखा' में गद्य-ग्रंथों की कमी और इन दोनों ग्रंथों की भाषा शुद्ध और ठीक-ठीक होने के कारण कौंसिल के सदस्यों के वे उपयुक्त थे। शुद्ध और ठीक-ठीक 'भाखा'-गद्य लिखने वालों में, टेलर के मतानुसार, लल्लूलाल से अधिक योग्य और कोई पंडित नहीं था। इसके अतिरिक्त टेलर ने पचीस-पचीस रुपया मासिक वेतन के आधार पर दो कालिब और सत्रह-सत्रह रुपया मासिक वेतन के आधार पर दो लेखक, जिनमें से एक नागरी-लेखक, मांगे, क्योंकि मजदूरी के हिसाब से रखे जाने वाले लेखकों का ज्ञान अच्छा न था।^१ कौंसिल के मंत्री, विलियम हंटर, ने टेलर के इस पत्र का हवाला देते हुए ३१ जनवरी, १८०६ को स्थानापन्न सरकारी मंत्री, जॉर्ज दुकर, को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने टेलर द्वारा निर्दिष्ट ग्रंथों की उपयोगिता की दृष्टि से प्रत्येक ग्रंथ की सौ-सौ प्रतियाँ लेने की आज्ञा माँगी। 'प्रेमसागर' में दो सौ चौपेजी पृष्ठ थे और अब तक दी जाने वाली दर के हिसाब से एक प्रति का मूल्य तेरह रुपया होता था। 'राजनीति' में दो सौ बीस अठपेजी पृष्ठ थे और एक प्रति का मूल्य सात रुपया पड़ता था। छप जाने पर हिसाब में कुछ घट-बढ़ हो जाने की संभावना थी। ३ फरवरी, १८०६ को सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी।^२ डॉ० हंटर द्वारा प्रकाशित 'हिंदुस्तानी डिक्शनरी' की पचास-पचास प्रतियाँ बारासन, धरई और मद्रास के विद्यार्थियों के उपयोग के लिए भेजी गईं।

२२ फरवरी, १८०६ को गिलक्राइस्ट के एजेंट, मेसर्स माकिनटोश फुल्टन ऐंड कंपनी, ने गिलक्राइस्ट के फुटकर ग्रंथों के लिए छः सौ छः सिक्का रुपए मांगे। ये ग्रंथ कौंसिल को दे दिए गए थे। २ मार्च, १८०६ को उन्हें सरकारी उत्तर मिला। 'इंडियन गाइड' की तेईस प्रतियों के लिए उन्हें केवल एक सौ चौरासी रुपए दिए गए। 'शकुंतला नाटक' का मूल्य पिछले पाँच हजार में शामिल था।

संस्कृत प्रेस के प्रोप्राइटर (मालिक) बाबूराम पंडित ने 'विहारी सतसई' प्रकाशित की थी। 'पुरानी हिंदी वा ब्रजभाखा' का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ होने की दृष्टि से कौंसिल के ३ मई, १८०६ के पत्रोत्तर में ५ मई, १८०६ को सरकारी स्वीकृति प्राप्त हुई। दो रुपए छः आने छः पाई (सिक्का रुपया)

विहारी सतसई

फ़ों प्रति के हिसाब से सौ प्रतियों का मूल्य दो सौ चालीस रुपया दस आना (सिक्का रुपया) होता था । प्रत्येक प्रति में एक सौ तीन अठपेजी पृष्ठ थे ।^१ २७ मई, १८०६ की बैठक में कांसिल ने 'हिंदी' और फ़ारसी-शब्द सूची का अनुवाद करने पर सदल मिश्र को पचास रुपए दिए ।

लल्लूलाल कृत 'राजनीति' की सौ प्रतियाँ कॉलेज के पुस्तकालय में आ गई थीं, इमालए कांसिल के मंत्री, विलियम हंटर, ने २६ मई, १८०६ को सरकारी मंत्री, टुकर, के नाम एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने पुस्तक के मूल्य के बिल पर सरकारी स्वीकृति चाई । पिछली ३ फ़रवरा को सरकार ग्रंथ के लिए स्वोकृति दे चुकी थी । किंतु उस समय ग्रंथ के दो सौ बीस अठपेजी पृष्ठों ने समान होने की संभावना थी और जिसका मूल्य साढ़े सात रुपए फ़ी प्रति होता था । किंतु छपने पर उसकी पृष्ठ-संख्या दो सौ सत्तावन हुई, इसलिए फ़ों प्रति का बढ़ा हुआ मूल्य साढ़े आठ रुपए हुआ अथवा कुल प्रतियों का मूल्य आठ सौ साढ़े सैतीस सिक्का रुपया होता था । इस पर सपरिपद् गवर्नर-जनरल ने २८ जुलाई (१), १८०६ को अपनी स्वीकृति दी ।^२

'विहारी सतसई' के बाद संस्कृत प्रेस के प्रोप्राइटर बाबूराम पंडित ने तुलसी कृत 'रामायण' प्रकाशित करने को सोची । 'पूर्वी बोली (Dialect) में, अथवा उस बोली में जो बनारस, अवध इत्यादि के साथ-साथ दिल्ली से पूर्व के सूबा में बोली जाती थी' 'रामायण' का विशेष स्थान था । इसलिए १३ जनवरी, १८१० को विलियम हंटर ने सरकारी मंत्री, टुकर, के नाम पत्र लिखा और ग्रंथ के लिए सिफ़ारिश की । बंगला और संस्कृत के प्रोफ़ेसर कॅरें के मतानुसार यह वह बोली थी जो संस्कृत से निकली थी और हिंदुओं में जिसका अत्यधिक प्रचार था । हिंदुस्तान में हिंदू जाति ही सबसे बड़ी थी । अतएव सरकार का इस ग्रंथ के प्रकाशन की ओर ध्यान जाना अनिवार्य था । कॅरें के मतानुसार, और वैसे भी, भारत-वर्ष की समस्त बोलियों के ग्रंथ प्रकाशित करना उपयोगी कार्य था । 'रामायण' की इस प्रति में बाबूराम पंडित पाँच सौ पृष्ठ रखना चाहते थे । चार रुपए प्रति सौ पृष्ठ के हिसाब से उन्होंने बीस रुपए फ़ी प्रति मूल्य निर्धारित किया । १६ जनवरी, १८१० के पत्र में सपरिपद् के उप-सभापति ने कांसिल का प्रस्ताव स्वीकार किया ।^३

२४ जनवरी, १८१० को डेलर ने कांसिल के मंत्री, विलियम हंटर, के नाम एक पत्र लिखा जिसके साथ उन्होंने 'हिंदी मुंशी' लल्लू जी लाल की रचनाओं, 'भक्तलिषात-इ-हिंदी' और ब्रजभाषा-व्याकरण, के संबंध में दिया गया प्रार्थना-पत्र भेजा था । हिंदुस्तानी के ज्ञान के लिए ये रचनाएँ आवश्यक समझी गई थीं । लल्लू जी लाल का प्रार्थना-पत्र फ़ारसी भाषा और लिपि में इस प्रकार है :

लल्लूलाल कृत
'नक़्खिवात-इ-हिंदी'
या 'ब्रतायफ़-इ-हिंदी'
और ब्रजभाषा-व्याकरण

^१ वही, पृ० ६३-६४

^२ वही, पृ० १२१-१२२

^३ वही, पृ० १८०-१८१

‘सुदावदान-इ-नैमत दामा इकबाल अहुम

नक़्लियात-इ-हिदी तसनीफ़-इ-फ़िदवी बजुवान-इ-रेखता मुतज़म्मिन अक्सर ज़रखुल
मसाल व दोहा व लतायफ़ औ नश्रात नक़्लियात-इ-मरकूमूसदर वर आबुर्दा व तर्जुमा
मरद-इ-जॉन विलियम टेलर व इब्राहम लॉकेट साहेब बजुवान-इ-अंगरेजी इखुल हुकुम
आहिब-इ-मुदरिस जह ते साहबान-इ-मुताल्लमीन मुजतदी मुन्तवह (?) मीगर्दद व नक़्लियात
मज़कूरा तबकात-इ-इदों (?) तखमीनन से सद सफ़ा खवाहद शुद फ़ी सद व नक़्लियात
हिसाब सः रुपया व चहार आना हम गी (?) क़ीमत यक जिल्द तमास मय लुगात नौ रुपया
द्वाब्दः आना व कायदा-इ-सर्फ़ जवान ब्रज कि बमूजिन-इ-फ़र्माहश-इ-साहिबान-इ-ममदूहीन
फ़िदवी तालीफ़ कर्दा मए तर्जुमा-इ-अॉ बजुवान-इ-अंगरेजी कमोवेश हफ़ताद वो पंज सफ़ा
मज़कूरा चहार रुपया चहारदः आना मीशवद लिहाज़ा उम्मीदवार-इ-तफ़ज़ुला (?) अस्त
कि यक थक सद जिल्द अज़हर किताब मरकूम-इ-सदर व कुतुबखाना सर्कार-इ-दौलत
सदार कंपनी बहादुर अदामा इकबाल अहुम खरीद शवद पाजिन वूद अर्ज़ नमूद

ज्यादः अफ़ताब-इ-दौलत ताबॉ व दरख़शॉबाद

अरज़ी

फ़िदवी श्री लाल कवि”^१

(फ़ारसी लिपि से)

टेलर के पत्र का हवाला देते हुए कौंसिल के मंत्री ने २५ जनवरी, १८१० को
सरकारी मंत्री, टुकर, के नाम पत्र लिखा जिसमें उन्होंने परिषद् के उप-सभापति से प्रार्थना
की कि हिंदुस्तानी के प्रोफ़ेसर ने हिंदुस्तानी विभाग के ‘भाखा’-मुंशी लल्लूलाल कवि के
दो ग्रंथों की जो सिफ़ारिश को है उसे स्वीकार किया जाय । पहला ग्रंथ अर्थात् ‘नक़्लियात-
इ-हिदी’ कहावतों से पूर्ण तथा बामुहावरा हिंदुस्तानी और हिंदुई की कहानियों का संग्रह
था । साथ में दुर्बोध और असाधारण शब्दों की अर्थ-सहित सूची भी कैप्टेन टेलर और
लेफ़्टिनेंट लॉकेट ने जोड़ दी थी । दूसरे ग्रंथ में ब्रजभाषा-व्याकरण के सिद्धांतों का ब्रज-
भाषा और अंगरेजी में सक्षिप्त विवरण था । पहले ग्रंथ की पृष्ठ-संख्या तीन सौ अठपेजी
और दूसरे की पचहत्तर चौपेजी रक्खी गई । कॉलेज के प्रचलित दर से पहले ग्रंथ का
मूल्य नौ रुपया वारह आना फ़ी प्रति और दूसरे ग्रंथ का मूल्य चार रुपया चौदह आना
फ़ी प्रति रक्खा गया । कौंसिल के मंत्री ने प्रत्येक ग्रंथ की सौ-सौ प्रतियाँ लेने की प्रार्थना
की । दोनों का कुल मूल्य एक हजार चार सौ बासठ रुपया आठ आना होता था ।
२६ जनवरी, १८१० को उन्हें सरकारी स्वाकृति मिल गई ।^२

‘गुलबकावली’ और ‘हफ़्त पैकर’ का हिंदुस्तानी पद्य में अनुवाद करने पर क्रमशः
मुंशी रकनुद्दीन और हैदरबख़्श को दो-दो सौ रुपए का पुरस्कार दिया गया । इसी समय
कौंसिल ने कोलब्रुक कृत ‘मध्य देश’ तथा भारतवर्ष की अन्य भाषाओं की शब्द-सूचियों

^१ वही, पृ० १८२

^२ वही, पृ० १८२-१८४

को प्रतिफलित कराने का प्रस्ताव स्वीकार किया। कैप्टेन टेलर के कहने से 'इंतखाव मीर सोज़' की तीन रूपया बारह आना चार पाई फ्री प्रति के हिसाब से सौ प्रतियाँ खरीदी गईं।

विलियम हंटर द्वारा १० फरवरी, १८१० को काँग्रेस के समापति हारिंगटन और अन्य सदस्यों के नाम लिखे गए पत्र से पता चलता है कि 'हिंदुस्तानी डिक्शनरी' की रचना में उन्हें लल्लूलाल और तारिखीचरण मित्र की सहायता मिल रही थी। किंतु कार्य अधिक होने से उन्हें और भी देशी विद्वानों की आवश्यकता थी। उन्हें चालीस रुपए मासिक वेतन पर एक मुंशी और तीस रुपए मासिक वेतन पर एक पंडित मिल भी गया था। १ फरवरी, १८०६ से अब तक का व्यय भी वे चाहते थे। काँग्रेस ने सरकार से उनकी सिफारिश की और १६ फरवरी, १८१० को उन्हें सत्तर रुपए मासिक व्यय की सरकारी स्वीकृति मिल गई।^१

टेलर ने सौदा की रचनाएँ प्रकाशित करने के लिए आज्ञा माँगी। किंतु काँग्रेस ने ६ अप्रैल, १८१० को उनकी प्रार्थना अस्वीकार की। ४ अप्रैल, १८१० को कॉलेज ने निम्नलिखित हिंदुस्तानी ग्रंथ एशियाटिक सोसायटी को भेंट-स्वरूप दिए :

'प्रेमसागर', 'हिंदुस्तानी और इंगलिश डिक्शनरी' २ जिल्द, 'आरायश-इ-महफ़िल', 'ऑरिएंटल लिग्विस्ट', 'बिहारी-सतसई', 'राजनीति', 'तोता-कहानी', और 'दीवान मीर सोज़'। इनके साथ बंगला, फ़ारसी, मराठी आदि की पुस्तकें भी दी गईं थी। २२ मई, १८१० को 'अकबरनामा' का अनुवाद करने पर खलील खाँ और 'गुलशन अखलाक' के अनुवाद के लिए मीर सैयद अली को क्रमशः दो सौ और बीस रुपए का पुरस्कार दिया गया। हिंदुस्तानी पाठ्य-पुस्तकों का अभाव देखकर टेलर ने अरबी रचना 'इख़वानुस्सफ़ा' का अनुवाद रेख़ता में कराना चाहा। इस संबंध में उन्होंने काँग्रेस के मंत्री, हंटर, के नाम पत्र लिखा। अनुवाद-कार्य लॉकेंट के मुंशी तूराब अली ने, जो लखनऊ के निवासी और हिंदुस्तानी भाषा के पूर्ण पंडित थे, अपने ऊपर ले लिया था। अन्य भारतीय विद्वानों ने उन्हें सहायता देने का वचन दिया था। ग्रंथ पूर्ण होने पर तीन सौ पचास अठपेजी पृष्ठ हुए। फ्री प्रति का मूल्य बारह रुपया रक्खा गया। सरकार द्वारा सहायता मिलने पर उसकी पाँच सौ प्रतियाँ छप सकती थीं। इस ग्रंथ की भाषा को टेलर रेख़ता का सर्वोत्तम उदाहरण समझते थे। अनुवाद भी टेलर और लॉकेंट के निरीक्षण में हुआ था। काँग्रेस की सिफारिश से २६ जून, १८१० को सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी। तत्पश्चात् तारिखीचरण मित्र, हेड मुंशी, तथा अन्य भारतीय विद्वानों ने मीर तक़ी की समस्त हिंदुस्तानी रचनाओं का संग्रह प्रकाशित करने का प्रस्ताव काँग्रेस के सामने रक्खा। काँग्रेस ने सरकार से इस प्रस्ताव की सिफारिश की। प्रस्तावकों का अनुमान ग्रंथ में लगभग एक हजार पृष्ठ-सख्या रखने का था। प्रति सौ चौपेजी पृष्ठों का मूल्य छः रुपए के स्थान पर पाँच रुपए रक्खा गया और सरकार से सौ प्रतियाँ मोल लेने की प्रार्थना की गई। साथ ही बीस प्रतियाँ कॉलेज के लिए अलग मोल लेने की

प्रार्थना की गई। ६ जुलाई, १८१० को सरकार ने केवल सौ प्रतियों के लिए अपनी स्वीकृति दी। 'इख्वानुस्सफा' के आशिक अनुवाद के लिए त्राव अली को सौ रुपए पुरस्कार-स्वरूप मिले। तारिणीचरण मित्र को उनके 'खुलासतुल-हिसाब' के लिए एक हजार दो सौ पैंतीस रुपए की स्वीकृति मिली (७ नवंबर, १८१०)।

२ अक्टूबर, १८१० को कौंसिल के मंत्री, विलियम हंटर, ने सरकारी मंत्री, जॉन टुकर, को लल्लूलाल कृत 'प्रेमसागर' के संबंध में एक पत्र लिखा। लल्लूलाल को हिंदुस्तानी विभाग का 'भाला'-मुंशी कहा गया है। पत्र के साथ मंत्री ने 'प्रेमसागर' सौ प्रतियों के लिए एक हजार नौ सौ पैंतीस रुपए का बिल भेजा था। इस ग्रंथ का लगभग आधा भाग गिलक्राइस्ट द्वारा प्रकाशित हुआ था और छः रुपए प्रति सौ चौपेजी पृष्ठों के हिसाब से सौ प्रतियों का मूल्य उन्हें मिल भी चुका था। ३१ जनवरी, १८०६ को ग्रंथकार ने ग्रंथ पूरा करने के संबंध में प्रार्थना-पत्र भेजा था। और उसी वर्ष ३ फरवरी को उसी पुराने दर से मूल्य मिलने की सरकारी स्वीकृति उसे मिल गई थी। किंतु लल्लूलाल ने बिना मरक़ारी आज्ञा लिए अथवा बिना अपनी इच्छा प्रकट किए फिर शुरू में पूरा ग्रंथ छाप डाला था। अतएव कौंसिल निश्चित दर के आधार पर उस ग्रंथ की सिफारिश नहीं कर सकती थी जिसके लिए उन्हें पहले रुपया मिल चुका था। शेष भाग के दो सौ चौपेजी पृष्ठ के अनुमान से तेरह सौ रुपए मूल्य होता था। किंतु पृष्ठ-संख्या ढाई सौ हो जाने से शेष भाग का मूल्य एक हजार छः सौ पचीस रुपए होता था। ग्रंथ-प्रकाशन-व्यय, ग्रंथकार की दिक्कतों की दृष्टि से तथा अब ग्रंथ की पूर्ण प्रतियाँ रखने की इच्छा से (उसके भाग रखने के स्थान पर) कौंसिल छः रुपए प्रति सौ चौपेजी पृष्ठ के स्थान पर चार रुपए प्रति सौ चौपेजी पृष्ठ के हिसाब से अवश्य पूर्ण ग्रंथ लेना चाहती थी। इस हिसाब से कुल मूल्य एक हजार छः सौ पचीस के स्थान पर एक हजार नौ सौ पैंतीस होता था। जब लल्लूलाल ने कौंसिल का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो उन्होंने सरकारी स्वीकृति के लिए प्रार्थना की। ५ अक्टूबर, १८१० का सपरिपद गवर्नर-जनरल की स्वीकृति सरकारी मंत्री, टुकर, ने कौंसिल के मंत्री, विलियम हंटर, के पास भेज दी।^१

'बहार-इ-इश्क' के हिंदुस्तानी अनुवाद के लिए नूरअली को पचास रुपए पुरस्कार-स्वरूप मिले। विलियम हंटर के पत्रानुसार बाबूराम पंडित को तुलसी कृत 'रामायण' प्रकाशित करने पर १६ जनवरी, १८१० के पत्र में स्वीकृत धन के स्थान पर दो हजार पॉंच सौ छिहत्तर रुपए मिले। 'रामायण' की चालीस प्रति हर्टफोर्ड, चालीस फोर्ट सेट जॉर्ज, चालीस ब्रंडे भेजी गईं और बीस प्रतियाँ फोर्ट विलियम कॉलेज में रक्खी गईं। १८ जनवरी, १८११ के सरकारी पत्रानुसार टॉमस रोएनक को 'सामुद्रिक शब्दावली' (Marine Vocabulary) प्रस्तुत करने की आज्ञा मिली। विलियम हंटर को अरबी, फ़ारसी, हिंदुस्तानी और पंजाबी कहावतों का संग्रह करने की सरकारी आज्ञा मिली। मिर्जा जॉन तपिश (Jaun Taupish) को हिंदुस्तानी में 'बहार दानिश' का अनुवाद करने पर

पाँच सौ रुपए मिले। १६ नवंबर, १८१० को मज़हर खाँ विला ने अपना दीवान कॉलेज को भेंट-स्वरूप दिया। कॉलेज ने सधन्यवाद उसे स्वीकार किया। १२ अगस्त, १८१६ को टेलर ने मज़हर अली की मृत्यु की सूचना दी।

विलियम हटर बाहर जाने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपने ७ मार्च, १८११ के पत्र में 'हिंदुस्तानी डिक्शनरी' के निरीक्षण के लिए टॉमस रोएबक को नियुक्त किया। इस सबब में उन्होंने कौंसिल से तारिखीचरण मित्र और लल्लूलाल की सेवाएँ बनाए रखने की प्रार्थना की। तारिखीचरण मित्र का कार्य वे अनिवार्य समझते थे। लल्लूलाल से तो कभी-कभी सहायता ली जाती थी। इससे उनके अपने प्रोफेसर-वाले कार्य में कोई विघ्न नहीं पड़ता था। अथवा यदि किसी विद्यार्थी या मुशी को 'भाखा'-ज्ञान उपलब्ध करने में उनकी आवश्यकता प्रतीत होती थी तब भी 'डिक्शनरी' का कार्य कोई बकावट पैदा नहीं करता था। किंतु कुछ दिन बाद लल्लूलाल भी छुट्टी पर जाने वाले थे, इसलिए हटर ने अपने पत्र में लोचनराम पंडित का नाम कौंसिल के सामने पेश किया। लोचनराम पंडित दोआब के रहने वाले थे। ब्रजभाषा और खड़ीबोली पर उनका पूर्ण अधिकार था। कुछ समय पूर्व स्थायी नौकरी पाने के विचार से उन्होंने अपनी कुछ खड़ीबोली रचनाएँ हटर के पास भेजी थीं। किंतु आवश्यकता न होने से उस समय हटर ने उन पर कुछ ध्यान न दिया था। मभवतः इसी पत्र के साथ उन्होंने उन ग्रंथों की सूची भी भेजी जिनसे वे 'हिंदुस्तानी डिक्शनरी' तथा उसके परिशिष्ट भाग की रचना करने में सहायता ले रहे थे। 'डिक्शनरी' के शब्द-समूह और फलतः हिंदुस्तानी भाषा के रूप की दृष्टि से सूची दिलचस्प है।^१

क्रोप समाप्त होने तक कौंसिल ने तारिखीचरण मित्र और लल्लूलाल को बनाए रखने का प्रस्ताव स्वीकार किया। १६ फरवरी, १८१० के अनुसार बारह महीने तक सत्तर रुपए मासिक व्यय भी कौंसिल देती रही।

२६ जनवरी, १८१० को सरकार ने मुशी लल्लूलाल कृत 'दि ग्रैमैटिकल प्रिंसीपिल्स ऑव ब्रजभाखा' के लिए आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया था। छप जाने पर लल्लूलाल ने सौ प्रतियों के मूल्य छः सौ चार रुपए आठ आने का बिल बना कर कौंसिल के मंत्री, ए० गैलोवे, के पास भेजा। कौंसिल की सिफारिश पर सरकारी मंत्री, सी० एम्० रिकेट्स, ने २ अगस्त, १८११ को सरकारी स्वीकृति भेज दी।^२

लगभग इसी समय बाबूराम पंडित ने 'मिताहारा' (सं०) प्रकाशित किया। ५ दिसंबर, १८११ की बैठक में कौंसिल को 'हिंदुस्तानी एंड इंग्लिश नैवल डिक्शनरी' पूर्ण होने की सूचना मिली। रोएबक के १४ जनवरी, १८१२ के पत्र से यह ज्ञात होता है कि १८०६ से १८१० तक उन्होंने एडिनबरा में गिलक्राइस्ट के साथ काम किया था। इसी आधार पर उन्होंने

^१ दे०, परिशिष्ट ख

^२ फो० वि० २४ सितंबर, १८११—१२ जनवरी, १८१४, हो०, मि०, वि० ४,

अपनी रचनाओं के लिए आर्थिक सहायता माँगी। पत्र के अनुसार उनकी ग्रंथ सूची इस प्रकार है :

१. 'ब्रिटिश इंडियन मौनीटर', २ जिल्द, एडिन०, १८०६
२. 'हिंदुस्तानी ऐंड इंगलिश डायलैगज', एडिन०, १८०६
३. 'थेन् इंगलिश ऐंड हिंदुस्तानी डिक्शनरी विथ ए ग्रमर प्रिफ़िकस्ड', एडिन०, २० फरवरी, १८०६
४. " " दूसरी जिल्द, २० फरवरी, १८०६
५. 'ब्रिटिश इंडियन मौनीटर,' तीसरी जिल्द, (डॉ० गिलक्राइस्ट को सहकारिता में सामग्री संकलित की)

कोर्ट उन्हें पाँच सौ गिनी दे चुका था। इसलिए कौंसिल ने तदनुसार उन्हें सूचित कर दिया।^१

'तारीख नादिर' के हिंदुस्तानी अनुवाद के लिए हैदरअब्दुल को और मिर्जा जॉन तपिश को उनकी पद्यात्मक रचना (१) के लिए कौंसिल ने क्रमशः तीन सौ और चार सौ रुपये पुरस्कार-स्वरूप दिए। इसी समय मिर्जा काज़िम अली को 'बारहमासा' या 'दस्तूर-उल्ल-हिंद' की सौ प्रतियों के लिए चार सौ पच्चीस रुपये, 'हिंदी स्टोरी टैलर', दो जिल्द, का पंजाबी में अनुवाद करने पर सुंशी काशीराज को सौ रुपये, और 'चार गुलशन' का उर्दू में अनुवाद करने पर बेनी नारायण को साठ रुपये पुरस्कार-स्वरूप दिए गए।

२५ अप्रैल, १८१२ की सरकारी सूचना के अनुसार कौंसिल ने यह घोषित किया कि चूँकि हिंदुस्तानी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ग्रंथ-संग्रह पर्याप्त हो चुकी है, इसलिए भविष्य में बिना पूर्व सरकारी आज्ञा के हिंदुस्तानी अनुवाद-ग्रंथों पर कोई पुरस्कार नहीं दिया जायगा।^२ कौंसिल ने यह घोषणा ३० मई, १८१२ को प्रकाशित की।

हंटर की 'डिक्शनरी' का कार्य रोएचक के निरीक्षण में बराबर हो रहा था। ब्राह्मण पंडित को 'मिताक्षरा' की डेढ़ सौ प्रतियों के लिए तीन हजार रुपये मिले। इसके बाद उन्होंने 'मनुस्मृति' प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट की। 'बारहमासा' की सौ प्रतियों के लिए मिर्जा काज़िम अली को तीन सौ सत्तहत्तर रुपये मिले। १६ फरवरी, १८१३ को निम्नलिखित पुस्तकें फोर्ट सेंट जॉर्ज के विद्यार्थियों के लाभार्थ भेजी गईं :

'प्रेमसागर'—१० प्रतियाँ—१६ रु० फ्री प्रति—१६० रु०

'शामायण' (तु०)— " २० रु० " २०० रु०

'वैताल पच्चीसी' " १८ रु० " १८० रु०

'सिंहासन बत्तीसी' " २२ रु० " २२० रु०

'एन्साइक्लोपीडिया हिंदुस्तानिका' ६. १२ रु० " ६७. ८ रु०

साथ ही 'बागो बहार' या 'चहार दरवेश' के नए संस्करण के लिए कौंसिल ने आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया।

^१ कड़ी, पृ० ११२-११६

^२ कड़ी, पृ० ११४

१७ जनवरी, १८१२ के पत्र में सरकार ने कौंसिल से पूर्वीय साहित्य की उन सभी पुस्तकों का पूर्ण विवरण माँगा जो कॉलेज की स्थापना के समय से १७ जनवरी तक सरकारी व्यय से अथवा सरकारी प्रोत्साहन के कारण—और वे सरकारी कलाओं के कारण क्या थे—छपी थीं। कॉलेज के मंत्री, ए० लॉकेट, ने सरकारी आधार पर अब तक प्रकाशित समस्त ग्रंथों का विवरण मंत्री, सी० एम० रिकेट्स, के पास ६ मार्च, १८१३ को वह विवरण भेज दिया। कुछ पुस्तकों की छपाई का व्यय इसलिए नहीं भेजा गया था क्योंकि वे कॉलेज की स्थापना के समय के व्यय थे और इकट्ठा दे देने के कारण उनके संबंध में ठीक-ठीक पता नहीं चल सका था।^१

कोष पूर्ण होने से पहले ही डॉ० हंटर का देहात हो गया। इसलिए टेलर ने हंटर द्वारा संकलित सामग्री सार्वजनिक संपत्ति समझ कर कॉलेज के मंत्री, लॉकेट, से माँगी। किंतु उस समय मंत्री ने उस कार्य के स्थगित होने की सूचना दी। इसी बीच में रोएबक, जो स्वास्थ्य-सुधार के लिए बाहर गए हुए थे, वापिस आ गए। उन्होंने भी हंटर की सामग्री माँगी और प्रमाण में हिंदुस्तानी की अपनी सेवाओं और गिलक्राइस्ट के साथ कार्य करने की बात का उल्लेख किया। किंतु कॉलेज कौंसिल उस समय कोई निर्णय न कर सकी।

तारिखीचरणा मित्र संस्कृत-ग्रंथ 'पुरुष परीक्षा' का हिंदुस्तानी अनुवाद प्रस्तुत करना चाहते थे। इस संबंध में टेलर ने एक पत्र कौंसिल के मंत्री के नाम लिखा। उनकी सम्मति में हिंदुस्तानी कला के लिए एक पाठ्य-पुस्तक की आवश्यकता भी थी। तीन रुपया चार आना प्रति सौ अठपेजी पृष्ठों के हिसाब से उसका मूल्य चार सौ अठपेजी पृष्ठों के अनुमान से फी प्रति का मूल्य तरह रुपए रखे गए। सरकार ने २५ जून, १८१३ को तारिखीचरणा मित्र के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी।

डॉ० हंटर के कोष के संबंध में रोएबक और सरकार में पत्र-व्यवहार शुरू हुआ। सरकार उसे स्वयं लेकर फिर चाहे जिसे दे देना चाहती थी। किंतु कौंसिल ने रोएबक का पत्र लिया। हंटर की वसीयत के प्रबंधकर्ताओं और रोएबक में समझौता हो गया था और फिर प्रबंधकर्ताओं ने सरकार के पत्रोत्तर में जिस अंश की ओर संकेत किया था वह हंटर कृत कोष के परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित होने के लिए नहीं था।

'बागोबहार' (१८ मार्च, १८१३) की सौ प्रतियों के लिए कौंसिल ने एक हजार सात सौ सोलह रुपए की सरकारी स्वीकृति माँगी। यह स्वीकृति उसे मिल गई। टेलर रु कहने से बेनी नारायण को उनके हिंदुस्तानी विविध-संग्रह (Miscellany) के लिए अस्सी रुपए मिले। गुलाम अकबर द्वारा 'गुलबकावली' और कैप्टेन रोएबक द्वारा 'अथार दानिश' के अनुवाद 'खिर्द अफ़रोज़' के प्रकाशन के लिए भी उसने आज्ञा माँगी।

नूराम पंडित और विद्याकर मिश्र को १७ सितंबर, १८१४ को 'किरातार्जुन' प्रकाशित करने की आज्ञा दी गई। साथ ही 'खिर्द अफ़रोज' के प्रकाशन के लिए भी कौंसिल ने अपनी स्वीकृति दी। इस ग्रंथ की रचना अकबर की आज्ञा से अबुलफ़जल ने फारसी में की थी। इसका हिंदुस्तानी अनुवाद सबसे पहले मौलवी हफ़ीजुद्दीन ने किया था। १८१५ के लगभग लेफ़्टिनेंट डब्ल्यू० आर० पौंसन ने 'इकौनौमी ऑव ह्यूमैन लाइफ़' का हिंदुस्तानी में अनुवाद किया और टेलर ने इसके संबंध में अच्छी सम्मति दी।

१६ जनवरी, १८१५ को रोएबक ने, जो अब कौंसिल के मंत्री थे, ब्रजभाषा के एवज़ी प्रोफ़ेसर लेफ़्टिनेंट प्राइस को लख्खूलाल द्वारा संपादित 'मभाविलास' के प्रकाशन की सूचना दी और ग्रंथ की उपादेयता के संबंध में उनकी सम्मति लख्खुलाल द्वारा माँगी। ब्रजभाषा में काव्य-ग्रंथ की आवश्यकता थी इसलिए संपादित 'मभाविलास' प्राइस ने उसी दिन लिखा—“संग्रहकर्त्ता ने मेरे कहने से ही आपसे प्रार्थना की है। ब्रजभाषा की अधिकांश कविता अश्लील होने के कारण विद्यार्थियों के पढ़ाने योग्य नहीं है। इस ग्रंथ में केवल अनुमोदित अवतरणों का संग्रह है। अश्लील कविताएँ इसमें नहीं रक्खी गईं। इसलिए पाठ्य-पुस्तक के रूप में यह उपादेय ग्रंथ है।” अस्तु, २३ जनवरी, १८१५ को रोएबक ने एवज़ी सरकारी मंत्री, ट्रेज़रर, को उसके प्रकाशन के लिए सिफ़ारिश की। ग्रंथ में सैंतीस अठपेजी पृष्ठ थे और ढाई रुपए फ़ी प्रति के हिसाब से सौ प्रतियों का मूल्य ढाई सौ रुपए होता था। सरकार के सौ प्रतियों न लेने पर उसका मूल्य चार रुपए फ़ी प्रति रक्खा गया। अनेक सैनिक विद्यार्थी ब्रजभाषा का अध्ययन करना चाहते थे। इसलिए प्राइस ने उस पर व्याख्यान देने शुरू भी कर दिए थे। इस प्रकार ग्रंथ की आवश्यकता देख कर २६ जनवरी, १८१५ को सरकार ने उसे प्रकाशित करने की स्वीकृति दे दी।^१

१ फ़रवरी, १८१५ को प्राइस ने कौंसिल के मंत्री, रोएबक, के नाम निम्नलिखित पत्र लिखा :

“कॉलेज के विद्यार्थियों को ब्रजभाषा तथा पूर्व की अन्य बोलियों का ज्ञान सरकारी हितों के लिए आवश्यक समझा जाने और ब्रजभाषा विभाग में मेरी नियुक्ति हो जाने पर मैं अपना यह कर्त्तव्य समझता हूँ कि जब तक अन्य रचनाएँ प्रकाशित न हो जायें मैं इस भाषा का ज्ञान उपलब्ध करने में प्रेस के माध्यम से शीघ्र ही सहायता पहुँचाऊँ।

“समस्त बोलियों में मूल रचनाएँ पढ़ने से पहले विद्यार्थियों को पौराणिक कथाओं से भली भाँति परिचित होना आवश्यक है ताकि वे इन बोलियों को रचनाओं में निरंतर आने वाले सदर्थ या कथात्मक अर्थ समझने में सफल हो सकें। कुछ वर्ष हुए 'प्रेमसागर' या कृष्ण देवता की कथा का कॉलेज के भाखा मुंशी ने खड़ीबोली में अनुवाद किया था। जितने ग्रंथों से मैं परिचित हूँ उनमें से इसे छोड़ कर अन्य कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो

इस विषय की शिक्षा दे सके। यद्यपि इस ग्रंथ के अनेक शब्द मेलमर्म टेलर और हटर द्वारा संग्रहीत कोष में सम्मिलित कर लिए गए हैं, तो भी मैं इस ग्रंथ के अध्ययन की सहायता के लिए एक कोष की आवश्यकता समझता हूँ। टेलर-हटर कृत कोष की फ़ारसी लिपि में शब्द इतने छिप गए हैं कि विद्यार्थियों को शब्द ढूँढ़ने में बड़ी दिक्कत पड़ती है और इसीलिए उनके परिश्रम का कोई परिणाम नहीं निकलता। यह कठिनाई दूर करने के लिए मैंने इस ग्रंथ के सभी प्रमुख-प्रमुख शब्द संकलित कर संस्कृत वर्णानुक्रम से रखे हैं ताकि विद्यार्थियों को शब्द ढूँढ़ने में कोई कठिनाई न हो। नमूना मैं इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ। निरीक्षण के पश्चात् यदि कौंसिल इसे प्रोत्साहन देने योग्य समझे तो मेरी प्रार्थना है कि वह सरकार से इसकी सिफ़ारिश करे। मेरा अनुमान है कि इस प्रकाशन में एक सौ चार चौपेजी पृष्ठ होंगे। हिंदुस्तानी प्रेस में छपाने से पाँच सौ प्रतियों का व्यय आठ सौ बारह सिक्का रुपए के लगभग होगा। ग्राहकों तथा अन्य सज्जनों के लिए मैं फी प्रति बारह रुपए मूल्य रखना चाहता हूँ।

“अंत में मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि जिस ग्रंथ से शब्द चुने गए हैं उसी के अध्ययन के लिए नहीं, वरन् भाखा की अन्य रचनाओं के अध्ययन के लिए भी कोष सहायक सिद्ध होगा; अन्य रचनाओं में ऐसे अनेक शब्दों का निरंतर प्रयोग होता है। भविष्य में एक संपूर्ण ब्रजभाखा कोष तैयार करने का कार्य भी मेरी रचना से अत्यंत मरल हो जायगा।”^१

‘सभा विलास’ (२६ जनवरी, १८१५) की प्रतियाँ आ जाने पर रोएबक ने १० फ़रवरी, १८१५ को ढाई सौ रुपए का बिल सरकारी स्वीकृति के लिए भेजा। १४ फ़रवरी, १८१५ को सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी। फिर उन्होंने ने ग्राहस द्वारा प्रस्तावित कोष की बारह रुपए फ़ी प्रति के हिसाब से सौ प्रतियों की सिफ़ारिश की और उन्हें उसके लिए सरकारी स्वीकृति मिल गई।^२ रोएबक ने अपनी ‘हिंदुस्तानी-इंगलिश डिक्शनरी’ के लिए भी कौंसिल से आर्थिक सहायता माँगी। कौंसिल के लिखने पर इस सबंध में उन्हें सरकारी स्वीकृति प्राप्त हो गई। किंतु बाद को कौंसिल ने उनकी ‘डिक्शनरी’ के लिए दो साल तक के लिए और आर्थिक सहायता माँगी। १८१६ के लगभग आई० ऐलेग्जैंडर एटन (Ayton), दूसरी बयलियन, १७ वीं रेजिमेंट, नेटिव इंफैंट्री, ने ‘अखलाक-इ-हिदी’ का कुमायूनी में अनुवाद किया।

१६ मार्च, १८१६ को रोएबक ने विज़िटर्स के भाषणों, कॉलेज द्वारा प्रकाशित ग्रंथों, विद्यार्थियों की सूची आदि के सहित कॉलेज के इतिहास (Annals) के संबंध में एक ग्रंथ प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट की। चार सौ छपन अठपेज रोएबक कृत ‘ऐजन्स’ पृष्ठों में ग्रंथ समाप्त करने का उन्होंने अनुमान लगाया और तीन तथा अन्य ग्रंथ रुपया चार आना प्रति सौ पृष्ठ के हिसाब से सौ प्रतियों का मूल्य एक हजार चार सौ ब्यासी होता था। उनकी इच्छा सर्वोत्तम पटना

^१वही पृ० ३२४ ३२६

^२वही पृ० ३३१

कागज पर ग्रंथ छपाने की थी। कॉलेज के लिए इंगलिश पेपर पर छपाने से सौ प्रतियों में एक सौ तीस का अंतर पड़ता था। सोलह रुपए मूल्य रखने की दृष्टि से वे पाँच सौ प्रतियाँ प्रकाशित करना चाहते थे। सौ प्रतियाँ लेने के लिए उन्होंने कौंसिल से प्रार्थना की। कॉलेज के सहायक मंत्री, ऐट्रिक्सन, ने मरकारी मंत्री, रिकेट्स्, के नाम पत्र लिखा, किंतु कोर्ट के कारण सरकार ग्रंथ-प्रकाशन के लिए स्वीकृति न दे सकी।^१

कॉलेज की शासन-व्यवस्था के संबंध में रोएवक ने १० मई, १८१६ को कौंसिल के नाम एक पत्र लिखा था और उसके साथ कौंसिल की सूचना के लिए अपनी रचनाओं की एक सूची भी भेज दी थी। रोएवक कृत ग्रंथ-सूची पहले दी जा चुकी है। निम्नलिखित सूची अधिक विस्तृत है:—

१. 'ब्रिटिश इंडियन मॉनोटर', (एडिनबरा, १८०८)

२. 'इंगलिश ऐंड हिंदुस्तानी डायलैग्स', (एडिन०, १८०६)

३. 'दि इंगलिश ऐंड हिंदुस्तानी डिक्शनरी, विथ ए ग्रैमर प्रिफ़िक्स्ड', (एडिन०, १८१०)

—'व्याकरण', कॉलेज में पढ़ाया जाता है और, टेलर के मतानुसार, यह सर्वोत्तम व्याकरण है।

४. 'इंगलिश ऐंड हिंदुस्तानी नैवल डिक्शनरी ऑफ़ टेक्नीकल वर्ड्स ऐंड फ़्रेजेज' (१८११)

५. 'इंगलिश ऐंड हिंदुस्तानी एक्सर्साइजेज', दो भाग (१८१२)

६. 'बाग़ो बहार' के नए संस्करण का संपादन—इस समय विद्यार्थियों को यही संस्करण पढ़ाया जाता है (१८१३)

७. अबुलफ़जल कृत 'अयार दानिश' का हिंदुस्तानी अनुवाद—'खिर्द अफ़रोज', दो जिल्द (१८१५)

८. विद्यार्थियों के लामार्थ 'गुलब्रकावली' के नए संस्करण का संपादन (१८१५)—

— इस समय विद्यार्थियों को यही संस्करण पढ़ाया जाता है।

९. 'कलेक्शन ऑफ़ ऑरिएण्टल प्रौवर्ब्स' (अमी अप्रकाशित)

१०. 'ए कम्प्लीट हिंदुस्तानी ऐंड इंगलिश डिक्शनरी' (छपने को है)

११. 'ए पशियन डिक्शनरी—बरहान-इ-क़ातिन' (?) (छपने को है)।^१

इसके अतिरिक्त रोएवक के निरीक्षण में निम्नलिखित ग्रंथों की रचना हुई या हो रही थी :

१. 'दीवान-इ-जहाँ', लेखक, बेनी नारायण—विभिन्न शैलियों के हिंदुस्तानी कवियों की सूची (१८१२)

२. 'कसीसल फ़ावयद' या हिंदुस्तानी, फ़ारसी और पंजाबी विभक्तियाँ (१८१२)

३. काशीराज कृत पंजाबी भाषा में 'गुलिस्ताँ' (१८१३)

४. 'विद्या दर्पण'—यह हिंदी की उस अजीब बोली में लिखी गई है जिसे देशी सेना के सिपाही बोलते हैं। इसमें राम-कथा के अतिरिक्त हिंदुओं की प्रायः सभी कलाओं और विज्ञान का सार दिया गया है और इस भाषा में सबसे अधिक मूल्यवान और अनुसृत

रचना समझी जाती है। लेखक, मिर्जा बेग। यह ग्रंथ अभी-अभी समाप्त हुआ है और कॉलेज काँसिल की आज्ञा से हिंदुस्तानी के प्रोफेसर के पास निरीक्षणार्थ भेजा गया है।

५. 'ए पंजाबी डिक्शनरी', गुरुमुखी लिपि में, प्रत्येक शब्द का उच्चारण देवनागरी में दिया गया है, फ़ारसी में अनुदित, ग्रंथकार, काशीराज, १८१३, में कॉलेज के पुस्तकालय को ग्रंथ भेंट दिया गया।^{११}

७ मार्च, १८१५ को स्वीकृत और प्राइस द्वारा सपादित खड़ीबोली और इंगलिश शब्द कोष की सौ प्रतियाँ कॉलेज के पुस्तकालय में आईं। रोएबक ने प्राइस के बारह सौ रुपए के बिल के लिए सरकारी स्वीकृति माँगी जो उन्हें उसी दिन मिल गई।^{१२} काँसिल ने 'पुरुष परीक्षा' की सौ प्रतियों के लिए आठ सौ नब्बे रुपए आठ आने का बिल स्वीकार किया। रोएबक ने 'वरहान-इ-क़ातिन', (?) प्रकाशित करने की आज्ञा माँगी। सरकार ने रोएबक कृत 'ऐनल्स' (इतिहास) के लिए स्वीकृति न दी थी। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः बाद को उन्हें स्वीकृति मिल गई थी। यद्यपि कॉलेज के विवरणों में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता, तो भी रोएबक के ही एक पत्र के अनुसार उन्हें स्वीकृति मिल गई थी क्योंकि इस पत्र में उन्होंने लगभग तीन मास में ग्रंथ समाप्त करने की आज्ञा प्रकट की है।^{१३} उनका पत्र काँसिल की बैठक में पेश हुआ। १ जनवरी, १८१६ को रोएबक ने काँसिल के मंत्री, लॉकेट, को 'दि ऐनल्स ऑव दि कॉलेज ऑव फ़ोर्ट विलियम' के पूर्ण होने की सूचना दी। उसमें सात सौ चवालीस रॉयल अठपेजी पृष्ठ थे। एक प्रति का मूल्य वे बत्तीस रुपए से कम न रख सके थे। तीन रुपया चार आना प्रति सौ साधारण अठपेजी पृष्ठ के हिसाब से सौ प्रतियाँ उन्हें कॉलेज को दीं। इस हिसाब से कुल मूल्य दो हजार चार सौ अठारह रुपया बारह आना होता था अर्थात् एक प्रति का मूल्य चौबीस रुपया तीन आना। काँसिल के मंत्री ने एक सिफ़ारिश पत्र लिखा जिस पर उन्हें सरकारी स्वीकृति मिल गई। लॉकेट ने 'ऐनल्स' की सौ प्रतियाँ कॉलेज में आ जाने की सूचना सरकारी मंत्री, लॉरिंगटन, को दी और साथ में बिल इत्यादि भी भेजे।^{१४} ६ अक्टूबर, १८१८ की कॉलेज ने राममोहन राय कृत 'वेदात दर्शन' की दस प्रतियाँ खरीदीं। २७ नवंबर, १८२० के पत्र में टेलर ने हंटर की 'डिक्शनरी' पूर्ण करने का इरादा प्रकट किया।

३० अप्रैल, १८२३ को लेफ़्टिनेंट कर्नल जे० मार्ले (Marlay) ने निम्नलिखित पुस्तकें कॉलेज से माँगी थी :

१ फ़ो० वि०, २७ फ़रवरी, १८१६—२२ अप्रैल, १८१८, हो०, मि०, डि० ६, पृ० १०६-१२४, इ० ३० डि०

२ वही, पृ० १२६-१२७

३ वही, पृ० ४२८

४ फ़ो० वि०, ४ मई, १८१८—६ दिसंबर, १८१९, हो०, मि०, डि० ७, पृ० २८६ २८८ ३४६ इ० २ डि०

उर्दू बोली और फारसी लिपि 'नागो बहार'

नागरी लिपि—'बैताल पचीसी'

हिंदवी या खडीबोली—'प्रेमसागर', प्राइस

कृत कोष सहित ।

सम 'बैताल पचीसी' और 'प्रेमसागर' का भाषा-संबंधी उल्लेख ध्यान देने योग्य है ।^१

ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना तथा सरकारी दफ्तरों में दुभाषिए कॉलेज के विद्यार्थियों में से ही छाँटे जाते थे । इसलिए १८२३ में सरकार ने दुभाषियों की आवश्यक योग्यता निर्धारित करने की दृष्टि से एक कमेटी बनाई जिसमें जे० डब्ल्यू० टेलर, टी० मैकन (Macon) और चार्ल्स पाटन (Paton) थे । २२ अप्रैल, १८२३ को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें एक दुभाषिए के लिए निम्नलिखित योग्यता आवश्यक बताई गई :

१. व्याकरण के सामान्य सिद्धांतों से भली भाँति परिचय ।
२. उर्दू की सुधरी हुई फारसी लिपि और खडीबोली की देवनागरी लिपि सरलतापूर्वक पढ़ना ।

३. बोलचाल की उर्दू और हिंदुई का इतना ज्ञान कि कोई बात आसानी से समझ सकें या इन बोलियों में आज्ञा देते समय, या रिपोर्टें और पत्रों का परिचय देते समय सरलतापूर्वक बोलियों से अंगरेज़ी अनुवाद कर सकें ।

दुभाषियों की परीक्षा इस प्रकार होनी चाहिए :—

१. व्याकरण की जटिलताओं के स्थान पर सामान्यतः प्रधान सिद्धांतों पर प्रश्न ।
२. परीक्षकों के साथ मौखिक वार्तालाप करना ।
३. चुने हुए आज्ञापत्रों, या नियमों और विधानों का हिंदुस्तानी की दोनों लिपियों में लिखित अनुवाद करना ।
४. हिंदुस्तानी में 'बाग़ोबहार', खडीबोली में 'प्रेमसागर', और फारसी में 'अनवर सुहेली' पढ़ना और अनुवाद करना ।^२

कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर १ जुलाई, १८२३ को तारिणीचरण मित्र ने एक प्रार्थना-पत्र कौंसिल के पास भेजा और तीन ग्रंथों के लिए उसका और सरकार का सरक्षण चाहा । कमेटी की २२ अप्रैल की रिपोर्ट के वाट २७ मई, १८२३ को सरकार ने भी सेना-विभाग में कैप्टेन से नीचे दर्जे के कमीशन-प्राप्त अफसरों (Sub-alterns) के लिए एक ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता समझी जो फारसी और हिंदुस्तानी की स्वतंत्र रूप से शिक्षा दे सकता हो । इसलिए तारिणीचरण मित्र ने हिंदुस्तानी में दो संग्रह-ग्रंथ तैयार करने की आयोजना प्रस्तुत की । उनके प्रस्तावित ग्रंथों की आयोजना इस प्रकार है :

^१ क्रो० वि०, १० जून, १८२२—१५ दिसंबर, १८२४, हो०, मि०, जि० ३
पृ० २१४-२१८ इ० २० डि०

^२ वही, पृ० २२६ २३०

पहले ग्रंथ में नागरी लिपि में, प्रधानतः हिंदी-उद्धारण, निम्नलिखित रूप में हागे

१. एक मंजित व्यवहारोपयोगी ब्रजभाषा और हिंदुस्तानी व्याकरण
२. हिंदुस्तानी गिनती, भिन्नात्मक अक्षर, आदि
३. सप्ताह के दिन
४. हिंदू और मुसलमान महीने
५. सिपाहियों द्वारा प्रयुक्त सैनिक शब्दावली आदि
६. विभिन्न सैनिक विषयों पर वार्तालाप
७. 'बैताल पचीसी' से चुने हुए अंशों का संग्रह
८. 'लिहासन बत्तीसी' " "
९. 'भाधोनल' का एक अंश
१०. 'शकुन्तला' नाटक का एक अंश
११. ठेठ हिंदी कहानियाँ का संकलन

दूसरे ग्रंथ में उर्दू बोली से फ़ारसी लिपि में निम्नलिखित रूप में संकलन होगा :

१. 'बाग़ो बहार' से उद्धारण
२. 'गुलबकावली' से उद्धारण
३. 'आरायश-इ-महफ़िल' और 'इख्वानुस्सफ़ा' से उद्धारण
४. गिलक़ाइस्त कृत 'आर्टिकिल्म ऑव वॉर' का अनुवाद—फ़ारसी और अंगरेज़ी लिपि में
५. विभिन्न विषयों पर उर्दू में बातचीत
६. तालिकाएँ, कहानियाँ और मनोहर सुटकुले
७. सौदा, जुरत, मीर तज़ी तथा अन्य कवियों की रचनाओं से चुने हुए व्यवहारो-

पयोगी उद्धारण

८. कुछ लोकप्रिय मुसलमानी गाने

और चूँकि सरकार फ़ौजी अफ़सरों की नागरी लिपि में लिखित 'प्रेमसागर' के आधार पर भी परीक्षा लेना चाहती थी, इसलिए तारिखीचरण मित्र ने उसका एक नया संस्करण प्रकाशित करने का प्रस्ताव रक्खा। इसी के साथ वे उसके समस्त शब्दों की अर्थ-सहित सूची और एक अंग्रेज़ी अनुवाद भी दे देना चाहते थे, क्योंकि ऐसा कोई हिंदुस्तानी कोष उपलब्ध नहीं था जिसमें 'प्रेमसागर' के सभी ठेठ शब्द मिल सकते थे। उनकी इस आयोजना के अनुसार 'प्रेमसागर' का अध्ययन करते समय अन्य किसी कोष की आवश्यकता न रह जाती थी।

इन प्रत्येक पाठ्य-पुस्तकों में से प्रत्येक में वे लगभग चार सौ चौपेजी पृष्ठ रखना और प्रत्येक की पाँच सौ प्रतियाँ छपाना चाहते थे। साढ़े छः रुपए प्रति सौ चौपेजी पृष्ठ की सरकारी दर से एक प्रति का मूल्य छब्बीस रुपए और सौ प्रतियों का मूल्य छब्बीस सौ रुपए होता था। छपाई का कुल व्यय पचहत्तर सौ रुपए पड़ता था। वे सरकार से छपाई का व्यय माँगते थे और सरकार के तीनों पुस्तकों की पाँच-पाँच सौ प्रतियों पर केवल चौबीस सौ रुपए का मुनाफ़ा देना स्वीकार कर लेने पर वे तुरंत ही प्रस्तावित ग्रंथों की एक-से काग़ज़ पर पन्द्रह सौ प्रतियाँ छपाने के लिए तैयार थे वे उस नए फ़ारसी टाइप क

प्रयोग करना चाहते थे जिसे उस समय हिंदुस्तानी प्रेस के प्रोप्राइटर बना रहे थे। सरकार द्वारा अपना प्रस्ताव स्वीकृत होने जाने पर शीघ्र ही कार्य प्रारंभ करने की दृष्टि से तारिखा-चरण मित्र ने चार हजार रुपया पेशगी माँगा और अपने नमूने भी निरीक्षणार्थ भेजे। इस सवध में कौंसिल के मंत्री, लॉकेट, ने सपरिपट्ट गवर्नर-जनरल के ६ मई, १८२३ के पत्र का हवाला देते हुए तारिखाचरण मित्र की अर्जी २७ अगस्त, १८२३ को भेजते हुए छत्तीस सौ रुपए पेशगी देने की सिफारिश की। २८ अगस्त, १८२३ को लशिगटन ने सरकारी स्वीकृति भेज दी और तारिखाचरण मित्र तदनुसार सूचित कर दिए गए। उन्होंने शीघ्र ही अपना कार्य प्रारंभ कर दिया।^१

२३ मई, १८२३ के सरकारी आज्ञापत्रानुसार टेलर के लेफ्टिनेंट कर्नल हो जाने से और फलतः कार्य अधिक हो जाने के फलस्वरूप उन्हें टेल्डर का अवकाश-
ग्रहण हिंदुस्तानी के प्रोफेसर की हैसियत से कार्य करने का अवकाश नहीं मिल पाता था। इसलिए सपरिपट्ट गवर्नर-जनरल ने कैप्टेन विलियम प्राइस को उनके स्थान पर प्रोफेसर नियुक्त किया।

विलियम प्राइस

(नवंबर, १८२३—मई, १८३०)

२३ मई, १८२३ के सरकारी आज्ञापत्र के अनुसार टेलर लेफ्टिनेंट-कर्नल हो गए थे। इससे उनका सैनिक कार्य और भी बढ़ गया था। अवकाश न मिलने के कारण वे कॉलेज का कार्य सम्हाल सकने योग्य न रह गए थे। अतएव प्रधानाध्यापक के पद सपरिषद् गवर्नर-जनरल ने कैप्टेन विलियम प्राइस को, जो उस समय पर प्राइस की नियुक्ति परीक्षक और नेटिव इंफैंट्री के वीसर्वे रेजीमेंट में थे, टेलर के स्थान पर और लेफ्टिनेंट जे० डब्ल्यू० जे० आउज्ले को, जो नेटिव इंफैंट्री के चौदहवे रेजीमेंट के थे, प्राइस के स्थान पर नियुक्त किया। २० नवंबर, १८२३ के सरकारी पत्रानुसार प्राइस हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष की हैसियत से कॉलेज में कार्य करने लगे।^१ उन्हें घटा हुआ वेतन, आठ सौ रुपया मासिक, मिला। प्राइस ने एक हजार रुपया मासिक वेतन मांगा और अपना प्रार्थना-पत्र लॉर्ड ऐम्हर्स्ट के पास भेजा। किंतु कोर्ट के २८ नवंबर, १८२१ के पत्रानुसार प्राइस की प्रार्थना स्वीकृत न हो सकी। वे आठ सौ रुपया मासिक पर ही कार्य करते रहे।

इसी बीच में लॉकेट महोदय रेजीडेंट होकर लखनऊ चले गए। उनके स्थान पर थोड़े दिन तक आउज्ले ने कार्य किया। किंतु १ जून, १८२४ से कैप्टेन रडैल (Ruddle) आठ सौ रुपया मासिक वेतन पर मंत्री और पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त हुए।

१ मई, १८२४ को प्राइस, आउज्ले और रडैल के अतिरिक्त कॉलेज का संक्षिप्त विवरण गत वर्ष की भांति ही था। हिंदुस्तानी विभाग में ग्यारह मुंशी थे। 'भाखा'-विभाग के मुशी गंगाप्रसाद शुक्ल थे। इनकी नियुक्ति पचास रुपया मासिक वेतन पर १८२३ में हुई थी।

प्राइस को पहले से ही ब्रजभाषा और संस्कृत की ओर रुचि थी। कॉलेज में वे ये भाषाएँ पढ़ाते भी थे। प्रधानाध्यापक नियुक्त होने पर रडैल ने प्राइस का हस्तलिखित उनके निरीक्षण के लिए हिंदी का एक हस्तलिखित ग्रंथ भेजा था। प्राइस ने जून, १८२४ को रडैल के नाम पत्र लिखते हुए कहा :

“आपकी प्रार्थना के अनुसार मैं कॉलेज कौंसिल के सूचनार्थ हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथ का विवरण भेज रहा हूँ। यह ग्रंथ इंदौर के रेजीडेंट श्री वेलेज़ली ने डॉ० ऐट्किंसन द्वारा कॉलेज के पुस्तकालय में सुरक्षित रखने के लिए भेजा है।

“कथा में गोरा और वादल नामक दो राजपूत सरदारों की वीरता का वर्णन है। इन्होंने चित्तौड़ के कुमार (राणा) रत्नसेन को अलाउद्दीन के पंजे से छुड़ाया था।

१३०५ ई० में अलाउद्दीन दिल्ली में राज्य करता था। हिंदुस्तानी में विख्यात अनेक घटनाओं में से यह एक घटना है और जिसका वर्णन विभिन्न रूपों में मिलता है। रत्नसेन की रानी पद्मिनी या पद्मावती अपने सौन्दर्य के लिए जगत्-प्रसिद्ध थी। अलाउद्दीन ने उसे प्राप्त करने की चेष्टा की थी। इसी घटना से कथा का जन्म हुआ है। डाउ (Dow) और अबुलफ़जल कृत 'आईने अकबरी' (जिल्द २, पृष्ठ ८२) में इसका उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ की भाषा हिंदी है जिसमें अनेक संस्कृत शब्द तथा अन्य अनेक ऐसे शब्द हैं जो दूसरे प्रदेशों में प्रचलित नहीं हैं। इसीलिए हिंदी के अनेक रूपों से इसका रूप भिन्न है। हिंदुस्तानी अनुवाद की भाषा भी उर्दू भाषा से भिन्न है। किन्तु सब बातें सरलतापूर्वक समझ में आ जाती हैं। लेख शुद्ध नहीं है। पोथी में अनेक अशुद्धियाँ हैं। इससे अनेक स्थलों पर पढ़ने और समझने में कठिनाई पड़ती है। जब कभी भी कॉलेज में हिंदी का अध्ययन होगा, निस्संदेह यह ग्रंथ पाठ्य-पुस्तक के रूप में उपादेय सिद्ध होगा। इस समय तो कोई भी विद्यार्थी इस बोली को नहीं समझ सकता।

“मुझे इस बात की आशा है कि भविष्य में श्री वेलेज़ली संस्कृत और हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथ उपलब्ध करने में सफल हो सकेंगे। ऐसे ग्रंथों का संग्रह अत्यंत आवश्यक है। कदाचित् उनसे उनके आसपास के प्रदेशों में प्राप्त हस्तलिखित ग्रंथों की एक सूची भेज देने की प्रार्थना करना उचित होगा। क्योंकि उन प्रदेशों के ग्रंथों के सबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। वहाँ अनेक अनमोल चरित्र विखरे पड़े हैं। कहा जाता है कि इन चरित्रों की रचना उदयपुर के एक राणा की आज्ञा से हुई थी और उनमें मुसलमानी आक्रमण से पूर्व उनके वंश का इतिहास मिलता है। एक चरित्र का खंड भाग स्वर्गीय कर्नल मैकेन्ज़ी के संग्रह में है जिसका नाम 'पृथ्वीराय चरित्र' या पृथ्वी राय या पिथौरा का इतिहास है। किंतु उसका साधारण हिंदी में रूपांतर कराना आवश्यक है, क्योंकि जिस बोली में यह तथा अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं, वह मारवाड़ी है और उसे समझने वाला कोई व्यक्ति कलकत्ते में नहीं है। हस्तलिखित ग्रंथ प्राप्त करने के लिए श्री विल्सन ने कैप्टेन कौब (Cobbe) को लिखा है, किंतु अभी तक कोई उत्तर नहीं आया। यदि श्री वेलेज़ली स्वयं इन ग्रंथों को प्राप्त करने में असमर्थ हों तो वे कैप्टेन कौब से पत्र-व्यवहार कर सकते हैं।

“इंदौर में प्राप्त संस्कृत ग्रंथों की सूची भी कुछ कम महत्वपूर्ण सिद्ध न होगी। इंदौर जैसे अन्य अनेक स्थान हैं, किन्तु यह जानना एक प्रकार से असंभव है कि अन्य स्थानों की अपेक्षा इंदौर में कौन-कौन से ग्रंथ आसानी से मिल सकते हैं। और चूँकि वेदों और पुराणों की शुद्ध प्रतियों का अत्यन्त अभाव है और भिन्न-भिन्न प्राप्त प्रतियों में विषयांतर भी मिलता है, इसलिए उनकी पारस्परिक तुलना के लिए भारत के विभिन्न भागों से प्रतियाँ प्राप्त करना वाञ्छनीय है। श्री वेलेज़ली वेदों, वेद-भाष्यों और पुराणों की प्रतियाँ तुरंत भेज सकते हैं। प्रति एक हजार श्लोकों के लिए एक रुपए से तीन रुपए तक मूल्य उचित होगा। कुछ नाटक भी सूची में सम्मिलित किए जा सकते हैं।”^१

इस पत्र से प्राइस की हिंदी और संस्कृत के प्रति रुचि का अच्छा परिचय प्राप्त होता है। प्राइस के पूर्ववर्ती प्रधानाध्यापका की अथवा उनके समय में अन्य किसी व्यक्ति की इस विषय में तनिक रुचि का भी पता नहीं चलता। उनका उत्साह देख कर ही कौंसिल के मंत्री, रडैल, ने एक पत्र इंदौर के रेजीडेंट श्री वेलेजली को लिखा था। प्रधानाध्यापक की हैसियत से उनकी उग्रस्थिति के कारण ही कॉलेज के शिक्षा-क्रम में परिवर्तन हुआ जो गिलक्राइस्ट द्वारा निर्धारित नीति के देखते हुए अभूतपूर्व था।

कुछ दिनों से कॉलेज में बंगला के अध्ययन की उपेक्षा हो चली थी। फ़ारसी के अतिरिक्त विद्यार्थियों को एक दूसरी भाषा और लेनी पड़ती थी। बंगला लेने पर उनको फ़ारसी से एक बिल्कुल ही भिन्न भाषा का अध्ययन करने से कठिनाई का अनुभव होता था। अतएव परिश्रम बचाने की दृष्टि से विद्यार्थी फ़ारसी के बाद हिंदुस्तानी की ओर झुकते थे। फ़ारसी का प्रचार तो उस समय राजकीय दृष्टि से था ही और लगभग प्रत्येक विद्यार्थी को उसका अध्ययन करना पड़ता था। गिलक्राइस्ट द्वारा निर्धारित हिंदुस्तानी के रूप का अध्ययन करते समय उन्हें फ़ारसी शब्दावली की सहायता मिल जाती थी। इससे उनका भार अत्यधिक हल्का हो जाता था। फलतः बंगला के स्थान पर फ़ारसी और हिंदुस्तानी भाषाओं को प्रोत्साहन मिला। समय-समय पर बनने वाले कॉलेज के नियमों का इसमें बहुत-कुछ हाथ था, जैसे चौथे परिच्छेद का उच्चीसवों नियम। कोर्ट का ध्यान भी हिंदुस्तानी की ओर ही अविक रहता था। अस्तु, २४ सितंबर, १८२४ को रडैल ने सामान्य (जनरल) विभाग के सरकारी मंत्री, सी० लशिगटन, को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने भाषा-संबंधी अव्यवस्था की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने बंगला के अध्ययन के अधिकाधिक प्रचार के उपायों पर तो विचार किया ही है, जिससे हमारा अधिक संबंध नहीं है, किन्तु हिंदी-हिंदुस्तानी भाषाओं के संबंध में भी अपना मत प्रकट किया है और जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उनका कहना है :

“हिंदुस्तानी, जिस रूप में यह कॉलेज में पढ़ाई जाती है और जिसे उर्दू, दिल्ली-जबान आदि या दिल्ली-दरवार की भाषा के नाम से भी पुकारा जाता है, समस्त भारतवर्ष के उच्च श्रेणी के लोगों, और विशेष रूप से मुसलमानों, में बोलचाल के लिए काम में लाई जाती है। किंतु क्योंकि इसे मुग़लों ने चलाया था और अरबी, फ़ारसी तथा अन्य उत्तर-पश्चिमी भाषाएँ इसका मूल स्रोत हैं, इसलिए अधिकांश में अब भी यह एक विदेशी भाषा समझी जाती है।

“फ़ारसी और अरबी से बनिष्ठ संबंध होने के कारण यह स्पष्ट है कि प्रत्येक विद्यार्थी कॉलेज में रहने की अवधि अधिक से अधिक कम करने की दृष्टि से फ़ारसी और हिंदुस्तानी की ओर ही झुकते हैं, क्योंकि फ़ारसी के साधारण ज्ञान से वह हिंदुस्तानी में आवश्यक योग्यता प्राप्त करने योग्य हो जाता है। किंतु इन दोनों भाषाओं में आवश्यक योग्यता प्राप्त कर लेने पर भी भारत की कम-से-कम तीन-चौथाई जनसंख्या के लिए इसकी अरबी-फ़ारसी शब्दावली दुरुह सिद्ध होती है—उतनी ही दुरुह जितनी स्वयं उसके (विद्यार्थी के) लिए संस्कृत से संबंध रखने वाले मुद्दाररे या भाषा और जो हिंदुओं में मंचलित समस्त बोलियों की जननी है

“साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि हिंदुओं में जिन विभिन्न बोलियों का चार है संस्कृत का एक अच्छा विद्वान् उनके प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत से सिद्ध कर सकता है। बँगला और उड़िया लिपियों ने तो अपनी अलग ही नियमित और शुद्ध वर्ण-विन्यास-कला बनाए रखी है। नहीं तो प्रायः सभी हिंदुओं की लिपि नागरी है और शब्दों में विभक्ति-चिन्ह लगाने के व्याकरण-संबंधी प्रमुख नियम लगभग समान हैं। इसलिए अन्य भाषाओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा संस्कृत-ज्ञान-प्राप्त व्यक्ति संस्कृत से निकली हुई भाषाओं पर अधिक अधिकार प्राप्त कर सकता है।

“कॉलेज में रहने की साधारण अवधि में संस्कृत जैसी कठिन भाषा चौथे परिच्छेद के उन्नीसवें नियम से आगे—“जो कुछ हिंदुस्तानी और बँगला के व्याकरणानुमोदित और शुद्ध ज्ञान के लिए आवश्यक है”—निर्धारित पाठ्य-क्रम का अंग नहीं बनाई जा सकती। किंतु संस्कृत से निकली किसी भी देशी भाषा का, जिसका फोर्ट विलियम प्रेसीडेंसी के अंतर्गत प्रदेशों में प्रचार है, व्याकरणानुमोदित और शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने में लाभ है, क्योंकि इससे एक ही उद्गम से निकली हुई बोलियों का ज्ञान प्राप्त करने में उतनी ही सरलता होगी जितनी कि स्वयं संस्कृत के प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करने में।

“ऐसा विश्वास किया जाता है कि बँगला और उड़िया अपने मूल उद्गम के अत्यधिक समीप हैं। किंतु खड़ीबोली, ठेठ हिंदी, हिन्दुई आदि विभिन्न नामों से प्रचलित ‘ब्रजभाषा’ का सामान्यतः समस्त भारतवर्ष में प्रचार है, विशेषतः जयपुर, उदयपुर और कोटा की राजपूत जातियों में। इसके अतिरिक्त यह उन सभी श्रेणियों के हिंदुओं की बोली है जिनसे हमारी और देशी नरेशों की सेना के सैनिक आते हैं।”^१

अस्तु, कौंसिल ने सपरिपद् गवर्नर-जनरल से चौथे परिच्छेद के उन्नीसवें नियम में सुधार करने की प्रार्थना की ताकि उसके बाद के भर्ती हुए विद्यार्थियों से फ़ारसी-ज्ञान के अतिरिक्त हिंदुस्तानी भाषा के स्थान पर बँगला या ब्रजभाषा के, जिसे हिंदी और हिंदुई भी कहते थे, पर्याप्त ज्ञान की आशा की जा सकती। बँगला के अतिरिक्त स्वयं प्राइस पहले से ब्रजभाषा की शिक्षा देते थे। किंतु इस शिक्षा का कोई विशेष महत्त्व नहीं था। विद्यार्थियों को बोलचाल की बँगला और ब्रजभाषा का जैसा ज्ञान होना चाहिए था नहीं था। देशी लोगों के संपर्क में आने से बँगला और ब्रजभाषा का ज्ञान और भी परिपक्व होकर कर्मचारियों को राजकीय कार्यों में सुविधाजनक सिद्ध हो सकता था। इस विधि से बँगला की उपेक्षा भी न हो सकती थी। प्राइस के ब्रजभाषा-विशेषज्ञ होने से इस नई व्यवस्था के सफल होने की और भी अधिक आशा थी। राजनीतिक तथा शासन के व्यवहारोपयोगी दृष्टिकोणों से दोनों भाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता थी। परीक्षा-क्रम तथा अन्य प्रयोजनों से कौंसिल ने चौथे परिच्छेद के बीसवें और इक्कीसवें नियमों में सुधार की प्रार्थना भी की।^२

^१ यही, पृ० ११६-११७

^२ यही, पृ० ११७-११८

तदनुसार लशिगटन ने ३० सितंबर, १८२४ के पत्र द्वारा गवर्नर-जनरल की स्वीकृति भेज दी। परीक्षा संबंधी समस्या पर भी गवर्नर-जनरल ने अपने विचार प्रकट किए।^१ आज्ञा प्राप्त कर कौंसिल ने विधान का सातवाँ परिच्छेद कॉलेज के विधान तैयार कर २० अक्टूबर, १८२४ को सपरिषद् गवर्नर-जनरल की सातवाँ परिच्छेद स्वीकृति के लिए भेज दिया। २८ अक्टूबर, १८२४ को उन्होंने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी और कौंसिल की प्रार्थना के अनुसार नागरी लिपि, बंगला और हिंदी की प्राथमिक शिक्षा के संबंध में कोर्ट को लिखने का भी वचन दिया।^२

विधान के सातवें परिच्छेद के साथ कौंसिल ने प्राइस का एक पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने (प्राइस ने) भाषा-संबंधी समस्या और ब्रजभाषा, खड़बोली, हिंदवी या हिदुई, ठेठ हिंदी आदि के स्थान पर केवल 'हिंदी' नाम चुनने के कारणों पर विचार किया है। यह पत्र ११ अक्टूबर, १८२४ को कौंसिल के मंत्री, रडैल, के नाम लिखा गया था। इसमें प्राइस ने अपने को 'हिंदी प्रोफेसर' लिखा है, न कि 'हिंदुस्तानी प्रोफेसर', यद्यपि सरकारी पत्र-व्यवहार में 'हिंदी' और 'हिंदुस्तानी', मुख्यतः 'हिंदुस्तानी', शब्द का अनिश्चित प्रयोग मिलता है। कौंसिल के, और संभवतः अंगरेजी राज्य के, इतिहास में कदाचित् टेलर के बाद 'हिंदी' शब्द का आधुनिक अर्थ में निश्चित और लगातार प्रयोग—क्योंकि १८२४ से पहले भी एकाध बार 'हिंदी' का आधुनिक अर्थ में प्रयोग मिल जाता है^३—प्राइस के इसी पत्र में मिलता है। प्राइस का वह महत्वपूर्ण पत्र निम्नलिखित है :

“कॉलेज में उर्दू के स्थान पर हिंदी का अध्ययन जारी करने के कई कारण हैं। यह विषय कदाचित् ठीक-ठीक समझा नहीं गया। इसलिए आपके पत्र के उत्तर में मैं कुछ विस्तार से अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ।

“उत्तरी प्रांतों (Upper Provinces) की भाषाओं को हिंदुस्तानी और आपस में एक दूसरी से भिन्न तथा एक मूल रूप के विभिन्न रूप न समझी जाने के कारण उनके संबंध में बड़ी उलझन पैदा हो गई है। उन सबका निर्माण ता एक-सा है, चाहे शब्दावली भले ही भिन्न हो।

“गंगा की घाटी के हिंदुस्तान की बोलचाल की भाषा कभी संस्कृत रही थी या नहीं, यदि इस संबंध में सोच-विचार करने का समय नहीं रहा तो यह विचारणीय है कि देशी भाषाओं का निजी व्याकरण किस समय बना। यह एक तथ्य है जिसके कारण संस्कृत और हिंदी के विभिन्न रूपों में लाक्षणिक अंतर है। यद्यपि कुछ शब्दों का सतोषजनक संस्कृत रूप मालूम नहीं किया जा सकता, तो भी ऐसे शब्दों की संख्या बहुत कम है। यदि

^१ वही, पृ० २००-२०१

^२ वही, पृ० २०१-२०३

^३ जैसे, जे० रामर ने अपने २० सितंबर, १८०४ के दाने में हिंदी और हिंदवी

गवेषणा की जाय तो उनकी संख्या और भी कम रह जायगी, यह निस्सन्देह है। इतने पर भी सहायक क्रिया 'होना' की व्युत्पत्ति संस्कृत धातु 'भू' से सोचना कठिन है।

“साथ ही यदि क्रिया संस्कृत है, तो क्रिया के सामान्य रूपों को छोड़ कर विभक्ति-चिन्ह संस्कृत से नहीं मिलते। क्रियाओं के रूपों और कालों का अंत भी सामान्यतः विल्कुल अजीब है। वर्तमान काल और भूत कृदन्तों के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग और प्रत्यय लगा कर संज्ञाओं के कारक बनाना संस्कृत भाषा की प्रकृति के सर्वथा विपरीत है। अस्तु, मूल रूप चाहे जो कुछ रहा हो, अब एक हिंदी-व्याकरण है जिसका स्वतंत्र रूप से निर्माण हुआ है। यह एक और तो पूर्ण वस्तु के मूल स्रोत से भिन्न है और दूसरी ओर उन भाषाओं से भिन्न है जो संस्कृत से निकली बताई जाती हैं, जैसे, मराठी और बंगला। इसलिए वह भाषा स्वतंत्र समझे जाने योग्य है जिसे हम 'हिंदी' नाम से सरलतापूर्वक अभिहित कर सकते हैं—यद्यपि 'हिंदुई', अपभ्रंश 'हिंदवी', अधिक उपयुक्त शब्द होता।

“विदेशी शब्दों के अत्यधिक प्रभाव ने हिंदी का ऐमा रूप-परिवर्तन कर दिया है कि उसकी कुछ बोलियाँ विल्कुल ही उससे भिन्न प्रतीत होती हैं। उर्दू के बड़े-बड़े विद्वान् ब्रजभाषा का एक वाक्य भी नहीं पढ़ सकते। प्राचीन और परिवर्तनशील प्रान्तीय विशेषताओं और विभिन्न अंशों में पंडित या सुशी, मुसलमान शहजादा या हिन्दू जमींदार की बोलियों के पारस्परिक सम्मिश्रण ने ये परिवर्तन और बढ़ा दिए हैं। इससे हिंदी भाषा के अनेक रूप हो गए हैं। किन्तु इन विभिन्न रूपों का व्याकरण अपरिवर्तित रहा है। वह अब भी प्रधानतः एक ही है। कठिन से कठिन उर्दू और सरल से सरल भाषा में एक ही अथवा लगभग एक ही रचना-पद्धति, योगात्मक और पदान्तक शब्दों का प्रयोग होता है। 'का', 'के', 'की' और 'कौ', 'के', 'की' क्रमशः उर्दू और भाषा के सबधकारक चिन्हां में कोई बहुत अधिक अंतर नहीं है। भाषा का 'मैं मारा जातु हूँ' उर्दू के 'मै मारा जाता हूँ' के लगभग समान है।

“ब्रजभाषा और उर्दू का थोड़ा सा अंतर, जो अभी दिखावा जा चुका है, प्रादेशिकता मात्र है। अन्य स्थलों पर ऐसी और भी प्रादेशिकताएँ हो सकती हैं, किंतु वे कम स्थिर और महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन अन्य बोलियों का प्रयोग कम होता है। अत्यधिक प्रचलित होने के कारण हिंदी का रूप ही अधिक अपेक्षित है, जैसा कि हिन्दुस्तानी कही जाने वाली भाषा के सबध से ज्ञात होता है। खड़ीबोली के विषय में भी यही कहा जा सकता है। खड़ीबोली ही अब तक हिन्दुस्तानी और उसके व्याकरण का आधार है, न कि ब्रजभाषा, यद्यपि डॉ० गिलक्राइस्ट ने ब्रजभाषा को ही उसका आधार माना है।

“तो प्रादेशिकताओं को छोड़ कर, जिनकी ओर तुलनात्मक दृष्टि से विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है, उन भाषाओं के व्याकरण में, जो कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं, परिवर्तन करने योग्य कोई बात नहीं है किंतु एक दूसरा दृष्टि से कुछ परिवर्तन

“हिंदी और हिंदुस्तानी में सबसे बड़ा अंतर शब्दों का है। हिंदी के लगभग सभी शब्द सस्कृत के हैं और हिंदुस्तानी के अधिकांश शब्द अरबी और फ़ारसी के। डॉ० गिलक्राइस्ट के ‘पौलीग्लोट फ़ैब्युलिस्ट’ से एक साधारण उदाहरण लेकर हम संतोष कर सकते हैं :

“हिंदुस्तानी—‘एक बार, किसी शहर में, यूँ शहरत हुई, कि उसके नज़दीक के पहाड़ को जनने का दर्द उठा।’”

“हिन्दी—‘एक समय, किसी नगर में, चर्चा फैली, कि उसके पड़ोस के पहाड़ को प्रसूत की पीर हुई।’”

“दोनों के शब्द कहीं से लिए गए हैं, इस संबंध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। दोनों में से एक के भी रूप की विशेषता नष्ट किए बिना अंतर और भी अधिक हो सकता था।

“हिंदी की विशेषता के लिए एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि वह नागरी अक्षरों में लिखी जानी चाहिए। सस्कृत-प्रधान रचना जब फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है तो ऐसे शब्द बनते हैं जो समझ ही में नहीं आते। कॉलेज के पुस्तकालय में ‘पश्चावत’ नामक हिन्दी-काव्य की दो प्रतियाँ हैं। उसके पढ़ने में मेरा और भाषा मुंशी का सतत परिश्रम व्यर्थ सिद्ध हुआ है।

“नई लिपि और नए शब्द सीखना विद्यार्थियों के लिए बड़े परिश्रम की बात होगी। किंतु इससे उनके ज्ञान की वास्तविक वृद्धि होगी। अपना फ़ारसी ज्ञान नए रूप में रखने के सिवाय उनका हिंदुस्तानी-ज्ञान और कुछ नहीं है। वह उनका परिचय न तो भाषा के साथ और न देशी लोगों के विचारों के साथ ही बढ़ाता है। हिंदी के अध्ययन में भी इससे कोई सहायता नहीं मिलती। किंतु हिंदी के साथ-साथ फ़ारसी का ज्ञान विद्यार्थी को हिंदुस्तानी रचनाएँ सरलतापूर्वक पढ़ने में सहायता पहुँचाएगा और वार्तालाप के उपयोगी माध्यम द्वारा हिंदुस्तानी के चरित्र और विचारों के साथ परिचित कराएगा।”

किंतु प्रस्तावित नवीन व्यवस्था के सफल होने में एक बड़ी बाधा थी। उस समय तक अध्यापन-कार्य करने वाले कॉलेज के मुंशी न तो नागरी लिपि जानते थे और न हिंदी। दोनों ही बातें उनकी रुचि और अनुशीलन के विपरीत थीं। अतः सरकारी दृष्टिकोण से प्रस्तावित परिवर्तन में उनसे सहायता मिलने की आशा व्यर्थ थी। थोड़ा-बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी वे विद्यार्थियों को अध्ययन के उचित मार्ग पर लगाने के बजाय भुलावे में डाल सकते थे। जिस समय कॉलेज में फ़ौजी विद्यार्थियों का दाखिला हुआ था उस समय काम के कई हिंदू थे। किंतु अब वे कॉलेज में नहीं थे। क्योंकि नेपाल-युद्ध के छिड़ते ही फ़ौजी विद्यार्थियों को हटा कर सैनिक-कार्य

आवश्यकताएँ

के लिए मेज देने से वे काम के हिंदू व्यक्ति भी अलग कर दिए गए थे उनके स्थान पर तुरत ही सुयोग्य देशी अध्यापकों का विशेष संख्या में मिलना कठिन था ।

ज्यों-ज्यों हिंदू जातियों पर अंगरेजी राज्य स्थापित होता गया, त्यों-त्यों सरकार को उनसे घनिष्ठ संबंध स्थापित कर शासन-व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता हुई । इसलिए विधान के नवीन अर्थात् सातवें परिच्छेद में अधिकारियों ने यह नियम रक्खा कि भविष्य में प्रत्येक विद्यार्थी फ़ारसी के साथ बंगला या हिंदी लेगा, न कि हिंदुस्तानी—जैसा अब तक था । कौंसिल को यह भी शंका थी कि कदाचित् विद्यार्थी बंगला की ओर अधिक मुर्के और हिंदी को कठिन समझ कर उसकी ओर उनकी रुचि न हो । अतएव उन्होंने दोनों भाषाओं में ऐसी नई पाठ्य-पुस्तकें तैयार कराने का विचार किया जो जहाँ तक हो सके, लिपि और व्याकरण का भेद छोड़ कर, विषय, शैली और भाव-व्यंजना की दृष्टि से समान हो । बंगला लिपि की कठिनाई बंगला पुस्तकों को नागरी लिपि में छाप कर दूर की जा सकती थी । कॉलेज के परीक्षा-काल की प्रत्येक अवधि के अंत में विद्यार्थियों से ये नई पुस्तकें पढ़वाने और इन्हीं में से प्रश्न पूछने की आशा की गई । इस परीक्षा में सफल होने पर ही उन्हें सरकारी नौकरी मिल सकती थी । हर्टफ़ोर्ड के अधिकारियों को भी यह लिखा गया कि विद्यार्थियों में बंगला और हिंदी दोनों को नागरी लिपि में पढ़ने की क्षमता उत्पन्न की जाय । साथ ही कौंसिल ने बंगला और हिंदी दोनों भाषाओं के जानने वाले अध्यापक नियुक्त करने की चेष्टा की । २६ अक्टूबर, १८२४ को उसने डॉ० विलियम कैरे और विलियम प्राइस को अपने-अपने विचार प्रकट करने के लिए लिखा ।

विलियम प्राइस ने १ नवंबर, १८२४ को उत्तर देते हुए लिखा : हिंदी (हिंदू भाषा) के पठन-पाठन के लिए नए अध्यापक और नई पुस्तकों की आवश्यकता होगी । कॉलेज के मुंशी देवनागरी लिपि, हिंदी के अधिकांश शब्दों और अध्यापक और ग्रंथ : हिंदुओं के आचार-विचारों से परिचित नहीं हैं । उनकी अवस्था, प्राइस का मत अभ्यास और संस्कार ने उन्हें नए प्रकार के उद्युक्त शिक्षक बनने योग्य नहीं छोड़ा । जितने भी पंडित हैं वे लगभग सभी बंगाल के रहने वाले और हिंदी अथवा हिंदुस्तानी व्याकरण से मुंशियों से भी कम परिचित हैं । साथ ही वे अपने प्रांतीय उच्चारण का हिंदी में प्रयोग करेंगे जिससे विद्यार्थी एक ऐसा उच्चारण सीख जाएंगे जो उत्तरी प्रांतों के निवासियों की समझ में न आ सकेगा । अस्तु, कॉलेज के न तो हिंदुस्तानी विभाग के मुंशी और न बंगला विभाग के पंडित हिंदी पढ़ाने योग्य हैं । हिंदी पढ़ाने के लिए उत्तरी प्रांतों से पंडित बुलाने पड़ेगे । कितने पंडित बुलाने होंगे, इस बात का निश्चय कौंसिल स्वयं करे । हाँ, संस्कृत के साथ-साथ हिंदी की योग्यता भी उनमें होनी चाहिए । इस योग्यता के कारण वे उच्च कोटि के अध्यापक ही नहीं समझे जाएंगे, वरन् संस्कृत-विभाग में स्थान रिक्त होने पर वे सरलता-पूर्वक वहाँ भी कार्य कर सकेंगे । बंगला कक्षाओं के लिए आवश्यक अध्यापकों की संख्या से उनकी संख्या अवश्य अधिक होनी चाहिए । पाठ्य-पुस्तकों की दृष्टि से 'बैताल पञ्चीसी', 'सिद्दासन बत्तीसी' और 'प्रेमसागर' के नए संस्करण तैयार कराना भी आवश्यक होगा क्योंकि ये पुस्तकें इस समा विशेष संख्या में प्राप्त नहीं हैं 'द्वितीय देश' का

भी एक हिंदी अनुवाद हो रहा है जो काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। ये ग्रंथ पाठ्य-पुस्तकों का काम भली भाँति दे सकेंगे। इनमें योग्यता प्राप्त करना पर्याप्त ज्ञान का प्रमाण समझा जायगा। किंतु इन ग्रंथों के छापने में समय लगेगा। मैं कौंसिल के इस विचार से सहमत नहीं कि विषय और भाव-व्यंजना के साक्ष्य से बंगला और हिंदी पुस्तकों को नागरी लिपि में छापने से लाभ पहुँच सकता है। बंगला को आसान समझना शक्य धारणा है। हर्टफ़र्ड से बंगला में कुशल विद्यार्थियों के आने से बंगला कक्षा के अधिक बढ़ जाने का डर है। बंगला कदापि हिंदी से आसान नहीं है। हर्टफ़र्ड में हिंदी की अपेक्षा हिंदू साहित्य, विशेषतः संस्कृत साहित्य, के अध्ययन की ओर अधिक ध्यान देने से हिंदी का अध्ययन पिछड़ सकता है। यूरोप में संस्कृत का प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करने से बंगला और हिंदी की ज्ञान-प्राप्ति में अतिरिक्त सहायता प्राप्त होगी। किंतु जब तक वहाँ यह प्रबंध न हो जाय तब तक बंगला के विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या के ३ के बराबर सीमित कर दी जाय।^१

इस पत्र के साथ ही प्राइस ने ११ अक्टूबर के पत्रका उल्लेख भी किया। प्राइस की आयोजना से यहाँ निष्कर्ष निकलता है कि हिंदी को प्रोत्साहन देने पर भी वे हिंदी के समुचित अध्ययन के लिए, जैसा कि आगे ज्ञात होगा, न तो नए प्राइस का अधकचरा अध्यापकों की और न नए गुरु-ग्रंथों के निर्माण की ही व्यवस्था कर सकें। वे लल्लूलाल के ग्रंथों पर ही निर्भर रहे। संभवतः वे कोर्ट की आर्थिक नीति के कारण विवश थे।

डॉ० विलियम कैरे ने अपने १६ नवंबर, १८२४ के उत्तर में बंगला और हिंदी की समान पुस्तकों के प्रस्ताव की सराहना की। किंतु वे चाहते थे कि विषय मौलिक तथा इतिहास, विज्ञान और नीति-संबंधी हो। यूरोप में अधिकतर साहित्यिक ग्रंथों के आधार ऐसे ही विषय थे। ऐसे ग्रंथ ही जीवन में लाभदायक सिद्ध हो सकते थे। मौलिक ग्रंथों के अभाव में वे अंगरेज़ी से अनूदित ग्रंथों के पक्ष में थे। उनकी सम्मति में कॉलेज को पाठ्य-पुस्तकों में दो गईं कहानियाँ पूर्वी आचार-विचार पर प्रकाश डालने वाली थीं। और यदि नीति भी लचर हुई तो कहानियाँ साधारण और अरुचिकर प्रतीत होती थीं। उनकी लेखन-प्रणाली और शैली भी नीरस, साधारण और तन्वित उन्मत्त देने वाली थी। डॉ० मार्शमैन ने इतिहास, विज्ञान, भूगोल, और सौर-विज्ञान-संबंधी पुस्तकों का बंगला में अनुवाद किया था। कैरे उन्हें कॉलेज की पाठ्य-पुस्तकों के रूप में चाहते थे। बंगला के लिए नागरी उन्हें भी अस्वाभाविक ज़रूरी। नागरी लिपि के ज्ञान के लिए एक छोटी-सी पुस्तक से काम निकल सकता था। लेकिन दोनों भाषाओं के लिए एक ही सुलेखक रक्खा जा सकता था।^२

^१ वही, पृ० २०८-२१०

^२ वही, पृ० २१०-२११

नागरी लिपि का कितना प्रचार था इस बात के उदाहरण में यह कहा जा सकता है कि बैरकपुर के देशी सिपाहियों के ४७वें रेजीमेंट ने जब विद्रोह किया तो सैनिक पत्रों की हिंदुस्तानी और नागरी लिपि में रचना हुई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल नई व्यवस्था के अंत- विलियम केस्मेट ने ४ नवंबर, १८२४ को कौंसिल के नाम पत्र गवर्नर द्वारा लिखा था। सपरिषद् गवर्नर-जनरल की आज्ञा से प्राइस ने उन प्रयुक्त हिंदी का रूप आज्ञापत्रों का अनुवाद किया था। यह अनुवाद १० नवंबर को केस्मेट के पास पहुँच गया था। प्राइस द्वारा अनूदित ये आज्ञापत्र अभी उपलब्ध नहीं हो सके।

किंतु एक अन्य उदाहरण से प्राइस की भाषा-नीति के प्रभाव का ज्ञान प्राप्त होता है। फोर्ट विलियम कॉलेज के तत्त्वावधान में डॉ० गिलक्राइस्ट के हिंदुस्तानी-संबंधी विचारों और जिस हिंदुस्तानी भाषा की नींव उन्होंने डाली, उनके सबंध में अन्यत्र विचार किया जा चुका है।^१ प्राइस के समय में भाषा को जो रूप मिला वह ध्यान देने योग्य है। किसी ग्रंथ के प्रकाशन के समय लेखक अथवा प्रकाशक को किन-किन बातों का उल्लेख करना चाहिए, इस संबंध में कौंसिल के १५ जनवरी, १८२५ के अधिवेशन में कुछ नियम बनाए गए थे। कौंसिल की आज्ञा से मंत्री, रडैल, ने ये नियम फ़ारसी, हिंदी, बँगला और अंगरेजी में प्रकाशित किए थे। वह इश्तहार, जिसमें नागरी लिपि का प्रयोग हुआ है, इस प्रकार है:

‘इश्तहार यह दिया जाता है कि जो कोई पोथी छपाने के लिये कालिज कौंसिल से सहाय चाहता हो वह अपनी दरखास में यह लिखे १. कि पोथी में केता पत्रा औ पत्रे में किच्ची औ पांति किच्ची लंबी २. कितनी पोथियाँ छापेगा औ कागद कैसा तिस लिये अन्नर औ कागद का नमूना लावेगा ३. औ किस छापेखाना में छापेगा औ सब छप जाने में किच्चा खरच लगेगा ४. तयार हुऐ पर पोथी किच्चे दाम को बचेगा’^२

यह भाषा गिलक्राइस्ट के भाषा-संबंधी सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं है। यद्यपि भाषा अव्यवस्थित और वाक्य असंगठित हैं, किन्तु यह हिंदी है। इसी हिंदी का साधारण जनता में प्रचार था। जिस समय राजव-भाषा फ़ारसी थी और फ़ारसीमय खड़ीबोली का भी यथेष्ट प्रचार था, उस समय सरकारी इश्तहार में ऐसी सरल और जन-साधारण में समझी जाने वाली हिंदी का प्रयोग करना वास्तव में असाधारण बात थी।

अस्तु, २६ जनवरी, १८२५ को मंत्री, रडैल, ने डॉ० कैरे को सूचित किया कि बिना परीक्षा लिए बँगला और संस्कृत का कोई अध्यापक कॉलेज में न रखवा जाय। और क्योंकि कौंसिल एक पृथक हिंदी विभाग स्थापित करना नहीं चाहती थी (आर्थिक कारणों से) इसलिए उन्हीं अध्यापकों को रखने का और आदेश दिया गया जो बँगला और संस्कृत के साथ-साथ हिंदी भी जानते थे। व्यय और कठिनाइयाँ बचाने के लिए कौंसिल ने

सुंशियों को हिंदी पढ़ाने के लिए सीताराम पंडित की नियुक्ति

^१ दे०, ‘हिंदुस्तानी’ (अक्टूबर, १९४०) में ‘गिलक्राइस्ट और हिंदी’ शीर्षक लेख।

^२ फ़ो० दि०, १६ जनवरी, १८२६—२६ दिसंबर १८२६ हो०, मि०, मि० १०,

पश्चिमी प्रांतों के निवासी सीताराम पंडित को रख लिया था ताकि जिन लोगों की रचि हो वे उनकी उपस्थिति से लाभ उठा सकें। फलतः कॉलेज की स्थायी और अस्थायी व्यवस्था के छब्बीस मुशी सीताराम पंडित की सहायता से हिंदी ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। किंतु ये मुंशी अपने धर्म, आचार-विचार, कानून और संस्कार के कारण संस्कृत से संबंधित भाषाएँ सीखने में कठिनाई का अनुभव करते थे। इसलिए कुछ हिंदू, जैसे, राममोहन तर्कवागीश, ही कोसिल के इस उद्देश्य में हाथ बँटा सकते थे।

नेटिव इंफैंट्री के कंपनी कमांडर को यह आशा मिली कि भविष्य में अनुपस्थिति के संबंध में अर्जियाँ नागरी और फ़ारसी में ली जायँ।^१

मौलवी बख्शीश अली ने 'सैरतमुताख़रीन' का हिंदुस्तानी में अनुवाद किया था। रडैल ने उसे प्राइस के पास निरीक्षणार्थ भेजा। २५ मार्च, १८२५ को रिपोर्ट भेजते हुए उन्होंने लिखा: "यदि हिंदुस्तानी के उर्दू रूप का अध्ययन जारी रहता तो मीर बख्शीश अली का अनुवाद बहुत उपयोगी सिद्ध होता। लेकिन हाल ही में मेरे विभाग में उर्दू के स्थान पर हिंदी का अध्ययन प्रारंभ हो जाने से इस प्रकार के अनुवादों की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे ग्रंथों के बजाय नए प्रकार के ग्रंथों की आवश्यकता होगी।" ^२

नए प्रकार के ग्रंथों की आवश्यकता अवश्य थी, किंतु उनकी रचना हुई नहीं। इसी प्रकार नए अध्यापकों की आवश्यकता थी। इस संबंध में भी जो होना चाहिए था वह नहीं हुआ। पुरानों को ही ठोक-पीट कर वैद्यराज बनाया जा रहा था। इससे हिंदी की उन्नति की कोई आशा नहीं थी।

मुंशियों और पंडितों (बंगाली) को हिंदी-शिक्षा देने के लिए सीताराम पंडित रक्खे गए थे। वे पिछले नवंबर से उन्हें 'प्रेमसागर', 'राजनीति' आदि ग्रंथ पढ़ाते थे। थोड़े ही दिन बाद मुंशियों और पंडितों ने परीक्षा में बैठने की इच्छा प्रकट की। मुंशियों की हिंदी- परीक्षा और फल इसलिये मंत्री, रडैल, ने १८ मई, १८२५ को प्राइस को सूचित किया कि २४ मई, १८२५ के बाद जिस दिन भी उन्हें सुविधा हो वे अध्यापका की हिंदी-परीक्षा ले। लेफ़्टिनेंट ए० डी० गॉर्डन उनकी सहायता के लिए नियुक्त किए गए। जिन मुंशियों और पंडितों की परीक्षा होने वाली थी उनके नाम ये हैं— कुर्बान अली, बाकिर अली, सादुद्दीन, मीर सैयद अली, मुहम्मद वसी, अब्दुस्समद, गुलाम फ़रीद, मज़हरुल्लाह, मौला बख़्श, फ़ख़ुज़्ज़मन, मीर तसद्दूक़ हुसैन, मिर्ज़ा इसन अली, वाजिबुद्दीन, गुलाम हैदर, अब्दुल्ला, मुहम्मद मुस्तकिम, दलीलुद्दीन, अलताफ़हुसैन, हाफ़िज़ मुजफ़्फ़र अली, गुलाम हैदर, बदनुद्दीन, मुजफ़्फ़र हुसैन, अब्दुल अहद, नज़रुल्लाह, रामनारायण, कालीप्रसाद, नरोचम, रामचन्द्र, मधुसूदन, पद्मलोचन और राममोहन।

६ जून, १८२५ को प्राइस और गॉर्डन ने अपनी रिपोर्ट भेज दी। इस रिपोर्ट के

^१ वही, पृ० ७५

^२ वही, पृ० ८४-८५

अनुसार मुशियो में से अधिकतर 'प्रेमसागर' और 'राजनीति' काफ़ी अच्छी तरह पढ़ लेते थे और विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त थे। किंतु उनमें से बहुत कम नागरी अक्षर लिख सकते थे। उनमें से कुछ फ़ारसी से हिंदी में अनुवाद करने योग्य भी हो गए थे। नागरी अक्षर लिखने की क्षमता रखने वाले बड़े भटे अक्षर लिखते थे। इसलिए परीक्षकों ने उन्हें नागरी सुलेखक के पास भेजने का विचार प्रकट किया, क्योंकि नागरी पढ़ाने वालों को नागरी अक्षर लिखने की क्षमता होना परमावश्यक था।

उन्होंने मुशियो और 'भाखा'-अध्यापक सीताराम के परिश्रम की सराहना की। मुशियो पढ़ाने योग्य हो अवश्य गए थे, किंतु अध्ययन की केवल प्रारम्भिक अवस्था तक के लिए। सब कुछ होने पर भी उनका हिंदी-ज्ञान अपरिपक्व और केवल 'प्रेमसागर' और 'राजनीति' तक ही सीमित था। अधिकतर अध्यापकों ने तो ये दोनों पुस्तकें रट ली थीं। केवल पढ़ाने का अभ्यास करते रहने पर ही वे उन्हें स्मरण रख सकते थे। कुछ समय तक अध्यापन कार्य न मिलने पर उनके सब कुछ भूल जाने और तत्पश्चात् पढ़ाने के लिए और भी अयोग्य हो जाने का भय था। विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ-साथ अपना अध्ययन भी वे जारी रख सकते तो कहीं अच्छा होता।

पंडित तो और भी अयोग्य निकले और परीक्षकों की सम्मति में उनसे कोई आशा नहीं थी। किंतु उनको हिंदी के अधिक ज्ञान की कोई आवश्यकता न थी, क्योंकि शायद ही कोई विद्यार्थी हिंदी और बंगला का एक साथ अध्ययन करता था। इसलिए दोनों भाषाएँ पढ़ाने की क्षमता होना पंडितों के लिए आवश्यक न समझा गया।^१

कॉलेज में हिंदी के पठन-पाठन के लिए अवैज्ञानिक साधनों और अधकचरे प्रयासों का अवलंबन ग्रहण करने पर भी इसमें संदेह नहीं कि हिंदी की महत्ता सबको स्पष्ट ज्ञात हो गई थी। यह वह समय था जब कि अंगरेजों का हिंदी एडमॉन्सटन के भाषा-जनता के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित हो चुका था और सुचारु संबंधी विचार शासन-व्यवस्था, राजनीति तथा जनता के रीति-रस्म और आचार-विचार समझने की उन्हें आवश्यकता हुई। २५ जुलाई, १८१५ को कॉलेज के वार्षिक अधिवेशन के समय भाषण देते हुए आन० एन० बी० एडमॉन्सटन, स्थानापन्न विज़िटर, ने कहा था :

'लेफ़्टिनेंट प्राइस की अध्यक्षता में कई सैनिक विद्यार्थियों को ब्रजभाषा का अध्ययन करते देख अत्यंत संतोष होता है। हिंदी का हिंदुस्तानी के साथ वही संबंध है जो ग्यारहवीं या बारहवीं शताब्दी की सैक्सन का आधुनिक अंगरेजी से है। ब्रजभाषा अथवा प्राचीन ब्रज प्रदेश की भाषा इसी हिंदी की एक ब्रह्मी है। इस समय भारत की अधिकांश जन-संख्या की भाषा हिंदी है जो विविध रूप धारण करने और अरबी-फ़ारसी-शब्दों के सम्मिश्रण के बाद उस शिष्ट और परिमार्जित भाषा का रूप धारण कर लेती है जिसे उर्दू अथवा हिंदुस्तान की दरबारी भाषा कहते हैं।

‘इसलिए हिंदी का अध्ययन यद्यपि अंगरेजी के पूर्ण ज्ञान के लिए एंग्लो-सैक्सन के अध्ययन की अपेक्षा यथार्थतः उर्दू कही जाने वाली भाषा के घनिष्ठ और आलोचनात्मक ज्ञान के लिए अधिक आवश्यक है, तो भी भारतीय जनसमाज के सभी वर्गों के साथ व्यापक ससर्ग और व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने वाला के लिए महत्त्वपूर्ण ही नहीं आवश्यक भी है। कंपनी के सैनिक अफसरों के लिए तो यह ज्ञान विशेष रूप से आवश्यक है क्योंकि बंगाल क्षेत्र के अधिकतर सिपाही या तो ब्रजभाषा का व्यवहार करते हैं अथवा ऐसी बोली का जिसका प्रधान अंग हिंदी है। इसलिए यह अत्यंत वांछनीय है कि ऐसी भाषा कॉलेज में सभी के अध्ययन का विषय बने।’^१

किंतु उम समय अर्थात् १८१५ में व्यावहारिक दृष्टि से हिंदी के लिए कुछ भी न किया जा सका था। गिलक्राइस्ट की भाषा-नीति का ही प्रधान रूप से अनुसरण होता रहा। यद्यपि विलियम प्राइस हमें कोई नया गद्य-ग्रंथ न दे सके लॉर्ड ऐम्हस्ट के और न सुयोग्य अध्यापक वर्ग ही उन्होंने रखा, तो भी कॉलेज भाषा-संबंधी विचार : के शिक्षा-क्रम में हिंदी को उसका उच्च स्थान दिलाने का भाषा-समस्या का श्रेय उन्हीं को है। कॉलेज के पदाधिकारियों का ध्यान इस और वैज्ञानिक विश्लेषण आकृष्ट हुआ और उन्होंने हिंदी का महत्त्व पहिचाना। जुलाई, १८२५ के वार्षिक अधिवेशन के समय मापण देते हुए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के गवर्नर-जनरल और फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के विज़िटर, राइट ऑनरेबुल विलियम पिट, लॉर्ड ऐम्हस्ट, ने कहा था :

‘नए विधान के स्वीकृत होने से गत वर्ष कॉलेज के पाठ्यक्रम में एक परिवर्तन हुआ है जिसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को सरकारी नौकरी पाने के लिए फ़ारसी के अतिरिक्त हिंदी या बंगला भाषा का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है।

‘हिंदी और बंगला भाषाओं की अब तक उपेक्षा होती रही थी। प्रत्येक वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर इस आसन से उनके अध्ययन की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता था, किंतु उसका कोई प्रभाव न हुआ। अब नए विधान के अनुसार उनका अध्ययन कॉलेज के पाठ्य-क्रम का अनिवार्य अंग बन गया है। ‘हिंदी’ शब्द के सामान्य अर्थ के अन्तर्गत वे बोलियाँ आती हैं जो थोड़े-से स्थानीय भेदों और परिवर्तनों के साथ बनारस और बिहार तथा समपित और विजित प्रांतों के अधिकांश हिंदू जनसमूह द्वारा व्यवहृत होती हैं।

‘इस विषय के विशेषज्ञों द्वारा मुझे इस संबंध में जो कुछ भी ज्ञात हुआ है उसके आधार पर मैं बड़े जोरों से आपका इन भाषाओं की ओर, जिन्हे मैं इस देश की भाषाएँ कहता हूँ, जोरों के साथ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

‘पिछले समय में जब अल्पसंख्यक अंगरेजों को नागरिक शासन की सब बातों के संचालक उच्च श्रेणी के या प्रभावशाली देशी व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करना

पड़ता था तो सरकारी कागज़ों की भाषा फ़ारसी और उच्च वर्ग के पारस्परिक व्यवहार को भाषा हिंदुस्तानी का ज्ञान उस कार्य के करने में यथेष्ट रूप से सहायक सिद्ध हो सकता था जिसे मामूली तौर से कपनी के कर्मचारी किया करते थे ।

‘किंतु वह परिस्थिति अब नहीं है । अब आपको लगातार छोटे-से-छोटे व्यक्ति के साथ न्याय करना पड़ता है और नीची से नीची श्रेणी के व्यक्तियों के अधिकारों, हितों और उनकी सस्थाओं की रक्षा करनी पड़ती है । ये लोग वास्तव में वे हैं जो अत्याचार से पीड़ित होने पर आपका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करेंगे । उनको सुखी बनाना आपके देश के लिए सब से अधिक गौरव की बात होगी और वही भारतीय साम्राज्य का पक्की जड़ होगी । हम जिस दुर्ग में एक किसान की झोपड़ी की रक्षा करते हैं वह किसी हालत में उस दुर्ग से कमज़ोर नहीं है जो सर्वोच्च और अति धनिक वर्ग की सम्पदा की रक्षा करता है । और यदि उनके छोटे होने से हम उनके तुच्छ किंतु अत्यंत मूल्यवान अधिकारों की अवहेलना करें, तो क्या सबसे अधिक सरक्षण चाहने वालों की साधारण से अधिक रूप में सहायता करने के हृदय के भार की उपेक्षा भी आप कर सकते हैं । तो भी उनके वर्ग की संख्या और महत्ता—वास्तव में वे इस देश के किसान हैं—हमें यथेष्ट रूप से उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने योग्य हैं ।

‘किंतु यदि आप उनकी भाषा नहीं बोल सकते—फ़ारसी और उर्दू उनके लिए उतनी ही विदेशी हैं जितनी अंगरेज़ी—तो अच्छे से अच्छा सरकारी कानून एक भज़ाक ही रहेगा; आपके बड़े से बड़े उदारतापूर्ण निश्चयों का अत निराशा में होगा; जनता का वास्तविक गव्वरपन और अज्ञान और भी बढ़ेगा; लोग आपको मूर्ख मालूम होंगे क्योंकि वे आपको अपनी बात नहीं समझ सकेंगे; आप चाहे जितनी अच्छी नीयत से कोई काम करें तो भी वे आपको अत्याचारी नहीं तो सनकी अवश्य समझेंगे क्योंकि आप अपने कार्यों का प्रभाव जानने में असमर्थ रहेंगे । संक्षेप में, आप जनता के लिए और जनता आपके लिए अजनबी बनी रहेगी । इस अजनबीपन में स्वार्थी लोगों की करतूतों से यह कठिनाई असह्य उत्पात के रूप में परिवर्तित हो सकती है ।

‘इसलिए मैं पश्चिमी प्रांतों में जाने वाले कर्मचारियों से आग्रह करता हूँ कि वे हिंदी पर अधिकार प्राप्त करें । जिन्हें बंगाल में रह कर ही शासन-भार ग्रहण करना है उनके लिए बंगला का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है ।

‘इस प्रकार की जड़ जमाए हुए व्यक्तियों के लिए शिष्टतापूर्ण वार्तालाप में परिमार्जन लाना कठिन न होगा । वस्तुतः आपको किसी देशी सज्जन से ऐसी भाषा में बातचीत करनी चाहिए जिससे वह स्वयं लज्जित हो जाय । किंतु जनता के अधिकांश भाग को समझना और स्वयं उनसे समझा जाना तो आपका निश्चित कर्तव्य है जिसकी आप अपने को अपमानित, सरकार के प्रति विश्वासघात, अपने देश की बदनामी और इस देश के प्रति अन्याय किए बिना उपेक्षा नहीं कर सकते ।’^१

अंगरेजी राज्य के इतिहास में यदि भाषा-संबंधी समस्या का कोई भी सतोपजनक विश्लेषण मिलता है तो वह यही है। २३ सितंबर, १८२६ को प्राइस ने मंत्री, रडैल, के नाम पत्र लिखते हुए कहा था कि फ्लोर्ट विलियम कॉलेज में ही नहीं, हर्टफर्ड कॉलेज में भी हिंदी के पठन-पाठन का प्रवन्ध नहीं किया गया। वहाँ से आए हुए विद्यार्थियों का हिंदी-ज्ञान तो और भी कम था। प्राइस के इस मत का अनुमोदन परीक्षको ने अपनी ३० अक्टूबर, १८२६ की रिपोर्ट में भी किया।^१

प्राइस अब अपने को प्रायः 'हिंदी प्रोफेसर' लिखा करते थे, किंतु मंत्री तथा कॉलेज के अन्य पदाधिकारी उन्हें 'हिंदुस्तानी प्रोफेसर' ही लिखा करते थे।

अक्टूबर, १८२७ में हिंदी अध्यापक होने के लिए फिर चालीस मुंशियों की परीक्षा ली गई। निम्नलिखित परीक्षा-फल से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हिंदी के पठन-पाठन के लिए कॉलेज के पदाधिकारी जिन व्यक्तियों का आश्रय ले रहे थे उनसे कहाँ तक हिंदी की उन्नति में सहायता मिल सकती थी :

सफल	असफल	अनुपस्थित	सफल होने की संभावना
४	१८	१५	१
जिनके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता			
१			

हाँ, हिंदी के विद्यार्थियों की संख्या पहले की अपेक्षा अब बढ़ती जा रही थी। लेकिन साथ ही सरकार यह चाहती थी कि जूनियर सिविल कर्मचारियों की भाषा-संबंधी शिक्षा-अवधि और मापदण्ड कम कर दिया जाय। स्थानापन्न सरकारी मंत्री, ई० मौलौनी, ने १७ जनवरी, १८२८ को इस आशय का पत्र लिखा भी था। किंतु कॉलेज के अधिकारियों ने उत्तर में लिखा कि कॉलेज में शिक्षा-अवधि और मापदण्ड वैसे ही कम है, और कम कर देने से विद्यार्थी कुछ न सीख पावेंगे।^२

इस उत्तर से सरकार की इच्छा पूर्ण न हुई। परंतु हर्टफर्ड कॉलेज के अतिरिक्त कोर्ट के डाइरेक्टर सिविलियन कर्मचारियों की शिक्षा के लिए अन्य किसी संस्था पर खर्च करना भी नहीं चाहते थे। अतएव इस समय कॉलेज में जो परिवर्तन हुए उनसे कॉलेज का व्यय कम हुआ और साथ ही, अप्रत्यक्ष रूप से, भारतीय सरकार की इच्छा भी पूर्ण हुई। कॉलेज के अंतिम समय का सूत्रपात यहीं से समझना चाहिए। एक इस कारण से भी प्राइस द्वारा हिंदी के पठन-पाठन के लिए जिस प्रकार और जिन अनुपयुक्त साधनों का आश्रय ग्रहण कर प्रयास किया गया उसका कोई ठोस परिणाम न निकल सका।

लम्सडन के अवकाश ग्रहण कर लेने पर जून, १८२५ में अट्टाइसवी रेजीमेंट,

^१ फ़ा० वि०, १२ जनवरी, १८२५—२६ दिसंबर, १८२६, हो०, मि०, जि० १०, पृ० २२८, २३०-२६१, ई० रे० वि०

^२ फ़ा० वि०, ३० जून १८२०—१, १८२८ हो०, मि०, जि० ११ पृ० ४३७-४४३, ४५३, ६० रे० वि०

नेटिव इक्विटी के लफ़िनेट जे० डब्ल्यू जे० आउज्ले आठ सौ रुपया मासिक वेतन पर अरबी-फ़ारसी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए ।

लगभग इसी समय विद्यार्थियों पर बढ़ता हुआ कर्ज देख कर अकाउंटेंट-जनरल, बुड, ने सरकार को कॉलेज तोड़ देने की सलाह दी थी । उनकी रिपोर्ट के साथ कॉलेज की मिनिट्स भी भेजी गई । किंतु गवर्नर-जनरल ने कॉलेज तोड़ने के स्थान पर विद्यार्थियों की कर्ज लेने की कुप्रवृत्ति रोकने का प्रयत्न करना अधिक अच्छा समझा । इस सबंध में कैरे, प्राइस, आउज्ले से भी परामर्श किया गया था ।^१

जून, १८२५ को आउज्ले के अतिरिक्त अध्यापक-वर्ग गत वर्ष ही की भांति था । ए० डी गॉर्डन (१८२४) और एच० टॉड (१८२५) परीक्षक थे । फ़ौजी भत्ता मिला कर (पाँच सौ और एक सौ चौरानवे) उन दोनों में से प्रत्येक को छः सौ चौरानवे रुपया मासिक वेतन मिलता था । 'भाखा'-विभाग में जनवरी, १८०७ में स्वीकृत को गई जगह पर गंगाप्रसाद शुक्ल १८२३ से पचास रुपया मासिक वेतन पर कार्य कर रहे थे ।^२

विद्यार्थियों के अनुशासन तथा अन्य विषयों के संबंध में सपरिपद गवर्नर-जनरल की आज्ञा से सरकारी मंत्री, लशिगटन, ने कौंसिल के नाम एक पत्र लिखा जिसमें कौंसिल के सदस्यों से कॉलेज-विधान का एक नया परिच्छेद प्रस्तुत कॉलेज के विधान का करने की आशा की गई थी । तदनुसार कौंसिल ने ८ अगस्त, आठवाँ परिच्छेद १८२५ को एक नया परिच्छेद तैयार कर सपरिपद गवर्नर-जनरल के पास भेज दिया । कॉलेज-विधान का यह आठवाँ परिच्छेद था । ऑन० विलियम पिट, लॉर्ड ऐम्हर्स्ट, ने १८ अगस्त, १८२५ को अपने हस्ताक्षर कर उसे कानून में परिणत कर दिया । कौंसिल ने उसकी घोषणा प्रकाशित की और पहले के परिच्छेद रद्द समझे गए ।^३ कोर्ट की इच्छानुसार कॉलेज का पुस्तकालय भी सर्वसाधारण के लिए खोल दिया गया । किंतु अंत में गवर्नर-जनरल ने उसे केवल साहित्यिक व्यक्तियों के उपयोग तक ही सीमित रखा । १ मई, १८२६ को कॉलेज का अध्यापक-मण्डल पिछले वर्ष की ही भांति था । कॉलेज के वार्षिक व्यय में भी अभी कोई परिवर्तन न हुआ था ।^४ परंतु २४ जनवरी, १८२८ को स्थानापन्न सरकारी मंत्री, ई० मौलौनी, ने कौंसिल को वार्षिक व्यय कम करने के लिए लिखा—विशेष रूप से आकस्मिक व्यय ।^५ फिर एच० टी० प्रिसेप

^१ फ़ो० वि०, १६ जनवरी, १८२५ — २६ दिसंबर, १८२६, ही०, मि० जि० १०,

पृ० ६५-१२३ १८५-१६६, ई० रे० डि०

^२ वही पृ० १२४-१२७

^३ वही, पृ० २५६ २०६

ने कौंसिल के सभापति और सदस्यों का ध्यान कोर्ट के १६ दिसंबर, १८२७ के सरकारी सामान्य पत्र की ओर आकृष्ट किया। इस सामान्य पत्र में शिक्षा की दृष्टि से कॉलेज और कॉलेज के विभिन्न पदाधिकारियों की अभीष्टता तथा योग्यता अथवा अपज्यय आदि के संबंध में प्रश्न पूछे गए थे। जूनियर सिविल कर्मचारियों के विषय में भी उनकी सम्मति माँगी गई थी। क्या वे कॉलेज तोड़ना चाहते थे या बम्बई और मद्रास की संस्थाओं की तरह कोर्ट की इच्छानुसार कॉलेज की व्यवस्था में कमी करना चाहते थे? कॉलेज में दो प्रकार की पढ़ाई होती थी—१. निजी ढंग से मुंशियों के माध्यम द्वारा और २. सरकारी ढंग से कॉलेज में जहाँ प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रत्येक दिन एक घंटे का समय निर्धारित था। इन दोनों प्रकार का पढ़ाईयों में से किस प्रकार की पढ़ाई वे अच्छी समझते थे। इसी प्रकार और भी कई प्रश्न थे जो कॉलेज की तत्कालीन व्यवस्था से संबंध रखते थे। कॉलेज के मंत्री, रडैल, ने आउज़्ले, प्राइस, कैरे, टॉड और टी० प्रॉक्टर को २४ जून, १८२८ को उनकी सम्मतियों के लिए एक-एक पत्र लिखा।

१२ जून, १८२८ के पत्रोत्तर में ७ अगस्त, १८२८ को कॉलेज कांसिल ने लॉर्ड विलियम कवेडिशू बेंटिक को अपनी मिनिट्स तथा उर्युक्त अफसरों की सम्मतियाँ भेजते हुए लिखा : कॉलेज एक उपयोगी संस्था है और उसे तोड़ना साम्राज्य के लिए किसी भी हालत में लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता। विद्यार्थियों में अनुशासन का अत्यधिक अभाव नहीं है और न उसका कोई घातक परिणाम ही दृष्टिगोचर हुआ है। कॉलेज की वर्तमान आयोजना अभीष्ट फलदायक है। उसके विधान में कोई विशेष परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों में जो कुछ अनुशासन का अभाव है भी उसे दूर करने के लिए आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं। हिंदी की पढ़ाई भी समुचित ढंग से हो रही है। विद्यार्थी लगभग छः महीने तक के अध्ययन में काफ़ी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं।

मिनिट्स के साथ-साथ कांसिल ने कॉलेज की स्थापना-तिथि से अब तक क्या-क्या काम हुआ, कितने विद्यार्थियों ने शिक्षा पाई और कितनी भाषाएँ कितनी योग्यता के साथ पढ़ाई गईं, इन सब बातों का विवरण भी भेजा।^१

सरकारी मंत्री, एच० टी० प्रिंसेप, ने १८ सितंबर, १८२८ को कौंसिल के सभापति तथा सदस्यों के नाम पत्र लिखते हुए कहा कि सरकार अभी किसी अनिम निर्णय पर नहीं पहुँच सकी। किंतु एक ओर तो कौंसिल के सभापति कॉलेज की दशा सुधारने के लिए आवश्यक सुधार चाहते थे, दूसरी ओर कोर्ट ऐसे सुधार अवावहारिक समझता था। ऐसी हालत में भारतीय सरकार के लिए किसी अंतिम निर्णय पर पहुँचना कठिन ही था। इसीलिए प्रिंसेप ने अपने पत्र में सपरिपद् गवर्नर-जनरल की आज्ञा से कौंसिल के सभापति से सुधार-संबंधी सुझाव माँगे।

^१ को० वि०, ७ अगस्त १८२८ १३ फ़रवरी १८३० हो० मि० वि० १२, पृ० १-८३ ह० २० डि०

इस पर सभापति, सदस्यों तथा आउज़्ले, प्राइस, कैरे आदि ने अपने-अपने विचार प्रकट कर तरह-तरह के सुझाव पेश किए और २० फ़रवरी, १८२६ को सब कागज़ात सरकारी मंत्री के पास भेज दिए।^१

२ जून, १८२६ को सरकारी मंत्री, प्रिंसेप, ने कौंसिल के सभापति, शेक्सपियर, तथा सदस्यों को पत्र लिखते हुए कोर्ट के पत्र के तेईसवें और चौबीसवें अनुच्छेदों द्वारा दिए गए इच्छाधिकार के अंतर्गत कॉलेज को उसी स्थिति में जारी रखने की सरकारी आज्ञा प्रदान की। किंतु विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता तथा अन्य दोष दूर करने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति की आवश्यकता प्रतीत हुई और साथ ही उसे गवर्नर-जनरल के मातहत रखने का विचार हुआ। ऐसा एक अधिकारी व्यक्ति कॉलेज का मंत्री बनाया भी गया। वह कलकत्ता तथा कलकत्ते से बाहर रहने वाले सभी विद्यार्थियों की देखभाल करने लगा। अपराधी विद्यार्थियों को दण्ड देने का उसे अधिकार था। न सुधर सकने वाले विद्यार्थी या तो इंग्लैंड वापस भेज दिए जाते थे अथवा उन्हें कड़े फ़ौजी अनुशासन में रखा जाता था।^२

रडैल के २८ अगस्त, १८२६ के पत्रानुसार कॉलेज की व्यवस्था का विवरण निम्नलिखित है और वेंटिक सरकार ने इसे बनाए रखना उचित समझा था :

नाम	नियुक्ति की तिथि	मासिक वेतन	कॉलेज में काम करने के दिन	काम
डॉ० कैरे	अप्रैल, १८०१	१०००	मंगल और शुक्र	...
कैप्टेन प्राइस	अक्तूबर, १८१३	८००	बुव और शनि	हिंदी के प्रोफ़ेसर, इनके विशेष कार्यों के लिए १६ अगस्त, १८२६ का पत्र देखिए। अपने पदानुसार फ़ौजी मत्ता पाते हैं।
कैप्टेन डी० रडैल	जनवरी, १८२०	८००	...	मंत्री और पुस्तकाध्यक्ष
कैप्टेन जे० डब्ल्यू० जे० आउज़्ले	नवंबर, १८२३	८००	सोमवार और मंगल	अरबी और फ़ारसी के प्रोफ़ेसर
लेफ़्टिनेंट एच० टॉड मार्च	१८२५	५००		अरबी और फ़ारसी के सरकारी परीक्षक
रेव० टी० प्रॉक्टर	जनवरी, १८२५	२५०		फ़ारसी के स्थानापन्न सरकारी परीक्षक

अध्यापकों में से हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक निम्नलिखित थे :

^१ वही, पृ० ८२-१०४

^२ वही, पृ० ४०४-४०५

नाम	नियुक्ति की तिथि	वेतन	
तारिखीचरण मित्र	मई, १८०१	२००	हिंदी के प्रोफेसर का १६ अगस्त, १८२६ का पत्र देखिए।
मीर बखशीश अली	नवंबर, १८०३	१००	
मुर्तजा खॉ	मई, १८०१	८०	विद्यार्थियों को फ़ारसी और हिंदी भाषाओं की शिक्षा देते हैं और पुस्तकालय में काम करते हैं।
मौला बखश	सितंबर, १८०२	४०	
दलीलुद्दीन	अक्टूबर, १८०१	४०	
मीर तसद्दुक हुसैन	नवंबर, १८०२	४०	
मुहम्मद बशी	जनवरी, १८०५	४०	
वाजिबुद्दीन	नवंबर, १८०८	४०	विद्यार्थियों को फ़ारसी और हिंदी भाषाओं की शिक्षा देते हैं। इंग्लिश सुलेख की शिक्षा देने के लिए गंगानारायण उसी प्रकार है जिस प्रकार फ़ारसी और अरबी विभागों में मुहम्मद ताहा हैं। ^१
फ़ख्रुद्दुल्लमन	अगस्त, १८१२	४०	
गंगानारायण	दिसंबर, १८२४	५०	
नागरी और बँगला सुलेखक			
खवालीराम	जनवरी, १८२७	५०	
'भाखा-मुंशी'			

जुलाई, १८२६ को गंगाप्रसाद 'भाखा'-पंडित अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए छुट्टी लेकर उत्तरी प्रांत (Upper Provinces, जो बाद को उत्तर-पश्चिम प्रदेश कहलाया) गए थे। किंतु कुछ ही महीनों बाद मुर्शिदाबाद में या फ़यालीराम पंडित वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते ही उनका देहांत हो गया। १५ जनवरी, १८२७ को प्राइस ने कॉलेज के मंत्री, रडैल, को स्थानापन्न 'भाखा'-पंडित की नियुक्ति के लिए लिखा। उसी दिन कौंसिल ने खवालीराम को हिंदुस्तानी विभाग में 'भाखा'-पंडित नियुक्त किया।^२

हिंदी के प्रोफ़ेसर, विलियम प्राइस, का १६ अगस्त, १८२६ वाला पत्र इस प्रकार है :

'मैं सप्ताह में दो दिन हिंदी के प्रोफ़ेसर की हैसियत से कॉलेज में काम करता हूँ। मेरे साथ जो विद्यार्थी हैं वे शेष दिनों में जो कुछ अध्ययन करते हैं उसे इन दो दिनों में मैं उन्हें पढ़ाता और अर्थ समझाता अथवा व्याख्या करता हूँ। उनके अध्ययन के संबंध में

^१ बही, पृ० ४८१-४६३

^२ फ़ो० वि०, ३० जून. १८२७—१, १८२८. डो०. मि०. जि० ११, पृ० ३६, ६० रे० वि०

मैं उन्हें और भी उपयोगी बातें बताता हूँ। इन दो दिनों में वे जो पाठ्याभ्यास लिख कर लाते हैं उन्हें शेष दिनों में पढ़ कर मैं ठीक करता हूँ। हिंदी के प्रोफ़ेसर की हैसियत से मैं विद्यार्थियों की सरकारी तथा निजी तौर से परीक्षाएँ लेता हूँ। फ़ौजी दुभाषियों की परीक्षा भी मैं ही लेता हूँ। कुछ दिनों से मैं बँगला भाषा का स्थानापन्न परीक्षक भी हूँ।

मेरी अध्यक्षता में इस समय निम्नलिखित देशी अध्यापक हैं :

तारिखीचरण मित्र	हिंदी और हिंदुस्तानी विभाग में हेड मुंशी	मासिक वेतन
मीर बख्शीश अली	हिंदुस्तानी मुंशी	२०० सि० ६०
ख्वालीराम	'भाखा'-पंडित	१०० " "
गदाधर	बंगाली पंडित	५० " "
		१०० " "

मेरे बँगला भाषा के स्थानापन्न परीक्षक होने के कारण अंतिम पंडित मेरे साथ हैं। ये लोग पाठ्य पुस्तकों के तैयार करने तथा अध्ययन में और अभ्यासों के देखने तथा तैयार करने में मेरी सहायता करते हैं। विद्यार्थियों द्वारा किए गए अनुवाद भी ये ही लोग देखते हैं। 'भाखा'-पंडित विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापकों को हिंदी पढ़ाते हैं।

ऊपर के मुशियों में से सबसे पहले बहुत काम के हैं। कॉलेज की स्थापना के समय से वे यहाँ हैं। उनका वेतन कम करने के पक्ष में मैं नहीं हूँ। हाँ, उनके उत्तराधिकारी को सौ रूपए मासिक दिए जा सकते हैं।

कॉलेज में हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी हो जाने से बख्शीश अली का लगभग साधारण काम रह गया है। किंतु तारिखीचरण की भाँति वे भी शुरू से ही यहाँ हैं, इसलिए उन्हें निकाल देना या उनका वेतन कम कर देना शायद ही न्याय-संगत हो। उनकी मृत्यु हो जाने अथवा उनके अवकाश ग्रहण कर लेने पर उनका उत्तराधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

'भाखा'-पंडित को तो वैसे ही कम वेतन मिल रहा है। उनसे अधिक योग्य व्यक्ति इस पद को न तो ग्रहण ही करेगा और न यहाँ अधिक दिन ठहर ही सकेगा। वर्तमान पंडित के बाद जो पंडित आएँ उन्हें सौ रूपया मासिक वेतन देने की मेरी राय है।

'बंगाली पंडित के विषय में तो कहना ही व्यर्थ है।

'इसलिए हिंदी विभाग में सौ-सौ रूपया मासिक वेतन पर दो मुंशी रखे जा सकते हैं, जिससे डेढ़ सौ रूपए मासिक बचेगे।'^१

अन्य विभागों के अध्यक्षों ने भी इस प्रकार के विवरण भेजे थे।

बाद की परीक्षा सबकी व्यवस्था भी यह कर दी गई कि जब विद्यार्थी अपने को योग्य समझे उसी समय उसके कहने से उसकी परीक्षा ली जाय। सरकारी नौकरी की दृष्टि से ही ऐसा किया गया था।

^१को. वि०, • अगस्त १८८८—१३ दसवरी १८९०, हो, मि०, वि० १२

२३ फरवरी, १८३० को स्थानापन्न सरकारी मंत्री, एच० एम० पार्कर, ने कौंसिल के सभापति, शेक्सपियर, तथा सदस्यों को एक पत्र लिखते हुए कहा : अर्थ-समिति ने फ्लोर्ट विलियम कॉलेज और फ्लोर्ट सेट जॉर्ज कॉलेज में सरकारी प्रधानाध्यापक वाज़ा खर्च कम करने की दृष्टि से कुछ सुझाव पेश किए हैं। सपरिषद् पद तोड़ने की सर- गवर्नर-जनरल ने विषय की महत्ता और वर्तमान आर्थिक सकटकारी आज्ञा तथा को सोचते हुए उसे सरकारी हिता के लिए आवश्यक समझ कर अन्य कमियाँ : पेंशन भविष्य के लिए कॉलेज का परिवर्तित रूप उपस्थित किया है। की व्यवस्था नुभे आपको यह सूचित करने की आज्ञा मिली है कि सरकार ने प्रोफेसरों के सहायक मुशियों और पंडितों के साथ-साथ प्रोफेसरों के पद तोड़ देने का निश्चय किया है और भविष्य में कॉलेज की व्यवस्था एक मंत्री, दो परीक्षकों और विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए मंत्रों की अध्याज्ञा में पंडितों और मुशियों की आवश्यक संख्या तक ही सीमित रखने का निश्चय किया है।^१

ऐसा करने में सपरिषद् गवर्नर-जनरल को दुःख अवश्य हुआ था, क्योंकि इस निर्णय से कई पदाधिकारियों को नुकसान पहुँचता था। किंतु इस आयोजना को व्यवहार में लाने से पूर्व सरकार ने कौंसिल के सभापति और सदस्यों से इस सबंध में परामर्श किया कि चूंकि प्रोफेसर लोग बहुत दिनों से कॉलेज में कार्य कर रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रोफेसर के पद पर न रख कर परीक्षक नियुक्त करना कैसा रहेगा। दूसरे शब्दों में, क्या प्रोफेसर और परीक्षकों को एक ही श्रेणी में रखना और क्या अपेक्षाकृत नए पदाधिकारियों को हटा कर केवल पुराने पदाधिकारियों को रखना उचित न होगा। उनके पदानुसार ही सरकार ने उन्हें वेतन देने की बात सोची।

११ मार्च, १८३० को कॉलेज के मंत्री, रडैल, नै कैरे, प्राइस, आउज़्ले, टॉड, और प्रॉक्टर को उनकी सम्मति माँगने के लिए एक-एक पत्र लिखा। २३ मार्च, १८३० को सरकारी मंत्री, एच० टी० प्रिंसेप, के नाम लिखे गए पत्र में, विभिन्न पदाधिकारियों के उच्चों के साथ-साथ, निम्नलिखित परामर्श लिख कर भेजे गए :

‘डॉ० कैरे को पेंशन दी जाय—जितनी सरकार चाहे।

‘विलियम प्राइस के सेजर हो जाने और अपने सैनिक पद पर चले जाने के समय तक उन्हें अतिरिक्त परीक्षक के रूप में रक्खा जाय।

‘कैप्टेन आउज़्ले और लैफ़्टिनेंट टॉड को नियमित रूप से परीक्षक नियुक्त किया जाय। आउज़्ले हिंदी और बंगला का अध्ययन कर रहे हैं।

‘प्राइस के चले जाने पर अथवा कोई जगह खाली होने पर रेव० टी० प्रॉक्टर को अतिरिक्त परीक्षक के रूप में रक्खा जाय।

‘क्योंकि नई आयोजना के अनुसार परीक्षकों का काम बहुत बढ़ जायगा, इसलिए उनमें से हर एक को एक-एक मौलवी, पंडित या मुंशी दिया जाय। बाक़ी देशी

^१फ़ा० वि०, १८ फरवरी, १८३०—२६ अक्टूबर, १८३१. ही०. सि०, जि० १३,

प्रध्यापकों को पेशन या पुरस्कार देकर, जैसा सरकार उचित समझे, निदा किया जाय ।^१

ऊपर विभिन्न पदाधिकारियों के उत्तरो का जिक्र आया है । आउजूले ने १३ मार्च, १८३०, प्रॉइस ने २२ मार्च, १८३०, कैरे ने २३ मार्च, १८३०, एच० टॉड ने २२ मार्च, १८३०, टी० प्रॉक्टर ने १८ मार्च, १८३० को अपने अलग-अलग उत्तर कॉलेज के मंत्री के पास भेजे । केवल प्राइस ने प्रॉफ़ेसर का पद बनाए रखने के पक्ष में सम्मति दी । वास्तव में अब वे कोई और काम न कर सकते थे । इसलिए उन्होंने अपने बारे में अनुकूल दृष्टि से विचार किए जाने की प्रार्थना की । वे बहुत दिनों से कॉलेज में कार्य कर रहे थे । यदि उन्हें ऐसा मालूम होता तो संभवतः वे कभी कॉलेज में नौकरी करने न आते । कैरे ने अपने पत्र में अधिक दिन जीवित न रहने की आशंका प्रकट की थी । वे उनहत्तर वर्ष के हो चुके थे । इसलिए उन्होंने पूरी तनख्वाह या पेशन माँगी । बाक़ा ने परीक्षक नियुक्त होने के लिए अपने-अपने हक पेश किए ।^२

रडैल ने समस्त प्रॉफ़ेसरों का कार्य, कॉलेज के प्रति की गई उनकी सेवाआदि बातों का विवरण कौंसिल के पास भेज दिया । अब स्थायी विभाग के लिए चालीस रुपया मासिक वेतन पर चाहे जितने भारतीय अध्यापक रखे जा सकते थे, शर्त केवल यही थी कि नियुक्त किए गए अध्यापक को कई भाषाएँ जानना चाहिए । अरबी, फ़ारसी, हिंदुस्तानी, और हिंदी पढ़ाने के लिए मुमलमान और बंगला, संस्कृत, हिंदी और यहाँ तक कि हिंदुस्तानी भी पढ़ाने के लिए हिंदू मिल सकते थे । कॉलेज में इस समय भारतीय अध्यापकों की संख्या इस प्रकार थी :

फ़ारसी—६

हिंदी—मुत्ज़ा खाँ, भौला बख़्श, दलालुद्दीन, मीर तसद्दूक हुसैन, मुहम्मद वसी, वाजिबुद्दीन, और फ़ख़ुज्जमन ।

बंगला—४

कौंसिल मंत्री के २३ मार्च, १८३० के पत्रोत्तर में सरकारी मंत्री, एच० टी० प्रिसेप, ने १३ अप्रैल, १८३० को एक पत्र लिखते हुए यह पूछा कि अंतिम निर्णय करने से पूर्व सरकार यह जानना चाहती है कि सुशियो तथा पंडितों और बंगला तथा संस्कृत के प्रॉफ़ेसरों को कितनी-कितनी पेशन मिलनी चाहिए और क्या कौंसिल तीसरा परीक्षक वर्तमान वेतन पर ही रखना चाहती है । साथ ही सरकार ने कौंसिल से बचत का विवरण माँगा, क्योंकि अर्थ समिति की गणना के अनुसार बचत अधिक हो सकती थी । २६ अप्रैल, १८३० को रडैल ने, सक्षेप में, इस प्रकार उत्तर दिया :

^१वही, पृ० १८-२०

^२वही, पृ० २०-२२

कैरे—५०० रु० मा० पेंशन

प्राइस को अस्थायी रूप से ५०० रु० मा० दिया जाय

तारिणीचरण—१०० रु० मा० पेंशन

पेंशनों के लिए स्वीकृत धन १०६३. ५. ० (भारतीय

पदाधिकारियों को ५६३. ५. ०)

कौंसिल के अनुसार बचत— २२२२ रु० मा०

अर्थ समिति के अनुसार बचत १७८१. ११. ११

अंतर १५६३. ११. ११

समिति के मतानुसार दो परीक्षक रखना अनिवार्य था। इधर कुछ दिनों में खर्च कुछ और कम हो रहा था। 'भाखा' या हिंदी-पंडित के स्थान पर कोई नया व्यक्ति नियुक्त नहीं हुआ था जिससे पचास रुपए मासिक की बचत हाती थी। इसी प्रकार कुछ आर बातों में भी बचत हो जाती थी। कुल मिला कर तीन सौ पचास रुपए मासिक, अथवा, कौंसिल के अनुसार तीन हजार नौ सौ रुपए वार्षिक की बचत और होती थी। रडैल ने मौलवियों, मुशियों और पंडितों को दी जाने वाली पेंशन का हवाला भी दिया।^१

अन्त में सरकारी मंत्री, प्रिंसेप, ने ४ मई, १८३० को एक पत्र लिखा जिसके साथ उन्होंने सामान्य (General) विभाग के उसी तिथि के सरकारी प्रस्तावों की प्रति कौंसिल के पास भेजी और परिवर्तित आयोजना के अनुसार व्यवस्था निश्चित करने का आदेश दिया।^२ सरकारी प्रस्ताव निम्नलिखित है :

सामान्य (General) विभाग, ४ मई, १८३०

प्रस्ताव—

सपरिषद् गवर्नर-जनरल यह निश्चित करते हैं कि अगले महीने की १ तारीख से फ्लोर्ट विलियम कॉलेज के तीनों प्रोफेसर पद तोड़ दिए जायें और विद्यार्थियों के लिए निर्धारित व्याख्यान बंद कर दिए जायें।

निश्चित हुआ कि उसी तारीख से डॉ० कैरे को पाँच सौ रुपया मासिक पेंशन सरकारी खजाने से दी जाय।

निश्चित हुआ कि कॉलेज में तीसरा परीक्षक पाँच सौ रुपया मासिक वेतन पर नियुक्त किया जाय और निम्नलिखित तीन परीक्षक हों :

कैप्टेन प्राइस, लेफ्टिनेंट आउजुले और लेफ्टिनेंट टॉड।

निश्चित हुआ कि प्रोफेसरो के साथ काम करने वाले निम्नलिखित देशी अध्यापक अलग कर दिए जायें और ऊपर वाली तारीख से ही उनके नाम के आगे लिखी हुई पेंशन दी जाय

फ़ारसी विभाग

करम हुसैन	१००	५० मा०	
अब्दुरहीम	३३. ५. ०	" "	
नज़रुल्लाह	५०	" "	
बदर अली	४०	" "	२२३. ५. ०

^१ वही, पृ० २०-२६

^२ वही, पृ० ३२

हिंदी विभाग

तारिणाचरण	१००	६०	मा०	
मीर बख्शीश अली	५०	"	"	
मुत्तूजा खाँ	४०	"		१६००००

बंगला विभाग

रामकुमार	१००	६०	मा०	
गदाधर	५०	"	"	१५००००
				<u>५६३५०</u>

‘आज्ञा दी गई कि इस प्रस्ताव की प्रति कौंसिल के पास सूचनार्थ और मार्ग-प्रदर्शन के लिए भेज दी जाय और कौंसिल को यह आदेश दिया जाय कि वह नई आयोजना के अतर्गत परिवर्तित परिस्थिति के अनुसार समुचित प्रबंध करे और पेंशन वाले लोगों की हुलिया का विवरण सरकार के पास भेजे।

‘आज्ञा दी गई कि उप-कोषाध्यक्ष और हिसाब-निरीक्षक के पास आवश्यक सूचना भेजी जाय।

‘आज्ञा दी गई कि कॉलेज कौंसिल के मंत्री के पत्र और इस प्रस्ताव की प्रतियाँ प्रादेशिक अर्थ-विभाग के पास सूचनार्थ भेजे दी जायें।’^१

१६ मई, १८३० को रडैल ने कैरे, आउज़ले, प्राइस, टॉड और प्रॉक्टर को यथाविधि सूचित कर दिया।^२ सरकारी प्रस्ताव के सबंध में केवल प्राइस को आपत्ति थी। अपने २२ मार्च, १८३० के पत्र का हवाला देते हुए उन्होंने २० मई, १८३० को रडैल के नाम एक पत्र लिखा। चूंकि कैरे के बाद वे कालेज के सबसे पुराने कर्मचारी थे, इसलिए वे प्रोफ़ेसर का वेतन चाहते थे। उस पत्र में उन्होंने परीक्षकों के साथ भारतीय अध्यापक रखने का विचार प्रकट किया था। सरकारी प्रस्ताव में इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया था, इस बात पर उन्हें अत्यन्त आश्चर्य था। भारतीय अध्यापकों की सहायता न मिलने पर परीक्षकों का वेतन चार सौ रुपए मासिक ही ठहरता था, जो उनके लिए पूरा हर्जाना नहीं था। किंतु रडैल के २२ मई, १८३० के पत्रानुसार सपरिषद् गवर्नर-जनरल के निर्णय के विरुद्ध प्राइस का पत्र भेजना शिष्ट व्यवहार नहीं था। इसलिए कौंसिल ने उनका पत्र वहीं रोक दिया।^३

इसके बाद रडैल ने पेंशन पाने वाले भारतीय अध्यापकों की हुलिया का विवरण, प्रोफ़ेसरों द्वारा भेगा कर ऐकाउंटेंट-जनरल, सी० मॉर्ले, और उप-कोषाध्यक्ष, जे० आर० बावेल, के पास भेजा। प्राइस ने अपने विभाग के अध्यापकों का विवरण इस प्रकार भेजा था :

^१वही, पृ० ४३-४४

^२वही, पृ० ४४

^३वही, पृ० ४४-४५

‘तारिखीचरण मित्र—सौ रुपया पेंशन, अठ्ठावन वर्ष की अवस्था, छोटा क्रद, दूर की चीज़ नहीं देख सकते, थोड़ा झुक कर चलते हैं, ऊपर के आँठ पर एक तिल है।

‘भीर वरुशीश अली—पचाम रुपया पेंशन, अड़तालीस वर्ष की अवस्था, बीच का क्रद, रंग कुछ गोगा, दाएँ गाल पर एक चेचक का सा दाग है।

‘मुर्तजा खॉं—चार्लिस रुपया पेंशन, लगभग पैंसठ वर्ष की अवस्था, दूर की चीज़ नहीं देख सकते, रंग कुछ गोगा, मोटी और तोतली आवाज़, लंबे और हृष्ट-पुष्ट हैं।’

२४ मई, १८२० को रडैल ने सरकारी आशा-पालन करने की सूचना एच० टी० प्रिसेप को दी। कुछ अध्यापक कलकत्ते से बाहर के रहने वाले थे, इसलिए उन्हें उनके स्थानों पर ही पेशन मिलने के प्रबंध की सूचना भी सरकारी मंत्री को दे दी गई। साथ ही उन जगहों के कलक्टरों, खज़ानों आदि को भी आवश्यक सूचनाएँ भेज दी गई।^१

नई व्यवस्था के अनुसार पंद्रह दिन में से एक दिन सब विद्यार्थी अपने-अपने परीक्षकों के पास इकट्ठे होकर भौतिक और लिखित अभ्यास करते थे। परीक्षक वहाँ उनके लिखित अभ्यासों की गलतियों ठंक करते थे। नियतकालिक परीक्षाओं की रिपोर्ट देना परीक्षकों का कर्त्तव्य था। अपने-अपने अध्यापक रखने के लिए विद्यार्थियों को जो भत्ता मिलता था वह बढ़ कर दिया गया। बारह महीने की अवधि उन विद्यार्थियों के लिए थी जो हर्टफर्ड (हेलीवरी) कॉलेज में पढ़ कर आते थे। अठारह महीने की अवधि उन विद्यार्थियों के लिए थी जो वहाँ शिक्षा प्राप्त न कर सके थे।^२ विद्यार्थियों की सहायता के लिए तीस रुपए मासिक पर कुछ सर्टिफिकेट मुशी अवश्य रखे गए। जो विद्यार्थी बारह महीने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता था उसे कोर्ट की आज्ञानुसार तीन महीने और दिए जाते थे। यदि तब भी वह सफल नहीं होता था तो उसे सरकारी नौकरी के अयोग्य समझ कर हूंगलैड वापस भेज दिया जाता था।^३ इधर कुछ दिनों से लेफ्टिनेंट टॉड कॉलेज के स्थानापन्न मंत्री थे।

ख्यालीराम हिंदी-पंडित को उनके असंगत व्यवहार पर कॉलेज से निकाल दिया गया था और सितंबर, १८२२ से हिंदी-पंडित को जगह खाली पड़ी हुई थी। इसी समय पश्चिमी प्रांतों के ब्रह्म सच्चिदानंद कॉलेज की ख्याति सुनकर कलकत्ते ब्रह्म सच्चिदानंद आए। वे संस्कृत और हिंदी में पूर्ण दक्ष थे। पाणिनि के व्याकरण, विभिन्न भाषों सहित वेदांत, धर्मशास्त्र, साहित्य, पुराण, न्याय, मीमांसा आदि के वे पंडित थे। उन्होंने कलकत्ते आकर कैप्टेन रडैल के पास अपना प्रार्थना-पत्र भेजा। ब्रह्म सच्चिदानंद को स्थायी विभाग में नियुक्त करने की सिफ़ारिश करते हुए रडैल ने स्थानापन्न सरकारी मंत्री, जे० बुशवाई, को एक पत्र लिखा। रडैल के सिफ़ारिश करने

^१ वही, पृ० ४७-५२

^२ वही, पृ० १४५-१६१

^३ वही स्थानापन्न सरकारी मंत्री जे० ए० बुशवाई का स्थानापन्न कॉलेज मंत्री, सर्पिन्टेंट टॉड, का नाम पत्र, १ मार्च, १८२१ पृ० ४६३ ४६४

का कारण यह था कि सरकार स्थायी विभाग के लिए चालीस रुपए मासिक और अस्थायी विभाग के लिए तीस रुपए मासिक की व्यवस्था कर चुकी थी। १८३० में अर्थ-समिति के दृष्टिकोण से जो कमियाँ की गई थीं, वे केवल चालीस रुपए मासिक से अधिक वेतन पाने वाले लोगों के संबंध में थीं। उसके बाद केवल पाँच मुंशी और एक सुलेखक फ़ारसी, छः मुंशी हिंदी और हिंदुस्तानी, और चार पंडित बंगला और एक सुलेखक हिंदी और बंगला के स्थायी विभागों में रह गए थे। उन्हें हटाने के लिए सरकार ने कोई आशा नहीं दी थी। उनकी संख्या सुयोग्य व्यक्ति न मिलने के कारण ही कम थी। जब से हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी का अध्ययन जारी हुआ था, तब से अरबी, फ़ारसी, हिंदी और हिंदुस्तानी में अपनी योग्यता सिद्ध करने वाले मुशियों और बंगला, संस्कृत, हिंदी और हिंदुस्तानी में अपनी योग्यता सिद्ध करने वाला पंडितों की ही तरक्की मिलती थी। उस समय कटक के स्टॉकवेल को हिंदी पढ़ाने के लिए केवल एक पंडित राममोहन तर्कवागीश थे। शेष देशी अध्यापकों में हिंदी जानने वाले बहुत कम थे। रडैल ने मतानुसार उन्हें हिंदी सीख लेनी चाहिए थी। संस्कृत की परंपरा में होने तथा अन्य कारणों से मुशियों को हिंदी सीखने में कठिनाई पड़ती थी। किंतु जब यूरोपियन लोग हिंदी सीख सकते थे, तो देशी मुसलमान तो उसे और भी आसानी से सीख सकते थे। प्रोत्साहन और सहायता मिलने पर वे भी अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। बहुत कम मुंशी हिंदी की पाठ्य-पुस्तकें अच्छी तरह पढ़ कर उन्हें समझ सकने की क्षमता रखते थे। अंगरेजी से हिंदी में अनुवाद कराने वाला भी कोई सुयोग्य व्यक्ति नहीं था। विद्यार्थी बहुत थोड़े काल तक कॉलेज में रहते थे। उस थोड़े काल में उन्हें सब प्रकार की सुविधाएँ देने का प्रयत्न किया जाता था। यूरोपियन प्रोफ़ेसरों के पढ़ाने से कोई लाभ नहीं होता था। इसलिए असाधारण योग्यता के भारतीय अध्यापकों का रहना अनिवार्य था। कई भाषाओं का अध्ययन नदैव उपयोगी सिद्ध होता है। भारतीय अध्यापकों को सुयोग्य बनने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता थी। रडैल का विचार था कि फ़ारसी, नागरी और बंगला के दो सुलेखकों और हिंदी-पंडित के अतिरिक्त फ़ारसी के स्थायी विभाग में छः मुंशी होने चाहिए और उतने ही हिंदी तथा हिंदुस्तानी और बंगला विभागों में। फ़ारसी और हिंदी के अध्यापकों में समान योग्यता का होना आवश्यक था। अतएव होशियारा के साथ अध्यापक चुनने से ही आयोजना उपयोगी सिद्ध हो सकती थी। उस समय केवल मुंशी अब्दुल्ला ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो अरबी, फ़ारसी, हिंदी और हिंदुस्तानी में कभी-कभी शिक्षा देते थे। रडैल ने उन्हें चालीस रुपए मासिक पर स्थायी विभाग में रखने की सिफ़ारिश की थी। परीक्षकों और मंत्री की सहायता के लिए भी भारतीय अध्यापकों का रहना आवश्यक था। फ़ारसी, अरबी और हिंदुस्तानी के लिए मौलवी काज़िम अली सहायक थे। बंगला, संस्कृत और हिंदी के लिए उस समय कोई नहीं था। वास्तव में हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उस समय कोई समुचित प्रबंध नहीं था। इसलिए, रडैल के मतानुसार, ब्रह्म सच्चिदानंद से अधिक उपयुक्त और कोई नहीं मिल सकता था। संस्कृत और हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की अशुद्धियाँ ठीक करने वाला व्यक्ति भी कोई नहीं था। इस कार्य के लिए ब्रह्म सच्चिदानंद उपयुक्त व्यक्ति सि

हो सक्तें थे । मुश्की लोग भी ऐसे विद्वान् से हिंदी सीख सकते थे, क्योंकि वे संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाएँ जानते थे । इन सब बातों को सोचते हुए रडैल ने उन्हें पूर्ववर्ती पंडितों और फ़ारसी, बंगला और नागरी के सुलेखकों की भाँति पनाल खपदा मासिक वेतन पर रखने की सिफ़ारिश की । पाठ्य-क्रम के संबंध में भी रडैल का अपना मत था ; वे कुछ भिन्न प्रकार की पुस्तकें चाहते थे । वे प्रत्येक पाठ्य-पुस्तक के साथ व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करने वाले विशेष ग्रन्थों के साथ सन्तान और मंजिम व्याकरण रखना पसंद करते थे । फ़ारसी-पाठ्य पुस्तकों में 'गुलिस्ता', 'अनवर-सुहेला' आदि से अवतरण, हिंदी-पाठ्य-पुस्तकों में 'मिर्द अफ़रोज', 'दासो बहार' आदि से हिंदुस्तानी अवतरणों का ब्रह्म सच्चिदानंद की सहायता से हिंदी-अनुवाद, 'प्रेमसागर' का कुछ अंश और फ़ारसी की भाँति ग्रंथ पूरा करने के लिए उसके साथ व्याकरण के विशेष नियम, रूप, उदाहरण आदि, और बंगला-पाठ्य-पुस्तकों के लिए इतिहास, पच्चीसी, हितोपदेश आदि से अवतरण रखना रडैल विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी समझते थे । प्रत्येक पुस्तक की उन्होंने लगभग पाँच सौ चौपैजी पृष्ठ-संख्या ठीक समझी । इन सब बातों के साथ-साथ जून, १८३० में जितने अध्यापक थे उन सब का विवरण भी रडैल ने सरकार के पास भेजा दिया था । वह विवरण इस प्रकार है :—

फ़ारसी विभाग

नाम	वेतन	
कुर्बान अली	६० ४०	कॉलेज में हैं ।
हिशामुद्दीन	॥ ४०	१२ अप्रैल, १८३१ को मृत्यु । कोई अन्य व्यक्ति नियुक्त नहीं हुआ ।
मीर सैयद अली	॥ ४०	कॉलेज में हैं ।
अब्दुल अहद	॥ ४०	१ दिसंबर, १८३१ को त्याग-पत्र । कोई अन्य व्यक्ति नियुक्त नहीं हुआ ।
मुलाम फ़रीद	॥ ४०	कॉलेज में हैं ।
मुहम्मद ताहा—सुलेखक	॥ ५०	॥

हिंदी विभाग

मौला बख़्श	६० ४०	कॉलेज में हैं ।
दलीलुद्दीन	॥ ४०	॥
मीर तसदुक्क हुसैन	॥ ४०	१२ दिसंबर, १८३१ को त्याग-पत्र ।
मुहम्मद बखी	॥ ४०	२८ अक्टूबर, १८३० को त्यागपत्र । कोई अन्य व्यक्ति नियुक्त नहीं हुआ ।
वाजिबुद्दीन	॥ ४०	कॉलेज में हैं ।
फ़ख़रुज्जामन	॥ ४०	॥
संभा नारायण	॥ ५०	॥

नागरी और बंगला सुलेखक

बंगला विभाग

अवलोकन	₹० ४०	कॉलेज में है ।
नरोत्तम बोस	„ ४०	„
रामचंद्र रॉय	„ ४०	„
राम मोहन	„ ४०	२६ सितंबर, १८३१ को त्याग-पत्र । कोई अन्य व्यक्ति नियुक्त नहीं हुआ ।

रडैल की इन सत्र वालों का उत्तर स्थानांतरण सरकारी भत्री, जी० ए० बुश्वार्ड, ने २० दिसंबर, १८३१ के पत्र में दिया । १ जनवरी, १८३२ से ब्रह्म सन्निदानंद की नियुक्ति स्वीकृत हुई । साथ ही कॉलेज के स्थायी विभाग में प्रत्येक विभिन्न विभागों को चालीस रुपए मासिक वेतन के आधार पर एक फारसी मुंशी की नई व्यवस्था और दो बंगाली पंडित रखने की अनुमति भी कॉलेज मंत्रो को प्राप्त हुई । इससे पिछले हिसाब में एक सौ बीस रुपए मासिक और बढ़े । सक्षेप में, सरकार ने निम्नलिखित व्यवस्था रखी :

		मासिक
१ हिंदी-पंडित	५० रुपया वेतन पर	₹० ५०
६ फारसी मुंशी, प्रत्येक को	४० रुपया	₹० २४०
१ फारसी सुलेखक	५० रुपया वेतन पर	₹० ५०
६ हिंदी-हिंदुस्तानी मुंशी, प्रत्येक को	४० रुपया	₹० २४०
६ बंगाली पंडित, प्रत्येक को	४० रुपया	₹० २४०
१ नागरी और बंगला सुलेखक	५० रुपया वेतन पर	₹० ५०

सि० ₹० ८७० मासिक

१ जनवरी, १८३३ से अब्दुल्ला की नियुक्ति भी सरकार ने स्वीकार की । रडैल के अन्य विचारों से भी सरकार पूर्णतः सहमत थी ।^१

रडैल ११ जनवरी, १८३२ को त्याग पत्र देकर यूरोप चले गए । १ जनवरी, १८३२ से उनके स्थान पर लेफ्टिनेंट टॉड की नियुक्ति हुई ।^२ किंतु २० मार्च, १८३२ की रात को टॉड की अचानक मृत्यु हो जाने से आउज़ले कॉलेज के एवजी मंत्री नियुक्त हुए । १७ अप्रैल, १८३२ को वे स्थायी बिना दिए गए । एक सप्ताह बाद वे एवजी परीक्षक भी नियुक्त हुए ।^३

^१ क्रो० वि०, २६ अक्टूबर, १८३१—१३ अगस्त, १८३३, हो०, मि०, लि० १४,

पृ० ४१-४०, ई० रे० डि०

^२ वही, पृ० ६३-६४

^३ वही, पृ० ११८-११९

देखते हुए हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि क्या प्राइस और क्या किसी अन्य प्रधानाध्यापक के हाथों हिंदी गद्य का कोई हित साधन न हो सका। वास्तव में हिंदी गद्य तो फोर्ट विलियम कॉलेज से बाहर नवयुगीन परिस्थितियों के प्रभावगत तत्काल रूप विकसित हो रहा था।

कलकत्ते से बाहर भी यदि हिंदी ग्रंथों की आवश्यकता होती थी तो लल्लुलाल के ग्रंथ ही भेज दिए जाते थे। सदल मिश्र के 'नासिकेतोपाख्यान' का सिवाय एक सूची के और कहीं उल्लेख ही नहीं मिलता। न तो कॉलेज के पाठ्य-क्रम में उसका जिक्र है और न कहीं बाहर भेजी जाने वाली पुस्तकों में। जून, १८२५ में आगरा और दिल्ली की सरकारी पाठशालाओं को भेजी जाने वाली पुस्तकों में 'प्रेमसागर', 'वैताल पच्चीसी', 'सिंहासन बत्तीसी', 'माधोनल' आदि पुस्तकों का नाम तो है, किंतु 'नासिकेतोपाख्यान' का कहीं नाम नहीं है। बाद को आर भी कई बार पुस्तकें बन्ने और मद्रास की सस्थाओं को भेजी गईं। 'नासिकेतोपाख्यान' को यह सौभाग्य कभी प्राप्त न हुआ। कॉलेज तोड़ देने के बाद बोर्ड ऑफ़ ऐग्जामिनर्स ने जो पाठ्य-क्रम प्रस्तुत किया (जिसका उल्लेख आगे किया जायगा) उसमें भी 'नासिकेतोपाख्यान' को कोई स्थान न मिला। हाँ, फोर्ट विलियम कॉलेज और उसकी स्थापना से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के विज्ञापन-विभाग ने नागरी ग्रहण का निर्माण किया, विराम-चिह्नों का प्रयोग किया और कोप तथा अनेक पुस्तकें छापेखाने में छाप कर प्रस्तुत कीं, और इस प्रकार, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रेस जैसे वैज्ञानिक साधन का गद्य के साथ संबंध स्थापित कर, उन्होंने उसके विकास का एक प्रमुख कारण ला उपस्थित किया और हिंदुस्तानी भाषा का व्याकरण निमित्त किया, वह भी अंगरेजी व्याकरण के अनुकरण पर। इस सब के लिए हिंदी-भाषा-भाषी उनके आभारी रहेंगे। तुलसीदास जी के ग्रंथ भी सम्भवतः सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज के सरदार में ही मुद्रित हुए थे।

प्राइस के समय में उन्हीं के द्वारा रचित 'प्रेमसागर, उसकी शब्दावली सहित' सेट एंड्रूज़ लाइब्रेरी में बिक्री के लिए रखी गई थी। इस सन्ध में २४ मई, १८२५ को विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। उसका मूल्य बीस रुपया फ्री प्रति था। अलग-अलग रचनाओं का मूल्य क्रमशः बारह और आठ था। 'प्रेमसागर, शब्दावली सहित' १८२५ में ही देवनागरी वर्णमाला की पचास मुद्रित प्रतियाँ कौंसिल के पास भेजी गई थीं। ४ मार्च, १८२६ को तारिखीचरण मित्र से स्वीकृत किए गए ग्रंथ शीघ्र ही प्रकाशित करने के लिए कहा गया। १८२६ में कैप्टेन पीयर्स (मुद्रक और प्रकाशक) ने 'भास्वा'-पंडित गंगाप्रसाद शुक्ल द्वारा संपादित 'हिंदी ऐंड इंग्लिश डिक्शनरी' प्रकाशित करने की आज्ञा प्राइस से माँगी। प्राइस ने इस आयोजना की अत्यंत सराहना की। स्वयं उन्होंने 'प्रेमसागर' की शब्दावली का संपादन किया था और वह प्रकाशित हो भी चुकी थी। हिंदी का ऐसा; और कोई प्रकाशित न हुआ था। किंतु विद्यार्थियों और देशी फौज के अंगरेज अधिकारियों को ऐसे ग्रंथ की पीयर्स के प्रस्ताव के सन्ध में कौंसिल के मंत्री, रबैल, ने सरकारी मंत्री

लशिगटन, को लिखते हुए बारह रुपए फ्री प्रति के हिसाब से डेढ़ सौ प्रतियाँ लेने की सफ़ारिश की । अफ़सरों में बॉन्ने के विचार से ही उन्होंने इतनी प्रतियाँ लेना चाहा था । गंगाप्रसाद के इस कोष को 'हिंदुई डिक्शनरी' भी कहा गया है । प्राइस के निरीक्षण कर लेने के बाद प्रस्तावित कोष के लिए सरकारी स्वीकृति मिल गई और तारिखीचरण मित्र को भी अपने ग्रंथ में पचास पृष्ठ बढ़ाने की आज्ञा मिली ।

लल्लूलाल कृत 'राजनीति' के अप्राप्य हो जाने के कारण प्राइस उसे ऐज्यूकेशन प्रेस में, अँगरेज़ी कागज़ पर और अँगरेज़ी विराम-चिन्हों के साथ, प्रकाशित करना चाहते थे । ११ सितंबर, १८२६ को उन्होंने रडैल मन्त्री के पास पत्र भेजा और दाईं रुपया फ्री प्रति के हिसाब से कॉलेज की सौ प्रतियों का मूल्य 'राजनीति' का नया दाईं सौ रक्खा । उन्होंने 'हिंदुस्तानी बोली' ('Hindustanie dialect') में रचित 'राजनीति' को अँगरेज़ी के भारतीय संस्करण तथा अन्वय साप्ताज्य के लिए अत्यंत उपयोगी बताया है । कौनिल ने सरकारी रचनाएँ साप्ताज्य के लिए अत्यंत उपयोगी बताया है । कौनिल ने सरकारी मन्त्री, लशिगटन, को लिख कर सरकारी स्वीकृति प्राप्त की और तदनुसार प्राइस को सूचना भेज दी ।^२

१८२६ (संभवतः अक्टूबर वा नवंबर) में नागरी में संसार का गोलाकार नक्शा भी बनाया गया था ।

७ मार्च, १८२७ को 'राजनीति' के द्वितीय संस्करण की सौ प्रतियाँ और तारिखी चरण मित्र कृत 'हिंदी-हिंदुस्तानी-संग्रह' की प्रतियाँ छुद्र कर कॉलेज की लाइब्रेरी में आई ।

जुलाई, १८२७ में पीयर्स ने रेव० डब्ल्यू० येट्स कृत 'ऐन इंट्रोडक्शन टु दि हिंदुस्तानी लैंग्वेज' के लिए कौनिल से आर्थिक सहायता चाही । १३ जुलाई, १८२७ को रडैल ने सरकारी मन्त्री, लशिगटन, को लिखते हुए कहा था :

'जूनियर सिविल कर्मचारियों के लिए हिंदुस्तानी भाषा का अध्ययन कॉलेज के पाठ्य-क्रम का भाग मात्र रह जाने के कारण इस संबंध में एक और रचना खरीद कर कॉलेज की लाइब्रेरी में रखना अनावश्यक प्रतीत होता हो, किंतु क्योंकि इसके प्रधान सिद्धांत हिंदी बोली से ही निकले हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि वे समान रूप से दोनों पर लागू हो सकते हैं, कम-से-कम जा बोलचाल में प्रयुक्त होती हैं और जिसका प्रयोग कपनी की हिंदू या मुसलमान प्रजा भारत के लगभग प्रत्येक भाग में करती है, और फलतः एक का अध्ययन बहुत कुछ दूसरे के अध्ययन में सहायक होगा ।'^३

^१ पीयर्स का पत्र प्राइस के नाम २६ मई, १८२६ । प्राइस का पत्र रडैल के नाम

१० जून, १८२६, और १४ जून, १८२६ ।

^२ फो० वि०, १२ जनवरी, १८२५ - २६ दिसंबर, १८२६, हो०, मि०, जि० १०, पृ० २२३-२२४, इ० रे० वि०

^३ फो० वि०, १० जून, १८२७ -?, १८२८, हो०, मि०, जि०, ११, पृ० २२७ २२८, इ० रे० वि०

सात रुपया फी प्रति के हिसाब से इस ग्रंथ की दो सौ प्रतियां कॉमिल्ल द्वारा स्वीकृत हुईं।^१

कलकत्ता स्कूट बुक सोसायटी के एवजी मंत्री, ड०ल० एच० पीयर्स, ने रडेल के नाम एक पत्र लिखा कि सोसायटी हिंदुस्तानी तथा अन्य बोलिया में कुछ पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए उपयुक्त पुस्तकों के नाम जानना चाहती है। ५ फरवरी, १८२८ के पत्र में रडेल ने 'प्रेमसागर', 'हिंदुस्तानी सेलकशन्स' २ जिल्द, 'नागरी वर्णमाला', 'सभा विलास', 'राजनीति' इत्यादि के नाम उन्हें बताए।^२ अतः २५ अक्टूबर, १८२४ और ४ फरवरी, १८२८ के बीच हिंदी-हिंदुस्तानी की निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हुईं:

१. प्रेमसागर और उसका शब्दकोष
२. नागरी वर्णमाला
३. हिंदुस्तानी सेलकशन्स (तारिखीचरण द्वारा संपादित), २ जिल्द
४. थेट्स कृत 'हिंदुस्तानी ग्रामर'^३

२२ सितंबर, १८२८ को ग्राइस ने मन्ना, रडेल, को लिखा कि 'सभा विलास' की जो प्रतियां पुस्तकालय में शेष रह गई हैं उनसे अब नाम नहीं निकलता। इसलिए अब वे उसका सशोधित संस्करण प्रकाशित करना चाहते थे। किंतु 'सभा विलास' का क्योंकि पुस्तकालय में चाईस प्रतियाँ थी, इसलिए रडेल ने २६ नवंबर, १८२८ को सौ प्रतियों के स्थान पर दो रुपए फी प्रति के हिसाब से केवल ५० प्रतियों के लिए लिखने की इच्छा प्रकट की।^४

x

x

x

अंत में, कैप्टेन (अब मेजर, बीसवीं रेजीमेंट, नेटिव इंफैंट्री) विलियम ग्राइस ने यूरोप जाने की सोची। कॉलेज में नौकरी करते हुए उन्हें आठारह वर्ष से अधिक हो गए थे। संस्कृत, बंगला और हिंदुस्तानी के सहायक प्रोफेसर की ग्राइस का अवकाश-
ग्रहण हैसियत से अक्टूबर, १८२३ में उनकी नियुक्ति हुई थी। अप्रैल, १८२१ में फ़ारसी तथा अन्य भाषाओं के परीक्षक और नवंबर, १८२३ में हिंदी-हिंदुस्तानी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। कॉलेज के पदाधिकारी तथा सरकार उनके कार्य से संतुष्ट थी। २१ दिसंबर, १८२१ को उन्होंने रडेल से सरकारी प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट) मांगा। रडेल ने उनका पत्र उसी दिन स्थानापत्र

^१ पीयर्स का पत्र रडेल के नाम ३ जुलाई १८२७। लॉरिंगटन का पत्र रडेल के नाम १६ जुलाई, १८२७। रडेल का पत्र पीयर्स के नाम २७ जुलाई, १८२७। रडेल का पत्र २०० प्रतियों की प्राप्ति के संबंध में ६ सितंबर, १८२७। बीइए सौ रुपए के लिए स्वीकृति।

^२ फो० बि०, ३० जून, १८२७ ?; १८२८, हो०, मि०, जि०, ११, पृ० ४१६-४२८, इ० रे० बि०

^३ वही, पृ० ४६३

^४ फो० बि०, ७ अगस्त १८२८—२६ फरवरी १८३०, हो०, मि०, जि० १२, पृ० १६३-१६४, इ० रे० बि०

सरकारी मंत्री जी० बुश्वार्ड के पास भेज दिया । २७ दिसबर, १८३१ को सरकार ने उन्हें प्रमाण-पत्र देना स्वीकार किया । इस बात की सूचना रडैल ने उन्हें ३० दिसबर, १८३१ को दी और सूचना के साथ, इसी तिथि के अंतर्गत, अपने हस्ताक्षर कर प्रमाण-पत्र भी दे दिया ।^१

..

^१ फ़ो० डि०. २६ अक्टूबर, १८३१ - १६ अगस्त, १८३३, हो०, मि०. जि० १४
 पृ० ५३ ११, इ० २० डि०

कॉलेज के अंतिम दिन

आउज़्ले, जो अब तक कॉलेज में कार्य कर रहे थे, १८१३ वषया मासिक पर मैसूर के राजकुमारों के अभिभावक नियुक्त होकर चल गए। उनके स्थान पर २० जून, १८३८ को कैप्टेन जी० टी० मार्शल १००० रुपया मासिक वेतन पर कॉलेज के मंत्री और परीक्षक नियुक्त हुए।

२१ अगस्त, १८३८ को जी० टी० मार्शल ने एच० टी० प्रिसेप सरकारी मंत्री को पत्र लिखते हुए 'भाला' विभाग के पंडित ब्रह्म सच्चिदानन्द के स्थान पर मधुसूदन तर्कालंकार की पचास रुपया मासिक वेतन पर नियुक्ति और उन्हें बंगला विभाग के मधुसूदन तर्कालंकार सरिश्तेदार पुकारे जाने की सिफारिश की। ब्रह्म सच्चिदानन्द कॉलेज में बहुत कम आते थे क्योंकि वे एक साहूकार के कार्य में लगे रहने से छोटी-छोटी अदालतों में ही अपना समय अधिक व्यतीत करते थे। इस बात की शिकायत किसी अलेक्जेंडर नामक व्यक्ति ने आउज़्ले से की और आउज़्ले ने इस बात का उल्लेख मार्शल से किया। वैसे भी हिंदी पढ़ाने का कार्य अब अधिकांश में हिंदुस्तानी मुशी ही करने लगे थे। हिंदुस्तानी विभाग के सरिश्तेदार मौलानखश के निरीक्षण में कार्य भी अच्छा हो रहा था। इसलिए वहाँ एक और व्यक्ति रखना व्यर्थ था। किंतु बंगला विभाग में, और वैसे भी सामान्यतः, एक सहायक व्यक्ति की आवश्यकता समझ कर ही मधुसूदन तर्कालंकार की सिफारिश की गई थी। मधुसूदन के पास संस्कृत साहित्य, अंगरेज़ी तथा अन्य प्रकार के सामान्य ज्ञान के लिए संस्कृत कॉलेज, हिंदू लॉ कमेटी, संस्कृत कॉलेज के अंगरेज़ी के अध्यापक वुल्मटन, ट्रीयर और आई० सी० सी० सदरलैंड और हिंदी-ज्ञान के लिए फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के परीक्षकों से मिले सन्तोष-जनक प्रमाण-पत्र थे। अस्तु, ५ सितंबर, १८३८ के सरकारी पत्रानुसार ब्रह्म सच्चिदानन्द कॉलेज से अलग कर दिए गए और उनके स्थान पर मधुसूदन तर्कालंकार की बंगला विभाग के सरिश्तेदार के रूप में नियुक्ति हुई।^२

अब कॉलेज के मुंशियों और पंडितों की आर्थिक दशा शोचनीय होती जा री

^१ १८३१ से १८३७ तक की कॉलेज की प्रोसीडिंग्स अप्राप्त्य है। इसलिए इस कार के संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। कॉलेज का स्थायी विभाग १ जुलाई, १८३४ तक अवश्य था—आउज़्ले का पत्र प्रिसेप को, ओ० सी० नं० ६४, २ जुलाई, १८३४, होम डिपार्टमेंट, एडिंबर्ग।

^२ फ़ो० डि०, १८ नवंबर, १८३७—३० अक्तूबर, १८४१, हो०, मि०, डि० १ पृ० ११६ १२४ हं० २० कि

यो उन्हें कम वेतन मिलाने के कारण अपना जीवन निवारण कठिन पतात डो रहा था इसलिए कॉलेज के अधिकारियों के पास उन्होंने इस आशय का कॉलेज की व्यवस्था प्रार्थना-पत्र भेजा कि आगे चल कर उन्हें मुसिक, सटर अमान आदि बना दिया जाय। मार्शल ने उनका प्रार्थना-पत्र प्रिंसप के पास भेजा। प्रिंसप ने लिखा कि बंगाल के डिप्टी गवर्नर इस प्रकार का कोई वचन नहीं दे सकते, क्योंकि सरकारी नौकरिया केवल सुयोग्य व्यक्तियों को ही मिल सकती हैं।

और वर्षों की नीति सी० फ़्लोअर (Flower) ने कॉलेज के मंत्री से १ मई, १८४० का कॉलेज का सक्षिप्त विवरण मांगा। मार्शल ने जो विवरण भेजा उससे ज्ञान होता है कि अत्र कॉलेज में कोई प्राफ़ेसर न रह गया था। हिंदुस्तानी तथा अन्य विभागों में भी प्रतिभाशाली अध्यापक न रह गए थे। कॉलेज का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

सामान्य (जनरल) विभाग, सरकार द्वारा पद-नियुक्ति और स्थापना की तिथि	नियुक्ति की तिथि	व्यक्ति का नाम	किस तरह का नौकरा	वेतन	जोड़
१ जनवरी, १८०७	३१ जुलाई, १८३२	कैप्टेन जी० टी० और	मंत्री	१०००	६०
	२५ सितंबर, १८३२	मार्शल परी-	लक		
	वर्तमान पद पर नियुक्ति ४ जुलाई, १८३८				
X	X	X	X	X	X

हिंदुस्तानी विभाग

दिनांक	तिथि	नाम	पद	आ०	पा०
१ जनवरी, १८०७	सितंबर, १८०२	मौलाबख्श सरिश्तेदार		४१.	१२. १०
"	अक्टूबर, १८०१	दलीलुद्दीन मुशी		४१.	१२. १०
"	६ अगस्त, १८१२	फख्खुद्दीन	"	४१.	१२. १०
"	१ अगस्त, १८३२	मुज़फ़्फ़र हुसैन	"	४१.	१२. १०
"	७ दिसंबर, १८२४	गंगा नारायण	"	५२.	४. ०

(हिंदी और बंगला सुलेखक)

बंगला विभाग

५ सितंबर, १८३८	५ सितंबर, १८३८	मधुसूदन सरिश्तेदार		५०.	०. ०
		तर्कालंकार			

अस्तु, अत्र कॉलेज में कोई 'भाखा'-पंडित अथवा हिन्दी-पंडित न रह गया था। ६ नवंबर, १८४१ को मधुसूदन की भी, जो अहमदपुर ज़िला बर्दवान के रहने ईरदरखंद विद्यासागर वाले थे, मृत्यु हो गई। इसलिए कॉलेज के मंत्री, मार्शल, ने २७ दिसंबर, १८४१ को बंगाल के सरकारी मंत्री बुय्याई, को एक पत्र

लखा जिसमें उन्होंने मधुसूदन के स्थान पर ईश्वरचंद्र विद्यासागर की सिफारिश की मधुसूदन की भांति उनमें सभी योग्यताएँ थीं और संस्कृत कालेज हिन्दू ला कमेटी, फोट विलियम कॉलेज के परीक्षकों आदि से प्राप्त अच्छे-अच्छे प्रमाण-पत्र भी उनके पास थे। किसी अदालत में कानूनी पण्डित का कार्य भी वे भली भाँति कर सकते थे। २६ दिसंबर, १८४१ को उनके लिए सरकारी स्वीकृति मिल गई।^१ किन्तु ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने शास्त्र में इस पद पर कार्य किया या नहीं, इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता।

१४ मई, १८४४ से दिसंबर, १८४६ तक का कॉलेज का सरकारी विवरण अप्राप्य है। १ मई, १८४७ के सन्निवृत्त विवरण में मार्शल का पहले की भाँति उल्लेख है। अन्य व्यक्तियों में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का उल्लेख नहीं है :

हिंदुस्तानी विभाग

६ जून, १८४४	१ मई, १८४४	गुलाम हैदर	सरिश्तेदार	४० ६०
"	"	तफ़्ज़ुल हुसैन	मुशी	४०. "
१ जनवरी, १८०७	१ दिसंबर, १८४४	गंगा नारायण	नागरी और बंगला सुलेखक	५२. ४. ०
X	X	X	X	X
४ अप्रैल, १८४६	४ अप्रैल, १८४०	दीनबंधु	बंगला के सरिश्तेदार	५०. ०. ० ^२

(१, १८४६)

मौलाबख्श को तेतालीस वर्ष की नौकरी के बाद पेंशन मिली और पचास रुपया मासिक वेतन के स्थान पर चालीस रुपया मासिक वेतन पर मौलवी गुलाम हैदर फ़ारसी और हिंदुस्तानी के सरिश्तेदार नियुक्त हुए। २ मई, १८५० को हिंदुस्तानी विभाग में मुहम्मद इस्माईल, ताज मुहम्मद और तफ़्ज़ुल हुसैन थे। १ मई, १८५१ को गंगा नारायण के अतिरिक्त स्थायी विभाग में कोई न रह गया।^३

इधर कुछ दिनों से कॉलेज में हिंदी-शिक्षा का कोई समुचित प्रबंध नहीं रह गया था। किंतु उत्तर-पश्चिम प्रांतों में भेजे गए सिविलियन कर्मचारियों के लिए हिंदी का कॉलेज में हिंदी की समुचित शिक्षा के प्रबंध का अभाव: शेष छात्री की नियुक्ति ज्ञान अत्यंत आवश्यक था। देशी फ़ौजों के अधिकांश सिपाही हिंदू थे। ये हिंदू सिपाही हिंदी अथवा इसके अन्तर्गत किसी बोली का प्रयोग करते थे। इसीलिए कॉलेज के शिक्षा-क्रम में हिंदी को उंचा स्थान दिया गया था। किंतु कई वर्षों से कॉलेज में एक हिंदी पंडित के अभाव का अनुभव किया जा रहा था। ६ मार्च,

^१ फ़ो० बि०, १ नवंबर, १८४१-१२ मई, १८४४, हो०, मि०, जि० १७, नं० १८३२, पृ० २२-२३, ६० रे० डि०

^२ फ़ो० बि०, ७ जनवरी, १८४७-२० दिसंबर, १८४६, हो०, मि०, जि० १८, पृ० ७५-७७ ६० रे० डि०

^३ सेक्टर कुक, जनवरी, १८५०—दिसंबर, १८५१ जि० १६ ६० रे० डि०

१८५२ के सरकारी आज्ञापत्र^१ के अनुसार कुछ नियम के अंतर्गत दो माषाओं में सफल होने वाले सैनिक अफसर का एक सहस्र रुपए का पुरस्कार वापित किया गया था। इसके जारी हो जाने से आर. साथ ही परीक्षा में सहायता देने के लिए एक विद्वान् पंडित की आवश्यकता थी। जी० टी० मार्शल ने जब ३ और ५ अप्रैल, १८५२ का एन्साइन एस० डी० हाइट, ब्यार्लिंग्सवॉ रजिमेंट नेटिव लाइट इन्फैंट्री, की परीक्षा की तो उन्हें बाजार से एक पंडित बुलवाना पड़ा था। उनकी सहायता से मार्शल ने परीक्षार्थी की मौखिक और लिखित परीक्षा ली थी। ऐसी अनिश्चित व्यवस्था के स्थान पर उन्होंने उत्तरी प्रान्त के निवासी एक विद्वान् और आदरणीय हिंदी-पंडित को पचास रुपया मासिक वेतन पर रखना चाहा। इस संबंध में उन्होंने बंगाल के सरकारी मंत्री को एक पत्र^२ लिखा। उत्तर में कॉलेज के सरकारी उपमंत्री, डेल्रिम्प्ले, ने कॉलेज के मंत्री को लिखा कि हिंदी-पंडित रखने के लिए कॉलेज के अन्य किसी विभाग में कोई कर्म की जा सकती है या नहीं^३। सपरिषद् गवर्नर-जनरल के अर्थ-विभाग की २१ मई, १८५२^४ की कार्यवाही का अंश भा उद्धृत कर कॉलेज के मंत्री के पास भेजा गया। होम डिपार्टमेंट ने पचास रुपया मासिक वेतन पर कॉलेज के लिए एक पंडित की आवश्यकता बताते हुए एक पत्र^५ भेजा जो अर्थ-विभाग के अधिवेशन में पढ़ा गया। पत्रपश्चात्, कॉलेज के मंत्री के पत्रानुसार, सपरिषद् गवर्नर-जनरल ने हिंदी-पंडित के लिए स्वीकृति दे दी। किंतु साथ ही उन्होंने बंगाल सरकार से इस बात की प्रार्थना की यदि संभव हो सके तो कॉलेज के और व्यय में से छयालीस रुपए मासिक बचाए जायें। उन्होंने इस प्रस्ताव की सूचना होम डिपार्टमेंट को देने की आज्ञा दी ताकि वह बंगाल की सरकार को यथाविवि सूचना दे सके और उन्हीं की आज्ञा से कॉलेज के मंत्री का पत्र^६ और बंगाल की सरकार के होम डिपार्टमेंट का पत्र^७ वापिस कर दिया गया। अन्य सरकारी अफसरों को भी सूचित कर देना उन्होंने आवश्यक समझा। मार्शल ने बंगाल के सरकारी उपमंत्री को एक पत्र^८ लिखा जिसमें उन्होंने दूसरे कागजात के साथ बंगाल सरकार को लिखे हुए पत्र^९ की प्राप्ति स्वीकार की और साथ ही पंडित शेष शास्त्री को हिंदी-पंडित नियुक्त करने की सिफारिश की। उनकी यह माँग सपरिषद् गवर्नर-जनरल के अर्थ-विभाग के २१ मई, १८५२ के पत्रानुसार थी। १० जून,

^१ नं० १२४

^२ २३ अप्रैल, १८५२, नं० १३६

^३ ३ जून, १८५२, नं० ८६५

^४ नं० १०३३

^५ ६ मई, १८५२, नं० ३२५ तथा २६ अप्रैल, १८५२, नं० ६८६

^६ २१ अप्रैल, १८५२, नं० १३६

^७ २६ अप्रैल, १८५२, नं० ६८६

^८ ८ जून १८५२ नं० २२८

^९ ३ जून १८५२ नं० ८६२

१८४२ को बंगाल के सरकारी उपमन्त्री, डैल्ग्रिम्पिल्, ने मार्शल के पत्र की प्राप्ति स्वीकार करने के बाद श्रेष्ठ शास्त्री को हिंदी-परिचित नियुक्त करने के संबंध में सरकारी आज्ञा भेज दी।^१

कॉलेज के विधान में समय पर परिवर्तन हुआ करते थे। परिवर्तन करते समय व्यावहारिक तथा राजनीतिक दृष्टि में शिक्षा-क्रम तथा व्यय कम करने की दृष्टि से विभिन्न विभागों में कमियाँ हुआ करती थीं। २३ जून, १८४१ को कॉलेज की व्यवस्था में बंगाल के गवर्नर तथा कॉलेज के विजिटिंग लॉर्ड आर्क्लैड, ने विधान की परिवर्तन और के आठवें पारच्छेद के स्थान पर नए नियम स्वीकार किए।^२ इनके आठवें पारच्छेद के अनुसार कॉलेज के शासन में अनेक परिवर्तन हुए। किंतु दसवें स्थान पर नए नियम के अनुसार फारसी को अनिवार्य भाषा बनाने के कारण पठन-पाठन-कम में कठिनाई पड़ रही थी। इसलिए २० जुलाई, १८४२ को बंगाल के सरकारी उपमन्त्री, एच० वी० बेली, ने कॉलेज के मंत्री, मार्शल, को फारसी के अनिवार्य नियम के स्थान पर फारसी और हिंदी या बंगाल अथवा उर्दू और बँगला का नियम जारी करने के लिए लिखा।^३ उन्होंने केवल इस बात पर अधिक ध्यान रक्खा कि अव्यर्थी जिस प्रदेश में भेजा जाय वह वहाँ की भाषा बली मॉनि जानता हो।^४

ऊपर इस बात की ओर संकेत किया जा चुका है कि अब कॉलेज में कोई प्रधानाध्यापक या प्रोफेसर न रह गया था। कॉलेज के मंत्री, मार्शल, ने भारतीय भाषाओं के प्रधानाध्यापक के पदों पर यूरोपीय अफसरों की नियुक्ति के लिए बंगाल सरकार को लिखा।^५ बंगाल की सरकार ने भारतीय सरकार के होम डिपार्टमेंट को लिखा।^६ भारतीय सरकार इस संबंध में कोई निश्चित मत निर्धारित न कर सकी। कोर्ट कॉलेज पर अधिक व्यय नहीं करना चाहता था। अतएव भारतीय सरकार ने कोर्ट के डाइरेक्टरों को लिखा।^७ कोर्ट ने यह प्रस्ताव अस्वीकृत ठहराया।^८ तत्पश्चात् यह विषय फिर

^१ लो० सु०, सितंबर, १८५१—जनवरी, १८५४, जि० २०, नं० ६०४, पृ० ८०१-८०३, इं० २० डि०

^२ साथ ही दे०, पब्लिक कंसल्टेशन, २५ नवंबर, १८४३, नं० ७

^३ लो० सु०, १ नवंबर, १८४१—१७ मई, १८४४, हो०, मि०, जि० १७, नं० ६६३, पृ० १८८, इं० २० डि०

^४ होम डिपार्टमेंट, पब्लिक प्रोसीडिंग्स, जुलाई-सितंबर, १८४६, २६ सितंबर, १८४६, (२३ जुलाई, १८४६), लो० सु० नं० २, पृ०?, इं० २० डि०

^५ वही, २६ अगस्त, १८४६, नं० २१५७, लो० सु० नं० १, पृ०?, इं० २० डि०

^६ वही, २६ सितंबर, १८४६, नं० २२ पृ० १, इं० २० डि०

^७ वही, ४ अक्टूबर, १८४७, नं० १२, पृ० ३५१ ३६२ (३), इं० २० डि०

फेसी ने न उठया जब कोर्ट ने धीरे धीरे कालेज तोड़ने का निश्चय ही कर लिया था तो फिर प्रबानाध्यापको की कोई आवश्यकता भी नहीं थी ।

इतना ही नहीं आगे चल कर कॉलेज की व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ । अधिकारियों ने यह नियम बना दिया था कि विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से प्रपना अध्यापक चुन कर विभिन्न भाषाओं का अध्ययन कर सकता है । इसलिए अब स्थायी रूप से रखे गए मुशियों की कोई आवश्यकता न समझी गई । वास्तव में सरकार जो स्थायी अथवा अस्थायी किसी प्रकार के अध्यापक-वर्ग पर व्यय करना नहीं चाहती थी । बंगाल के सरकारी मंत्री, जे० पी० ग्रॉट, ने इस संबंध में कॉलेज के मंत्री, मार्शल, को लिखा ।^१ मार्शल ने पूरा विवरण सरकारी मंत्री के पास भेज दिया ।^२ सरकार ने अंत में यही निश्चय किया कि कॉलेज के छः स्थायी अध्यापकों को अलग कर उन्हें पेंशन दे दी जाय और भविष्य में प्रत्येक अध्यापक 'पे सर्टिफिकेट' के आधार पर रखा जाय, किंतु क्रिया भी अध्यापक को चार 'पे सर्टिफिकेट' से अधिक न मिले । बंगाल की सरकार के इस कार्य से कोर्ट पूर्णतः सहमत था ।^३

कॉलेज के पुराने क्रमानुसार ग्रंथ-रचना भी होती रही, किन्तु नवोन ग्रंथों का निर्माण बहुत कम हुआ । हिन्दी गद्य-ग्रंथ की रचना तो लल्लूलाल और सदन मिश्र के बाद फिर हुई ही नहीं । केवल प्राचीन ग्रंथ ही बर-बार छपते रहे ।

१८३७ और १८४१ के बीच जॉन टॉमस टॉम्पसन कुल उर्दू-कोष प्रकाशित हुआ । नियमानुसार कॉलेज ने उसका कुछ प्रतियाँ लीं । १४ अगस्त, १८३६ के सरकारी सामान्य पत्र^४ के अनुसार कॉलेज की सभी यूरोपीय पुस्तकें कलकत्ते के सार्वजनिक पुस्तकालय के अध्यक्ष को और पूर्वीय ग्रंथ तथा इस्तिलाखत पोथियाँ एशियाटिक सोसायटी को दे देने की आज्ञा हुई । २० जुलाई, १८४१ का कॉलेज के मंत्री, जी० टी० मार्शल, ने बंगाल के सरकारी मंत्री, जी० ए० बुशबाई, के पास गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के पंडित योगध्यान मिश्र का एक प्राथना-पत्र भेजा जिसमें मिश्र जी ने योगध्यान मिश्र द्वारा 'प्रेमसागर' का एक नया संस्करण प्रकाशित करने का प्रस्ताव रक्खा संवादक 'प्रेमसागर' था । वे छः रुपया का प्रति क हिसाब से दो सौ प्रतियों के लिए का संस्करण तथा सरकारी संरक्षण चाहते थे । 'प्रेमसागर' अलेनिक (सिविल) और अन्य रचनाएं सैनिक (मिलिटरी) परीक्षाओं के लिए एक हिंदी-पाठ्य-पुस्तक थी ।

उसकी प्रतियाँ समाप्त हो चुकी थी और अब वह मिलती नहीं थी । मार्शल ने मिश्र जी के प्रस्ताव का समर्थन किया । मिश्र जी का प्राथना-पत्र निम्नलिखित है जो कॉलेज की पारवर्तित भाषा-नीति पर प्रकाश डालता है :

^१ जे० बु०, जनवरी, १८५०—सितंबर, १८५१, जि० १६, २५ मई, १८५०,

नं० ८६३, पृ० ३७... , इ० २० डि०

^२ वही, ७ जून, १८५०, नं० १५३, पृ० ३७-४०, इ० २० डि०

^३ वही, पत्र ५ मार्च, १८५१, नं० १५, पृ० १८६-१८८, इ० २० डि०

^४ नं० २८

‘स्वस्ति श्रीयुत फोट उलियम कॉलेज के नायक सफलगुणनिधान भागवान कपतान श्री मार्शल साहब के निकट मुज दीन की प्रार्थना

मैंने सुना कि कॉलेज में प्रेमसागर की अल्पता है इस कारण मैं छपवाने को इच्छा करता हु और मेरे यहा छापे का यंत्र और उत्तम अक्षर नये (१ नये) ढाले प्रस्तुत है इस लिये मैं चाहता हूँ कि जो मुझे आपकी आज्ञा होय तो मैं वही पुस्तक उत्तम विलायती कागज पर अच्छी श्याही से आपकी अनुमति के अनुसार छपवा दू परंतु वह पुस्तक चारपेची फरमें से अनुमान २६० दो सौ साठ पृष्ठ होगी जो ६) छः रुपयों के लेखे २०० दो सौ पुस्तक आप लेवें तो छापे के व्यय का निर्वाह हो सके ॥ ॥ ॥ किमधिक ॥ ता० १ जुलाई सं० १८४१

श्री योगध्यान मिश्रः ॥ ” १

स्वयं लल्लूलाल को अपने अन्य दो ग्रंथों के लिए प्रार्थना-पत्र फ़ारसी में लिखना पड़ा था । २८ जुलाई, १८४१ के पत्र में सरकारी अनुमति प्राप्त होने पर मार्शल ने योगध्यान मिश्र के पास यथाविधि सूचना भेज दी । २ ‘प्रेमसागर’ के छप कर आ जाने पर मार्शल ने बारह सौ कंपनी रुपयों के लिए सरकारी स्वीकृति प्राप्त की ।^३

२६ जुलाई, १८२६ को एक ‘हिंदी-इंग्लिश-डिक्शनरी’ के लिए सरकार ने स्वीकृति दी थी । अब वह पूर्ण हो गई थी और मधुसूदन तर्कालंकार उसे प्रकाशित करना चाहते थे । इसके लिए उन्होंने एक पत्र लिखा भी था । कॉलेज के मंत्री, मार्शल, ने बंगाल के सरकारी मंत्री, बुशवाई, के माध्यम द्वारा बारह रुपय फ़ी प्रति के हिसाब से डेढ़ सौ प्रतियों के लिए सिकारिश की । सरकारी मंत्री ने उत्तर में लिखा कि इस पुस्तक की डेढ़ सौ प्रतियाँ खरीदने के लिए सरकार वचन नहीं दे सकती । पुस्तक अच्छी हुई तो विद्यार्थी तथा अन्य विद्या-प्रेमी सज्जन स्वयं खरीदें लेंगे ।

मार्शल ने सुशी देवीप्रसाद राय कुल ‘पौलीग्लोट मुंशी’ के लिए भी सरकारी स्वीकृति माँगी । १३ अप्रैल, १८४२ को उन्हें यह स्वीकृति मिल गई । किंतु उनकी दूसरी कृति, ‘पौलीग्लोट डिक्शनरी’, को, अत्यधिक अशुद्धियाँ होने के कारण, सरकारी सरक्षण न मिल सका ।

१ नवंबर, १८५१ के पत्र में राजकृष्ण बनर्जी ने ‘हीताल पचीसी’ का एक नया संस्करण प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट की । इस संबंध में मार्शल ने बंगाल के सरकारी मंत्री, जे० पी० ग्रांट, को लिखा । १७ नवंबर, १८५१ को उन्हें सरकारी स्वीकृति प्राप्त हो गई ।^४ अधिकारियों ने ढाई रुपया फ़ी प्रति के हिसाब से सौ प्रतियाँ खरीदने का वचन

^१ क्रो० वि० १८ नवंबर १८३० १० अक्टूबर १८४१ हो०, मि०, वि० १६,

दिया। पुस्तक वास्तव में छप कर कॉलेज में आई या नहीं, इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता।

नवंबर, १८५१ में छः रुपया फ्री प्रति के हिसाब ने 'प्रेमसागर' की तीस प्रतियाँ फिर खरीदी गई। हिंदी पढ़ने वाले सिविलियन कर्मचारियों के लिए तो 'प्रेमसागर' ही उनके भावी जीवन का आधार था।

जनवरी, १८५० से जनवरी, १८५४ तक कॉलेज के अंतिम दिन थे। इस बीच में कॉलेज किसी नवीन ग्रंथ की रचना प्रोत्साहित न कर सका हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।

फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के पिछले विवरणों से यह स्पष्ट है कि दिन-पर-दिन सस्था की अवनति होती जा रही थी। आर्थिक और ज्ञानोपलब्धि दोनों ही दृष्टियों से उसका प्राचीन वैभव क्षीण हो रहा था। पिछले कुछ वर्षों से उसकी और भी कॉलेज की शोचनीय अवस्था हो गई थी। सुविधाओं के रहत हुए भी परीक्षा-फल ख़बनति तथा विद्यार्थियों की उन्नति अत्यन्त निराशाजनक होने लगी थी।^१

किसी ऐसे साधन की आवश्यकता थी जिससे शीघ्र ही अभीष्ट फल का प्राप्ति हो सकती। फ़ारसी का अधिक प्रचार न रह जाने के कारण उसकी परीक्षा के मापदण्ड में भी कमी करने की आवश्यकता थी। विद्यार्थियों से उसमें पन्द्रह महीने में योग्यता प्राप्त कर लेने की आशा की जाती थी, असफल होने पर, बिना कोई दण्ड दिए, उन्हें छः महीने की अवधि और दी जाती थी। इतने पर भी असफल रहने से उन्हें ईंगलैंड भेज दिया जाता था। इस बीच में दुबारा परीक्षा लिए जाने के लिए दिए गए प्रार्थना-पत्र अस्वीकार नहीं किए जाते थे। पुराने नियमों के अनुसार विद्यार्थियों को केवल पन्द्रह महीने का समय मिलता था, किंतु अब उन्हें इतनास महीने का समय मिल जाता था। तब भी उनको उन्नति आशाजनक नही रहती थी। बंगाल के डिप्टी गवर्नर की सम्मति में हर्टफ़ोर्ड कॉलेज में कुछ समय व्यतीत कर लेने पर विद्यार्थियों को छः महीने का अतिरिक्त समय देना व्यर्थ था। किसी एक भाषा में सफलता प्राप्त करने से पूर्व विद्यार्थियों को ढाई सा रुपया मासिक, सफलता प्राप्त कर लेने पर तीन सा रुपया मासिक, कलकत्ते में रहने पर नकान का किराया अस्सी रुपया मासिक और शहर से बाहर रहने पर चालीस रुपया मासिक मिलता था। मुंशी के वेतन के लिए तीस रुपया मासिक और मिलता था। इसलिए बंगाल के डिप्टी गवर्नर की यह सम्मति थी कि विद्यार्थियों को कॉलेज में रहने की अवधि कम कर दी जाय और मासिक परीक्षाओं में अच्छा फल न दिखा सकने पर उन्हें कठोर दंड दिया जाय। साथ ही उन्होंने मकान का किराया देकर अलग-अलग स्थानों पर रखने के

^१कॉलेज मंत्री, जी० टी० सार्जेंट, का बंगाल के सरकारी मंत्रों को १३ मार्च, १८५० का लिखा गया पत्र। होम डिपार्टमेंट, पब्लिक प्रोसीडिंग्स, नवंबर, १८५३, नं० ६८ आ० सी० नं० ३, पृ० १५६, ३० २० कि०

बजाय सब विद्यार्थियों को एक ही स्थान पर रखने का विचार प्रकट किया।^१ इन सब महत्त्वपूर्ण विषयों की ओर गवर्नर-जनरल का ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से डिप्टी गवर्नर ने उन्हें एक पत्र लिखना आवश्यक समझा।

बंगाल के सरकारी मंत्री, जे० पी० ग्रांट, ने २० अगस्त, १८५०^२ को एक नोट लिखा जिसमें उन्होंने फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के इतिहास पर प्रकाश डाला। इस नोट के अनुसार १८०१ की वेलेज़ली की मिनिट्स के बाद अब परिस्थिति बदल गई थी, विशेष रूप से १८०६ में हर्टफ़ोर्ड कॉलेज खुल जाने के बाद। अस्तु, कॉलेज की तत्कालीन व्यवस्था में अनेक परिवर्तन आवश्यक थे। उस समय कॉलेज में छः मुंशी कार्य कर रहे थे। सरकारी मंत्री ने उनकी भी आवश्यकता न समझी और विभिन्न समयों पर किए गए सुधारों की ओर भारतीय सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।^३ साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा लिए गए समय की एक तालिका बना कर भी भारतीय सरकार के पास भेजी।^४

भारत के सरकारी मंत्री, एफ़० जे० हैलीडे, ने भी २१ अगस्त, १८५० को एक नोट^५ तैयार किया जिसमें उन्होंने कॉलेज के इतिहास में किए गए उल्लेखनीय सुधारों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर सुधार के अन्य साधन सुझाए।

फिर २२ अक्टूबर, १८५३ को बंगाल के सरकारी उपमंत्री, डब्ल्यू० गॉर्डन यंग, ने भारतीय सरकार के होम डिपार्टमेंट के उपमंत्री, जी० कूपर, को लिखते हुए भारतीय सरकार के ११ अगस्त, १८५३ के पत्र का हवाला दिया और बंगाल सरकार की ११ अक्टूबर, १८५३ की मिनिट्स और सरकारी मंत्री का नोट भारतीय सरकार के पास भेज देने का उल्लेख किया। भारतीय सरकार के उन मिनिट्स से सहमत होने पर बंगाल सरकार उसके अनुसार ही कॉलेज के अधिकारियों को आदेश देना चाहती थी।^६

डलहौज़ी की ११ अक्टूबर, १८५३ की जिन मिनिट्स^७ की ओर ऊपर की पक्तियों में संकेत दिया गया है वे सक्षेप में इस प्रकार हैं :

‘कॉलेज की वर्तमान व्यवस्था के अतर्गत विद्यार्थी प्रायः आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। गुरु का भार उन पर लदा रहता है। कॉलेज की वर्तमान व्यवस्था बिल्कुल दूषित है। उसके सुधार के लिए कई उपाय बताए गए हैं। कुछ सज्जन तो सुधारों के

^१ बंगाल के सरकारी मंत्री, जे० पी० ग्रांट, का भारतीय सरकार के होम डिपार्टमेंट के मंत्री, एफ़० जे० हैलीडे, को २७ मार्च, १८५० का लिखा गया पत्र। वही, नं० ५१२, ओ० सी० नं० १, पृ० १५६-१५७, ६० २० डि०

^२ वही, ओ० सी० नं० ३, पृ० १५७-१६०

^३ वही

^४ होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, ओ० सी० नं० ४, पृ० १६०-१६७

^५ वही, ओ० सी० नं० २, पृ० १६७-१७३

^६ वही, नं० १११० ओ० सी० नं० ६, पृ० १७४

^७ वही नं० १११० ओ० सी० नं० ७, पृ० १७४-१७६

साथ-साथ कॉलेज की पुनर्स्थापना चाहते हैं। कुछ सज्जन कॉलेज तोड़ देने के पक्षपाती हैं और कुछ सज्जन कॉलेज के नाम और अवशिष्ट विद्वा की रक्षा करना चाहते हैं। किंतु इनमें से किसी मत से हमारे उद्देश्य का पूर्ति नहीं होती। तीसरा उपाय अच्छा है। इसी के संशोधित रूप में कॉलेज बनाए रखना अच्छा होगा। कॉलेज की पुनर्स्थापना करना अनावश्यक, अनुचित और लॉर्ड वेलेज़ली की विद्वत्ता में संदेह प्रकट करना होगा। जिस समय कॉलेज स्थापित किया गया था उस समय पंद्रह या सत्रह वर्ष के युवक विद्यार्थी भारतवर्ष आते थे। उस समय उन पर अंकुश रखा जा सकता था। ईंग्लैंड में उनकी शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। किंतु अब दूसरी परिस्थिति है। इस समय बीस से बीस वर्ष तक के विद्यार्थी भारतवर्ष आते हैं। हर्टफ़ोर्ड कॉलेज में वे कुछ शिक्षा भी प्राप्त कर लेते हैं। वे न तो स्कूल के बच्चे रहते हैं और न विश्वविद्यालय के वयस्क विद्यार्थी। स्वभावतः वे फिर स्कूल जाना पसंद न करेंगे। ये सब बातें कॉलेज की पुनर्स्थापना के विरोध में हैं। कलकत्ते के पास किसी अन्य स्थान पर विद्यार्थियों को भेज देना ठीक नहीं है। कलकत्ते में थोड़े दिन रख कर मैं उन्हें कॉलेज में भर्ती करने का पक्षपाती हूँ। मैं मि० हैलोडे और बंगाल के मंत्री, मि० बीडन, के विचारों से सहमत हूँ। किंतु मेरी सम्मति में एक भिन्न मार्ग का अवलंबन ग्रहण करना उचित होगा।

‘कॉलेज की वर्तमान व्यवस्था एक धोखा और परिहास मात्र है। उससे किसी उद्देश्य की पूर्ति होने के बजाय हँसी होने और अम फैलाने का डर है।

‘इस समय वास्तविक रूप में कोई कॉलेज नहीं है, पहले की भाँति विद्यार्थियों के लिए कमरे नहीं हैं, कोई प्रोवोस्ट नहीं है, कोई प्रोफ़ेसर नहीं है और न कोई लेक्चरर है। कॉलेज में कुछ पण्डित और मुंशी हैं। सरकार उन्हें वेतन देती है। किंतु उनसे कोई कार्य नहीं लेता। कॉलेज का अस्तित्व न होने पर भी ‘कॉलेज’ का एक मंत्री है। ऐसे जीवित अस्थि-पंजर की सहायता से किसी प्रकार का लाभ होना असंभव है। लोगों की दृष्टि से यह जितना जल्दी हटा दिया जाय उतना ही अच्छा है।

‘अस्तु, मैं फ़ोर्ट विलियम कॉलेज का नाम पूर्णरूपेण और तुरंत मिटा देना चाहता हूँ। उसके स्थान पर मेरा एक दूसरी संस्था निर्मित करने का विचार है। सरकारी नौकरों मिलाने से पहले प्रत्येक नवयुवक सिविलियन कर्मचारी के अनिवार्य परीक्षा-काल के लिए जिन-जिन बातों की आवश्यकता होगी उन सब की पूर्ति के लिए यह संस्था क्रियाशील और फलदायक रूप में समर्थ होगी।

‘परीक्षा-काल में विद्यार्थियों का अध्ययन और उनकी परीक्षा आवश्यक है। किंतु वर्तमान कॉलेज की अपेक्षा अन्य अनेक उत्तम साधन हैं जो अधिक संतोषजनक सिद्ध होंगे।

‘वर्तमान परीक्षक और मंत्री सुयोग्य व्यक्ति हैं। उन्हें एक न्यायालय (Tribunal) के सरक्षण में रहना चाहिए। वह भी है। एक बोर्ड ऑफ़ ऐरज़ामिनर् (परीक्षा-समिति) की होनी चाहिए जो सरकारी नौकरों पाने से पूर्व जूनियर सिविल कर्मचारियों की परीक्षा का संचालन करे। वर्तमान कॉलेज तो कल्पना से अधिक

कुछ भी नहीं है। बोर्ड से हमारा कार्य सतोषजनक रूप में चलेगा और व्यय भी कुछ न होगा—बल्कि और बचत होगी। देशी अध्यापकों की उपस्थिति भी निरर्थक है। बोर्ड को स्थापना हो जाने पर परीक्षा-विधि अच्छी और फलदायक होगी—जो इस समय नहीं है। विश्वास किया जाता है कि बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव कोर्ट द्वारा अस्वीकृत नहीं ठहराया जायगा। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रहने से यह नई आयोजना और भी सुचारु रूप से कार्य करेगी।^१

इसके अतिरिक्त डलहौज़ी ने नई संस्था के विधान तथा अन्य अनेक विषयों पर विचार किया। बंगाल के सरकारी मंत्री, बीडन, ने विद्यार्थियों की कॉलेज-श्रवधि पर विचार किया। उनके ये विचार बंगाल के सरकारी उपमंत्री के २२ अक्टूबर, १८५३ वाले पत्र के साथ भेज दिए गए।^२ सरकारी उपमंत्री के इसी पत्र के साथ बीडन के बनाए हुए परीक्षा-नियम भी भेजे गए।^३ १० नवंबर, १८५३ को भारतीय सरकार के होम डिपार्टमेंट के स्थानापन्न मंत्री, जी० झाउडन, ने कॉलेज की तत्कालीन अवस्था में सुधारों तथा बोर्ड की स्थापना पर एक नोट लिख कर भेजते हुए गवर्नर (डलहौज़ी) की मिनिट्स की ओर संकेत किया।^४

कॉलेज संबंधी ये सभी समस्याएं भारतीय सरकार के होम डिपार्टमेंट की सुप्रीम कौंसिल के नवंबर, १८५३ के अधिवेशन के सामने रखी गईं। सुप्रीम कौंसिल के इस अधिवेशन में डलहौज़ी भारत के गवर्नर-जनरल की हैसियत से उपस्थित थे।

मली भाँति विचार करने के पश्चात् १६ नवंबर, १८५३ को गवर्नर-जनरल ने मिनिट्स पर अपनी स्वीकृति देते समय केवल यही लिखा कि बंगाल के गवर्नर की हैसियत से मैंने जो कुछ लिखा है उससे अधिक मुझे कुछ नहीं लिखना और मुझे आशा है कि मेरे सहयोगी भी मुझसे सहमत होंगे।^५ उसी दिन आर्न० जे० ए० डोरीन ने अपनी स्वीकृति देते हुए अपने व्यक्तिगत अनुभवों का उल्लेख किया।^६ १६ नवंबर, १८५३ को आर्न० जे० लॉ ने अपनी स्वीकृति तो दी, किंतु छः महीने की श्रवधि के संबंध में उन्होंने अपने संदेह प्रकट किए।^७ आर्न० बी० पीकॉक और प्रधान सेनापति, सर डब्ल्यू० एम० गोम, के० सी० बी० (उत्तर-पश्चिम प्रांतां में होने के कारण) अनुपस्थित थे। इसलिए ये दोनों सज्जन अपने विचार प्रकट न कर सके।

^१ वही, नं० १६१०, ओ० सी० नं० ८, पृ० १८०-१८१

^२ वही, नं० १६१०, ओ० सी० नं० १, पृ० १८२-१८३

^३ वही, ओ० सी० नं० १०, पृ० १८३-१८४

^४ वही, ओ० सी० नं० ११, पृ० १८४

^५ वही, ओ० सी० नं० १२, पृ० १८४-१८५

^६ वही, ओ० सी० नं० १३, पृ० १८५

सरकारी आज्ञा से स्थानापन्न सरकारी मंत्री, जी० झाडउन, ने २५ नवंबर, १८५३ को एक पत्र बंगाल के सरकारी मंत्री, वॉडन, को लिखा जिसमें उन्होंने बंगाल के सरकारी उपमंत्री के २२ नवंबर, १८५३ के पत्र^१ की प्राप्ति स्वीकार की और गवर्नर-जनरल की बंगाल के गवर्नर की मिनिट्स पर स्वीकृति देने की सूचना भेजी। इसी पत्र में उन्होंने यह भी लिखा कि गवर्नर-जनरल की आज्ञानुसार मिनिट्स को कार्य-रूप में परिणत करने के लिए एक आयोग तैयार की जाय। इसकी सूचना भारतीय सरकार तथा कोर्ट के डाइरेक्टरो को देने का आदेश भी उन्हें दिया गया। अन्य अनेक बातों के अतिरिक्त उन्हें अदालती और माली कागजातों के मिलान के लिए एक अलग कमेटी और एक दूसरी ऐसी कमेटी बनाने के लिए लिखा गया जिसमें कॉलेज के नत्कालीन परीक्षक हों। सरकार का उन्हें एक बोर्ड के रूप में रखने का विचार था। इस संस्था के सदस्य सिविल सर्विस (Covenanted Members) के कर्मचारी भी हो सकते थे। उत्तर-पश्चिम प्रांता, कोर्ट सेंट जॉर्ज और बंबई की सरकारों के पास भी मिनिट्स और इस पत्र को नकले भेजी गईं।^२ होम डिपार्टमेंट के २५ दिसंबर, १८५३^३ के प्रस्तावानुसार बंगाल सरकार के २२ नवंबर के पत्र और गवर्नर की मिनिट्स तथा अन्य आवश्यक बातों के संबंध में किए गए निश्चय की उन सभी स्थानों को सूचना दे दी गई।^४

तत्पश्चात् २ फरवरी, १८५४ को बंगाल के सरकारी उपमंत्री, डब्ल्यू० गॉर्डन यंग, ने एक पत्र^५ भारतीय सरकार के होम डिपार्टमेंट के उपमंत्री को लिखा जिसमें उन्होंने स्थानापन्न मंत्री, झाडउन, के पत्र (२५ नवंबर, १८५३) का उल्लेख करते हुए कहा कि इस पत्र के साथ के कागजातों की भारतीय सरकार को सूचना देने तथा उन्हें कोर्ट के डाइरेक्टरो के पास भेजने के लिए बंगाल के श्रीमान् गवर्नर का आज्ञा हुई है। इन कागजातों में श्रीमान् गवर्नर का कॉलेज तोड़ने का आज्ञा-पत्र और उसके स्थान पर बोर्ड ऑफ ऐज्युकेमिन्स का विधान भी था। यंग के पत्र में त्रिन कागजातों^६ की ओर संकेत है

^१ नं० १५१०

^२ वही, नं० ८१३, ओ० सी० नं० १६, पृ० १८६-१८६

^३ वही, नं० ११८२, ओ० सी० नं० १६, पृ० १८७

^४ सदास और बंबई, नं० १००१, १००२, ओ० सी० नं० १७; उत्तर-पश्चिम प्रांत, नं० १०००, ओ० सी० नं० १८, पृ० १८७

^५ कोर्ट विलियम, २४ फरवरी, १८५४, पब्लिक प्रोसीडिंग्स, होम डिपार्टमेंट, फरवरी, १८५४, पत्र नं० ३०८, ओ० सी० नं० १३, पृ० २४०

^६ १, बंगाल के गवर्नर का आज्ञा पत्र, २४ जनवरी, १८५४।

(२) सदास अदालत के जज सर आर० बार्नो के नाम पत्र, २४ जनवरी, १८५४, नं० १२४।

(३) ए० जे० एम० सिविस, एच० रिफ्रेट्स, ओ० जी० ड्रैवर, ए० प्रोड.

सी० ट० बरबैक मैकली हुडमद वाजिब और ए० ईश्वरचंद्र शर्मा के नाम पत्र, २४ जनवरी, १८५४ न० क्रमस १२६, ४०, १२६, १२६, १२६, १२६, १२६। सब पत्र नं० १२६

उन्में से केवल बंगाल के गवर्नर का आज्ञा-पत्र और बोर्ड का विधान कॉलेज तोड़ देने की सरकारी आज्ञा ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य पत्रों में बोर्ड के सदस्यों को उन्हें दिए गए पदों की सूचना मात्र है। बंगाल के गवर्नर का आज्ञा-पत्र केवल एक पंक्ति में है :

The College of Fort William is abolished.¹
अर्थात्
मैं फ़ोर्ट विलियम कॉलेज तोड़ने की आज्ञा देता हूँ।

इसके स्थान पर गवर्नर ने बंगाल सिविल सर्विस के नए कर्मचारियों के लिए फ़ोर्ट विलियम प्रेसीडेंसी (अर्थात्) में प्रचलित भाषाओं के परीक्षा-सबधी नियम बनाए। कॉलेज के मंत्री और परीक्षकों के स्थान पर पब्लिक सर्विस की स्थापना की गई जिसका कर्त्तव्य नौकरी पर भेजने से पूर्व सिविलियन कर्मचारियों की भाषा-सबधी योग्यता धारित करना था।

बोर्ड ऑफ़ पेग्ज़ामिनर्स में गवर्नर ने एक सभापति, अनिश्चित संख्या में पददेतुक अथवा अन्य सदस्य और एक मंत्री (जो बोर्ड का सदस्य भी हा) रखने की व्यवस्था की और सभापति को उपसमिति निर्माण करने का अधिकार दिया।
बोर्ड ऑफ़ पेग्ज़ामिनर्स उन्होंने बंगाल के प्रत्येक सिविलियन कर्मचारी को भारतागमन पर की स्थापना, उसका बोर्ड के मंत्री को सूचित करने और तत्कालीन बंगाल तथा बिहार विधान और वाय्यक्रम (Lower Provinces) के लिए बंगला और उर्दू, तथा उत्तर-पश्चिम प्रांतों और पंजाब के लिए फ़ारसी और हिंदी में योग्यता प्राप्त करने का अनिवार्य नियम रक्खा। भारत आने पर इर्टफ़र्ड में प्राप्त भाषा-संबंधी शिक्षा की दुबारा परीक्षा लेने, प्रत्येक मास के प्रारंभ में एक सामान्य परीक्षा तथा बीच-बीच में भी परीक्षा लेने, प्रारंभिक सामान्य परीक्षा के बाद त्रैमासिक परीक्षा के समय तक अथवा उससे पहले प्रत्येक विद्यार्थी को एक भाषा की योग्यता-परीक्षा में सफल होने, पहली त्रैमासिक परीक्षा के तीन मास बाद दूसरी भाषा की परीक्षा में असफल रहने पर विद्यार्थी को देश के किसी भीतरी भाग के सरकारी पदाधिकारी की अध्यक्षता में रहने और वहाँ पर भी उसे अपना अध्ययन जारी रखने का उन्होंने विधान रक्खा। किंतु प्रारंभिक परीक्षा के बाद अठारह महीने के अन्दर दोनों भाषाओं में योग्यता प्राप्त न कर सकने पर कर्मचारी को नौकरा से अलग कर दिया जा सकता था। उन्होंने ऑनर्स परीक्षा के संबंध में एक भाषा के लिए बारह महीने और दो या अधिक भाषाओं के लिए अठारह महीने की अवधि निश्चित की।

(४) डॉ० ए० श्रेणर और रेड० के० एम० बनर्जी के नाम पत्र, २४ जनवरी, १८५४, नं० क्रमशः १२३, ३३।

(५) फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के मंत्री के नाम पत्र, २४ जनवरी, १८५४ नं० १२३।

(६) उत्तर-पश्चिम प्रांतों के सरकारी मंत्री के नाम पत्र, २८ जनवरी, १८५४,

किसी भी कर्मचारी के साथ महीने के अंदर एक भाषा में 'सर्टिफिकेट ऑफ हाई प्रौफिशेंसी' की उपाधि प्राप्त करने में असमर्थ रहने पर दूसरी भाषा में ऑनर्स उपाधि प्राप्त करने को आज्ञा नहीं मिल सकती थी। ऑनर्स के लिए उन्होंने पहली भाषा प्रदेश विशेष की भाषा रखी, जैसे, बंगाल के लिए बंगला और उत्तर-पश्चिम प्रांतों और पंजाब के लिए हिंदी या उर्दू। निश्चित अवधि पूर्ण करने के बाद कर्मचारी किसी भी प्राचीन मृत अथवा जीवित भाषा का अध्ययन कर सकता था। विभिन्न भाषाओं में योग्यता प्राप्त करने की कसौटी इस प्रकार रखी गई :

१. निम्नलिखित पुस्तकों से लिए गए उद्धरणों का तुरंत और ठीक-ठीक अर्थ बताना :^१

उर्दू—'बागोबहार' और 'इख्बानुस्सफ़ा'
हिंदी—'प्रेमसागर'

२ परीक्षा-पुस्तकों से न लिए गए किसी उद्धरण का ठीक-ठीक सरल विवरणात्मक ढंग से अंगरेज़ी में अनुवाद करना।

३. सरल विवरणात्मक ढंग से स्पष्ट और व्याकरण के नियमानुसार अंगरेज़ी पत्र का उस भाषा में अनुवाद करना जिसमें परीक्षा ली जा रही हो।

४. अंगरेज़ी वाक्यों का अनुवाद करना।

हाई प्रौफिशेंसी की परीक्षा के लिए निम्नलिखित क्रम रखा गया :

१. (योग्यता परीक्षा के न० १ के समान)

हिंदुस्तानी या उर्दू—१. 'बागोबहार'

२. 'इख्बानुस्सफ़ा'

३. 'गुल-इ-बकावली'

४. 'द्वैताली पञ्चीसी'

हिंदी—१. 'राजनीति'

२. 'प्रेमसागर'

३. 'ब्रज (१ सभा) विलास'

२ योग्यता परीक्षा की भाँति अंगरेज़ी से और अंगरेज़ी में अनुवाद करना, किंतु अधिक कठिन पत्रों से और ठीक-ठीक मुदावरों और भाषा में।

ऑनर्स की उपाधि के लिए निम्नलिखित क्रम रखा गया :

१. (योग्यता परीक्षा के न० १ के समान)

हिंदुस्तानी या उर्दू—१. 'बागोबहार'

२. 'इख्बानुस्सफ़ा'

३. 'ख़िर्द अफ़रोज़'

^१ फरसी, बंगाली और संस्कृत के परीक्षा-क्रम का यहाँ उल्लेख नहीं किया गया

४. 'कुल्लियात-इ-सौदा'
 ५. 'प्रेमसागर'
 हिंदी—१. 'प्रेमसागर'
 २. 'सभा विलास'
 ३. तुलसी कृत 'रामायण'
 ४. 'बासोबहार'

२. पाठ्य-पुस्तक छोड़ कर अन्य किसी कठिन पुस्तक से गद्य और पद्य के चुने हुए दो अवतरणों का अँगरेज़ी में ठीक-ठीक अनुवाद करना ।

३. अँगरेज़ी के किसी कठिन अवतरण का ठीक-ठीक, परिभाषित और सुव्यवस्थित शैली में नितांत शुद्ध वाक्य-योजना सहित और व्याकरण के नियमानुसार अनुवाद करना ।

४. देशी भाषाओं में ठीक-ठीक और धारा-प्रवाह बात करना ।

डिग्री ऑव ऑनर की परीक्षा का उद्देश्य परीक्षार्थियों के वास्तविक गुणों और उनकी प्रतिभा से परिचय प्राप्त करना था । अतएव इस संबंध में उनसे मौखिक और लिखित परीक्षाओं में पूर्ण ज्ञान का उदाहरण प्रस्तुत करने की आशा की गई ।

इन नियमों के अतिरिक्त बोर्ड के विधान में पुरस्कार, अनुशासन, पुस्तकालय आदि विषयक नियम भी रक्खे गए । विद्यार्थी अपने अध्ययन की भाषा जानने वाला एक मुंशी या पंडित रख सकता था । विद्यार्थी से लिया हुआ प्रमाण-पत्र दिखाने पर ही मुंशी या पंडित को बोर्ड का संभो वेतन दे सकता था । किंतु ये मुंशा या पंडित वे ही लोग हो सकते थे जिनकी बोर्ड परीक्षा ले चुका हो और फलतः जिन्हें पहले बोर्ड की ओर से योग्यतासूचक प्रमाण-पत्र मिल चुका हो । चार विद्यार्थियों के लिए एक महीने में एक मुंशी या एक पंडित से अधिक मुंशा या पंडित रखने का नियम नहीं था । मुंशियों और पंडितों के लिए अँगरेज़ी का ज्ञान आवश्यक समझा गया । देश के भीतरी भागों में कलक्टर भी मुंशी या पंडित चुन कर बोर्ड के मंत्रा के नाम में वेतन दे सकता था ।^१ निम्नलिखित व्यक्ति बोर्ड के पदाधिकारी नियुक्त किए गए :

सभापति—सर रॉबर्ट बालों, सदर अदालत के जज

सदस्य—ए० जे० एम० मिल्स (Miles)

एच० रिक्ट्स

बोर्ड ऑव रेवेन्यू के सदस्य

पदहेतुक सदस्य—सी० बी० ट्रेवोर

ए० ग्रेट, बोर्ड ऑव रेवेन्यू के स्थानापन्न मंत्री

पदहेतुक सदस्य—सी० टी० वकलैड, सदर अदालत के रजिस्टर

पदहेतुक सदस्य—लेफ्टिनेंट डब्ल्यू० एन० लीड (Lees), बयालीसवाँ रेजीमेंट,
 नेटिव इन्फैंट्री

अध्यक्ष मजन ए० स्प्रेगर, एम० डी०
 मौलवी मुहम्मद वाजिब
 ए० ईश्वरचन्द्र शर्मा, और
 एन० कृष्णकुमार बनर्जी^१

मंत्री—लेफ्टिनेंट डब्ल्यू० एन० लीज, ब्यालिसर्वो रेजीपेंट, नेटिव इन्फैंट्री ^१
 बंगाल के सरकारी मंत्री, ली० ग्रीडन, ने इन सर्वा सदसजनों तथा निविल ऑडायर
 को २४ जनवरी, १८५४ को नियमानुसार सूचना भेज दी।^२ कॉलेज के मंत्री को लिखते
 समय उन्होंने उनके कुछ पत्रों का भी उल्लेख कर दिया था।^३

१ वही, पृ० २४४

२ नं० २३७

३ वही, पृ० २४५-२४८

पत्र नं० ३३७, ११ अक्टूबर, १८५२

२०, १७ जनवरी १८५३

१८५, १६ अप्रैल १८५३

उपसंहार

भारत में आंग्रेजी राज्य और आधुनिकता के प्रतीक-स्वरूप फोर्ट विलियम कॉलेज का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। आंग्रेजी राज्य का नींव दृढ़ करने में तो उसने योग दिया है, किंतु शिक्षा एवं साहित्य संबंधी क्षेत्र में भी भारतीय इतिहास में कॉलेज ऐसी सुगमठित और कन्द्रीय संस्था का निर्माण भारत में पहला कर्मी न हुआ था। वेलेज़ली का मूल बृहत् आयोजना के अनुसार ही यदि कॉलेज की स्थापना हो जाती तो निरसदेह वह संसार की एक महान संस्था के रूप में स्मरणीय किया जाता। वेलेज़ली की आर्थिक नीति से असन्तुष्ट डाक्टरों के डाक्टरों ने उसे केवल बंगाल सेमिनर के रूप में रहने दिया किंतु इन छोटों से रूप में उसने जो कार्य किया वह ही उसे गौरव प्रदान करने के लिए वयेष्ट है।

कॉलेज के आश्रय में रह कर अनेक विदेशी तथा भारतीय विद्वानों ने चीनी तथा अन्य पूर्वीय भाषाओं में ही नहीं बरन् अरबी, फ़ारसी, और संस्कृत, बंगाली, मराठी, हिंदुस्तानी, तामिल, पंजाबी आदि भारत की विभिन्न भाषाओं में कोष व्याकरण इतिहास, काव्य, धर्मशास्त्र, आर्द्धन, धर्म, अर्थशास्त्र, विज्ञान, राजनीति, आदि विविध विषय संबंधी मूल तथा संस्कृत, फ़ारसी और अरबी से अनुवाद ग्रंथ प्रस्तुत किए। प्राचीन कवियों की रचनाओं का अध्ययन और उनका सुधरे रूप में संपादन भी कॉलेज के साहित्यिक जीवन का प्रधान अंग था। मूल रचनाओं के द्वारा भारत की विभिन्न भाषाओं के मूल और पद्य साहित्य की अनेक नए-नए विधा, भावा और शब्दों के प्रचार से वृद्धि हुई। प्रेस का सहायता से इस नए साहित्य का—प्रधान रूप से मूल साहित्य का—प्रचार और भी तत्र गति से हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से पहले भारतीय भाषाओं में प्रायः सरकारी नाट्य और विज्ञान शि. आंग्रेजी पत्रों में प्रकाशित हुआ करता था। कॉलेज में भारतीय साहित्य का प्रसंग से संबंध स्थापित हुआ और आधुनिकता का जड़ जमी। पर आधुनिकता विभिन्न कोष, व्याकरण, आदि जैसी रचनाओं तथा मुलसी, बिहार और निवाज की रचनाओं के प्रकाशन के अतिरिक्त टाइप और विराम-चिन्ह प्रस्तुत करने में भी है। इस दृष्टि से भी कॉलेज का भारत को आधुनिक भाषाओं के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। और इन्हीं कारणों से भारत के कई साहित्यों के इतिहास-ग्रंथों में उसका उल्लेख करना अनिवार्य हो जाता है।

लखनूलाल और सद्दल मंत्र की रचनाओं के नाते हिंदी साहित्य के इतिहास में कारण का उल्लेख किया जाता है उल्लेख करना आवश्यक भी है साथ ही कु

कॉलेज और हिंदी साहित्य विदेशी तथा उनके आधार पर भारतीय विद्वानों के कथनानुसार कॉलेज में आधुनिक हिंदी भाषा और गद्य का भी जन्म हुआ। यह एक ऐसा कथन है जिसके आधार पर अब तक के इतिहास लेखक हिंदी साहित्य के इतिहास में कॉलेज का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान निर्धारित करते आए हैं, किंतु कॉलेज के इतिहास का अध्ययन कर लेने के बाद इस विषय पर अब फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

फ़ोर्ट विलियम कॉलेज का हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास में क्या महत्त्व है, इस संबंध में दो बातें प्रधान रूप से विचारणीय हैं। पहली बात गद्य-ग्रंथों की है, और दूसरी बात भाषा की। हिंदी साहित्य का प्रत्येक विद्यार्थी यह जानता है कि उन्नीसवीं शताब्दी से पूर्व काव्य का एकाधिपत्य रहते हुए भाषा हिंदी में समय-समय पर गद्य लिखा जाता रहा है। ब्रजभाषा, राजस्थानी और खड़ीबोली गद्य की एक तीसरी धारा सदैव हमारे साहित्य में विद्यमान रही है। ये गद्य रचनाएँ स्फुट रूप में ही नहीं बरन् स्वतंत्र ग्रंथों के रूप में भी मिलती हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में तथा उसके आसपास विशेष राजनीतिक परिस्थितियों के कारण खड़ीबोली और उसके गद्य को प्राप्ताहन मिला और ब्रजभाषा तथा राजस्थानी का हास्य प्रारंभ हुआ। प्रस्तुत, उन्नीसवीं शताब्दी अथवा फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से पूर्व हिंदी में गद्य-ग्रंथ विद्यमान थे। दूसरी बात यह कही जाती है कि लल्लूलाल और सदान मिश्र से पहले किसी ने खड़ीबोली में गद्य-रचना का निर्माण नहीं किया था। किंतु यह कथन भी निमूत है। लल्लूलाल और सदान मिश्र से पूर्व अन्य अनेक लेखकों के अतिरिक्त रामप्रसाद निरंजनी, दालतराम और सदासुखलाल खड़ीबोली में ग्रंथ-रचना कर चुके थे। इसलिए कॉलेज के संरक्षण में निमित्त हुए खड़ीबोली गद्य-ग्रंथों से पूर्व हिंदी में खड़ीबोली गद्य-ग्रंथों का रचना हो चुकी थी इस संबंध में कॉलेज ने हिंदी साहित्य में कोई नवीनता उत्पन्न नहीं की।

ग्रंथों के संबंध में विषय की दृष्टि से भी विचार किया जा सकता है। लल्लूलाल द्वारा निमित्त ग्रंथों में हमें 'शकुंतला' (नाटक), 'माधोनल', 'सिंहासन बत्त सी', 'बैताल पच्चीसी', 'राजनीति', 'प्रेमसागर', 'समा विलास', 'नक्षत्रियात या हिंदी गद्य-परपर में लतावक्र-इ-हिंदी' और ब्रजभाषा व्याकरण का, और सदान मिश्र कृत लल्लूलाल और सदान मिश्र ग्रंथों में 'नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती' और अध्यात्म रामायण के खड़ीबोली अनुवाद का उल्लेख मिलता है। लल्लूलाल के पहले चार ग्रंथ उनकी स्वतंत्र रचनाएँ नहीं हैं। मज़हर अली खॉं विला और काज़िम अली जवाँ की सहकारिता से उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की थी। य दान मुसलमान मुशा ब्रजभाषा से पाराचत नहा वे लल्लूलाल स्वयं रचता या उदू ज न्त ष १९०५ २२५३ ८६३ नुव ट काय म वला अर जवाँ की सह यता की

थी। चारों ग्रंथ हैं भी रखता मे न कि हिंदी में। 'राजनीति' हितोपदेश का ब्रजभाषा अनुवाद है। 'प्रेमसागर' भागवत के दशम स्कंध का खड़ीबोली अनुवाद है। 'नक्तुलियात' सग्रह ग्रंथ है। इसलिए यह ग्रंथ हमारे लिए अत्यंत महत्व नहीं रखता। अस्तु, विषय की दृष्टि से लल्लूलाल कोई नवीन ग्रंथ हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करते अर्थात् रामप्रसाद निरंजनी, दौलतराम और सदासुखलाल की भाँति ही लल्लूलाल के ग्रंथ भी चिरपरिचित पौराणिक और संस्कृत साहित्य से अनूदित विषय लेकर ही हमारे सामने आते हैं। सदासुख मिश्र के खड़ीबोली ग्रंथों के संबंध में भी यही कहा जा सकता है। उनका विषय भी कोई नवान दृष्टिकोण उपस्थित नहीं करता। विषय की दृष्टि से तो इंशा का अत्यंत महत्व है। चारण काल में जो स्थान अमीर खुसरो का था, वही स्थान उन्नीसवीं शताब्दी में गद्य साहित्य के इतिहास में इंशा का मानना चाहिए। दोनों ही ने चिरपरिचित साहित्यिक रूपों से पृथक् मनोरंजक साहित्य की सृष्टि की। विषय की दृष्टि से लल्लूलाल के ब्रजभाषा व्याकरण का महत्व अवश्य मान्य है 'राजनीति' का तो भाषा की दृष्टि से भी कोई विशेष स्थान नहीं माना जा सकता। 'सभाविलास' केवल एक सग्रह ग्रंथ है।

तात्पर्य यह है कि फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना और लल्लूलाल तथा सदासुख मिश्र की रचनाओं से पहले हिंदी में गद्य-ग्रंथ थे, खड़ीबोली में गद्य-ग्रंथ थे, और विषय

'ब्रिटिश म्यूजियम में 'शकुंतला नाटक' और 'क्रिस्ता भाषोनख कामकदवा' की जो हस्तलिखित पोथियाँ सुरक्षित हैं उनमें भाषा का यह रूप है:

कुशा का नाम जे पहले ज्ञान पर

जगा फिर दिल को अपने हास्तों पर

परी हो या हंसाव किली की क्या जान जो हंसके शाहिद हंस
ओ सजा के हंस ओ जमाव पर कर सके बिगाह कमाव ...'

—'शकुंतला नाटक', फारसी लिपि में

'हंस आ खना वे पायाव जायक उल अकरीदगार के है कि ...'

—'क्रिस्ता भाषोनख कामकदवा', फारसी लिपि में

ये दोनों ग्रंथ नागरी लिपि में भी प्रकाशित हुए थे, किंतु नागरी संस्करणों के संबंध में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। सम्भवतः नागरी और फारसी लिपियों में प्रकाशित दोनों संस्करणों की भाषा समान हो, जैसा कि विभिन्न कथनों से अनुमान लगाया जा सकता है। फह्रसखियर (१७१३-१७१६) के एक सेनापति फिदा ख़ाँ के पुत्र मूजे ख़ाँ की आज्ञा से निबाब कबीरवर ने काबिदास के ग्रंथ का ब्रजभाषा में अनुवाद किया था। गिलक्राइस्ट की आज्ञा से उसी ग्रंथ का हिंदुस्तानी या रेख्ता में अज़िम अली 'जवाँ' ने अनुवाद किया। लल्लूलाल की सहायता से उन्होंने ग्रंथ का सशोधन किया था। मोतीराम कबीरवर की ब्रजभाषा रचना 'भाषवानत कामकदवा' का अनुवाद मंगलर अली ख़ाँ 'निबा ने लख्खवाक की आजावता से हिंदुस्ता का रेखता में किया

भी वही ये इसलिए यह कहना कि फ़ॉर्न विलियम कॉलेज में ही खड़ीबोली हिंदी गद्य का सर्वप्रथम शिलान्यास हुआ युक्ति-संगत नहीं है।

भाषा के संबंध में दो बातें कही जाती हैं। एक तो यह है कि कॉलेज से पहले खड़ीबोली में कोई रचना नहीं थी, और दूसरे यह कि लल्लूलाल ने गिलकाइस्ट की आज्ञानुसार अरबी-फ़ारसी शब्द निकाल कर आधुनिक संस्कृत-गर्भित हिंदी को जन्म दिया अधिक विस्तार में न जाकर यहाँ इतना कह देना काफी है कि रामसाद निरञ्जनी और दौलतराम इन दोनों ही भ्रातियों का एक साथ निराकरण करते हैं। हाँ, लल्लूलाल के 'धामिनी भाषा छोड़' शब्दों ने आगे चल कर दो विचारधाराएँ उत्पन्न कीं और वे दोनों विचारधाराएँ प्रमथपूर्ण हैं। आधुनिक काल में 'हिंदुस्तानी' या अरबी-फ़ारसी शब्दावली से युक्त खड़ीबोली के

पञ्चातियों का यह कहना कि लल्लूलाल ही ने अरबी-फ़ारसी शब्दों का वहिष्कार कर आधुनिक संस्कृत गर्भित हिंदी का जन्म दिया, अन्यथा ऐसी हिंदी का पहले कोई अस्तित्व नहीं था, और, दूसरी ओर, हिंदी लेखका का यह विचार कि अरबी-फ़ारसी तथा अन्य आधुनिक विदेशी—प्रचलित अथवा अप्रचलित—शब्दों का वहिष्कार कर ही शुद्ध हिंदी लिखी जा सकती है, लल्लूलाल के शब्दों के कारण ही है। वास्तव में गिलकाइस्ट की आज्ञानुसार उन्होंने 'प्रेमसागर' की उस भाषा में रचना की जो मुसलमानी आक्रमण से पहले हिंदू जनता में प्रचलित थी, जिसमें संस्कृत तत्व ही प्रधान था और जो 'हिंदुस्तानी' या उर्दू का प्रधान आधार थी। इसलिए प्रेमसागर भाषा पर 'भाखा' का भी इतना प्रभाव है, लल्लूलाल का यह ग्रंथ न केवल विषय की दृष्टि से, (क्योंकि सदा मिश्र के ग्रंथ की अपेक्षा इससे विद्यार्थियों को हिंदू आचार-विचारों का अच्छा परिचय मिल सकता था) वरन् भाषा की दृष्टि में भी प्रधानतः कॉलेज के विद्यार्थियों के लाभार्थ था—दूसरे शब्दों में, उन्हें 'हिंदुस्तानी' या उर्दू की आधार-स्वरूप भाषा का ज्ञान कराने के लिए। इससे अधिक प्रेमसागर भाषा का कोई विशेष महत्व नहीं था। उसकी रचना एक विशेष दृष्टिकोण से हुई थी। उसीसर्वी शताब्दी उत्तरार्द्ध में भारतेंदु ने हिंदी की जार्तीय शैली का दिग्दर्शन कराया। किंतु लल्लूलाल के शब्दों का प्रभाव अभी तक दूर नहीं हुआ।

प्रश्न यह है कि स्वयं कॉलेज में खड़ीबोली के किस रूप को आश्रय दिया। इस संबंध में विचार करने से पूर्व दो बातें तो निश्चित रूप से जान लेनी चाहिए। एक यह कि कॉलेज की स्थापना शासन-संबंधी और सैनिक दृष्टि से हुई कॉलेज में प्रयुक्त था। दूसरे यह कि कॉलेज में फ़ारसी और नागरी दोनों लिपियों लिपि और भाषा : ग्रहण की गईं। फ़ारसी लिपि का तो उस समय प्रचार था ही। लिपि नागरी लिपि का व्यवहार नैपाल, कुमायूँ, गढ़वाल, राजस्थान, बुंदेलखंड, आदि के राजकीय कार्यों तथा देशी महारजों के कारबार में होता था कैथी लिपि और नागरी लिपि में कोई विशेष अंतर नहीं था स्वयं गिलकाइस्ट रोमन लिपि के पक्षपाती थे और इस संध में उन्होंने प्रयोग भी किए

फोर्ट विलियम कॉलेज में रचित ग्रंथों में से हिंदी भाषा एवं साहित्य की दृष्टि में लल्लूलाल और सदन मिश्र के ग्रंथों का महत्व है। कॉलेज के पठन-पाठन और उसकी भाषा-नीति की दृष्टि से जॉन बोथविक गिलक्राइस्ट के ग्रंथ ही भाषा : भाषा के विचारणीय हैं, क्योंकि माथ्रट, टेलर, और प्राइस में से टेलर और अध्ययन की दृष्टि से प्राइस के कोषों के अतिरिक्त इनकी किसी ऐसी कृति का उल्लेख गिलक्राइस्ट के ग्रंथों नहीं मिलता जो हमारे विषय से संबंध रखती हो। वास्तव में ग्रंथ का महत्त्व रचना की दृष्टि से गिलक्राइस्ट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रधानाध्यापक का नाम उल्लेखनीय भी नहीं है।

लल्लूलाल और सदन मिश्र के ग्रंथों पर पापा और विषय की दृष्टि से मंद्दिप में विचार किया जा चुका है।

जिस समय गिलक्राइस्ट भारतवर्ष आए उस समय कंपनी फ़ारसी भाषा का प्रयोग करती थी। उच्च पदाधिकारियों की सुविधा के लिए दुभाषिए रखे जाते थे। किंतु गिलक्राइस्ट ने फ़ारसी के स्थान पर हिंदुस्तानी का चलन अधिक देखा। इसलिए उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों में हिंदुस्तानी भाषा का प्रचार करना आवश्यक समझा। स्वयं हिंदुस्तानी का अध्ययन कर लेने के बाद कर्मचारियों की सुविधा के लिए उन्होंने कई ग्रंथ बनाए। उन का सबसे पहला ग्रंथ 'ए डिक्शनरी, हंगलिश ऐंड हिंदुस्तानी' (१७८७-१७९०) है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में विस्तृत भूमिका है जिसमें उन्होंने कोष के निर्माण की कहानी दी है और भाषा-संबंधी विचार व्यक्त किए हैं। इसके बाद हिंदुस्तानी शब्दों का अंगरेज़ी में ग्रंथ है। हिंदुस्तानी शब्द-संख्या का अधिकांश अरबी और फ़ारसी भाषाओं से लिया गया है, यद्यपि कहीं-कहीं लेखक ने अरबी-फ़ारसी शब्दों के पर्यायवाची सरल 'हिंदवी' शब्द भी दे दिए हैं। कोष में फ़ारसी लिपि का प्रयोग किया गया है। १७९५-१७९८ में गिलक्राइस्ट कृत 'ए ग्रैमर ऑफ़ दि हिंदुस्तानी लैंग्वेज' नामक रचना प्रकाशित हुई। इस व्याकरण के सिद्धांत तो 'हिंदवी' पर आधारित हैं, किंतु और सब बातें हिंदुस्तानी (या उर्दू) की हैं। उदाहरण के लिए, छंद उन्होंने 'फ़ाइलुन', 'फ़ाइलातुन', 'मफ़ाइलुन', 'फ़ाइलात', आदि चुने हैं। फ़ारसी या अरबी लिपि के उन्होंने 'नस्तालीक़', 'नस्ख', 'शिकस्त-आमेज़', 'शिकस्ता', 'शक्रोत्र' और 'शुल्स' मैदों का उल्लेख किया है। पारिभाषिक शब्दावली अरबी-फ़ारसी या उर्दू से ग्रहण की गई है। उद्धरण उर्दू साहित्य से चुने गए हैं और बली, दर्द, ताबों, भिस्कीन, अफ़जल, जुरत, मीर, सोदा, वेदार, आदि की हिंदुस्तानी कवियों में प्रधान रूप से गणना की है। १७९८ में 'दि ऑरिण्टल लिग्विस्ट' का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ। इसमें 'दि रुडीमेंट्स ऑफ़ दि हिंदुस्तानी टंग' (हिंदुस्तानी भाषा की मूल बातें) नामक एक छोटा-सा ग्रंथ भी शामिल है। इसका अतिरिक्त साहसों के लिए हिंदुस्तानी में 'डायलोगज़' (बातचीत), 'मिलिटरी टर्म' (फ़ौजी शब्दावली), 'आर्टिकिल्स ऑफ़ वार' (फ़ौजी कानून), 'टैल्स ऐंड ऐनेकडोट्स' (कहसे कहानियाँ), 'ओब्ज़' (कविताएँ), रेखता और राजल के रूप में हिंदुस्तानी टंगत के उदाहरण दिए गए हैं 'वोवैन्लरी रगलिश ऐंड हिंदुस्तानी' (अंगरेज़

हिदुस्तानी शब्दावली, १७६८ आर १८०२ तक ताना सस्करण म इ १८०२ क सस्करण म पारिभाषक शब्द, हिदुस्तानी गनता, दन, आदि कुछ नए विषय क अतिरिक्त कुछ नई कविताएँ आर कहानियाँ भी जोड़ दी गई हैं। उदाहरणों की भाषा म 'सोमा', 'निर्बल', 'चतुर', 'कठिन', 'लगभग', 'लजाना', 'पात', 'नगर', आदि शब्द अवश्य मिल जाते हैं, किंतु अधिकांश शब्द अरबी-फ़ारसी या उर्दू के हैं। फ़िस्से-कहानियों की भाषा म प्रयुक्त हान के कारण ये शब्द सरल अवश्य हैं, यद्यपि कठिन शब्दों का विलकुल अभाव नहीं है। वाक्य-विन्यास भा उर्दू का है। १८०२ के सस्करण में अंगरेज़ी पारिभाषिक शब्दों का हिदुस्तानी अनुवाद इस प्रकार किया गया है : Abbreviation = इख़्तसार, Abstract = खुलासा या इतख़ाब, Accusative = मरूल, Adjective = सिफ़त, Adverb = इफ़् जफ़् या तमीज़, Adverb of time = ज़फ़ा ज़मान, Adverb of place = ज़फ़ा मुकान, Allegory = मजाज़, Article = इफ़ या इस्म, Case = हालत, Compound = मुसक़ब, Declinable = दुतसरिफ़, Future = इस्तक़वाल या मुस्तक़बिल, Grammar = सफ़-ओ-नहो या कायदा क़वानीन, Hyperbole = मुवालशा, Plural = जमा, आदि। १८०२ में प्रकाशित 'दि इट्रेजर्स इस्ट इंडियन गाइड' हिदुस्तानी व्याकरण है। इसी वर्ष प्रकाशित 'दि हिंदी डाइरेक्टरी' भी हिदुस्तानी व्याकरण है, किंतु 'गाइड' से कुछ थोड़ा-सा अंतर है। १८०२ में ही प्रकाशित 'दि हिंदी मनुअल' गिलक्राइस्ट की मौलिक रचना नहीं है, किंतु कॉलेज के हिदुस्तानी विद्यार्थियों के लिए प्रधानतः सरकारी आश्रय में रहे हिदुस्तानी कवियों और मुशियों की रचनाओं के चुने हुए अंशों का संग्रह है—मीर बहादुर अली कृत 'अख़लाक-इ-हिंदी', मीर अब्दुल्ला कृत 'मसिया', जहाँ और लल्लुलाल कृत 'सिद्दासन वनीली', विला और लल्लुलाल कृत 'माधोनल', जहाँ और लल्लुलाल कृत 'शकुंतला नाटक', विला और लल्लुलाल कृत 'बैताल पच्चीसी', मीर हैदर बख़्श कृत 'तोता कहानी', मीर अम्मन कृत 'बाग़ोवहार', मीर बहादुर अली कृत 'नल-इ-बेनज़ार', और मीर शेर अली कृत 'बाग़-इ-उर्दू'। इन रचनाओं को विभिन्न शैलियों का संग्रह गिलक्राइस्ट ने विद्यार्थियों के लाभ के लिए किया था। १८०२-१८०३ में प्रकाशित 'नक़लियात-इ-हिंदी' या 'दि हिंदी स्टोरी टैलर', दो जिल्द, में गिलक्राइस्ट ने बड़े मनोरंजक ढंग से हिदुस्तानी भाषा में लिखित विभिन्न कहानियों तथा अन्य रचनाओं के माध्यम द्वारा रोमन फ़ारसी और नागरी लिपियों का तुलनात्मक उपयोगिता प्रदर्शित की है। इस ग्रंथ की दूसरी जिल्द का द्वितीय सस्करण १८०६ में प्रकाशित हुआ। १८०३ में प्रकाशित 'दि हिंदी सौरल प्रीसेप्टर' या 'अतालीक इ-हिंदी' में फ़ारसी-विद्वान के हिंदुस्तानी सीखने के लिए और हिदुस्तानी जानने वाले के फ़ारसी सीखने के लिए सरल व्याकरण है। यह गिलक्राइस्ट की मौलिक रचना नहीं है। उनकी अथ्यक्षता में हिदुस्तानी विभाग के देशी विद्वानों द्वारा अनुवाद, संग्रह, आदि के रूप में ग्रंथ निर्मित हुआ था। इसी वर्ष प्रकाशित 'दि ऑरिएण्टल क्रैब्यूलिस्ट' भी गिलक्राइस्ट की मौलिक रचना नहीं है। यह विभिन्न देशी विद्वानों द्वारा हिदुस्तानी, फ़ारसी अरबी, ब्रजभाषा, बंगला आर संस्कृत भाषाओं तथा रोमन लिपि में अनूदित इसप तथा अंगरेज़ी भाषा से ला हुआ अन्य अनेक पुराना कहानियों का

विद्यार्थियों के लाभार्थ सग्रह-ग्रथ है। १८०४ में प्रकाशित 'दि हिंदी-रोमन और—थीपीथ्रीफ्रीकल अल्टीमेटम' में शकुंतला की कहानी द्वारा गिलक्राइस्ट ने प्रतीय और रोमन लिपियों की तुलनात्मक उपयोगिता दिखाई है। ग्रन्थ में गिलक्राइस्ट के लिपि-संबंधी प्रयास रोमन लिपि की श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए थे। इन मुख्य-मुख्य ग्रथों के अतिरिक्त लल्लूलाल कृत 'प्रेमपागर' की भाँति अन्य अनेक ग्रथों की रचना गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में हुई जिनसे हमारा कोई भवन नहीं है।

इन ग्रथों में ये 'डिक्शनरी', 'प्रेमर', 'लिक्विस्ट', 'दि स्ट्रेचिंग ईस्ट इंडियन गाइड', 'दि हिंदी डाइरैक्टरी', नक़लियात-इ-हिंदी या दि हिंदी स्टीमरी टैलर' और 'दि हिंदी-रोमन औरथीपीथ्रीफ्रीकल अल्टीमेटम' ही गिलक्राइस्ट की मौलिक रचनाएँ हैं, अन्य सभी सग्रह-ग्रथ हैं। गिलक्राइस्ट के विचारा की दृष्टि से प्रथम तीन ग्रथ तथा ऑरिएण्टल सेमिनरी का प्रथम 'जर्नल' (१७६६) सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।

गिलक्राइस्ट के भाषा-संबंधी विचारा तथा उनके दिए हुए उदाहरणों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि उनका हिंदुस्तानी से उस भाषा में नात्पर्य था जिसके व्याकरण के सिद्धांत, क्रिया-रूप, आदि तो दलहैड द्वारा कही जाने वाली विशुद्ध या मौलिक हिंदुस्तानी ('प्यार और ऑरिजिनल हिंदुस्तानी'), और स्वयं उन्हीं की शब्दावाली से, 'हिंदवी' या 'वृजभाषा' के आधार पर स्थित थे, लेकिन जिसमें अरबी-फ़ारसी के सज्ञा-शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग रहता था। यह भाषा केवल वे ही हिंदू और मुसलमान बोलते थे जो पढ़े-लिखे थे, और जिनका संबंध राज-दरबारी तथा कचहूरियों से था, या जो सरकारी नौकर और उच्च श्रेणी के थे। लिखने में फ़ारसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। हिंदुस्तानी का उन्होंने 'हिंदी', 'उर्दू', 'उर्दुवी' और 'रेखता' भी कहा है। इनमें से केवल 'हिंदी' शब्द ही ऐसा है जो साहित्यिकों के विमर्श में उल्लेखन पैदा कर सकता है। गिलक्राइस्ट ने 'हिंदी' का 'हिंद की' के अर्थ में प्रयोग किया है, जो बिल्कुल ठीक है। हिंदुस्तानी भी हिंद की भाषा थी। गिलक्राइस्ट ने 'हिंदी' शब्द का अपने विचारानुसार हिंदुस्तानी के अर्थ में ही प्रयोग किया है। प्राइस ने निश्चित रूप से 'हिंदी' शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रयोग किया। किंतु गिलक्राइस्ट ने 'हिंदी' के स्थान पर 'हिंदुस्तानी' शब्द इसलिए पसंद किया ताकि 'हिंदवी' 'हिंदुई' (जिनका ठेठ हिंदी, 'माखा' और 'खड़ीबोली' अर्थ में प्रयोग होता था) और 'हिंदी' शब्दों से, जो बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं, कोई गड़बड़ी पैदा न हो सके। 'हिंदवी' को वे केवल हिंदुओं की भाषा मानते थे। मुसलमानी आक्रमण से पहले यही भाषा उत्तरी भारत में प्रचलित थी, जो नागरी लिपि में लिखी जाती थी, जिसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग होता था, और जिसके आधार पर हिंदुस्तानी का भवन खड़ा हुआ था। इस प्रकार हिंदवी और हिंदुस्तानी के भेद के बाद गिलक्राइस्ट ने तान प्रचलित शैलियाँ निर्धारित की—(१) दरबारी या फ़ारसी शैली, (२) हिंदुस्तानी शैली, और (३) हिंदवी शैली। फ़ारसी शैली के दुरुद्ध होने और सर्वसाधारण की समझ में न आ सकने के कारण उन्हें अम्राध्य थी हिंदवी शैली को (जो जनसाधारण में सबसे

अधिक सम्झी जाती थी) व गवारू कह कर पुकारते थे उन्हें सिर्फ हिंदुस्तानी शैली पसंद आई जो, उनके मतानुसार, हिंदुस्तान क महान् लोकप्रिय बोली (1d ग्रैंड पाप्युलर स्पीच आव 1हदुस्तान) था। इस शैली में दक्षता प्राप्त करने लिए फ़ारसी भाषा और लिपि का ज्ञान अनिवार्य था (कॉलेज में फ़ारसी और हिंदुस्तानी का सदैव गठबंधन रहा)। वे स्वयं तो रोमन लिपि के कट्टर पक्षपाती थे, किंतु फ़ारसी लिपि के वे अधिक विरोधी नहीं थे, क्योंकि हिंदुस्तानी (या उर्दू) के पुराने कवियों, जैसे, मीर, उर्द, सौदा, आदि ने इसी लिपि का प्रयोग किया था। अच्छी हिंदुस्तानी लिखने के लिए उन्होंने फ़ारसी शब्दों का मिश्रण आवश्यक समझा। अच्छी हिंदुस्तानी के नमूने या तो सीदा की रचनाओं में या स्वयं गिलक्राइस्ट द्वारा निर्मित ग्रंथों में दिए गए हिंदुस्तानी भाषा के उदाहरणों में या आया, खानसामा और मुशी की भाषा में मिल सकते थे। कोई हिंदू भी अच्छा 'हिंदुस्तानी मुशी' बन सकता है, यह बात गिलक्राइस्ट मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा का यह सूत्र दिया है :

हिंदवी + अरबी + फ़ारसी = हिंदुस्तानी

गिलक्राइस्ट की सहायता से प्रधान सेनापति के फ़ारसी भाषा के दुभाषिए, विलियम स्कॉट, ने १७६० में 'आटिकिल्स ऑव वार' का हिंदुस्तानी में अनुवाद किया था। 'लिंग्विस्ट' के दोना संस्करणों में यह अनुवाद शामिल है। उसमें से एक अवतरण नीचे उद्धृत किया जाता है :

'पहली आईन आठवीं वाव की

'जिस वक्त किसी ओहदेदार, या सिपाही पर, बड़े गुनाह की नालिश हो या क़िसू रय्यत के बदन या माल के कुछ बिन्दत, या नुक़सान करने फ़रीआद होवे, जिसकी सज़ा रेज़ीमेट, रिखाले, कंपनी या तहेनाती में बुह आसामी, या वे आसामी एलाक़ा रखते हों, जिन पर फ़रीआद हुई है; तौ उस ही के सर्दार, और आहदेदारों को चाहिए, इस आईन के मुआफ़िक़ मुनासिब दरख़वास्त पर, उस फ़रीआदी या फ़रीआदियों से, या ऊन के तरफ़ से, कि अपना मक़दूर भर ऊम आसामी या आसामियों को, जिन पर नालिश हुई है, मुल्क हाकिम को सौपे';... (१७६०)

(रोमन लिपि)

'लिंग्विस्ट' में अन्य रचनाओं की भाषा इस प्रकार है :

'जो जड़ और डाल पात क़िसू क़िस्ते के लागों के दिलों पर बहुत असीर-पज़ीर है, तौ उस को थोड़ा ही मा उज़् आदमाया के सुनाने के लीए चहीए यह कहानी भरी हुई है कई एक दिलरेश वारिदात से, कि नबीजा और तासीर में उस की हम सब थोड़ा बहुत शरीक है'... (१७६८)

(रोमन लिपि)

प्रयत्न

‘यू सुना है कि हिंदू में किसी वक्त् एक पादशाही भठील था, उसे यह खबर पहुँची, कि फलाने शहर का इकिस बड़ा जालिम था, सो मर गया; तब ऊजने दिल् में यह मन्त्रा कीआ कि अपनं खालुखास अमारं स जो बड़ा मुंसिफ हो, सो मेजा चाहीए, कि लोग वहाँ के फिर अजीयत न पावे ...’ (१८०२)

(रोमन लिपि)

२५ फरवरी, १७६९ क ‘जर्नल’ में दिए गए उदाहरणों से भी उनकी भाषा का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है, जैसे, ‘हुकम’, ‘हारिम’, ‘अहकाम’, ‘हुकमनामा’, ‘महकूम’, ‘मकमा’, और हुकूमत। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि शब्दों का रूप-परिवर्तन उर्दू-व्याकरण के अनुसार है। १८०२-१८०३ में प्रकाशित ‘नज़ूलियात-इ-हिदी या दि हिदी स्टोरी टैलर’ से एक उदाहरण इस प्रकार है :

‘एक बज्जीर का बेटा नाटान न कुंदजहन था बज्जोर ने एक दाना के पास उसे मेजा और कहा कि इस लडके को तरबियत कर शायद कि अक्लमंद हो जावे चुनाचि दाना ने उसकी तालीश में बहुत भी कोशिश की पर कुछ फायदा न हुआ पम लाचार हंकर लडके को उनके बाप के पास फेर मेजा और कहा कि तेरा बेटा आकिल नही हुआ और मुझे दोवाना किया।’

(फारसी लिपि)

इसी ग्रंथ में भाषा के निम्नलिखित उदाहरण भी मिल जाते हैं :

‘कोई बनिश बटोही बात भूल के एक वन में जा निरुला बिसे वहाँ और ता कोई न नजर आया पर एक जोगी दिखाई दिया इसने उसे टडवल करके पूछा नाथ जो आते हो कहाँ से और जाओगे कहाँ जवाब दिया बाबा हिगलाज ज्वालानुखी हरिद्वार कुरछेत्तर करके तो आता हूँ और काशी हो गंगा नोदावरी का मेला कर सेत-बन्दरामेश्वर को जाऊंगा बनिश ने कहा महाराज एक बात पूछूँ जो खफ़ा न हो बोला बाबा एक नही दो कहा महाराज हम भरहस्थी हैं जा भैस देस फिरेँ तो कुछ दोष नही आप फकीर हो भटक भटक क्यों भरभ गँवाते हो एक ठौर बैठकर किस लिये अपने भगवान का ध्यान नहीं करते कहा बाबा तुने यह कहावत नही सुनी

बहता पानी निर्मला वैश्व गेंधेला हीय

साधू जन रमता भला दाग न लागै कोय

(फारसी लिपि)

किंतु एक तो ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं, दूसरे भाषा में ‘हिंदुस्तानीपन’ या ‘उर्दूपन’ स्पष्ट कलकता है।

इन अवतरणों की भाषा की तुलना कॉलेज के मौलवी इकराम अली द्वारा अरबी से हिंदुस्तानी में अनूदित ‘इंतखाब-इ-इख्वानुस्सफ़ा’ (१८११) से की जा सकती है :

‘फ़ल पक्षी क़सिद के अहवाल में

यहन् कासिद्वाजस बड़ी दरिदा क पादशाह अबुलदारस यान शेर क पास आकर कहा कि आठमियों और हैवानो ये जिना के पादशाह के सामने बनाजर, हो रहा है हैवानो ने कासिदों को सब हैवानात की तरफ़ खानः किया है कि आकर उनकी मदद करे मुझको भी आपका ख़दमत में भेजा है एक सरदार अपनी फ़ौज से मेरे साथ कर दीजिथे कि वहाँ चलकर अपने अवानाद जिन्स का शरीक होवे जिस वक्त उसकी नावत आवे इन्साना से मनाजरः करे ।' (फ़ारसी लिपि)

अतः मैं गिलकाइस्टः हिंदुस्तानी का स्वाभाविक विकास हमें विलियम ब्रदरवर्थ बेल्जी की ६ फ़रवरी, १८०२ की हिंदुस्तानी पर लिखी गई थीसिस (प्रबंध) में मिलता है :

‘अगरचि साहिबि मुहावरः हिंदुस्तानी ज़बान के फ़रवर नहीं करते कि इसमें बहुत नसर की कितावे या तसानोकि इलमी हैं पर कितने एक क्रिस्से ख़ूब ओ गज़लें सरख़ूब ओसैरे नज़म में मौजूद है, दरकिनार यह कि मुआमलति महांजनी लश्करी ओ मुहिम्मात मुल्की ओसैरे कि तख़ल्लुक नविशत ख़ाद से रखत है उन्हों में ज़वानि हिदी जारी है ।’

थीसिस में नागरी लिपि का प्रयोग आवश्यक हुआ है, किंतु मात्रा हिंदवी या हिंदुई का आधुनिक हिंदी नहीं है। संभव है डब्ल्यू० चपलैन की २५ जुलाई, १८०३ की मती प्रथा पर लिखी गई थीसिस के आधार पर यह कहा जा सक कि कॉलेज और गिलकाइस्ट की हिंदुस्तानी के अतर्गत अरबी-फ़ारसी और संस्कृत उब्दावलों से युक्त दोना शैलियाँ माना जाती थीं। चैपलैन की थीसिस का एक अवतरण इस प्रकार है :

‘क्या इसवी क्या आर अच्छी जाता के लाग किसी पंथ के होय जाना जाता है कि मेरे वाद को मिटाने के कोई एक भी प्रमान न ला सकेगा । हे महाराजो मेरी बुद्धि से यह रीति प्रसिद्ध साच ही जाना जाता है आर यह भा निश्चय कर जानता हूँ कि इस कठिन और अनजानी बोला में संकत जैसा चाण्डाल वसी नहा रखता कि इस बात का भला भाँति से व्यापरे समेत समझाऊ, तिस पर भा मन चलाय बुद्धि दाइता हूँ ।’

इस अवतरण की भाषा पर विचार करते समय यह स्मरण रखना चाहिए कि हिंदुस्तानी के अरबी-फ़ारसी रूप को प्रधानता देन पर भी गिलकाइस्ट (अथवा हिंदुस्तानी कॉलेज क अन्य पदाधिकारी), हिंदवी को पूर्ण अवहेलना न कर सके थे । स्वयं गिलकाइस्ट इस रूप से अधिक परिचित नहीं थे आर इसलिए उन्हें लल्लूलाल का रखना पड़ा था । इस रूप के अर्थात् हिंदवी के आधार पर हिंदुस्तानी या उर्दू का प्रासाद खड़ा हुआ था । इसलिए उसका ज्ञान परमावश्यक था । विद्यार्थी भी उसका अभ्यास करते थे । ऐसी परिस्थिति में यदि किसी विद्यार्थी ने हिंदवी क अभ्यास क लिए उसमें अपना थीसिस लिखी हो तो कोई आश्चर्यजनक बात नहा । किंतु इसका यह अर्थ नहा कि गिलकाइस्ट हिंदवी का हिंदुस्तानी या उर्दू क बराबर महत्व देते थे, उन्होंने हिंदवी क हिंदुस्तानी का आधार-स्वरूप भाषा क रूप न गण्य स्थान दिना, प्रदानना दूना हिंदुस्तानी क अरबी-फ़ारसी रूप या हिंदुस्तानी या उर्दू का रखना । किंतु जैसा कि उलार, प्राइस, रोएवक,

आदि के पत्रों से ज्ञात होता है, हिंदवी या 'भाखा' या ठेठ हिंदी या खड़ीबोली के गौण स्थान का भी हास हो गया और गिलक्राइस्ट के बाद बहुत दिनों तक हिंदुस्तानी (उर्दू) का ही प्राधान्य बना रहा। प्राइस के समय में हिंदवी का प्राधान्य, किंतु गद्य और, जैसा कि पिछले विवरण से ज्ञात होता है, सरकारी पत्रों या विज्ञापनों में भी इसका प्रयोग हुआ, किंतु हिंदुस्तानी या उर्दू का स्थान भी गौण रूप में बना रहा। साथ ही प्राइस हिंदवी या हिंदुई का कोई नवीन गद्य-ग्रंथ भी प्रस्तुत न कर सके और न कर सकें। दूसरे शब्दों में, गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लूलाल और सदल मिश्र द्वारा प्रदत्त गद्य-शैली के लगभग उन्नीस वर्ष बाद भी प्राइस उसका कोई विकास उपस्थित न कर सके। वे लल्लूलाल के पिछले ग्रंथों पर ही निर्भर रहे। आनश्यकतानुसार वे अपने विभाग में नए सुयोग्य अध्यापक भी न ला सके। वास्तव में जिस समय प्राइस प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए थे उस समय तक कपनी का हिंदी जनता के साथ पूर्ण रूप से संबंध स्थापित हो चुका था। इसलिए शासन-व्यवस्था की दृष्टि से उन्हें हिंदवी (हिंदी) को स्थान देना पड़ा हो ता कोई आश्चर्य नहीं। अध्ययन के लिए लल्लूलाल के ग्रंथ थे ही। प्राइस के बाद तो कॉलेज के अंतिम दिन थे। उस समय किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना संभव नहीं थी।

फोर्ट विलियम कॉलेज में 'हिंदुस्तानी' या उर्दू की अधिक या कम प्रधानता अवश्य रही, इस संबंध में प्रमाणा का अभाव नहीं है। उदाहरण-स्वरूप गिलक्राइस्ट द्वारा ऑरिएण्टल सेमिनरी के 'जर्नल' में तथा अन्य स्थलों पर व्यक्त भाषा-हिंदुस्तानी के प्राधान्य संबंधी विचार, टिप्पणियाँ तथा उनके बाद के प्रदाविकारियों द्वारा लिखे के संबंध में प्रकाशित गए पत्र, विद्वानों के भाषण, 'हिंदुस्तानी' या उर्दू ग्रंथों की अत्यधिक संख्या में रचना, हिंदवी ग्रंथों की सदैव के लिए सीमित संख्या, 'भाखा'-मुंशी और पंडितों का कम वेतन तथा कॉलेज की व्यवस्था में उनका गौण स्थान, उनकी नियुक्ति के संबंध में अनिश्चित व्यवस्था, फ़ारसी और 'हिंदुस्तानी' का पारस्परिक घनिष्ठ संबंध और फलतः 'हिंदुस्तानी' पढ़ने वाले विद्यार्थियों की अधिक संख्या, हिंदुस्तानी विभाग के मुंशियों का हिंदवी-संबंधी अज्ञान, बेली कृत थोसिस की भाषा तथा बाद का भाषा में अंतर, आदि अनेक बातों का उल्लेख किया जा सकता है।

लल्लूलाल और सदल मिश्र की रचनाओं के नाते हिंदी साहित्य के इतिहास में फोर्ट विलियम कॉलेज का उल्लेख करना तो आवश्यक है, किंतु हिंदी भाषा और गद्य-साहित्य के विकास या उन्हें एक कदम और आगे बढ़ाने की दृष्टि से उसका कोई महत्व नहीं है। कॉलेज से 'हिंदुस्तानी' या उर्दू गद्य को प्रोत्साहन मिला, न कि हिंदी गद्य को। जो कार्य कैर ने बंगला के लिए किया वह कार्य किंसा न हिंदी के लिए न किया। डॉ. कोष, व्याकरण, टाइप, विराम-चिह्न आदि आधुनिक विषयों के सूत्रपात की दृष्टि से कॉलेज आधुनिक भारतीय भाषाओं के इतिहास में।

परिशिष्ट

परिशिष्ट

अ (पृ० ३)

कुछ विद्वानों का मत है कि पाश्चात्य विद्वानों में सबसे पहले गिलक्राइस्ट ने हिंदुस्तानी भाषा का अध्ययन शुरू किया। परंतु बात ऐसी नहीं है। उनसे पहले भी पाश्चात्य विद्वानों ने हिंदुस्तानी का अध्ययन किया था। उन्होंने जिस हिंदुस्तानी का अध्ययन किया उसका रूप क्या था, इसके विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

शुरू में अंगरेजों ने हिंदुस्तानी भाषा के अध्ययन की ओर अधिक ध्यान न दिया। इसका कारण था। जब दक्षिण के पश्चिमी तट पर पोर्चुगीज आकर बस गए तो उन्होंने वहां की बोली सीखने का प्रयत्न किया। परंतु गोआ की पोर्चुगीज सरकार की नीति भिन्न थी। वह अपने धर्म और पोर्चुगीज भाषा का ही प्रचार करना चाहती थी। इसके लिए उनमें पाठरियों को बाध न भी किया। इसके परिणामस्वरूप भारतीय पोर्चुगीज धर्मावलंबियों में पोर्चुगीज भाषा का प्रचार हुआ। वे भारतीय पोर्चुगीज भाषा को शुद्ध रूप में न बोल कर विकृत रूप में बोलते थे। १८वीं शताब्दी में जब ये लोग देश के भीतरी भागों और बंदरगाहों में जाकर बसने लगे तो उस भाषा को भी अपने साथ लेते गए। इन स्थानों के योरोप निवासियों ने इसी विकृत पोर्चुगीज भाषा को अपनाना शुरू कर दिया। वे हिंदू और मुसलमान सोदागरो के साथ व्यापार भी इन्हीं नवागंतुकों के द्वारा करने लग गए। उन्होंने इनसे दुभारपिए और क्लर्की आदि का काम भी लिया।

अस्तु, बंगाल पर विजय प्राप्त करने से पहले अंगरेज, डच और फ्रांसीसियों का न तो हिंदुस्तानी भाषा की ओर ध्यान ही गया और न उन्हे सीखने की आवश्यकता ही हुई। शुरू में ईसाई मिशनरियों ने हिंदुस्तानी की ओर ध्यान न दिया। १७४३ में मिलियस नामक एक व्यक्ति ने हिंदुस्तानी का अध्ययन कर लीडन से एक पुस्तक प्रकाशित की। परंतु उसे अपने परिश्रम में अधिक सफलता न मिली। दो साल बाद यानी १७४५ में शुल्ज़ियस नामक एक और व्यक्ति ने हल से 'ग्रैमैटिका हिंदुस्तानी' प्रकाशित कराई थी। परंतु उसका कार्य भी सतोषजनक न रहा और न उससे कोई मतलब ही सिद्ध हो सका।

बंगाल में अंगरेजी राज्य के पूर्णरूप से स्थापित हो जाने पर अंगरेजों को विजिता की भाषा न जानने के कारण बड़ी असुविधाएँ हुईं। उनकी फौज में बहुत से देशी सिपाही थे जो अपनी बोली के अतिरिक्त और दूसरी बोली समझ ही न पाते थे। आगरा प्रांत का सिपाही ब्रजभाषा ही बोलता और समझता था। फौज में मुसलमान सिपाही भी थे और देश के अन्य विजित भागों के सिपाही भी। इसलिए फौजी अफसरों को अपने सिपाहियों से संपर्क बढ़ाने के लिए उनकी बोलियों का जानना अनिवार्य था तत्कालीन सिविलियनों को शासन के लिए उन प्रांतों की बोलियाँ जानना था जिनमें वे

नियुक्त किए जाते थे। इसके लिए कंपनी के कर्मचारियों में से बुद्धिमान लोगों ने हिंदुस्तानी का अध्ययन आरंभ कर दिया। वैनसीगार्ट के समय में गल्सटन नामक व्यक्ति ने जो फ़ारसी भाषा का दुभाषिया था, हिंदुस्तानी पर एक लेख लिखा। यह लेख उसकी मृत्यु के बाद छपा था। बाद को यह लेख गिलक्राइस्ट के हाथ पड़ गया था। गल्सटन की मृत्यु से कंपनी के कर्मचारियों में हिंदुस्तानी के प्रचार-कार्य को धक्का पहुँचा। गल्सटन के बाद डॉ॰ हैरिस का नाम उल्लेखनीय है। वे मद्रास में थे। उन्होंने एक 'हिंदुस्तानी अँगरेजी-कोष' प्रकाशित किया। इसके बाद विलियम कर्कपैट्रिक ने 'हिंदुस्तानी व्याकरण और कोष' प्रकाशित कर व्याकरण की कमी पूरी की। १७८५ में उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा के सबब में एक बृहत् ग्रंथ प्रकाशित करने की आयोजना निकाली, परंतु उसे वे पूरा न कर सके। इनके अतिरिक्त इलहंड, ग्लैडविन्, आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं।

आ

वेलेज़ली का हुंदाज़ के नाम पत्र : (पृ० ९)

... मैं आपको इस बात से परिचित करा देना आवश्यक समझता हूँ कि मेरा इरादा तुरंत ही बंगाल के कर्मचारियों का एक महत्वपूर्ण दृष्टि से सुधार करने के लिए एक आयोजना तैयार करने का है। समस्त प्रांत में न्याय-शासन या मालगुजारी वसूल करने तक की जो कुछ दशा है वह जनता की भलाई के लिए बनाए गए अच्छे-अच्छे क़ायदे-क़ानूनों की असफलता का दुःखद उदाहरण है। यह अवस्था उस समय तक बनी रहेगी जब तक कि अपने विभिन्न विभागों में उन आईनों को बरतने वाले सुयोग्य व्यक्ति हमें न मिलें। यह दोष शासन के प्रत्येक विभाग में घुसा हुआ है। इसकी जड़ प्रधानतः सर्विस के मूलस्रोत में जमी हुई है—मेरा मतलब राइटर्स की हैसियत से यहाँ भेजे गए नवयुवकों की शिक्षा और उनके प्रारंभिक जीवन में अपनाए हुए आचरण से है। इस विषय पर अच्छी तरह सोचने के बाद मेरा यह दृढ़ विचार है कि भारतवर्ष में आने पर दो-तीन साल तक राइटर्स को राजधानी में स्थापित किसी कॉलेज संस्था के अनुशासन और नियमों के अधीन रहना चाहिए। ऐसी संस्था में साधारण आईन, शरअ मुहम्मदी और भारतीय धर्मशास्त्र के सिद्धांतों, और बंगाल तथा अन्य प्रांतों के शासनार्थ सपरिषद् गवर्नर-जनरल द्वारा निर्मित अनेक क़ायदे-क़ानूनों को जानने के साथ अपने-अपने पदों के लिए उपयोगी और आवश्यक विभिन्न देशी भाषाओं के मूल सिद्धांतों का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। अपना कर्तव्य-पालन करने के लिए वे ज्ञान की अन्य बातें भी सीख सकते हैं। जिन नवयुवकों ने अपरिपक्व अवस्था में देश के भीतरी भागों के दुराचरण और भोगलिप्सापूर्ण वातावरण में रह कर अपने जीवन और आचारों की आधारशिला जमाई है, उनमें सुस्ती, काहिली, वृष्टित वासनाओं और भ्रष्टता के बढ़ जाने की अत्यधिक संभावना है। कॉलेज संस्था में रह कर वे इन दुर्व्यसनों के स्थान पर फ़ुर्ती, नियम और स्वच्छता के साथ जीवन व्यतीत करना जान सकते हैं। इस समय मैं इस विषय पर अधिक लिखना नहीं चाहता, क्योंकि अच्छी तरह से बाद विवाद करने के लिए मैं अभी ही इसे सब

सामने रखेंगे परंतु मैं आपको यह बातें चाहता हूँ कि यह दोष इतना बढ़ गया है कि मेरा, कोट की आशा की प्रतीक्षा किए बिना हा, कलकत्त न एक ऐसी सस्था स्थापित करने का इरादा है। इसके लिए मैंने कुछ किया भी है, और मुझे आशा है कि यदि व्यय ही आवश्यकता हुई भी तो कंपनी का और अधिक धन खर्च किए बिना ही मैं अपनी आयोजना को सफल बना सकूँगा।

‘जिस विषय में मुझे सबसे अधिक दिलचस्पी है उसमें आपकी सक्रिय और हार्दिक सहायता का मुझे पूरा भरोसा है।’^१

इ

बेलेजली की मिनिट्स के कुछ महत्वपूर्ण उद्धरण : (पृष्ठ ११)

‘भारत में ब्रिटिश साम्राज्य सत्ता के सबसे अधिक विस्तृत और बने बसे हुए साम्राज्यों में से है। इसके विभिन्न प्रांतों और जातियों के शासन का सीधा सबब विशेष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के यूरोपीय कर्मचारियों से है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस के प्रांत, कंपनी की कर्नाटक वाली जागीर, उत्तरी सरकार, बारह महल तथा १७६२ की श्रीरंगपट्टम की सधि के अनुसार मिले हुए अन्य जिले, जिनका शासन सीधे कंपनी के यूरोपीय कर्मचारियों के हाथ में है, भारतवर्ष के धनसंपन्न और समृद्धिशाली भूमिभागों में माने जाते हैं, और जहां पृथ्वीमंडल के इस भाग के अन्य किसी प्रदेश की अपेक्षा जन, माल, नागरिक शांति और वार्षिक स्वतंत्रता अधिक सुरक्षित हैं और जहाँ की जनता शासन की सुव्यवस्था से अपेक्षाकृत अधिक लाभ उठाती है। इसलिए भारतवर्ष में अंगरेज़ों का कर्तव्य है और उनकी नीति का यह तर्काज्ञा है कि शासन की प्रत्येक शाखा और विभाग का स्थानीय राजकीय प्रबंध दक्ष और योग्य यूरोपीय कर्मचारियों के हाथ में सौंपने की प्रथा का जितना संभव हो सके अधिक से अधिक प्रचार हो। न केवल देशी प्रजा की सुख-शांति की दृष्टि से बरन् अपने स्वार्थ की दृष्टि से भी यह वाञ्छनीय है। बंगाल अर्थात् के मातहत प्रांतों के अनिच्छित शासन-सुधार के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित चतुर और उदार व्यवस्था की तह में यही सिद्धान्त था।

‘इस हितकारिणी व्यवस्था के साथ-साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों का कार्य भी पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ कर महत्वपूर्ण हो गया है। जिन ‘राइटर’, ‘फैक्टर’ और ‘मर्चेन्ट’ के नामों से सिविल सर्विस की कई श्रेणियाँ अब तक गिनाई जाती हैं वे कंपनी के कर्मचारियों का कार्य-व्यापार देखते हुए नितान्त असंगत हो गए हैं।

‘विभिन्न भाषा-भाषी और आचार, रूढ़ियों एवं धर्मों का अनुसरण करने वाली असंख्य जनता के साथ न्याय बरतना; विस्तार में यूरोप के कुछ बड़े-बड़े राज्यों की बराबर जिलों में भारी और पेचीदा मालगुजारी प्रथा को व्यवहार में लाना; सत्ता के सबसे अधिक बने बसे हुए और ऋग्णालू भूमि-भागों में शांति बनाए रखना; यही अब कंपनी के अधिकतर कर्मचारियों का काम है। बंगाल अर्थात् के मातहत बड़े-बड़े मर्चेन्ट्स

की राँच सरकिट और अपील अदालतों हैं। उन मचैट्स को जितनी स्थानीय और बहु-जनसंख्यक कानूनी कार्यवाही करनी और बहुत-सी पेचीदा युक्तियों द्वारा गुस्थियों सुलझानी पड़ती हैं वे यूरोप को किसी भी जज अदालत से कहीं अधिक हैं। फौजदारी (मजिस्ट्रेटों) और जिला अदालतों में काम करने वाले सीनियर या जूनियर मचैट्स और बहुत-सी अदालतों में और मजिस्ट्रेटों के यहां रजिस्ट्रारों या नायबों की हैसियत में काम करने वाले राइटर्स या फ्रैक्टर्स को अपने-अपने जिलों में थोड़ा-बहुत तरह-तरह का अदालती या पुलीस विभाग का या शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने का काम करना पड़ता है। अदालती विभाग की प्रत्येक शाखा में तैयारता ज्ञान अनावश्यक ही नहीं प्रत्युत वे कर्मचारी जो मजिस्ट्रेट हैं, या न्याय विभाग में किमों पदाधिकारी के रूप में काम करते हैं, और यद्यपि वे मचैट्स, फ्रैक्टर्स या राइटर्स के नाम से पुकारे जाते हैं, कानूनन या सौमंभवश किसी भी व्यापारिक कार्य में भाग नहीं ले सकते। उनकी व्यापारिक उपाधि में उनके कार्य-व्यापार का पता हो नहीं चलता, वरन् वह उसके बिल्कुल उलटी है।

बहुत-सी अदालतों में मुकदमों और समस्त महत्वपूर्ण कानूनी कार्यवाही देशी भाषाओं में होता है। कपनी के जजों को जो कानून बरतना पड़ता है वह इंगलैंड का कानून नहीं है। लेकिन यह वह कानून है जिससे यहाँ के लोग अपने पहले शासकों के राजत्वकाल में अभ्यस्त हो चुके हैं, और सपरिषद् गवर्नर-जनरल ने जिसे अपने बड़े भारी-भारी नियमों से और ब्रिटिश विधान की भावना से प्रेरित हो कर काटछाँट कर कम कर दिया है। ये सब बातें यह साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि भारतवर्ष में कपनी के साम्राज्य में शासक का पद सुशोभित करने वाले के कार्य की अपेक्षा संसार में अधिक कठिन और पेचीदा शासन-कार्य नहीं है और न इतनी अधिक विविधगुणसंपन्न योग्यता की आवश्यकता ही पड़ती है।

“ऊपर कही गई बहुत-सी बातें ठीक उसी प्रकार मालगुजारी विभाग के लिए लागू होंगी। इस विभाग के मचैट्स, फ्रैक्टर्स और राइटर्स को कानूनन या शपथ के जोर से अपनी व्यापारिक उपाधि का परित्याग करना पड़ता है। और न मालगुजारी इकट्ठा करने वाले या उसके मातहत किसी अन्य कर्मचारी के लिए देश की भाषा, आचारों और रूढ़ियों और बहुत-सी अदालतों में व्यवहृत कानून के सामान्य सिद्धांतों से परिचित हुए बिना यह संभव है कि वह राज्य या जनता के साथ साधारण न्यायपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कर सके। जजों, मजिस्ट्रेटों और क्लर्कों को अदालती और शासन-संबंधी कामों के साथ कभी-कभी अपने जिलों के गवर्नर की हैसियत से भी काम करना पड़ता है। उस समय उनको सेना का संचालन करना और अन्य बड़े-बड़े अधिकारों को व्यवहार में लाना होता है। कानूनन उनको समय-समय पर कौंसिल में गवर्नर-जनरल के पास अपने-अपने जिलों की भलाई की दृष्टि से वर्तमान कानूनों में आवश्यक परिवर्तनों या नए कानूनों के लिए प्रस्ताव भी भेजने पड़ते हैं। इस प्रकार न्याय और मालगुजारी विभागों के कर्मचारी एक तरह से सपरिषद् गवर्नर-जनरल की उप धारासमितियों का का-देते हैं। साथ ही वे हर समय जनता की माँगों और इच्छाओं का पता लगाने के लिए सरकार के पास एक साधन हैं न्याय और मालगुजारी विभागों के विषय में कही गई

नाम कम स कम उन विभाग के लिए भी उतनी ही लागू है जिन्हें हम राजनीतिक और आर्थिक विभागों के अंतर्गत रख सकते हैं जिनमें चीफ़ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ट्रेजरी, ऐकाउन्टेंट-जनरल तथा राजधानी में प्रतिदिन का कार्य करने वाले अन्य लोग भी शामिल हैं। इनमें राजनीतिक विभाग के मंत्री सहित राजदूत और हमारे अध्याय और सहायक या दूसरे देशी राजाओं के दरबारों में रहने वाले कई रेज़िडेंट भी जड़े जा सकते हैं।

इन सब पदों पर कंपनी के कर्मचारियों का नियुक्त होना बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि इन सब जगहों के लिए जिन बातों की आवश्यकता है वे या तो व्यापारिकता के विपरीत हैं, या व्यापारिक शिक्षा से बहुत आगे हैं।

यहाँ तक कि इस साम्राज्य के केवल व्यापारिक कहे जाने वाले विभाग के लिए यूरोप के इसी विभाग से कहीं अधिक भिन्न ज्ञान और आचरण की आवश्यकता है। कंपनी का पूँजी का उस समय तक अपने को अधिक में अधिक लान और प्रतिष्ठा के साथ, या प्रजा के साथ यथेष्ट न्याय कर संचालन नहीं हो सकता जब तक कि उसके तिजारती एजेंट राजनीतियों के उपर्युक्त वर्णित गुणों से विभूषित न हों। कारीगरों तथा श्रमिक वर्ग के अन्य लोगों का उत्पादक परिश्रम ही हमारा पूँजी का मूल स्रोत है। कंपनी द्वारा अधिकृत भूमि-भागों की जन संख्या के अनुपात के अनुसार उनकी संख्या इतनी अधिक है कि देश की सुख-शांति और समृद्धि का भार मुख्यतः पूँजी लगाने वाले कंपनी के व्यापारिक कर्मचारियों के व्यवहार पर निर्भर रहता है। यदि वे देशी भाषा, जनता की रीति-रस्म और आचार के साथ-साथ देश के क्रायदे-कानून से परिचित होंगे तो उनकी तरफ़ से किसी प्रकार की भी आशंका नहीं हो सकती। तिजारती रेज़िडेंट द्वारा धन के दुस्वयोग, या उसकी अज्ञानता और सत्तनी तक से मनस्त प्रातों की शांति, व्यवस्था और न्याय को आघात पहुँचने की संभावना रहती है, क्योंकि इनके व्यवहार का हमारे अत्यंत प्रिय और महत्वपूर्ण स्वार्थों और जनता की अनेक संस्थाओं के साथ अनेक संबंध है। यहाँ की जनता स्वभावतः परिश्रमी होने के कारण तेज़ और फुर्तीली है। उसे अपने माल की बातक या अपनी रूढ़ियों और प्रथाओं की विरोधी बातें अच्छी नहीं लगती।

इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी किसी प्रकार भी एक व्यापारिक संस्था के एजेंट नहीं समझे जा सकते। वास्तव में वे एक शक्तिशाली राज्य के प्रतिनिधि हैं और अब उन्हें उनकी नाममात्र की नहीं बरन् वास्तविक परिस्थिति के अनुरूप दृष्टि से देखना उचित होगा। अपने पुनीत कार्य और उच्च पद से उत्पन्न पैचीदगियों और गहरे समझों का निर्वाह कर, और विचित्र परिस्थितियों में पड़ कर, जो सरकारी कार्य को गुरुतर और हर एक सरकारी उत्तरदायित्व की दिक्कतों को बढ़ा देती हैं, उन्हें मजिस्ट्रेट, जज, राजदूत और प्रातों के गवर्नरों की हैसियत से काम करना पड़ता है। उनके आरम्भ के प्रत्येक अन्य भाग के राजनातिशा के काम में यहाँ का प्रतिकूल जलवायु एक विदेशी भाषा, विचित्र भारतीय रीति रस्म और क्रायदे कानून और यदा क रहन वाला क

आचारों की कठिनाइयों को छोड़ कर और कोई अंतर नहीं है। इसलिए उनका अध्ययन, शिक्षाक्रम, आचरण, आचार-विचार और चरित्र इस प्रकार विकसित और उन्मुख किए जाने चाहिए जिससे उनके व्यक्तित्व और सरकारी पदों के ऐश्वर्य तथा उनकी योग्यता आन उनके कर्तव्य के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके। साहित्य और विज्ञान के अग्रगण्य सामान्य ज्ञान की उन्हें वहीं शिक्षा दी जानी चाहिए जो यूरोप में ऐसे ही पद ग्रहण करनेवालों को दी जाती है। इस मूलाधार के साथ उन्हें भारतीय धर्मशास्त्र और शरय्य मुहम्मदी और धर्मनीति और एशिया में ग्रेट ब्रिटेन के राजनीतिक और व्यापारिक हितों और संबंधों को शिक्षा सहित भारतीय इतिहास, भाषाओं, रीति-रस्मों और आचारों से भली भाँति परिचित करा देना चाहिए। ब्रिटिश विधान की भावना से प्रेरित हो कर लागू किए गए देश के प्राचीन और प्रचलित कानूनों से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सपरिषद् गवर्नर-जनरल द्वारा पास किए गए क्रायदे कानूनों के आधारभूत सिद्धांतों का पूर्णज्ञान होना उनके लिए आवश्यक है। उन्हें ब्रिटिश विधान के सच्चे और दृढ़ सिद्धांतों का बहुत अच्छा और नीतिशास्त्र, न्यायशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून, और सामान्य इतिहास के मामूली सिद्धांतों का काफी ज्ञान होना चाहिए, ताकि वे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में व्यवहृत विभिन्न कानूनों के मूल स्रोतों का समझने में और न्याय-शासन करने और शांति और नुशासन की रक्षा करते समय उन दोनों की भावना को व्यवहार में ला सकें। अंत में शुरू से ही उनके मन में परिश्रम, दूरदर्शिता, सच्चाई और धर्म की पक्की नींव डालनी चाहिए जिसके सहारे वे यहाँ जहाँ कहीं किसी भी हालत में होने और खास तौर से भारत में पहले-पहल आने पर यहाँ के जलवायु और लोगों के अजीब अज्ञा-चरखों से उत्पन्न प्रलोभनों और कुव्यसनों से अपने को बचा सकें। सरकारी कर्मचारियों के प्रारंभिक अनुशासन द्वारा उनको यहाँ के जलवायु और लोगों के कुव्यसनों और प्रवृत्तिजन्य आलस्य, पेयाशी, और शोहदेपन से बचाना हमारा ध्येय होना चाहिए; विशेष योग्यता, पुरस्कार, लाभ और प्रतिष्ठा पाने की आशा के प्रकाश से उनमें श्रेष्ठ और उपयोगी कार्य करने की प्रतियोगिता की भावना को प्रज्वलित कर उसे बनाए रखना आवश्यक है; इंग्लैंड की भाँति भारतवर्ष में भी उच्च राजकीय पद ग्रहण करनेवाले सुयोग्य व्यक्तियों का पथेष्ट संख्या में लेने के लिए सतर्कता से काम करना चाहिए ताकि वे स्वयं अपने चार चोंदों से लगाने के अतिरिक्त जनसाधारण को भी लाभ पहुँचा सकें। विभिन्न सरकारी शाखाओं और विभागों में लगातार ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किए बिना कानून अनीतिपूर्ण और अनुदार बन कर निष्फल और निरर्थक सिद्ध होगा। इंग्लैंड में अनगिनत सुयोग्य और दोषहीन सरकारी कर्मचारियों को पाने के लिए अनुशासन और उनकी शिक्षा के विषय में चाहे जो रीति और मार्ग ग्रहण किए जायें, परंतु हमारी पूर्वीय व्यवस्थाओं की कुछ ऐसी अजीब हालत है कि उन सुंदर और लाभप्रद नियमों और नियंत्रणों का बंधन ढीला करने के बजाय सिविल सर्विस की बढ़ी हुई कठिनाइयाँ और सरकारी नौकरी करते ही पग-पग पर मिलनेवाले खतरों को देख कर इस बात की ज़रूरत है कि उनका और भी अधिक सतर्कता और देखभाल के साथ प्रबोध किया जाय ।

उ

कौंसिल द्वारा तैयार किया गया विवरण : (पृ० ४८)

प्रतियों की संख्या	पुस्तकों के नाम	पृष्ठों की संख्या			लिपि	अनुमानित व्यय			कहाँ छपी
		॥ ॥ ॥	॥ ॥ ॥	॥ ॥ ॥		॥ ॥ ॥	॥ ॥ ॥	॥ ॥ ॥	
५००	चार दरवेश	::	१००		फारसी	११७१	१४	::	हरकारा प्रेस
५००	मसनवी मीर हसन	::	४०		फारसी	११२५	::	::	कलकत्ता गजेट प्रेस
५००	गुलिस्तौ	::	३०		फारसी	७०३	२	::	मिरर प्रेस
५००	तोता कहानी	::	३०		फारसी	७०३	२	::	टेलीग्राफ प्रेस
५००	दिकायात-इ-मुतफरिकात	::	३०		फारसी	७०३	२	::	कलकत्ता गजेट प्रेस
५००	बत्तीसी सिंहासन	::	३०		नागरी	७०३	२	::	हरकारा प्रेस
५००	मर्सिया-मिसकीन	::	३०		नागरी	३४३	::	::	हरकारा प्रेस
५००	शकु तला नाटक	::	३२		नागरी	१००६	४	::	कलकत्ता गजेट प्रेस
५००	अखलाक-इ-हिंदी	::	३०		नागरी	७०३	२	::	टेलीग्राफ प्रेस
५००	वैतालपचीसी	::	३०		नागरी	७०३	२	::	मिरर प्रेस
५००	साधवानल	::	३०		नागरी	७०३	२	::	हरकारा प्रेस
५००	हप्रत गुलशन	::	३०		फारसी	७०३	२	::	मिरर प्रेस
			३१८	३८३		६६७१	२		

ऊ

४ अप्रैल, १८०३ तक हिंदुस्तानी में निर्मित या निर्मित होने वाले ग्रंथों का विवरण : (पृ० ५४)

कीर्तिश्री

१. 'प्रेक्टिकल आउटलाइन्स : ऑर, ए स्केच ऑव हिंदुस्तानी ऑरथीपी, ऐंड दि हिंदुस्तानी प्रिंसिपिल्स' ।

चौपैजी

२. 'दि ऑरिएण्टल लिग्विस्ट', हिंदुस्तानी, या हिंदुस्तान की लोकप्रिय भाषा का सरल और सुंदर परिचय ।

३. परीक्षा के लिए अभ्यास-पुस्तकें ।

४ 'बागो-बहार' : फ़ारसी रचना 'चहार-दरवेश' का कॉलेज के एक देशी विद्वान् द्वारा अनुवाद ।

५. 'शकुंतला', 'अख़लाक-इ-हिदी' और 'बैतालपचीसी' : संस्कृत रचनाओं के ब्रजभाषा और फ़ारसी रूपांतरों का हिंदुस्तानी में अनुवाद; 'माओनल', कॉलेज के देशी विद्वानों द्वारा ब्रजभाषा में एक स्वतंत्र रचना ।

६. 'नख-इ-बेनज़ीर' : मीर हुसैन की 'मसनवी' का गद्य में रूपांतर; और 'बाग़-इ-उदू' और 'तोता कहाना', फ़ारसी रचनाओं 'गुलिस्ता' और 'तूतीनामा' का कॉलेज के देशी विद्वानों द्वारा अनुवाद ।

७. 'बचीसी' : मूल संस्कृत के ब्रजभाषा रूपांतर का हिंदुस्तानी में अनुवाद : इसके साथ मिसकीन की मूल हिंदुस्तानी रचना 'भर्सिया' भी; कॉलेज के देशी विद्वानों द्वारा ।

८. 'दि हिदी मैनुअल' : या 'कास्केट ऑव इंडिया' : हिंदुस्तानी रचनाओं का एक संग्रह ।

अठपैजी

९. 'दि हिदी स्टोरी टैलर' ।

१०. 'दि हिदी मौरल प्रिसेप्टर' ।

११. 'दि ऑरिएण्टल फ़ैब्युलिस्ट'; या 'पौलीग्लोट', ईसप की कहानियों का छः पूर्वीय भाषाओं में अनुवाद ।

१२ 'दि हिंदुस्तानी गुलिस्ता', दो जिल्दों में

१३. 'दि ऐंटी-जार्गीनिस्ट' : या, विस्तृत शब्द-सूची के साथ हिंदुस्तानी भाषा का संक्षिप्त परिचय ।

१४. 'दि स्ट्रेजर्स ईस्ट इंडिया गाइड टु दि हिंदुस्तानी लैंग्वेज' ।

१५. १८०२ और १८०३ के विद्यार्थियों द्वारा रचित दावे ।

१६. 'घुत्फ़र्रकात' ।

१७. 'इफ़्त गुलशान' ।

१८. 'गुलदस्ता-इ-हैदरी' ।

१९. 'अमीर हमज़ा का इतिहास' ।

२०. मिस्कीन कृत 'मसिया', गद्य में ।

२१. 'ताजुलमुल्क' ।

१६-२१ तक की हिंदुस्तानी रचनाएँ कॉलेज के देशी विद्वानों द्वारा हुई ।

प्रेस में

२२. 'अयार दानिश' (१) चौ० खंड प्रकाशित ।

२३. 'हातिसताई' (१) चौ०, ,, ,, ।

२४. 'हिंदी श्योरी टैलर', जिल्द दूसरी और तीसरी; नागरी और फ़ारसी लिपि में (केवल दूसरी जिल्द प्रकाशित हुई) ।

२५. 'जहाज़ी और वैद्यक-संबंधी हिंदुस्तानी शब्दावली' ।

२६. सौदा की कुल रचनाएँ, जिल्द ३, चौ० ।

२७. वली की कुल रचनाएँ, चौ० ।

२८. 'श्री भागवत', शुद्ध हिंदी में, चौ० ।

२९. 'बकावली', फ़ारसी से अन्वदित ।

३०. 'हिंदुस्तानी कहावतें' ।

३१. हिंदुस्तानी में प्रचलित अरबी और फ़ारसी के समस्त वाक्यांशों और वाक्यों का संग्रह ।

३२. 'वारहमासा', एक मूल हिंदुस्तानी रचना, चौ० ।

३३. 'खान-इ-अलवान'; या हिंदुस्तानी पाकशास्त्र ।

३४. 'हिंदुस्तानी बोस्तान', अठ० ।

३५. 'हिंदुस्तानी कुरान', चौ० ।

३६. 'अख़लाक-इ-हिंदी' या हिंदुस्तानी भाषा में 'हितोपदेश' और एक दूसरा संस्करण शुद्ध हिंदी में

नाम	बड़े चौपैजी पृष्ठ	छोटे चौपैजी पृष्ठ	अठपैजी पृष्ठ	पुरस्कार	प्रयक्तता	विशेष
बो छप चुकी है)	—	—	५००	४००	मीर शेर अली अफ़सोस	कॉलेज में नियमपूर्वक काम करने के कारण ही मैंने ग्रंथकर्ता के लिए एक इज़ार रूपया नहीं लिखा ।
गुलिस्तौं या चापाह-उहूँ	—	—	३००	६००	तारिणीचरण मित्र, मौलवी अमानतउल्लाह, सदल मित्र पंडित, मीर बहादुर अली, मीर शेर अली अफ़सोस, भी लाल कवि और गुलाम अशरफ़ मज़हर अली ख़ाँ	इन अनुवादकों में से केवल पहले तीन पारिश्रमिक पाने के विशेष रूप से अधिकारी हैं क्योंकि बग़ाली, अरबी और संस्कृत का भार इन्हीं के ऊपर पड़ा और वह भी तारिणीचरण के ऊपर सबसे अधिक ।
नक़लियात-इ-सुक़्तमानी	—	—	३५	१००	मीरबहादुर अली	देह मुंशी, जिन्होंने इन कहानियों का कई स्थलों से अपने घर बैठ कर और कभी कभी दूसरे मुंशियों की सहायता से संग्रह कर, उनकी तुलना, और अनुवाद प्रस्तुत किया है ।
पबनामा, पद्य में	—	—	६८ पहला	२००		
नक़लियात (अस नै)	—	—	१२८ दूसरा			
नक़लियात	—	—				

सपने का वेतन मिलना चाहिए और मिर्जा जर्वा को, जो इस समय ८० रुपया पाते हैं, कम से कम १०० रुपया वेतन मिलना चाहिए। इस रूपांतर से मीर बहादुर अली की वास्तविक योग्यता का प्रदर्शन होगा।

यह एक उत्तम रचना है और प्रत्येक सच्चे पूर्वा विद्वान् को यह अच्छी तरह स्वीकृत होगी।

हिंदवी के लिए अत्यंत उपयोगी पुस्तक। इसके लिए पुरस्कार इतना कम केवल इसलिए रखना गया है कि लेखक ५० रुपए मासिक पाता है। और उसे कुछ और काम नहीं करना पड़ता।

दोनों अत्यंत उपयोगी रचनाएँ हैं। दूसरी प्रसिद्ध हितांपदेश के फारसी रूपांतर 'मुफ़रिहुल कुलूल' का रूपांतर है।

हैदर मर्या

४००

श्री लाल कवि

२००

मीर बहादुर अली

१५०

१५०

निहालचंद

१५०

३००

२५०

१७०

१६०

२००

(मेष भेजने के लिए तैयार)

सिद्धान्तवत्सी

बारामसा, पद्य में

शकु तला नाटक

वैताल-पञ्चवीसी

माधोनल

इन्द्र गुणशान

सवारीख-इ-बंगला

बोस्तार, गद्य में

(बो छप चुकी है)

अमीर इस्का

कायनान्द-कश्मी

खान-इ-अलवान

—	१६०	—	—	२००
—	—	१४०	—	२००
—	—	१४०	—	१००
—	१६०	—	—	२००
—	—	१५०	—	६०
—	—	१००	—	८०
३००	—	—	—	३००
—	३००	—	—	४००
५००	—	—	—	५००
—	—	१००	—	६०
—	—	१६०	—	८०

मिर्जा काजिम अली जहाँ

मजहर अली खान

गुलाम अकबर

हाजी मिर्जा मुसल

खलीद खान

हमीदुद्दीन

यह एक मूल कविता है और इतनी अच्छी बन ,पहली है कि लेखक हर प्रकार का पुरस्कार पाने योग्य है ।

ये तीनों उपयुक्त रचनाएँ हैं, लेकिन जिनके लिए कोई विशेष बात नहीं कही गई उन्ही की भौति इनके विषय में कोई खास बात नहीं कहनी है ।

यह और निम्नलिखित तीन अन्य इतिहास हिंदुस्तानी कला के लिए सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे ।

ये एक विद्वान् व्यक्ति और कवि हैं जो अभी हाल ही में कलिल को पूर्वी य आहिल्य का केंद्र समझ कर यहाँ आए हैं ।

शुद्ध अजभाषा में हितोपदेश ।

चंद्रावती	—	—	—	—	६०	सदल मिश्र
अखलाकल मुहसिनी	—	६००	—	—	४००	मीर अब्बल
कलाकाम	—	२००	—	—	१००	कुंदनलाल
राजनीति	३००	—	—	—	३००	श्री लाल कवि
गुणदस्ता	—	३००	—	—	२००	हेयर बख्श
दुरत-इदिललात	—	—	२००	—	५०	मीर अब्दुल क़रिब
गुल-ओ-सनोवर	—	—	—	२५०	७०	वासित ख़ाँ
विलाखा	—	—	—	११०	६०	तोताराम
प्रियोज्ञ शाह	—	—	—	१५०	५०	मुहम्मद बख्श
मिसकीन का मसिया (गद्य)	—	—	—	२०	२०	मीर जाफ़र
बो प्रेस के लिए तैयार की जा रही है)	३००	—	—	—	२००	ग़ुलान (१) शाह भीक
गवारीइउरसलानी	—	—	—	६०	८०	
फ़िस्ए दिल ओ हुस्न	—	—	—	—	५०	मुहम्मद बख्श
फ़िस्ए फ़िरओ	—	—	—	—	—	

								अरेबियन नाइट्स
तवारीख-इ-आलमगीरी	३००	—	—	४००	मुहम्मद उमर			
सेफुल मुल्क	—	—	२००	२००	मंसूर अली			
अलिफ-इ-लैला	३००	—	—	४००	शाकिर अली			
तवारीख-इ-तैपूरी	६४०	—	—	४००	तसदुक हुसेन			
अख्खाकून नवी	—	२००	—	४००	गुलाम अशरफ			
पदनौ (१) फरीदुद्दीन कत (पद्य में)	—	—	१००	१५०	मुहंजुद्दीन			
गुल ओ-हुसुल	—	—	२००	१००	गुलाम हैदर			
दर मजलिस	—	—	१००	५०	शेख मुहम्मद बकश			
दुर इ-मजलिस	—	२५०	—	१५०	(गुलाम गुलाम १) सुमान			
जामीउलकवानीन	—	३००	—	१००	हैदर बकश			

पूर्य और प्रेश में जाने के लिए सैयार रचनाओं के नाम	नई चौपिजी पृष्ठ	छोटे चौपिजी पृष्ठ	अठपेजी पृष्ठ	पुरस्कार	ग्रथकर्ता
<p>पाने योग्य हैं और मिर्जा जवाँ को इस समय मिल रहे ८० रुपए की जगह कम से कम सौ रुपए मिलने चाहिए। पिछले कई महीनों से ये तीनो एक ऐसी रचना में लगे हुए हैं जो एक उदार शासन से हर प्रकार का समुचित पुरस्कार पाने योग्य है, और मुझे आशा है कि कॉलेज कॉसिल मेरी इस सिफ़ारिश को कृपादृष्टि से देखेगी। मेरी यह सिफ़ारिश उन व्यक्तियों के संबंध में है जो मेरे निरीक्षण में बड़े उत्साह के साथ कुरान का हिदुस्तानी रूपांतर करने में लगे हुए हैं। सभवतः यह अठारह महीने में या शायद उससे जल्दी समाप्त हो जायगा।</p>	—	—	२००	१५०	<p>मौलवी अमानतउल्लाह, मौलवी फ़ज़लुल्लाह, मिर्जा कासिम अली जवाँ</p>
<p>गुप्त १-बकावली</p>	—	—	२००	१५०	<p>ये बारासत के रहने वाले हैं और इन्होंने एक वर्ष में यह रोचक रचना पूर्ण की है।</p>

विशेष

दोनों मौलवी ८०-८० रुपए का वेतन पाने योग्य हैं और मिर्जा जवाँ को इस समय मिल रहे ८० रुपए की जगह कम से कम सौ रुपए मिलने चाहिए। पिछले कई महीनों से ये तीनो एक ऐसी रचना में लगे हुए हैं जो एक उदार शासन से हर प्रकार का समुचित पुरस्कार पाने योग्य है, और मुझे आशा है कि कॉलेज कॉसिल मेरी इस सिफ़ारिश को कृपादृष्टि से देखेगी। मेरी यह सिफ़ारिश उन व्यक्तियों के संबंध में है जो मेरे निरीक्षण में बड़े उत्साह के साथ कुरान का हिदुस्तानी रूपांतर करने में लगे हुए हैं। सभवतः यह अठारह महीने में या शायद उससे जल्दी समाप्त हो जायगा।

ये बारासत के रहने वाले हैं और इन्होंने एक वर्ष में यह रोचक रचना पूर्ण की है।

—	३००	—	४००	काजी मिर्जा सुराल
—	२००	—	१००	कुन्दलाल
—	—	१००	५०	मीर अबुल कासिम
—	—	१५०	७०	वासित खाँ
—	—	११०	६०	तोताराम
—	—	११०	५०	सुह्रभद्र बकश
३००	—	—	४००	शाकिर अली
—	—	२००	१००	मुलाम हैदर

ये एक विद्वान् व्यक्ति और कवि हैं जो अभी हाल ही में कॉलेज को पूर्वीय साहित्य का केंद्र समझ कर यहाँ आए हैं।

बारासत के हेड मुंशी। इनकी रचना प्रस्तावित पुरस्कार पाने योग्य है।

कलकत्ते के एक देशी सज्जन जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ यह मिश्रित संग्रह तैयार किया है। यह एक परिपक्व रचना न होकर इस बात का उदाहरण है कि ओल्साइन मिलने पर हम इनसे क्या आशा कर सकते हैं।

साधारण योग्यता के एक हिंदुस्तानी कवि।

बारासत के एक मुंशी।

हिंदुस्तान के रहने वाले एक विद्वान्। इस छोटी-सी रचना की मीर अली ने अच्छी प्रशंसा की है।

प्रसिद्ध 'बरेलियन नाइट्स'। इस रचना से हिंदुस्तानी का ज्ञान प्राप्त करने में बहुत सहायता मिलने की सम्भावना है।

बंगाल के निवासी एक देशी द्वारा फारसी रचना का एक उत्तम अनुवाद।

कॉलेज कौंसिल कुरान के हिंदुस्तानी रूपांतर के वास्ते पुरस्कार देने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। शेष के निरीक्षणार्थ उन्होंने दो देशी विद्वानों की एक कमेटी नियुक्त की जिसकी रिपोर्ट इस प्रकार है, और जिस पर १० अक्टूबर, १८०३ को कौंसिल ने विचार किया था :

‘बोस्ता’ (अनुवाद)—सामान्यतः भाषा अच्छी है; और रचयिता सहायता पाने योग्य है। ग्रंथ में कुछ अशुद्धियाँ हैं जो आशा की जाती हैं कि छपाते समय सुधार दी जाएगी। श्री गिलक्राइस्ट द्वारा प्रस्तावित पुरस्कार...४०० रुपए।

‘कलाकाम’ (अनुवाद)—भाषा काफ़ी अच्छी है और ग्रंथ की रचना अत्यंत सुंदर ढंग से हुई है। श्री गिलक्राइस्ट द्वारा प्रस्तावित पुरस्कार...१०० रुपए।

‘गुल-ओ-हुर्मुज़’ (अनुवाद)—भाषा ग्रंथ के अनुरूप है, यद्यपि इसमें अशुद्धियाँ बहुत हैं। लेकिन श्री गिलक्राइस्ट द्वारा प्रस्तावित पुरस्कार दिया जा सकता है... १०० रुपए।

‘गुलबकावली’ (अनुवाद)—शैली और भाषा अद्भुत हैं, किंतु रचयिता कुछ सहायता पाने योग्य जान पड़ता है। श्री गिलक्राइस्ट द्वारा प्रस्तावित १५० रुपए के स्थान पर १०० रुपए दिए जायें।

‘झीरोज़शाह’ या ‘शहर बदख़शा की कहानी’ (अनुवाद)—इस ग्रंथ की न तो शैली ही अच्छी है न भाषा, किंतु तब भी रचयिता को कुछ सहायता दी जा सकती है। श्री गिलक्राइस्ट द्वारा प्रस्तावित ५० रुपए में से कुछ कम करने की कोई गुंजायश नहीं है।

‘गुलसनोवर’ (अनुवाद)—यह एक हास्य-संग्रह है जिसमें बहुत-से हास्य तो शब्दों को उनके उच्चारण-भेद से भद्दा और अश्लील बना देते हैं। लेखक की अज्ञानता-वश इसमें अशुद्धियाँ भरी पड़ी हैं। सहायता देने के बदले लेखक कॉलेज के सामने एक अश्लील स्थलो से पूर्ण रचना प्रस्तुत करने की धृष्टता के अपराध में दोषी ठहराया जाय।

‘दिलरुबा’ (अनुवाद)—रचयिता उर्दू ज़बान से परिचित नहीं जान पड़ता और काव्य-शास्त्र के नियमों से तो बिल्कुल अनभिज्ञ है। कुछ अश कवित्त शैली में लिखे गए हैं लेकिन लेखक ने आगे चल कर इस शैली में दूसरी शैलियों का सम्मिश्रण कर उर्दू ज़बान का प्रयोग करने की असफल चेष्टा की है।

‘दुस्ने-इख्तिलात’ (अनुवाद)—सामान्यतः भाषा ठीक है, किंतु शैली अनुपयुक्त है। निर्धारित विषय के संबंध में अज्ञानता के कारण इस छोटे से ग्रंथ में इतनी भूलें और अशुद्धियाँ हैं कि इसकी वर्तमान दशा में लेखक कोई पुरस्कार पाने योग्य नहीं है।

यह रिपोर्ट एच० कोलब्रुक द्वारा प्रेषित हुई थी और कॉलेज कौंसिल ने उसे ज्यों का त्यों ग्रहण कर गिलक्राइस्ट को तबनुसार सूचित कर दिया।

ओ

२० सितंबर, १८०४ को कौंसिल के सामने पेश की गई
पुस्तकों की सूची : (पृ० ७३)

हिंदुस्तानी

१. 'हिंदी स्टोरी टैलर', दूसरी जिल्द। फ़ारसी और नागरी लिपियों में कहानियों का संग्रह।

२. 'अख़लाक-इ हिंदी,' हितोपदेश के फ़ारसी संस्करण का हिंदुस्तानी विभाग के प्रधान मुंशी, मीर बहादुर अली, द्वारा अनुवाद। फ़ारसी लिपि, नस्तालीक़ अक्षर।

३. 'गुलबकावली', सूफ़ी-दर्शन के रूपक-रूप में एक अद्भुत कथा (Fair tale)। शेख़ इब्ज़तुल्लाह की फ़ारसी रचना का मुंशी निहालचंद द्वारा अनुवाद। नस्तालीक़ अक्षर।

४. 'शकुंतला नाटक', अथवा प्राणघातक अंगूठी की कहानी। लल्लूलाल कवि और मिर्जा काज़िम अली जवां द्वारा ब्रजभाषा से अनूदित। गिलक्राइस्ट द्वारा किए गए लिपि-सुधार की परीक्षा के लिए रोमन लिपि में।

५. 'हिदायत-उल्-इस्लाम', मौलवी अमानतुल्लाह द्वारा संग्रहीत और अनूदित। नस्तालीक़ अक्षर।

६. 'तोता-कहानी,' कादिर बख़्श की फ़ारसी रचना का मुंशी हैदरबख़्श द्वारा अनुवाद।

७. 'कुरान', उसका एक अंश। देशी विद्वानों द्वारा अरबी से हिंदुस्तानी में अनुवाद।

इन ऊपर की रचनाओं का निर्माण गिलक्राइस्ट के निरीक्षण में हुआ था।

८. 'व्यवहारोपयोगी संवादा का संग्रह', अंगरेज़ी और प्राचीन हिंदुस्तानी में। हिंदुस्तानी व्याकरण का अध्ययन न कर सकने वाले व्यक्तियों को हिंदुस्तानी भाषा का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए। लेखक, एन्साइन विलियम मैकडुगल, हिंदुस्तानी भाषा के सहायक प्रोफ़ेसर।

प्रेस में

९. 'प्रेमसागर', भागवत के दशम अध्याय का अनुवाद जिसमें कृष्ण-कथा का वर्णन है। लेखक, लल्लूलाल कवि। नागरी लिपि।

१०. 'आरायश-इ-महफ़िल', फ़ारसी में हातिमताई की कहानी का मुंशी सैयद हैदरबख़्श द्वारा अनुवाद। छोटे नसूख़ी (१, नसूख़) अक्षर।

११. 'ख़िद अफ़रोज़,' अबुलफ़ज़ल के 'अयार दानिश' का मौलवी शेख़ हफ़ीजुद्दीन अहमद द्वारा अनुवाद। छोटे नसूख़ी अक्षर।

१२. 'गौस्पेल्स' (ईसाई धर्म-पुस्तकें), देशी विद्वानों द्वारा हिंदुस्तानी में अनूदित। विलियम इंटर द्वारा ग्रीक से तुलना और संशोधन। नागरी लिपि।

१३. 'इ-मोहसनी, मीर अम्मन द्वारा फ़ारसी से अनूदित नागरी लिपि

प्रेस के लिए तैयार हो रही पुस्तकें

१४. 'सिंहासन बत्तीसी', अथवा विक्रमादित्य के सिंहासन की ३२ पुतलियों द्वारा वर्णित कहानियाँ। लख्खुलाल कवि द्वारा संस्कृत से अनूदित। नागरी लिपि।

१५. 'अखलाक-उलू-जलाली' हिंदुस्तानी भाषा के सहायक प्रोफेसर, जेम्स मोश्ट, के निरीक्षण में अमानतुल्लाह द्वारा फ़ारसी से अनूदित।

औ

चिद्दा न० १ (पृ० ७६)

कॉलेज की स्थापना के समय से श्री गिलक्राइस्ट द्वारा प्रकाशित पुस्तकें—कौंसिल से प्राप्त आर्थिक सहायता के विवरण सहित:

पुस्तकें	प्रकाशित होने पर फ़ी प्रति का मूल्य	कुल रुपया	प्राप्त आर्थिक सहायता
१. ऐन्टी जागॉनिस्ट	१६ रु०	२४ रु०	
२. ऑरिण्टल लिंक्विस्ट, द्वि०स०	०		
३. स्ट्रेन्जर्स गाइड	८ रु०		
४. हिंदी गुलिस्ताँ, दो जिल्द		३२ रु०	३००० रु०
५. हिंदी स्टोरी टैलर, पहली जिल्द		१२ रु०	१००० रु०
६. हिंदी औरल प्रीसेप्टर	२० रु०	५८ रु०	६००० रु०
७. पौलीग्लौट फ़ेब्लिस	३२ रु०		
८. हिंदी अरेनिक टेबिल	४ रु०		
९. प्रीसेप्टम ऑव दी हिंदी ऐल्फ़ाबेट	२ रु०		
१०. हिंदी स्टोरी टैलर, दूसरी जिल्द	८ रु०		
११. अखलाक-इ-हिंदी	१० रु०	४६ रु०	
१२. नख-इ-बेनज़ीर	१० रु०		
१३. गुल-इ-बकावली	१२ रु०		
१४. शकुंतला नाटक	६ रु०		
कुल जोड़		१७२	१०,००० रु०

१७२ रु० के हिसाब से सौ प्रतियों का मूल्य — १७,२०० रु०

१०० प्रतियाँ लेने के वचन के आधार पर छप चुके प्रथो पर निकलता

हुआ रुपया—

७,२०० रु०

चिद्दा नं० २

२० अगस्त, १८०४ को हिंदुस्तानी प्रेस में जो ग्रंथ थे उनका चिद्दा। ये सब श्री गिलक्राइस्ट की संपत्ति हैं

क्र. सं.	अध्याय का पृष्ठ	पृष्ठ सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.	पृष्ठों के संबंध में अनुमान	पृष्ठ सं.	छपनेवाले पृष्ठों का मूल्य
बौपेजी	३० अध्याय	५००	४ अध्याय	५६		५६	४. ७. ८
"	१६ "	५०८	३ "	१००	चौथा अध्याय -- १२ पृष्ठ	११२	८. १५.
"	७ खंड (Divisions)	२००	३ खंड	७६	चौथा खंड -- ३० पृष्ठ	१०६	८. ७. ०
"	३५ प्रकरण (Sections)	११४	२६ प्रकरण	१०४	पूर्णा होने के लिए ४० पृष्ठ	१४४	११. ८. ४
"	६० "	३३६	५१ "	१३६	५२वां प्रकरण -- ४ पृष्ठ	१४०	११. ३. २
"	कुल चौपै.ी पृष्ठ	२७८			ये तीन पुस्तकें हतनी छप चुकी है कि उन्हें पूर्ण ही समझा जा सकता है।	२७८	२२. ५. १
म		१६३६				३०८	१०. ५. १
		२७२				२७२	१०. १४. १
						६०.	१. ५

क

१ अगस्त १८०७ को निम्नलिखित पुस्तक फ़ोट विलियम कालेज के पुस्तकालय, और कुछ खरीद कर, बंबई सरकार को भेजी गईं थीं :

हिंदुस्तानी-पुस्तकें	कुल	कॉलेज द्वारा प्रदत्त	लिपि लिखी	एक प्रति का मूल्य	कुल रुपया	
					रु०	आ० प
१. सिद्दासन बत्तीसी	५०	२५	२५	२० रु०	५००	.
२. बैताल पचीसी	५०	२५	२५	१६ ,,	४००	.
३. मसनवी	५०	२०	३०	५ ,,	१५०	.
४. प्रेपेडिक्स टु गिलक्राइस्ट्स डिक्शनरी	५०	५०	—	—	—	—
५. ऑरिएण्टल लिनिव्स्ट	५०	५०	—	—	—	—
६. मिस्कीन कृत मर्सिया	५०	५०	—	—	—	—
७. प्रैक्टिकल आउटलाइन्स	५०	५०	—	—	—	—
८. शकुंतला, नागरी में, खंड	५०	५०	—	—	—	—
९. अयार दानिश	५०	३०	२०	६. ८. ० ,,	१३०	.
१०. हातिमताई	५०	३०	२०	४. १५. ३/४ ,,	६८	१२
११. प्रेमसागर	५०	३०	२०	११. ७. ३/४ ,,	२२८	१२
१२. स्ट्रेन्जर्स गाइड	५०	—	५०	८ ,,	४००	.
१३. हिंदी गुलिस्ताँ, दो जिल्द	४२	—	४२	१६ ,,	६७२	.
१४. हिंदी मौरल प्रीसेप्टर	५०	—	५०	१२ ,,	६००	.
१५. गुलब्रकावली	५०	—	५०	१२ ,,	६००	.
१६. हिंदी स्टोरी टैलर, दो जिल्द	५०	—	५०	१६ ,,	८००	.
१७. अख़लाक़-इ-हिंदी	५०	४	४६	१० ,,	४६०	.
१८. नस इ-बेनज़ीर	५०	५	४५	१० ,,	४५०	.
१९. तोता कहानी	५०	—	५०	१२ ,,	६००	.
२०. शकुंतला (रोमन लिपि में)	५०	—	५०	४ ,,	२००	.
२१. चार दर्वेश	५०	—	५०	२० ,,	१०००	.
२२. डायलौग़	२७	४	२३	१२ ,,	२७६	.

ख

उन ग्रंथों की सूची जिनसे हंटर ने अपनी 'हिंदुस्तानी डिक्शनरी' के शब्द-समूह ग्रहण किया था : (पृ० १०३)

१. मीर तक़ी : 'कुल्लियात' २. ज़ुरत : 'कुल्लियात' ३. सौदा : 'कुल्लियात'
 ४. मीर सोज़ : 'दीवान' ५. मीर शेर अली अफ़सोस : 'दीवान' ६. मीर हसन : 'मसनवी'
 ७. आफ़ताब (शाह आलम) : 'मसनवी' ८. बली : 'दीवान' ९. दक्खिनी बोली में टीपू पुस्तकालय से किसी अज्ञात कवि की रचना : 'मसनवी' १०. नज़ीरी : 'दीवान' ११. मिर्जावाँ : 'भारहमासा' १२. मीर हसन : 'मसनवी ख़्वाब अलवान' १३. मीर दर्द : 'दीवान'
 १४. मीर शेर अली १५. नहादुर अली 'नस इ-बेनज़ीर' १६. हैदर नद

‘क्रिस्स-इ-हातिम’ १७ मीर अम्मन ‘बासोबहार १८ मीर शेर अ
 महफिल’ १९ मिर्जा काज़िम अली ‘शकुतला २० मजहर अली खॉ
 दर बखश : ‘तोता कहानी’ २२. १ : ‘नक़्लियात’ (लल्लूलाल कृत ?)
 कवि : ‘प्रेमसागर’ २४. मजहर अली खॉ : ‘बैताल पर्चीसी’ २५. मि
 जर्वॉ : ‘सिहासन वत्तीसी’ २६. लल्लूलाल कवि : ‘राजनीति’ (ब्रजभाषा)
 ‘रामायण’ (पूर्वी) २८. मीर बहादुर अली : ‘अख़्लाक-इ-हिंदी’
 ‘कवित्त-रामायण’ ३०. सदल मिश्र पंडित : ‘राम चरित्र’ (पूर्वी, संस्कृत
 नारायण : ‘क्रिस्स-इ-आक़िलशाह’ ३२ १ : ‘राजकोष’ ३३. १ : ‘भाव
 ‘अल्फ़ाज़ अदबीया’ ३५ १ : ‘रियाजुल अदबीया’ ३६ १ : ‘सेहत-उल्-
 ‘मख़्जान उल्-अदबीया’ ३८ १ : ‘शरायिब-उल्-लुगात’ ३६. डॉ० हैरिस : ‘
 नरी’ ४०. गिलक्राइस्ट और रोएबक : ‘हिदुस्तानी डिक्शनरी’ ४१. इ
 ‘दरिया-इ-लताफ़त’ ४२. इब्राहीम अली खॉ : ‘तज्किरा’ और ४३. ग्लैडवि
 पशियन ऐंड हिदुस्तानी’ । १

ग

सरकारी कागज़ों के आधार पर लौक्रेट का मेज़ा

इस प्रकार है : (पृ० १०५)

पुस्तक का नाम और विवरण	पुस्तक की संख्या	दिया गया धन	किसके द्वारा अधि-कृत और किस तिथि में
१. शकुतला, नागरी में	५००	१४०६. ४ ०	कॉलेज कौंसिल द्वारा, ६ फरवरी, १८०२
२. प्रैक्टिकल आउट-लाइनस और ए स्कैच ऑव हिंदी और थीपी ऐंड दि हिदुस्तानी प्रिंसीपिल्स	५००	३७५०. ०. ०	कॉ० कौ०, १ फरवरी, १८०२
३. मिस्कीन कृत एलेजी, हिंदी	५००	३७५. ०. ०	कॉ० कौ०, २५ जनवरी, १८०२
४. अख़्लाक-इ हिंदी अथवा हिदुस्तानी में हितोपदेश का अनुवाद और एक दूसरा संस्करण शुद्ध हिंदी में	५००	४५००. ०. ०	कॉ० कौ०, १

५. गुलिस्ताँ और पद- नामा, हिंदुस्तानी में अनुदित	१००	३०००. ०. ०	कॉ० कौ०, २४ जनवरी, १८०३
६. नस-इ-बेनज़ीर, हिंदी		!	कॉ० कौ० !
७. दि हिंदो मौरल प्रीसेप्त्र	२०		
८ दि ऑरिएंटल फ्रेब्यलिस्ट ऑर पौली- स्लॉट, पूर्व की छः भाषाओं में ईसप्ल फ्रेब्लिस का अनुवाद	२०	१०००. ०. ०	कॉ० कौ०, २७ जून, १८०३
९. हिंदी-स्टोरी टैलर, नागरी और फ़ारसी लिपि में	१००	१२००. ०. ०	कॉ० कौ०, १३ जनवरी, १८०३
१०. बाग़ोवहार	५००	१७३७. ८. ०	कॉ० कौ०, ३१ अगस्त, १८०४
११. तोता कहानी, हिंदी	१००		कॉ० कौ०, १२ नवंबर, १८०४
१२. गुलबकावली, फ़ारसी से हिंदी में अनुवाद	!	!	कॉ० कौ०, !
१३. बत्तीसी सिद्दासन, मूल संस्कृत के ब्रजभाषा संस्करण से हिंदुस्तानी अनुवाद	१००	१०००. ०. ०	! !
१४. मसनवी मीर इसन	१००	१०५०. ०. ०	कॉ० कौ०, २४जून, १८०५
१५. बैताल पचीसी, मूल संस्कृत के ब्रजभाषा और फ़ारसी संस्करण से हिंदुस्तानी में अनुवाद	१००	१२००. ०. ०	कॉ० कौ०, ३० सितंबर, १८०५

१६. आरायश-इ-मह- क्रिल, प्रथम भाग, अथवा हिंदी में हिंदुस्तान के राजाओं का इतिहास	१००	२१००.	०.	०	कॉ० कौ०, २६ सितंबर, १८०७
१७. हिंदुस्तानी ऐंड इंगलिश डिक्शनरी	१००	६०००.	०	०	कॉ० कौ०, २४ जून. १८०५
१८. राजनीति, ब्रज- भाषा में	१००	८३७.	८.	०	कॉ० कौ०, ३ फरवरी, १८०६
१९. बिहारी की सत- सई, ब्रजभाषा में	१००	२४०.	१०.	०	कॉ० कौ०, ५ मई, १८०६
२०. प्रेमसागर, द्वितीय संस्करण	१००	१६३५.	०.	०	कॉ० कौ०, ३ फर- वरी, १८०३
२१. तुलसी कृत रामा- यय	१००	२५७६.	६.	०	कॉ० कौ०, १६ जनवरी, १८१०
२२. लतायक-इ-हिंदी, अथवा हिंदी और हिंदु- स्तानी में कहानियों का संग्रह	१००	६७५.	८.	०	कॉ०, कौ०, २६ जनवरी, १८१०
२३. सफ़ - इ - उर्दू, हिंदुस्तानी पद्य	१००	३५७.	४.	८	कॉ० कौ०, २३ जनवरी, १८१०
२४. इंतख़ाब - इ - कुलियात-इ-मिर्जा रफी- उस्तौदा, हिंदुस्तानी	१००	२३७५.	१२.	०	" " "
२५. ग्रैमैटिकल प्रिंसी- पिल्स ऑव ब्रजभाषा ऐंड इंगलिश	१००	६०४.	८.	०	कॉ० कौ०, २६ जनवरी, १८१०

२६. हिंदुस्तानी में इख्वामुस्सफ़ा का अनुवाद	१००	१२००. ०. ०	कॉ० कौ०, २६ जून, १८१०	कारण और विवरण मंत्री के २२ जून, १८१० के पत्र में।
२७. मीर तकी की मूल रचनाएँ	१००	५४३५. ०. ०	कॉ० कौ०, ६ जुलाई, १८१०	कारण और विवरण मंत्री के २ जुलाई, १८१० के पत्र में।
२८. नैवल डिक्शनरी	१००	८००. ०. ०	कॉ० कौ०, ६ मार्च, १८११	कारण और विवरण मंत्री के १५ जनवरी, १८११ के पत्र में।
२९. हिंदुस्तानी डिक्शनरी का परिशिष्ट भाग	१००	३०००. ०. ०	कॉ० कौ०, ६ जनवरी, १८०९	कारण और विवरण मंत्री के ३१ दिसंबर, १८०८ के पत्र में। १६ फ़रवरी, १८१० से १८ महीने के लिए एक मुश्मी और एक पंडित के वेतन-स्वरूप ७० रु० मासिक डॉ० हंटर को दिए गए। इसके बाद वह जून, १८१२ तक बढ़ा दिया गया। परिशिष्ट भाग अभी प्रकाशित नहीं हुआ।
३०. अंगरेजी अनुवाद सहित अरबी, फ़ारसी, हिंदुस्तानी और पंजाबी भाषाओं में कहावतों का संग्रह	१००	२२७५. ०. ०	कॉ० कौ०, २६ जनवरी, १८११	कारण और विवरण मंत्री के १८ जनवरी, १८११ के पत्र में। संग्रह अभी प्रकाशित नहीं हुआ।
३१. बाराहमासा, हिंदी में	१००	४२५. ०. ०	कॉ० कौ०, ८ मई, १८१२	कारण और विवरण मंत्री के १ मई, १८१२ के पत्र में

अरबी, फ़ारसी, हिंदुस्तानी, संस्कृत, मराठी, उड़िया और हिंदू-मुस्लिम आईन को कुल नवासी पुस्तकें प्रकाशित हुईं और कुल व्यय २६४१०६-६-१ हुआ ।

विस्तृत विवरण :

शकुंतला

डॉ० गिलक्राइस्ट कृत पूर्वी और पश्चिमी ध्वनियों प्रकट करने वाली वर्ण-विन्यास (Orthoepigraphical) आयोजना के उदाहरण-स्वरूप शकुंतला नाटक की लोकप्रिय कथा जिसका 'शकुंतला अथवा क्रैटलरिंग' शीर्षक से सर विलियम जोन्स ने संस्कृत से अंगरेज़ी में अनुवाद किया था ।

मिस्कीन कृत एलेजी—हिंदुस्तानी

२५ जनवरी, १८०२ को कॉलेज कौंसिल ने निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया था :

'कि विद्यार्थियों के लिए पाठ्य-पुस्तकों से संबंध रखने वाले २ नवंबर, १८०१ के प्रस्ताव की नकल विभिन्न प्रोफ़ेसरो के पास भेजी जाय और उनसे अपने-अपने विषयों से संबंध रखने वाली पाठ्य-पुस्तकें चुन कर यथासंभव शीघ्र ही कौंसिल के पास भेजने की प्रार्थना की जाय ।'

विद्यार्थियों के लिए हिंदुस्तानी ग्रंथों का नितान्त अभाव था । इसलिए डॉ० गिलक्राइस्ट के कहने से यह तथा निम्नलिखित हिंदुस्तानी ग्रंथ अथवा उनसे चुने हुए ग्रंथों के समूह कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए प्रकाशित हुए थे ।

सिंहासन बत्तीसी

संस्कृत से अनूदित ब्रजभाषा संस्करण से । ब्रजभाषा संस्करण सम्राट् शाहजहाँ की आज्ञा से ।

शकुंतला नाटक

अख़लाक-इ-हिदी

बैताल पचीसी

ब्रजभाषा से हिंदुस्तानी में ।

बाग़ोवहार

अमीर खुसरो कृत मूल फ़ारसी से । एशियाई शिष्टाचार और रीति-रस्मों का वर्णन ।

मीर हसन की मसनवी

'सहस्रल बयान' के नाम से भी प्रसिद्ध है । शाहज़ादा बेनज़ीर की कथा रूपक के रूप में ।

हिदी गुल्लस्तौं और पंदनामा

सौदा कृत 'गुल्लस्तौं'

ताता कहानी

ज़ियाउद्दीन नख़्खा कृत फ़ारसी 'दतीनामा' का संक्षिप्त रूपांतर ।

हिंदुस्तानी सिक्शनरी

गिलक्राइस्ट द्वारा अपने विद्यार्थियों के लाभार्थ रचित ।

नख-इ-बेनज़ीर

मीर हसन की मसनवी का गद्यात्मक रूप । डॉ० गिलक्राइस्ट के निरीक्षण में हिंदुस्तानी कक्षाओं के लाभार्थ ।

हिंदी मौरल प्रीसेप्टर

श्रीर 'पर्सियन स्कॉलर्स शौर्टैस्ट गाइड टु दि हिंदुस्तानी लैंग्वेज'—लेखक डॉ० गिलक्राइस्ट । इसमें फ़ारसी और हिंदुस्तानी विभक्तियों तथा व्याकरण, और सादी कृत पंदनामा तथा अन्य रचनाओं से अंगरेजी अनुवाद सहित उद्धरण हैं । साथ ही विद्यार्थियों के लाभार्थ हिंदुस्तानी अनुवाद सहित फ़ारसी में बातचीत भी जोड़ दी गई है ।

ऑरिएंटल फैब्यूलिस्ट

अथवा विद्यार्थियों के लाभार्थ डॉ० गिलक्राइस्ट कृत ईसप्स फ़ेबिलिस् का अरबी, फ़ारसी, हिंदुस्तानी, ब्रजभाषा, संस्कृत और बंगला में अनुवाद ।

गुलबकावली

फ़ारसी कथा का हिंदुस्तानी अनुवाद । हिंदुस्तानी में 'मज़हब-इ-इश्क' के नाम से भी प्रसिद्ध है । फ़ारसी ग्रंथकार का नाम शेख़ इज़तुल्लाह है जो सात वर्ष पूर्व बंगाल के निवासी थे । निहालचंद ने इसका अनुवाद किया था और पाठ्य-पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई थी ।

सिहासन बत्तीसी

संस्कृत से हिंदुस्तानी में ।

मीर हसन की मसनवी

आरायश-इ-महफ़िल

'खुलासतुल हिद' के एक भाग का मीर शेर अली अफ़सोस द्वारा संक्षिप्त हिंदुस्तानी रूपान्तर । दिल्ली के—युधिष्ठिर से राय पिथौरा तक—हिंदू राजाओं का इतिहास ।

हिंदुस्तानी ऐंड इंगलिश डिक्शनरी

डॉ० विलियम हंटर द्वारा प्रकाशित हिंदुस्तानी भाषा का कोष । कैप्टेन जे० टेलर द्वारा मूल संपादन का सशोधन ।

राजनीति—'ब्रजभाषा'

हिंदुस्तानी के प्रोफ़ेसर ने एक अति उत्तम पाठ्य-पुस्तक के रूप में इसकी सिफ़ारिश की थी ब्रजभाषा की शिक्षा के लिए यह अत्यंत है

बिहारी का सतसई

पाठ्य पुस्तक के रूप में इसके गुण और उपयोग देख कर कांज कौंसिल ने सरकारी संरक्षण के लिए सिफारिश की थी।

प्रेमसागर

हिंदुस्तानी के वर्तमान प्रोफेसर ने इस ग्रंथ के, जिसमें हिंदू देवता कृष्ण की जीवनी है, संबंध में इस प्रकार लिखा था—“पाठ्य-पुस्तक के रूप में हिंदुस्तानी के पूर्ण ज्ञान की उपलब्धि में सहायक होने का संभावना तथा उपयोगिता और ‘भाखा’ में पुस्तक का अत्यंत अभाव होने की दृष्टि से कॉलेज कौंसिल का संरक्षण पाने योग्य है।”

तुलसी कृत रामायण

लतायज्ञ-इ-द्विदी

कॉलेज के भाषा-मुशी लल्लूलाल कवि ने यह ग्रंथ प्रकाशित किया है। यह उर्दू भाषा, जिसमें कहानियों और मुहावरों की छटा दिखाई गई है, और हिंदी में कहानियों का संग्रह है। हिंदुस्तानी के प्रोफेसर, कैप्टेन डेलर, और प्रोर्ट विलियम कॉलेज के पराक्षक, लेफ्टिनेंट लॉकेट, द्वारा रचित अर्थ सहित दुर्बोध और अस्वाभाव्य शब्दों और अभिव्यक्तियों का एक कोष भी उसमें जोड़ दिया गया है। हिंदुस्तानी का ज्ञान प्राप्त करने में इस ग्रंथ से सहायता मिलने की दृष्टि से एक उपयोगी ग्रंथ देख कर तथा २५ जनवरी के मंत्री के पत्र में हिंदुस्तानी के प्रोफेसर की इसकी रचना के संबंध में सम्मति देखकर कॉलेज कौंसिल ने सौ प्रतियाँ लेने की सिफारिश की थी।

सफ़-इ-उर्दू

यह अमानतुल्लाह कृत हिंदुस्तानी व्याकरण का अंश में सार है। स्मरण रखने की सरलता का विचार कर उन्होंने इसकी रचना पद्यात्मक रूप में की है। हिंदुस्तानी के प्रोफेसर ने कॉलेज कौंसिल को लिखा था कि यह ग्रंथ निम्न कक्षाओं में मुहावरों और व्याकरण की सरल पद्यात्मक रूप में शिक्षा देने में विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा (मंत्री का पत्र, २२ मार्च, १८१०)।

इंतखान-इ-कुल्लियात-इ-सौदा

ट्रैमैटिकल प्रिन्सिपल्स ऑफ वृजभाखा

हिंदुस्तानी भाषा की एक लाभदायक बोली और उसकी रचना-विधि का ज्ञान उपलब्ध करने के लिए उपयोग होने की दृष्टि से हिंदुस्तानी के प्रोफेसर ने इसे अच्छा ग्रंथ बताया था।

मीर तक़ी की रचनाएँ

संपादक—प्रधान मुंशी तारिखीचरण मित्र और गुलाम अकबर।

व्याकरण सहित इंगलिश और हिंदुस्तानी नैवल डिक्शनरी—संपादक, लेफ्टिनेंट रोएवक।

हिंदुस्तानी डिक्शनरी का परिशिष्ट भाग—संपादक, डॉ० विलियम हर्गर

हिंदुस्तानी, फ़ारसी, अरबी और पंजाबी में कॉलेज काँसिल के मंत्री, डॉ० विलियम हटर, द्वारा पूर्वी कहावतों का संग्रह ।

बारहमासा

या दस्तूर-उल-हिद । हिंदुस्तानी विभाग के मिर्जा काज़िम अली की हिंदुस्तानी में एक कविता । इसमें भारतवासियों के शिष्टाचार तथा रीति-रस्मों और वर्ष के विभिन्न महानों में अनेक कार्यों का वर्णन है । हिंदुस्तानी में मूल रचनाओं का अभाव है और जिन ग्रंथों को प्रोत्साहन मिला है उनमें से आधकाश दूसरी भाषाओं से अनूदित ग्रंथ रहे हैं । मौलिकता के महत्व और हिंदुस्तानी भाषा का शिष्टा देने के अतिरिक्त यहाँ के निवासियों की अजीब रीतियों के संबंध में सूचित करने की दृष्टि से भी इस कविता का लाभ है ।

घ

गिलक्राइस्ट और प्राइस के संक्षिप्त जीवन-विवरण

गिलक्राइस्ट

(१७१६-१८४१)

गिलक्राइस्ट का जन्म १७५६ में एडिन्बरा में हुआ था । वहाँ के जॉर्ज हेरियट्स (Heriot's) अस्पताल में चिकित्सा-संबंधी शिक्षा प्राप्त कर वे ३ अप्रैल, १७८३ को ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी की हैसियत से सहायक सर्जन नियुक्त होकर कलकत्ते आए । २१ अक्टूबर, १७६४ को वे सर्जन नियुक्त हुए । भारतवर्ष में रहते हुए उन्होंने हिंदुस्तानी के अध्ययन और प्रचार के लिए विशेष प्रयत्न किया और निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की :

‘ए डिक्शनरी इंगलिश ऐंड हिंदुस्तानी’, दो भाग (१७८७—१७९०)

‘ए ग्रैमर ऑफ दि हिंदुस्तानी लैंग्वेज’ (१७९६)

‘दि ऑरिएण्टल लिग्विस्ट’ (१७९८, द्वितीय संस्करण, १८०२) । कॉलेज (१८००) में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हो जाने पर उन्होंने अनेक पाठ्य-पुस्तकों (भारतीय अध्यापकों द्वारा रचित) का संपादन और निर्माण किया, जैसे,

‘दि ऐंटी जार्गोनिस्ट’ (‘दि ऑरिएण्टल लिग्विस्ट का सक्षिप्त संस्करण, १८००)

‘दि स्ट्रॉजर्स ईस्ट इंडियन भाइड टु दि हिंदुस्तानी’ (१८०२, द्वितीय संस्करण लंदन से—१८०८, तृतीय संस्करण, १८२०)

‘दि हिंदी स्टोरी टैलर’ (१८०२)

‘ए कलेक्शन ऑफ डायलॉग्स, इंगलिश ऐंड हिंदुस्तानी’ (१८०४, एडिन्बरा से द्वितीय संस्करण, १८०६, लंदन से तृतीय , १८२०)

‘दि हिंदी मोरल प्रीसेप्स’ (१८०३)

दि आरिएटल फ्रैब्यूलिस्ट’ (१८०३), आदि ।

स्वास्थ्य ठीक न रहने तथा अन्य कारणों से १८०४ में वे त्याग-पत्र देकर इंग्लैंड वापिस चले गए । सपरिषद् गवर्नर-जनरल ने उनकी कोर्ट से सिफारिश की और लॉर्ड वेल्लेज़ली ने व्यक्तिगत रूप से एक पत्र श्री ऐडिगटन (बाद को लॉर्ड सिड्मथ) को भी लिखा । कुछ दिन तक वे एडिनबरा में रहे जहाँ के विश्वविद्यालय ने ३० अक्टूबर, १८०४ को उन्हें एल-एल० डी० की उपाधि प्रदान की । ६ जनवरी, १८०६ को उन्होने कंपनी की नौकरी छूड़ दी और ३०० वार्षिक पेंशन उन्हें मिलने लगा । गिलक्राइस्ट तेज़ मिज़ाज और उग्र राजनीतिक विचारों के व्यक्ति थे और इसीलिए प्रायः उनका लोगों से झगड़ा हो जाता करता था । उन्होने एक पूर्वीय चिडियाघर भी खोला और जेम्स इंगलिस (Inglis) की सहकारिता में ‘इंगलिस, बौथविक गिलक्राइस्ट’ के नाम से एक बैंक भी खोली । लेकिन दूसरी बैंक द्वारा संदेह की दृष्टि से देखे जाने पर गिलक्राइस्ट की बैंक बहुत शीघ्र बन्द हो गई ।

१८०६-८ में उन्होने एडिनबरा से ‘ऐंटी-जागोनिस्ट’, ‘स्ट्रॉजस ग्राइड’, ‘आरिएटल लिग्विस्ट’ तथा कई अन्य हिंदुस्तानी भाषा-संबंधी रचनाएँ मिलाकर उन्हें ‘दि ब्रिटिश इंडियन मीनीटर’, दो भाग, के नाम से प्रकाशित किया । १८१५ में उन्होंने ग्लासगो से ‘Parliamentary Reform on Constitutional Principles; or British Loyalty Against Continental Royalty’ नामक एक सनसनी पूर्ण राजनीतिक रचना प्रकाशित की । तत्पश्चात् भारत में सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक व्यक्तियों को निजी तौर से पूर्वीय भाषाओं की शिक्षा देकर धनोपार्जन की दृष्टि से वे १८१६ में लंदन चले आए । दो वर्ष बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कर्मचारियों, विशेष रूप से चिकित्सक अफसरों, को भारत आने से पूर्व हिंदुस्तानी के प्राथमिक सिखाता की शिक्षा देने का निश्चय किया । इस कार्य के लिए उन्होने गिलक्राइस्ट को २०० l. वार्षिक पर लाइसेंस्टर (Leicester) स्कॉयर में स्थापित आरिएटल इस्टीब्लिशमेंट में प्रोफेसर नियुक्त किया । वेतन के अतिरिक्त, उन्हें १५० l. अधिक और इस शर्त पर दिए जाते थे कि वे फिर प्रत्येक विद्यार्थी से तीन गिनी से अधिक नहीं लेंगे । किंतु गिलक्राइस्ट ने यह स्वीकार न किया और अपनी ओर से यह नियम बना दिया कि विद्यार्थियों का उनकी क्लास में तभी दाखिला होगा जब वे उनके प्रकाशकों से इस बात की रसीद ले आवेंगे कि उन्होने उनकी काफ़ी रचनाएँ खरीद ली हैं । उनकी रचनाओं का मूल्य १० l. से १५ l. तक हाता था । इस प्रकार मुफ्त पढ़ाने के बहाने वे अधिकारियों द्वारा निश्चित धन से चौगुना या पंचगुना धन विद्यार्थियों से ले लेना चाहते थे । उनके पढ़ाने के अव्यवस्थित ढंग की भी कड़ी आलोचना की गई । १८२५ में कंपनी ने उन्हें सहायता देना बंद कर दिया । वे कंपनी के अत्याचार, लोभ और उसकी कृतघ्नता की पहले ही शिकायत कर चुके थे । वे चाहते थे कि कंपनी न केवल चिकित्सकों को वरन् सभी कर्मचारियों का शिक्षा के लिए उनके पास भेजे ताकि उनकी आमदनी और भी बढ़े । उन्होने अपने समस्त धन का सकलन ‘दि आरिएटल, एब्लिशमेंटरी पायनियर’ के नाम से

एक ही जिल्द में कर दिया और कंपनी के पदाधिकारियों तथा उन सभी को जो पूर्वीय ज्ञान के प्रचार में संलग्न थे भला-बुरा कहा। १८२६ तक वे शिक्षा देते रहे। उसके बाद उन्होंने शिक्षा देने का भार आर्नॉट (Arnold) और डकन फोर्ब्स को देकर सत्ता में एक बार अपना निःशुल्क व्याख्यान देने का नियम रक्खा। अपने ग्रंथों की बिक्री कम होते देख कर उन्होंने फिर पहला प्रथा ग्रहण करनी चाही, किंतु उनकी आशा पूरी न हो सकी। १८२८ के प्रारंभ में उन्होंने ऑरिएण्टल इंस्टीट्यूशन के पास ही हिंदुस्तानी कक्षा स्थापित करने की असफल चेष्टा की। आर्नॉट और फोर्ब्स जब उनसे आज्ञा आ गए तो उन्होंने ऑरिएण्टल इंस्टीट्यूशन के प्रथम वार्षिक विवरण (१ अप्रैल, १८२८ को प्रकाशित) में उनकी कड़ी आलोचना की। अपने जीवन का शेष भाग उन्होंने अवकाश में व्यतीत किया। ६ जनवरी, १८४१ को पेरिस में उनका देहांत हुआ। उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी स्त्री मेरी ऐन कोवेट्री (Mary Ann Coventry) ने नेपल्स (Kingdom of Naples) के जनरल ग्युग्लिएल्मो पेपे (General Guglielmo Pepe) से पेरिस में विवाह कर लिया।

विलियम प्राइस

विलियम प्राइस ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे। वे १ फरवरी, १८०७ को बंगाल के पाँचवें रेजीमेंट में लेफ्टिनेंट, ११ जुलाई, १८२३ को कैप्टेन और २२ अप्रैल, १८३१ को मेजर नियुक्त हुए। १८१५ से कुछ पहले वे फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत, बंगला और मराठी के सहायक प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। हिंदी और हिंदुस्तानी के प्रोफेसर के रूप में उन्होंने अवकाश ग्रहण किया।

प्राइस के संबंध में इससे अधिक और कुछ ज्ञात नहीं है।

च

फोर्ट विलियम कॉलेज में ६ फरवरी, १८०२, २९ मार्च, १८०३ और २० सितंबर, १८०४ में पढ़ी गई थीसिसें :

बेली की थीसिस—१८०२

दावा ॥

हिंदुस्तान में काररवाई के लिये हिंदी जवान और जवानों से जीआदः दरकार है हिंदुस्तानी जवान कि जिसका जिक्र मेरे दावे में है उसको हिंदी-उरदू आरेखतः भी कहते हैं और यह मुस्लम अरबी और फ़ारसी ओ सस्कृत या भाषा से है और यह पिछली अगले ज़माने में तमान हिंद में रायेज थी

अरब के सौदागरो की आमद ओ रफ्त से और मुसलमानों की अकसर यूरि और हुकूमति केआमी के वाइस अलफ़ाखि अरबी और फ़ारसी उसी पुरानी बोली में बहुत म्बिद गये और एक जवान नई बन गई जैसे कि बुनियादि क़दीम पर तामीदि नौ होवे

गरज रफ्त रफ्त इस जवान जदद ने यह सूरत पकड़ी और दिहली के अहलि रवार ने चाहा कि यिही बोली हमार उन कामा म जा जवान स तअल्लुक रखते हैं वसीलः हो तव यह वतदरीज हर तरफ फेली चुनाच नतीजः इसका यह हुआ कि हर ऐक मुसलमानी दरवार छोटे आर बड़े में भी ऐक मुहत में यह नई जवान जारी हुई

आखिरल अमर यह बोली हिंदूस्तान सबको अजीज और प्यारी हुई आ अकसर मुतवतिनों ने इसी मुरक्कव जवान पर रागिव होकर इसकी अखज कीआ कि अपने ऐसे मुअमलात जिनका इस्तिहकाम मौकूफ तहरीर पर न हो उनमें इसीसे कलाम करें

जो इखितलात मुसलमानों का हिंदुओं के साथ कई सनव और वजह से कवही कसरत से हुआ और कवही क्लिगत से—यस इसी वास्ते हिदी जवान में अजनवी अलफाजा की आमोजिश मवही कसोर कवही कलीज हुई

यिह इखितलाफ जवान का तीन वजह से बाहर नहीं जाने मुहावरए कदीम या दहाती अमुमी या शहरी—दरवारी या इल्मी—जो कोई चाहे इन तीनों का हमतियाज वखूवी करे कि हर ऐक का मकाम जुदा जुदा और फायेदः हिंदूस्तान की हर ऐक कौम ओ कवाइल में अलाहिदः अलाहिदः :

पैहले मुहावर में अजनवी अलफाजा कम दर्खाल हूए हैं इसी वास्ते बुद अपन जगह की देखी भाषा से अकसर जीआदः निसवत रखता है और सदरे में तखमीनन अजजए मखलूता जुकि असलॉ के मुतसावी हैं तीसरें में अरबी और फारसी अलफाजा की जीआदती कमाल है

इस जवान के गलवे में जुफ वाजे-वाजे मुल्कों में कितने आरिजा से जो पड़ा है सो उनकी तफसील जरूर नहीं क्यू कर कि ये हर ऐक साहिबि गौर पर खुद वखुद रोशन हैं

लेकिन इस इकरार से मेरा दावा कुछ जईक नहीं हो जाता क्यू कि अगरचि हिंदूस्तान की सरजमीन पर कई ऐक सरकार और सूवे के लोग अपनी अपनी देखी भाषा बोलते हैं तौ भी मैं मुसिर हू कि उनके या कोई ऐक अजनवी बोली में से जो अब हिंदूस्तान में मुरब्बज है बराबर हिंदूस्तानी जवान के उमूमन कोई मुफ्रीद नहीं

ओ यह बात साहिबि फिक्र पर अया है कि किसी मुल्क वसी में अगरचि बहुत देखी भाषा वालिक वाजी जवानें मुखतलफ भी बोलने में आती हैं तौ भी दरवारी और दारुस्सलतनत की जवान ला कलाम फाहदे में औरों पर तरजीह रखती है ओ इसी सव से वहां सब कोई क्या मुतवत्तिन क्या अजनवी पैहले इसी को मुकद्दम जानकर इसत्यामाल में लाते हैं

अब चाहता हू कि ऐसी कई दलीलें नकल करूं कि मेरे दावे की इस बात का नुजिव हों

हिंदूस्तान की तमाम सर जमीन में कम कोई मुसलमान नजर आवेगा - हिंदूस्तानी जवान समकता या बोलता न होगा

हिंदू भी जो कदरे इमति याज्ञ रखता हो या मुसलमानों से या अंगरेज़ों कौम से जिसके कुछ ऐलाक : है थोड़ी बहुत इसविहाल अपने नही हा सकता कि न जानें

अकसर अज्ञानवी कोमों ने कि वूआदेवाश अपनी हिंदूस्तान में की है इसी जवान को वसील: गुप्तअंगू का इस्तीआर करते हैं जुनाचि हम लोग पुर्तकेज़ ओ वलंदेज़ ओ फ़रानसीस ओ दीनामार ओ अरब ओ तुर्क ओ यूनीनी आ इरमनी आ गुरजो ओ पारस ओ मुग़ल ओ चीनी ओ ग़रे इस बात के शाहिदि ज़िद: है

हिंदूस्तान के अकसर लश्करीं में यही जवान जवाव ओ सुवाल का वसील: पड़ती है अग़रचि हर ऐक आदमी उन्ह में अपने अपने देस की बोली जान्ता है

सेतबंध के करीब से काबुल तक ऐक मुल्क कि जिसकी लंबाई हजार कोस कमआवेश और चौड़ाई सात सै कोस तख़मीनन् है—बड़ी गंगा के इस तरफ़ उसमें जिन बस्तीओं ओ शहरों पर मुसलमानों का तसर्फ़ ओ अमेजिश हुई उन्हों में ऐसै आदमी कम पाए जाऐंगे जो हिंदूस्तानी जवान बक़दर ज़रूरत के न जान्ते हांगे। किता नज़र इससे कि गंगा के उस पार भी अकसर जगहों में मशहूर आ मुरब्बज़ है

जो हर किसी कौम रसूमात और चलन और तवारीख़ का दरयाफ़्त करना उनकी जवान की शिनासाई पर वेशतर मौकूफ़ है पस और मुल्का की निसवत बसबब मुख्तलिफ़ होने दीन ओ फ़िक़ह ओ रुसूम और आदत के हिंदूस्तान में यह शिनासाई (खुसूखन) जीआद: ज़रूर है

जब तलक किसी मुल्क के साहिबि तसल्लुत और हाकिम अपनी रैयत की जवान से वाकिफ़ न हो ज़लम ओ फ़साद ख़ाहमख़ाह अजाम होगा।

अग़रचि किस्सु ऐक जारी जवान में इल्मी किताबों की किल्लत हो तो हो लेकिन वही जवान उमर्राति मुल्की तज़ारती लश्करी और अदालती के वसीले के वास्ते सब जवानों सेउस दयान में मुफ़ीद ओ मुनासिब है

अब यह बात कहनी ज़रूर हुई कि इनोज़ पाच चार सदी नहीं गुज़री कि फ़िक़ह फ़राइज़ और काऐद: क़वानीन और तमाम इल्म अजनवी जवान से हमारे मुल्क में सीखा और लिखा जाता था इस पर भा अंगरेज़ी जवान उस जवान पर ग़ालिब चली आई और यह भी दलील क़वी है कि वहा का रोज़मर्र: काविल इसलाह और तहसील के था

अग़रचि साहिबि मुहावर: हिंदूस्तानी जवान के फ़ख़र नहां करते कि इसमें बहुत नसर को किताबे या तख़नीफ़ि इल्मी है पर कितने ऐक क्रिस्से खूब ओ गज़ले मरबख़ ओ ग़ैरे नज़म में मौजूद हैं। दरकिनार यह कि मुआमलति महाजनी आ लश्करी आ मुहिम्माति मुल्की ओ ग़ैरे कि तअल्लुक़ नविशत ख़्वाद से रखते हैं उन्हों में भी जवानि हिंदी जारी है

और यह बात किस्सु पर छिपी नहीं कि यहा के दानिशमंदों की तालीम और मुवाइस ओ मुनाज़रये इल्मी इसी जवान में हाता है और जो कोई चाहे कि कुछ तखनीफ़

कर या और किस स कुछ मतलब लिखवाए इसम खेआल करता और इसी स मान समझता

एक फ़ायेद : यह भी है कि अकसर और ज़बानो का इत्तिसाव इसकी खूब शिनासाई से आसान होता ओ सिर्फ़ यिही ज़बान वसील : है कि जिससे करार वाकई वे-इनसाफ़ी ओ तशल्लुव रैयत से दूर हो जावें

जिन मुकद्दिमा का ज़िक्र हुआ अगर उनकी विना रास्ती पर फ़िलवाक़: काहम ह तो मैं हैरान हूँ कि उन्हें के नतीजे के वातिल करने पर दुइ कौनसी दलीलें होगी जो कोई लावेगा और वह नतीजः लाकलाम यिही है कि सौदागर -मुसाफ़िर -मुल्की ओ लखकरी उहदेदार हकीम ओ तवीव हाफ़िल कलाम हर ऐक तरह के आदमीओ को सरोकार छोटे बड़े मुआमलों से हिदस्तान के रग्वते हां हिदुस्तानी बोली उमूमन और बोलीओ से जीआदःतर दरकार ओ मुफ़ीद है और इसी सवव से लाज़िम है कि सब ज़बानो की निसवत क़दर ओ तरजीह रखे

(मॉडरेटर—गिलक्राइस्ट)

(नागरी लिपि)

विलियम चैपलिन की थीसिस—१८०३

वाद

सती होने की रीति हिदुओ में अपने पति के साथ भलमनसी और मया के चलन से वाहर है

क्या ईसवी क्या और अच्छी जातोके लाग किसी पंथके होय जाना जाता है कि मेरे वादके मिटानेको कोई ऐकभी प्रमान नला सकेगा हे महाराजो मेरी बुद्धिसे तो यह रीति प्रसिद्ध साच ही जानी जाती है और यहभी निश्चय कर जानता हूँ कि इस कठिन ओ अनजानी बोली में सकत जैसी चाहिये वेसी नही रखता कि इमवात का मली भाति सेव्योरेसमत समझाऊं तिस परभी मन चलाय बुद्धि दौड़ाता हूँ जा मेरे वचनोको ध्यान दे कर सुनो ता आपके मनकी दुवधा जाय सच है जो इस भयानक चालका सार जिसे अब मैं बोपता हूँ जब धीरजकी दृष्टसे देखियेगा तब इसकी अनीति और कठोरी ओ कुरोतिको जानियेगा तो आपकी मतिभी मेरीही मतिके समान हो जयगी

रीति व्याहकी सुदेशोमें इसलिये है कि दोनों ओर प्रीतिही ओ आपस में हितसे सेवा करे और ओ पुरुष अपने अपने विसन झाड ऐकऐके वसर्म रहैजां कि यहवात साच है तो हिदुओ में अकेली अबलास्वामीके मरेसे क्यूं जलमरतो है यह कैसा न्यावहं इसभांतिका मरना लोंगोंमे हुलाससेहोकैवलसेपर व्याह के फलकी आवका वैरी है और सुधर्म सुदेशके चलनसे जोपालना वालकों का पिता को उचित ह तो उसक सुपर उनकी माताको दूना है इसलियेनारीको जोग है कि पतिके मरे पीछे अपने लड़कोंको सुमाताकी चालसे पाले जोकि तुरक जिनकी अनीति स्त्रीयोंके निमित्त में हमारे यहा कहावत सो वेभी अपनी नारियोके ऊपर ऐसी अनीति पतिके मरे पीछे नहीं करते जो उन्हें विन मृत्युनीतेबी महाराजो इस रीतिका विपरीतिके लीये मरा अधिक कहना क्या ह

हुत जातोंका चलन बोहार इसभाति का है ईसा पथियोंके समान उनमें सुमानसी बहुत
 ोड़ी पाईजातीहैं वरन कुछभी नहीं और जिनके धर्ममें ऐसी हिसा है कि नारीको मरे
 वामी पर वल देते हैं उन्हकी तो क्या चरचाहै क्यूं कि सच्चही यह रीति मनुष्यतासे
 हरहै

जानाचाहिये कि जब मनुष्य मनुष्यता के चलनसे अनजानथे तबसे यह भोड़ी रीति चलीहै
 कै किसो कुचालो कठोरने सैकड़ो वरस पीछे जनमकी प्रीतिकी डोरिया मनोसे काटदीं
 उससमें कि गृहस्ती धर्म चलानेके लिये दोनो ओर नेहकी जड़ जमी हूईथी सारे संसारमें
 जो मैं हूँहूँगा तो ऐसे पापका दृष्टांत कहा नपाऊंगा पचो श्रव उचित है किमैं ऐसी चालको
 निरी मूरखता कहूँ कि जिसके कर नेसेपशुको भी लाज आवे जोनर अपने को मनुष्य
 जानताहै तिसपर उसको पंथनेभी मायामोड़ सिखायाहै बुध अपने शास्त्रके पटकी ओटमेंहा
 सोमनिराड मावहन द्वित्को विन सोच सकोच मारडालकर लालौ लाल हो इस अकारथ
 प्रसन्नता के लिये ऐसा बड़ा अधर्म भरा हो जैजैकार करे

डरकर इसवातसे मैं चौकताहूँ और भगवानकीभ्या दृष्टसे चाहताहूँ कि साचे पथके
 चलानेसे यह रीति धनावनी श्रे अनीतिकी मूलसे जातीरहे औरप्रगट जानीजातीहै कि यह
 चाल मनकी तरगसे निराली है क्यू कि माता की ममताके बंधन छूटजातेहैं और बुध
 सुख आसभरा दरसकिजा सुमाता को अपने प्यारे लड़का के पालनेमें नेमधर्म से है सो
 कुसमें घूँघला होजाताहै सतीके धुएँ से और बुद्धिलोगोंकी रंडीके जल मरने को नहीं
 चाहती इसलिये किमति एसे मरनेकी रीति को अज्ञानदेगी पर कुपथहीमें यह अंधेरहै जो
 सच पूछोतो मूरतपूजनेवाले निर्दई ब्राह्मन केवचन सेहै जिसकी दया मया और वातोमें
 प्रसिद्धहै वोही इसहत्याकी सोल देताहै ह्यांतक कि उसको सोच विचारके लिये ऐक
 पलभी दृष्टो नहीं देता जो मरंहूये प्यारे प्रोतम के दुखमें आपको वचावु भला ह्यां
 किसोका ऐसा मन कठिनहै जो हमारा साथी होके उन विन अपराध स्त्रीयोंकेमरनेपर जो
 सदा ऐसी बुरी रीति मे जोव देती ह पछतावा नकरे जो तुम मनुष्य हो तो तुम्हारी
 मायामो हमें इतनी दुवधानही औजो ईसापथी हो तो कुछभा नहीं जैसो विनहमें इस
 पापसे है वैसी हम कथनहीं सकते यह अन्याव बढ़ता है परोहितके बढ़कानेसे कि
 बुध कहताहै जो ऐसा कर्म करे सो धर्मके रत्न कीछ्छाहतले रहै हाकैसी उलटी अज्ञा
 है कि सतके लिये जीव रत्नक के शब्दको जो विवाताने अत्मघातकेवचावने कोदेहमें
 उपजाया है रोकताह सब कोई चाहता होगा कि यह कुचाल किसी ढवसे उठजाय
 और मुझे निपट हुलास होता जा हमारी ओरसेउसी रीति पर कुछेक उकासी होती औ
 सुबुद्धितासे यह भी जानाजाता है कि लोगो कीपछ और इठको जो धर्मके लियेह-
 किसीवातपरऐकाऐकी उठ देना बहुत कठिन है जो किसी उपायसे यह कामना सिद्ध
 होसके उनलोगोंमें जो अपने धर्म औ निरफल काजके वसहैं तो ईसापंथीयोके सतसंगसे
 हो तो हो यह बडी मनसा सिद्धहोनी समेपर है आर निपट अनोति औ अन्यावहोता
 जोकाई धर्मकेकाजो में लोगोकामनारथ वलसे नहोने देता मनुष्यकेलिय इन बातोंमें आस
 भरोसाहीउपदसा है क्यू कि मनुषका चित अन्यावसे नहीं होता विशेषधर्म कर्म

जिसे नित क सुख जानतेहैं चाहिये कि गुण महाराज अगरेब का बुद्धि विचारके साथ निदान काजआवे क्यू कियेकविन ऐक सदा अकारथ है

आगे मेरा कहना यथा इस लिये मैं जानताहू तुम्हारे जीमें बोहीध्यानहै जो मेरे हिरदे समायाहै इसकारनमैमुनने को लौल गयेहू हेमहाराजो मैं देखूं तो तुम कैसा कैसी पकडे करतेहो विहमविन लगाव कहताहूं जो कोई मेरे वाद को कळभो सुठावे बोहो बड़ा ज्ञानी है

(मॉडरेटर — गिलकाइस्ट)

(नागरी लिपि)

जे० रोमर की थीलिस—१८०४

दश्रवा

ममालिकि हिदकी जुवानोको असल बुनयाद मस्कृत है ॥

लेकिन जो शख्स इस दश्रवेके साबित करन का इरादः करे उसे हिदुस्तान की बअज़ी जुवानि मुरव्वज से खून वाकिक्र होना और हासिल करना जुरूर है गोकि बुह सबसे माहिर नहो पर मुके अगर यह बात जाज़िम न होती कि इनवानि दश्रवेमें कुछ कसूर नकरू ता इस काम में हरगिज़ दखल नकरता जिसके रह ओ बदल करनेके निये ऐक यसफ़मी मुक्तमें नही ॥

जब कि यह माजरा यू है जैसावेने बयान किया तो उन वसीलों को जो मैं अपने दश्रवेके काइम रखने को लासकता हूं इखतियार करके उन फ़ी हांश मुसन्निका से जिन्होंने इस मुकदमे में लिखा है खवाह लफ़ज़ हो या मन्नने इसतश्राः करता हूं उम्मेदवार हूं कि मेरा यह उज़र कबूलहो ॥

चुनावे उन मुसन्निका में जास साहिब सबसे नामवर है लेकिन उसके किसम वक़िम में इशतकाक की तफ़तीश और मुशिगाफ़ी से बाज़ रहता हू इस वास्ते कि इस कलाम का तर्ज़ से जुरूर है कि ता मकदूर जितना होस्के मुखतसर करूं पर उस साहिब की किताबो के जुदे जुदे इकतवास करनेस उन दलीलों की वज़अ के जाहिर करने के इवज़ उलमेडा डालना है ॥

तमाम हिदुस्तान की मुखतलफ़ि जुवानो की जब संस्कृत है कि जिस से वे पैदा हुई हैं इस सबब मेरे खियाल में यह बात ठहरती है कि हरऐक का जुवो अहवाल कि जिसमें संस्कृत की मुवाफ़कत ओ मुखालफ़त का बयान हो लिखा जावे ॥

और बुह रिवालः कि संस्कृत और पराकृत की जुवान के बयान ने लिखा और मशहूर है जो इसी वज़अ का है तो काफ़ी है कि उसके साहि वि फ़हम मुसन्निक की बात से जाकुछ कि इस दश्रवेके बर करार रखने को मंगी दरयाफ़ में मुनासिब है इखतिवात् करू और उस सबब से कि जिसका मज़कूर इवतदाय कलाम में मैं ने किया अमदन यह काम करता हूं ॥

उस रिवालदे मज़कूर के मुसन्निक ने पराकृत या सदुती बला बानीक बयान करके हिंदी या हिंदवी जुवान म यू लिखा है क मअसूम होता है जा आज कल क हिदुस्तानी

जुवान उससे निकली है और उस भाषा में नज़म की आजमाइश करने से जो मुशबहत हिंदी और संस्कृत में है सो बहुत साफ़ ठहरती है और जो कोई इन दोनों जुवानों से वाकिफ़ है वे शुबह यह कहेगा कि हिंदी त्रैवल संस्कृत में निकली है अकसर अलफ़ाज़ जिनके वजह तसमियः से यह खुलता है कि वे निरी संस्कृतके हैं उस जुवान में हूबहू मुदर्ज ह और बहुत और लफ़ज़ों में सिवा आखिरी ह्रस्व इल्लत कि साकिन करने से आर कुछ तबदील नही हुई और बहुत ऐसे हैं कि सिर्फ़ उन ह्रस्वों के बदलने से जो सुतबदल होते हैं सुतफ़ावत हो जाते हैं वाका थोड़ेसे शाज़ लफ़ज़ों के सिवा बत्रासानी अमल संस्कृत में पाए जाते हैं और यह बुह जड़ है कि जिस से हिंदी पैदा हुई है न हिंदी बुह जुवान है कि जिस से संस्कृत ने रौनक पाई है इशतकाक से साबित होती है क्यू कि मुशाबहत हिंदी में नहीं रहती और संस्कृत में काइम रहती है ॥

गारा या बगला जुवान तमाम सुबे बंगाले में सिवाय सरहदी ज़िल्लतों के मुखवज है और लोग कहते हैं कि सिर्फ़ पूरब की तरफ़ खूब सफ़ाई से बोली जानी है और जिस तरह वहाके रहने वाले उस जुवान को बोलते हैं सो इसमें बहुत कम अलफ़ाज़ हैं कि जिन को बुनियाद असल संस्कृत से नहीं ॥

दूसरी जुवान जो इसी सिलसिले में मैथला या तिरहुत्तया है सो भी बंगाले से बहुत मुशाबिः है और वे ह्रस्व कि जिन्ह में बुह लिखी जाती है उन्हें भी और बंगाले के ह्रस्वों में थोड़ा सा फ़रक है ॥

बुह जुवान जो सूः उठकाला या उडा देसा में बोलते हैं जिसका नाम उडया है जहा तक कि नाकिस् नमूने से दरयाफ़्त होती है तो इत में संस्कृत के अलफ़ाज़ जो तरह बतरह में खराब हूए हैं और बअज़े फ़ारसी और अरबी लफ़ज़ जो हिंदूस्तान के वशीले से मुसतआर हैं और वे कि जिनकी असल में शक है मिले हैं ॥

ये वे पाचो जुवानें हैं कि हिंदूस्तान के उत्तर और पूरब के बसने वाले बोलते हैं और ये पाच जुवानें जो इस ममलुकत के दखन और पच्छिम की तरफ़ के वाशिदे बोलते हैं में इसी ही सनद पर बयान करता हू ॥

पहली उनू में से तामल जिस जुवान का मुखत्रिफ़ में व्याकरण और उषेधान की ऐक ऐक पोथी देखा है और इन दलीलों से यह इरशाद किया है कि तामला में बहुत से संस्कृत के अलफ़ाज़ जों के तो या कुछ तबदील पाए हूए भाजूद ह और अकसर बिगड़े हूए और ऐसे बहुत हैं कि जिन की असल में शुबह है ॥

दूसरी महाराशतर या मरहटे की जुवान से हिंदूस्तान की और जुवानों की मानद बहुत सी साफ़ संस्कृत की बातें हैं और उससे ज़ियादः खराब अलफ़ाज़ उसी भाषा के आते हैं और थोड़े से अलफ़ाज़ अरबी आ फ़ारसी मखलूत हैं और सिवाय इन्ह के अकसर ऐसे हैं कि जिन्ह की बुनयाद कुछ मअतूम नहीं हांतो ॥

तीसरी कारनाथ या कारनाड़ा जो कारनाटक की पुरानी भाषा है जो मुशबहत संस्कृत से और दखन की और जुवानों में है सो यह की बोली में भा है काड़े भी अकसर और दखनी छेमो की मानन्द अपनी मुकसी जुवानों के साथ बदवजई से संस्कृत के तंतुफ़्त व करने में बगाते और उसके मुखदक मुखका के ब्द नमु ने की पैवी नहीं करते

चौथी तैलागा तेलगा तिलागा नाम कौम का और जुवान का और उन हरफों का कि जिन्ह में यह बोली लिखी जाती है तिना का है और वहा के ब्रह्मन इन्हीं हरफों से संस्कृत के अक्षराक्ष लिखते हैं और कहते हैं कि संस्कृत के लक्षण तिलागे क मुहावरे में और दखनी बोलियों में जियादः हैं ॥

पाचवीं गुरजरा जिसको गुजरात कहते हैं वहाँके रहने वाले बुह जुवान बोलते हैं कि जिस का नाम उनका हम नाम है सो हिदी में अकसर मुशानिह और जिस खत में बुह लिखी जाती है मुंडी नागरी से थोडा ही कुछ फरक है ॥

मैंने इसी सूरत से एक मञ्जुल ओ मुञ्जुतवर किताब का बातें जो इस दञ्जुवे के अर करार रखने को किफायत करती है इजतमात्र कर लीं हैं और सिर्फ इतनी बात जियादः कहता हूँ जब लग संस्कृत की असल लक्षण (१) हाथ न लगे तब तक चाहिये की हम हर सूरत में इसी को हिंदूस्तान की उमल लिसान समझें ॥

(मॉडरेटर—मोअट)

(नागरी लिपि)

काल-क्रम

- १६०० कंपनीका प्रथम चार्टर
- १७२६ कंपनी का द्वितीय चार्टर
- १७७४ क्लाइव का भारतागमन
- १७५७ ज्ञासी का युद्ध
- १७६१ पानीपत का युद्ध
- १७६४ बक्सर का युद्ध
- १७६५ बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंगरेजों के हाथ में
- १७६५-१७६७ क्लाइव दूसरी बार भारत में
- १७७२-१७८५ वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर और फिर गर्वनर-जनरल के रूप में
- १७७३ नॉर्थ का रेग्युलेटिंग ऐक्ट
- १७८३ जॉन बौथविक गिलक्राइस्ट का भारतागमन
- १७८४ पिट का इंडिया ऐक्ट
- १७८६-१७९३ कॉर्नवालिस गवर्नर-जनरल के रूप में
- १७८७-१७९० गिलक्राइस्ट कृत 'ए डिक्शनरी, इंगलिश ऐंड हिंदुस्तानी'
- १७९३-१७९८ सर जॉन शोर गवर्नर-जनरल के रूप में
- १७९६-१७९८ गिलक्राइस्ट कृत 'ए ग्रैमर ऑव दि हिंदुस्तानी लैंग्वेज'
- १७९८ गिलक्राइस्ट कृत 'दि ऑरिएंटल लिंग्विस्ट'
- १७९८-१८०५ मार्किस वेलेज़ली गवर्नर-जनरल के रूप में
- १७९८ ऑरिएंटल सेमिनरी की स्थापना और गिलक्राइस्ट की अध्यापन
में नियुक्ति
- १७९९ चतुर्थ मैसूर युद्ध और श्री रंगपट्टम का पतन
- ४ मई, १८०० श्री रंगपट्टम के प्रथम विजयोत्सव के अनुसार कॉलेज की स्थापना
- १० जुलाई,
१८०० कॉलेज की स्थापना के संबंध में वेलेज़ली के नोट्स तथा रेग्युलेटिंग
- १८ अगस्त,
१८०० कॉलेज की स्थापना के संबंध में वेलेज़ली की 'मिनिट्स-इन-
और कोर्ट के डाइरेक्टरों को सूचना
- १८०० हिंदुस्तानी विभाग के प्रधानाध्यापक के रूप में गिलक्राइस्ट की
- १८०० लल्लूलाल की सर्टिफिकेट मुंशी की हैसियत से नियुक्ति
- १८०० गिलक्राइस्ट कृत 'पेंटी-जागॉनिस्ट' की रचना
- १० अप्रैल,
१८०१ कॉलेज के विधान का प्रथम परिच्छेद

- १८०१ १८०२ लल्लूलाल और जर्वा कृत 'सिंहासन नत्तीसी और 'शकु तला
- १८०१ १८०२ लल्लूलाल और विला कृत 'वैताल पञ्चीसो और' माधोनल कामकटला
- २७ जनवरी, कॉलेज तोड़ने के संबंध में कोर्ट का वेलेजली के नाम पत्र
१८०२
- ५ अगस्त, १८०२ वेलेजली का उत्तर
- १८०२ गिलक्राइस्ट कृत 'दि स्ट्रॉजर्स ईस्ट इंडियन गाइड टु दि हिंदुस्तानी'
(द्वितीय संस्करण, १८०८)
- १८०२ गिलक्राइस्ट कृत 'दि हिंदी डाइरेक्टरी, ऑर स्ट्यूडेंट्स इंट्रोडक्टर टु दि
'हिंदुस्तानी लैंग्वेज'
- १८०२ गिलक्राइस्ट द्वारा 'दि हिंदी मैनुअल' या 'कास्केट ऑफ-इंडिया' का
संपादन
- १८०२-१८२३ लल्लूलाल स्थायी सुंशी के रूप में
- १८०२-१८०३ गिलक्राइस्ट द्वारा 'नक़लियात-इ-हिंदी' अथवा 'दि हिंदी स्टोरी टैलर',
दो जिल्द
- १८०३-१८१० लल्लूलाल कृत 'प्रमसागर'
- १८०३ सदल मिश्र कृत 'चंद्रावती' अथवा 'नासिकेतोपाख्यान'
- १८०३ गिलक्राइस्ट द्वारा 'दि हिंदी मौरल प्रोसेप्टर' या 'अतालीक-इ-हिंदी' और
'दि ऑरिएण्टल फ़ैब्युलिस्ट' का संपादन
- १८०४ गिलक्राइस्ट कृत 'दि हिंदी रोमन और थीपीप्रीफ़ीकल अल्टीमेटम...'
- १८०४ गिलक्राइस्ट का पद-त्याग
- १८०४-१८०६ सदल मिश्र कॉलेज में विद्यमान
- १८०५-१८०७ सर जॉर्ज बालों गवर्नर-जनरल के रूप में
- १८०५ कॉलेज छोटे पैमाने पर किया गया
- १८०५ हंटर द्वारा 'न्यू टेस्टामेंट' का संपादन
- १८०६ ईस्ट इंडिया कॉलेज, हलीवरी की स्थापना
- १८०६ कॉलेज के विधान का द्वितीय परिच्छेद
- १८०६ अध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में अनुवाद करने पर सदल मिश्र
को पुरस्कार
- १८०६ मोअट की प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्ति
- १८०७-१८१३ लॉर्ड मिंटो गवर्नर-जनरल के रूप में
- १८०८ मोअट का त्याग-पत्र और टेलर की प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्ति
- १८०८ कैप्टेन जोसेफ़ टेलर और हंटर द्वारा 'ए डिक्शनरी हिंदुस्तानी ऐंड
इंगलिश' की रचना
- १८०९ हिंदी और फ़ारसी शब्द-सूची तैयार करने पर सदल मिश्र को पुरस्कार
- १८०९ कॉलेज के विधान का तृतीय परिच्छेद
- १८०९ लल्लूलाल कृत 'राबनीति'

- १८१० लल्लूलाल कृत 'नक्लियात या लतायफ़-इ-फि संस्करण)
- १८११ रोएबक कृत 'इंगलिश ऐंड हिंदुस्तानी नैवल फि का संस्करण)
- १८११ लल्लूलाल कृत 'ब्रजभाषा व्याकरण' की रचना
- १८१३ चार्टर ऐक्ट
- १८१४ कॉलेज के विधान का चतुर्थ परिच्छेद
- १८१४-१८२३ लॉर्ड मॉयरा, मार्किंस आँव हेस्टिगज़, गवर्नर-जनरल
- १८१५ लल्लूलाल द्वारा संपादित 'सभा विलास'
- १८१५ इद्रेश्वर पंडित की नियुक्ति
- १८१५ लल्लूलाल द्वारा संपादित 'सभा विलास'
- १८१६ कॉलेज के विधान का पाँचवाँ परिच्छेद
- १८१८-१८२१ नरसिंह पंडित कॉलेज में
- १८१९ रोएबक कृत 'दि ऐनल्स आँव दि कॉलेज आँव का प्रकाशन
- १८२२ कॉलेज के विधान का छठा परिच्छेद
- १८२३ पंडित गंगाप्रसाद शुक्ल
- १८२३-१८२८ लॉर्ड ऐम्हर्स्ट गवर्नर-जनरल के रूप में
- १८२३-१८३० प्राइस प्रधानाध्यापक के रूप में
- १८२४ रोएबक कृत 'ए कलेक्शन् आँव प्रौवर्ब्स ऐंड फ्रेजेज़ ऐंड हिंदुस्तानी लैंग्वेजेज़'
- १८२४ कॉलेज के विधान का सातवाँ परिच्छेद
- १८२५ गिलक्राइस्ट कृत 'दि जनरल ईस्ट इंडिया गाइड ...'
- १८२५ कॉलेज के विधान का आठवाँ परिच्छेद
- १८२७ प्राइस और तारिणीचरण द्वारा संपादित 'हिंदी ऐंड क्शनस', दो जिल्द (१८३० में दूसरा संस्करण
- १८२७-१८२९ खयालीराम पंडित
- १८२८-१८३५ लॉर्ड विलियम बैंटिंक गवर्नर-जनरल के रूप में
- १८३० प्रधानाध्यापक के पद तोड़े गए
- १८३२-१८३८ ब्रह्म सच्चिदानंद
- १८३३ चार्टर ऐक्ट
- १८३५ मैकौले की शिक्षा-संबंधी मिनिट्स
- १८३५-३६ सर चार्ल्स मेट्काफ़ गवर्नर-जनरल के रूप में
- १८३६-१८४२ लॉर्ड आँक्लैंड गवर्नर-जनरल के रूप में
- १८३८-१८४१ मधुसूदन तर्कालंकार
- १८४१ मुरारी देवीप्रसाद कृत 'पौलीग्लोट मुरारी'

१८४१	इश्वरचंद्र विद्यासागर (?)
४१	कालज के नए नियमों का निमाद्य
१८४२-१८४४	लॉर्ड एलेनबरा गवर्नर-जनरल के रूप में
१८४४-१८४८	लॉर्ड हार्डिज गवर्नर-जनरल के रूप में
१८४८-१८५६	लॉर्ड डलहौजी गवर्नर-जनरल के रूप में
१८५२	हिंदी पंडित, शेष शास्त्री, की नियुक्ति
१८५३	चार्टर ऐक्ट
१८५४	मुशी देवी प्रसाद कृत 'पौलीग्लोट ग्रामर ऐंड ऐक्सरसाइजेज ...'
जनवरी, १८५४	कॉलेज तोड़े जाने की आज्ञा और बोर्ड ऑफ ऐग्जामिनर्स की स्थापना
१८५४	चार्ल्स वुड की शिक्षा-आयोजना
१८५६-१८६२	लॉर्ड कैनिंग गवर्नर-जनरल के रूप में
१८५७	विद्रोह
१८५८	ऐक्ट फॉर दि बैटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कंपनी के शासन का अंत

सहायक ग्रंथ और सामग्री

१. उदू, जनवरा, १९२४
२. उवैस अहमद अदीब : 'तन्क्रीदी मताले, इलाहाबाद
३. एडवर्ड बाल्फोर, सर्जन जनरल : 'दि एन्साइक्लोपीडिया ऑव इंडिया ऐंड ऑव ईस्टर्न ऐंड सदर्न एशिया', दो जिल्द, लंदन, १८८५, तृतीय संस्करण । प्रथम संस्करण, १८५८
४. 'एशियाटिक ऐनुअल रजिस्टर', १७६६....
५. 'एशियाटिक जर्नल'
६. ए० टी० प्रिसेप : 'ए जनरल रजिस्टर ऑव दि ऑनरेबुल ईस्ट इंडिया कंपनीज सिविल सर्वेयर्स', कलकत्ता, १८४४
७. 'प्रेक्सरसाइजेज फॉर दि यूस ऑव दि कॉलेज ऑव फोर्ट विलियम', कलकत्ता, ?
८. 'कलकत्ता गज़ट', १७६६...
९. 'कलकत्ता रिव्यू'
१०. क्लौडियस व्यूकैनैन, रेव० (सपादक) : 'दि कॉलेज ऑव फोर्ट विलियम इन् बंगाल' (सरकारी कागज़ों और साहित्यिक विवरण, आदि), लंदन, १८०५
१. मार्शा द तासी : 'इस्त्वार द ल लिटरेच्यूर ऐंडुई ऐ ऐंडुस्तानी', दो जिल्द, १८३६-१८४७ । परिवर्द्धित और संशोधित संस्करण, तीन जिल्द, १८७०-१८७१, पेरिस
२. चार्ल्स डौयले : 'दि यूरोपियन इन् इंडिया', लंदन, १८१३
३. सी० आर० विल्सन : 'ओल्ड फोर्ट विलियम इन् बंगाल', दो जिल्द, लंदन, १६०६
४. जे० सी० मार्शमैन : 'लाइफ ऐंड टाइम्स ऑव कैरे, मार्शमैन ऐंड वार्ड', लंदन, १८५६
५. जॉन बौर्यविक् गिलक्राइस्ट : 'डिक्शनरी, इंगलिश ऐंड हिंदुस्तानी', दो जिल्द, ?
'दि ऑरिएण्टल लिग्विस्ट', कलकत्ता, १७६८ (द्वितीय संस्करण, कलकत्ता, १८०२)
'पेपेंडिक्स टु गिलक्राइस्ट्स डिक्शनरी', कलकत्ता, १७६८, तथा अन्य.

उपलब्ध ग्रंथ

६. जॉन विलियम के : 'लाइव्ज ऑव इंडियन ऑफिसर्स', लंदन, १८६७
७. जॉर्ज, वाइकाउंट वेलेंशिया : 'बौयेजेज ऐंड ट्रे विल्स टु इंडिया, सीलोन, दि रैड सी, ऐन्नीसीनिया ऐंड ईजिप्ट, १८०२-१८०६', तीन जिल्द लंदन, १८०६
८. जॉर्ज ऐब्राहम ग्रियर्सन . 'दि मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑव हिंदुस्तान', कलकत्ता, १८८६
९. जॉर्ज डब्ल्यू० जॉनसन : 'दि स्ट्रैजर इन् इंडिया', दो जिल्द, लंदन, १८४३
१०. जेम्स फोर्ब्स : 'ऑरिएण्टल मेम्बार्स, दो जिल्द, लंदन, १८३४
१. जेम्स बर्जेस, डॉ० : 'दि क्रौनौलौजी ऑव मॉडर्न इंडिया, ए०डी० १४६४-१८६४', एडिनबरा १६१३

- २२ जोसेफ टेनर (कैप्टेन) और डब्ल्यू. हर् 'डिक्शनरी हिंदुस्तानी ऐंड इंगलश दो जिल्द, कलकत्ता, १८०८
२३. टॉमस रोएवक : 'ऐनल्स ऑव दि कॉलेज ऑव फोर्ट विलियम', कलकत्ता, १८१६
- २४ टेन्मथ, लॉर्ड : 'मेम्वायर ऑव दि लाइफ ऐंड कारैस्पौन्डेस ऑव जॉन लॉर्ड टेन्मथ', दो जिल्द, लंदन १८४३
२५. 'दि स्टैट्यूट्स ऑव दि कॉलेज ऑव फोर्ट विलियम इन् इंगाल, कलकत्ता, १८०१-१८४१'
२६. 'प्रीमिटी अरिप्रिआलिस' (Primitiae Orientales), दूसरी और तीसरी जिल्द. कलकत्ता, १८०३ और १८०४
२७. 'प्रोसीडिंग्स ऑव दि कॉलेज ऑव फोर्ट विलियम तथा अन्य सरकारी विवरण (ह०) और प्रेस लिस्ट, तीस जिल्द, इंपीरियल रेकॉर्ड्स डिपार्टमेंट, नई दिल्ली
- २८ 'फोर्ट विलियम कॉलेज' (हैदराबाद, दक्खिन, से प्रकाशित)
२९. फ्रेडेरिक जे० शोर : 'नोट्स ऑन इंडियन ऐफेअर्स', दो जिल्द, लंदन, १८३७
३०. मौन्टगोमरी मार्टिन : 'दि डेस्पेचेज़, मिनिट्स ऐंड कारैस्पौन्डेस ऑव दि माहिम् वेलेजली', पाँच जिल्द, लंदन, १८३६-३७
३१. रामचंद्र शुक्ल : 'हिंदी साहित्य का इतिहास', १९२९ और १९४२ संस्करण
३२. (गवर्नर-जनरलों से सञ्चित) 'रूलर्स ऑव इंडिया सीरीज़'
- ३३ आर० आर० पीअर्स : 'मेम्वायर ऑव दि लाइफ ऐंड कारैस्पौन्डेस ऑव दि मोस्ट नोबिल रिचर्ड मार्क्विस् वेलेजली', तीन जिल्द, लंदन, १८४६
३४. लल्लुलाल की रचनाएँ
३५. लेस्ली स्ट्राफेन और सिडनी ली : 'ए डिक्शनरी ऑव नैशनल वायग्रौफी', लंदन १८८५...
३६. डब्ल्यू. एस० सेटन-कार : 'सेलेक्शन्स फ्रॉम कलकत्ता गजट्स', तीन जिल्द; १७८६ १८०५ कलकत्ता, १८६५ १८६८
३७. ब्रजरत्नदास : 'खड़ीबोली हिंदी साहित्य का इतिहास', बनारस, १९४२
३८. श्यामसुंदर दास : 'हिंदी भाषा और साहित्य', प्रयाग, १९३० तथा नवीन संस्करण
३९. एस० के० डे : 'हिस्ट्री ऑव बंगाली लिटरेचर इन् दि नाइन्टीन्थ सेंचुरी, १८०० १८२५' कलकत्ता, १९१९
४०. सदल मिश्र : 'नासिकेतोपाख्यान' (ना० प्र० स०)
४१. सूर्यकांत शास्त्री : 'हिंदी साहित्य का विवेचानत्मक इतिहास', लाहौर, १९३०
४२. 'हिंदुस्तानी', १९४०-१९४३
४३. हेनरी यूल और ए० सी० बनेल : 'हॉव्सन-जॉव्सन', लंदन, १९०३
४४. ह्यू पीअर्सन : 'मेम्वायर ऑव दि लाइफ ऐंड राइटिंग्स ऑव दि रेवरेंड क्लौडियस ब्यूकनैन', दो जिल्द, लंदन, १८१९, तृतीय संस्करण

अनुक्रमणिका

- ‘अकबरनामा’ १०१
- ‘अख्लाक-इ (उल्)-जलाली’ ७४, १६४
- ‘अख्लाक-इ-मोहमनी’ १६३
- अख्लाक इ-हिती ६०, ६३, १०७, १६७,
१८१, १८२, १८३, १८४, १८६,
१६३, १६४, १६६, १६७, २०१
- ‘अख्लाकून-नबी’ १८६
- ‘अखलाकुल मुहसिनीन’ १८८
- ‘अतालीक-इ-हिदी’ १६७
- ‘अध्यात्म रामायण’ ७५, १६३
- ‘अनवर मुहेली’ ११०, १३६
- अफज़ल १६६
- अफ़सोस दे०, ‘शेर अली’
- अबुल कासिम मीर १८८, १६१
- अबुलफ़ज़ल १०६, १०८, ११४
- अबू तालिब ७१, ७३
- अब्दुरहीम १३५
- अब्दुल अली ७३
- अब्दुल अहद १२३, १३६
- अब्दुल्ला १२३, १३८, १४०, १६७
- अब्दुस्समद १२३
- अब्बास अली ६२
- अमानतुल्लाह ७४, १८५, १८६, १६०,
१६३, १६४, २०३
- अमीर खुसरो १६४, २०१
- ‘अमीर हम्ज़ा’ १८७
- ‘अमीर हम्ज़ा का इतिहास’ १८४
- ‘अम्मन’ दे०, ‘मीर अम्मन’
- ‘अयार दानिश’ ६०, ६३, ७६, १०५,
१०८, १८४, १६३, १६५, १६६
- ‘आरायश-इ-महफ़िल’ १६७
- ‘अरेबियन नाइट्स्’ १८६, १६१
- हुसेन १२३
- अलिक १ लैला १८६, १६१
- ‘अल्फ़ाज़ अद्वीया’ १६७
- असद अली ख़ाँ २३
- ‘आईने अकबरी’ ११४
- आउजूले, जे० डब्ल्यू० जे० ११३, १२८,
१२६, १३०, १३३, १३४, १३५,
१३६, १४०, १४१, १४६
- ऑक्लैंड, लॉर्ड १५०
- आठवाँ परिच्छेद १२८
- ‘आत्मकथा’ (लल्लुलाल कृत) ४८
- आफ़ताब (शाह आलम) १६६
- ‘आरायश-इ-महफ़िल’ १०१, १११, १६३,
१६६, २०२
- ‘ऑरिएंटल, ऑक्सीडेंटल व्यूशुनरी पाय-
नियर, दि.....’ २०५
- ‘ऑरिएंटल फ़ैब्युलिस्ट, दि’ ५५, १६७,
१८३, १६८, २०२, २०५
- ‘ऑरिएंटल मिसेलेनी’ ६
- ‘ऑरिएंटल लिग्विस्ट, दि’ ५, ५४, ५६,
१०१, १६६, १६८, १६६, १८३
१६४, १६६, २०५
- ऑरिएंटल सेमिनरी ८, १०, १७, ३१
- ‘आर्टिकल्स ऑव वॉर’ १११, १६६, १६६
- आरनॉट २०६
- ‘इंगलिश ऐंड हिंदुस्तानी एक्सर्साइजेज़
१०८
- ‘इंगलिश ऐंड हिंदुस्तानी डायलौगूज’ १०८
- ‘इंगलिश ऐंड हिंदुस्तानी डिक्शनरी विथ ए
ग्रैमर प्रिफ़िक्स्ड, ऐन’ १०४, १०८
- ‘इंगलिश ऐंड हिंदुस्तानी नैवल डिक्शन-
नरी.....’ १०८, २०३
- ‘इंगलिश-हिंदुस्तानी डिक्शनरी’ (‘डिक्शन
नरी, इंगलिश ऐंड हिंदुस्तानी’) ४,

- 'इट्रोडक्शन टु दि हिंदुस्तानी लैंग्वेज' १४३
 'इंडियन गाइड' ६८
 'इतखाब - इ - कुल्लियात - इ - मिर्जा रफ़ी-
 उस्तौदा' १६६
 'इतखाब-इ-कुल्लियात-इ-सौदा' २०३
 'इतखाब-इ-सुलतानी' ७५
 'इतखाब मीर सोज़' १०१
 इट्रोडक्शन ६२, ६३, ६४
 ईशा १६४, १६७
 इकराम अली १७०
 'इकौनौमी अॉव ह्यूमैन लाइफ़' १०६
 'इख़यानुस्सफ़ा' १०१, १०२, १११, १५६,
 १७०, २००
 इब्जतुल्लाह १६३, २०२
 इब्राहीम अली ख़ाँ १६७
 'ईसप्स फ़ेविलस' १६८, २०२
 ईस्ट इंडिया कॉलेज हेलीबरी, ६४
 'ईस्ट इंडिया गाइड' (स्ट्रॉजर्स) ५३
 ईश्वरचंद्र विद्यासागर १४७, १४८
 ईश्वरचंद्र शर्मा १५७, १६१
 उर्दू-कोष १५१
 एडमॉन्सटन, एन० बी०, अॉन० १८, २०,
 २२, ३५, ५१, १२४
 एन० बी० एडमॉन्सन दे०, 'एडमॉन्सटन'
 'एन्साइक्लोपीडिया हिंदुस्तानिका' १०४
 'एलेजी' १६७, २०१
 'एशियाटिक जर्नल' १२५, १२६
 एशियाटिक सोसायटी ३, १५१
 'एंटी जागॉनिस्ट, ए शौर्ट इंट्रोडक्शन टु
 दि हिंदुस्तानी' ५४, ५६, १८४, १६४,
 २०४, २०५
 ऐट्किंसन ६३, ६४, ११३
 ऐडिंगटन २०५
 ऐडवर्ड स्कॉट वारिंग १६
 'ऐनफ़स अॉव दि कॉलेज अॉव फ़ोटो विलि-
 यम १०, ४१, १०७, १०६
 'ऐपेंडिक्स टु गिलमाइस्टस डिक्शन
 १६६
 ऐब्राहम लौकैट ८४, ८५, ८७, ८८
 ६३, ६४, ६७, १००, १०१,
 १०६, ११२, ११३, १६७, २०
 ऐम्हस्टर् लॉर्ड १२५, १२८
 ऐलेक्ज़ैंडर एटन (Aytan) दे०
 ऐलेक्ज़ैंडर एटन'
 कमालुद्दीन ६६
 'कम्प्लीट हिंदुस्तानी ऐंड इंगलिश
 नरी' १०८
 करम हुसैन १३५
 'कलाकाम' १८८, १६१, १६२
 'कलेक्शन अॉव अॉरिएण्टल प्रै
 १०८
 'कलेक्शन अॉव डायलौगस, इंगलि-
 हिंदुस्तानी, ए' २०४
 कल्प अली २३, ५०,
 'कवित्त-रामायण' १६७
 'कसीरुल फ़वायद' १०८
 कहावतों का संग्रह' २००, २०४
 काज़िम अली (मौलवी) १३८
 काज़िम अली ख़ाँ जवाँ ४८, ५२
 ८४, ८६, ६२, ६३, १०४,
 १६४, १६७, १८६, १८७,
 १६३, १६६, १६७, २०४
 कादिर बख़्श १६३
 'कायनात-ओ-जओ' १८७
 कॉर्नवालिस १, ३, ४०, १७७
 कालीदास १६४
 कालीप्रसाद १२३
 कॉलेज का विधान (स्टैट्यूट्स)
 परिच्छेद १६
 कॉलेज के नए नियम १५०
 काशीराज २२, २३, १०४ १०८
 'कास्केट अॉव इंडिया' ६३ १८३

किनेअर्ड २६
 'किरातार्जुन' १०६
 'क्रिस्स-इ-आकित्तशाह' १६७
 'क्रिस्स-इ-रज्जवी' ७५
 'क्रिस्स-इ-हातिम' १६७
 'क्रिस्स ए दिल ओ हुस्न' १८८
 'क्रिस्स ए फ़िरअ्रो' १८८
 कुंदललाल २२, १८८, १६१
 'कुरान' ७७, १८४, १८६, १६२, १६३,
 १६५
 कुर्बान अली १२३, १३६
 'कुलिनयात' १६६
 'कुलिनयात-इ-सौदा' १६०
 कैरे दे०, 'विलियम कैरे'
 कैसिलरीआ ४०
 कोलब्रुक, आर० डब्ल्यू०, और एच० ३,
 २२, ३५, ६१, ६५, ७१, ७७, १००,
 १६२
 कौब, कैप्टेन ११४
 क्लाइव १
 क्लौडियस ब्यूकैनैन ३, १८, २७, ३२,
 ३६
 'खड़ीबोली और इंगलिश शब्द कोष' १०६,
 ११०
 खलल खाँ ७५
 खलीद खाँ १८७
 खलील खाँ, मिर्जा ६६, ७३, १०१
 'खान-इ-अलवान' १८४, १८७
 'खिर्द अफ़रोज़' १०५, १०६, १०८, १३६,
 १५६, १६३
 'खुलासतुल हिद' ७७, २०२
 'खुलासतुल हिसाब' १०२
 खेम नारायण १६७
 ख्यालीराम १३१, १३२, १३७
 गंगानारायण १३१, १३६, १४१, १४७,
 १४८

गंगाप्रसाद शुक्ल ६७, ११३, १२८, १३१,
 १४२, १४३
 गंगाविष्णु ६२
 गदाधर १३२, १३६
 'गरायब-उल्-लुगात' १६७
 गल्सटन १७६
 'गाइड' ६०
 गॉर्डन, ए० डी० १२३, १२८
 गिलक्राइस्ट ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०,
 १७, १८, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५,
 ३६, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७
 ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४,
 ५५, ५६, ५६, ६०, ६१, ६२, ६३,
 ६४, ६७, ६६, ७३, ७४, ७६, ७७,
 ८३, ८५, ८७, ८८, १०२, १३०,
 १०५ १११, ११५, ११८, ११९,
 १२२, १२५, १४१, १६४, १६५,
 १६६, १६७, १६८, १६९, १७१,
 १७२, १७५, १७६, १८१, १८५,
 १६०, १६२, १६३, १६४, १६७,
 २०१, २०२, २०४, २०५, २०६,
 २११
 'गुल-इ-बकावली' दे, 'गुलबकावली'
 'गुल-ओ-सनोवर' १८८, १६१, १६२
 'गुल-ओ-हुसुंज' ७५, १८६, १६१, १६२
 'गुलदस्ता' १८८
 'गुलदस्ता-इ-हैदरी' १८४
 'गुलबकावली' ६०, ६३, १००, १०५,
 १०८, १११, १५६, १८४, १८६,
 १६०, १६२, १६३, १६४, १८६,
 १८८, २०२
 'गुलशन' दे०, 'हफ़त गुलशन'
 'गुलशन अख़लाक' १०१
 'गुलसनोवर' दे०, 'गुन-ओ-सनोवर'
 'गुलान (१) ग़ाइ भीक १८८
 गुलाम अकबर २२, १०५ १८७, २०३

गुलाम अली ६६	जवाँ दे० क ज़िम अली खाँ जवाँ
गुलाम अशरफ २२, ४८, १८५, १८६	'जहाजी और वैयक नवधी हिंदुस्तानी
गुलाम मौस २२, २३, ६६	शब्दावली' १८४
गुलाम नक़्शबंद ६६	जॉन टॉमन टॉमसन १५१
गुलाम फ़रीद १२३, १२६	जॉन तपिश १०२, १०४
गुलाम गुलाम (?) १८६	जॉन वेली १८, ५१
गुलाम सुमान ६६	जॉन वीर्थविक् गिलक्राइस्ट दे०, 'गिलक्राइस्ट'
गुलाम हैदर ७५, १२३, १४८, १८६, १६१	जॉन विलियम के २६, ३६, ४०
'गुलिस्तौ' ४८, ५१, ५३, १०८, १३६, १६७, १८१, १८२, १८३, १८५, १६८	जॉन विलियम टेलर ७६, ८१, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९२, ९३, ९४, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, ११२, ११३, ११७, १६६, १७१, १७२, २०३
गोम, डब्ल्यू० एम०, सर १५६	'जामीउल्क़ानान' १८६
'गौस्पेल्स' १६३	जॉर्ज हिलैरो बाली १८, २०, २२, ३५, ३८, ४०, ४२, ६८
'ग्रैमर ऑफ दि हिंदुस्तानी लैंग्वेज' १६६, १६८, २०४	ज़िाउद्दीन नख्शबु २०१
'ग्रैमैटिकल प्रिन्सिपिल्स ऑव वृजभाखा' २०३	जुरत १११, १६६, १६६
'ग्रैमैटिकल प्रिन्सिपिल्स ऑव वृजभाखा एंड हिंगलिश' १६६	जे० डब्ल्यू० जे० आउज़ले, दे०, 'आउज़ले'
'ग्रैमैटिका हिंदुस्तानी' १७५	जेम्स इंगलिस २०५
ग्रोट, ए० १५७, १६०	जेम्स गेट्किंसन ८८
ग्लैडविन ७७, १७६, १६७	जेम्स गेलैकजैडर एटन ६६, १०७
'चद्रावती' ५८, १६३, १८८	जेम्स डिन्निडी १६
चतुर्थ परिच्छेद ८८	जेम्स माकिन्टोश ३६, ७७, ६८
'चहार दरवेश' दे०, 'चार दरवेश'	जेम्स मोअट ५४, ६१, ६५, ६७, ६८, ६९, ७३, ७४, ७५, ७७, ७८, ७९, १६६, १६४, २१३
'चार गुलशन' १०४	जोसेफ़ टेलर, कैप्टेन २०२, दे०, 'टेलर, जे०'
'चार दरवेश' ४५, ४८, ५१, ५३, ५४, ६३, १०४, १८१, १८२, १८३, १६५, १६६	'टाइटिल्स ऑव हिंदी गौस्पेल्स' ७५
चार्ल्स ग्रांट २७, २६	टॉड, एच० १२८, १२६, १३०, १३३, १३४, १३६, १३७, १४०
चार्ल्स थियोफिलस मेयकाफ २६	टॉमस रोरवक १०, ४१, ८१, ८२, ८५, ८७, ८८, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६,
चार्ल्स रॉथमैन १६, ५४, ६२, ६५	
चेपलिन दे०, 'विलियम चैपलिन'	
छठा परिच्छेद ६७	
'जनल' ८, १६८, १७०, १७२	

- १०७, १०८, १०९, १७१, १९७,
२०३
टेनमथ २६, २७, २८, ४२,
'टैबिलिस एंड प्रिंसिपिल्स' ५२
टेलर दे०, 'जॉन विलियम टेलर'
टेलर, जे०, केप्टेन २०२
ट्रेवोर, श्री० श्री० १५७
ट्रेवोर, सी० श्री० १६०
ट्रैपेर १४६
डंकन फ़ोर्ब्स २०६
डलहौजी १५४, १५६
'डाइरेक्टरी' ६३
डाउ ११४
'डायलौगज़' १९५, १९६
डाट्मथ ३७
'डिक्शनरी' (हंटर कृत) १०९
'डिक्शनरी, इंगलिश एंड हिंदुस्तानी, ए'
१६६, १६८, २०४
'डिक्शनरी, पर्शियन एंड हिंदुस्तानी' १९७
डुंडाज़ १७६
डेविड ब्राउन १७, १८, ३९, ४२,
डेविड स्कॉट १५, ३८
डोरीन, जे० ऐ० १५६
तक्री, मीर १११, १३६, २००, २०३
'तज़क़िरा' १९७
तफ़्ज़ुल हुसैन १४८
'तवारीख-इ-आलमगीरी' १८९
'तवारीख-इ-बंगला' १८७
'तवारीखउस्सलातीन' १८८
तसहूक हुसैन १२३, १३१, १३४, १३९,
१८९
ताज मुहम्मद १४८
'ताजल्मुल्क' १८४
ताबो १६६
तारिखीचरण मित्र २२, ५२, ६८, ८४,
८९, ९२, ९३, ९४, ९७, १०१, १०२,
१०३, १०५, ११० १११, ११२,
१३१, १३२, १३५, १३६, १३७,
१४१, १४२, १४३, १८५, २०३,
'तारीख-इ-तैमूरी' १८९
'तारीख नादिरा' १०४
तुलसी (दास) १४२, १९७, १९९, २०३
'तूतीनामा' १८३
दुराब अली १०१, १०२
तृतीय परिच्छेद ८४
'तोता कहानी' ६०, ६३, १०१, १६७,
१८१, १८२, १८३, १९३, १९५,
१९६, १९७, १९८, २०१
तोताराम १८८, १९१
'दरिया-इ-लताक़त' १९७
दर्द १६६, १६९, १९६
दलीलुद्दीन १२३, १३१, १३४, १३९,
१४७
'दस्तूर-उल्-हिंद' १०४, २०४
'दह मजलिस' १८९
'दावे' विद्यार्थियो द्वारा रचित १८४
'दिलरुबा' १८८, १९१, १९२
दीनबधु १४८
'दीवान' १९६
'दीवान-इ-जहाँ' १०८
'दीवान मीर सोज' १०१
दु प्लेसी १९
'दुर-इ-मजलिस' १८९
देवीप्रसाद ६९, १५२
दौलतराम १६३, १६४, १६५
द्वितीय परिच्छेद ७२
'नक़्लियात' ६०, १८५, १९७
'नक़्लियात-इ-लुकमानी' १८५
'नक़्लियात-इ-हिदी' ६९, १००, १६३,
१६४, १६७, १६८, १७०
नज़रुल्लाह ६९, १२३, १३५
नज़ीरी १९६

नया नियम (New Testament) ६७	'पौलीग्लौट' ५३, १८३, १६८
नरसिंह ६५, ६६	'पौलीग्लौट डिक्शनरी' १५२
नरोत्तम १२३, १४०	'पौलीग्लौट फ्रेबिल्स' ६०, १६४
नसरुल्लाह २२	'पौलीग्लौट फेब्रुलिस्ट' ११६
'नख्त-इ-बेनज़ीर' ६०, ६३, १६७, १८३, १८६ १६४, १६६, १६८, २०२	पौलीग्लौट मुशी' १५२
'नागरी दशम' दे०, 'प्रेमसागर'	ग्राहम ८१, ८२, ८३, ८८, ८९, ९४, ९६, ९७, १०६, १०७, १०९, ११०, ११२, ११३, ११५, ११६, ११७, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२५, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१, १३३, १३४, १३५, १३६, १४१, १४२, १४३, १४४, १६६, १६८, १७१, १७२, २०४, २०६
'नागरी वर्षामाला' १४४	प्रॉक्टर, टी०, १२६, १३०, १३३, १३४, १३६
'नासिकेतोपाख्यान' १४२, १६३, १६५	प्रिंसेप, एच० टी०, १२८
निवाज १६४	'प्रेमसागर' ('नागरी दशम') ५८, ६०, ६३, ७६, ८३, ९७, ९८, १०१, १०२, १०४, १०६, ११०, १११, १२०, १२३, १२४, १३६, १४२, १४४, १५१, १५२, १५३, १५६, १६०, १६३, १६४, १६५, १६८, १८६, १९३, १९५, १९६, १९७, १९९, २०३
निहालचंद १८६, १६०, १६३, २०२	
नूर अली १०२	
'नैवल डिक्शनरी' २००	
'न्यू थियरी ऑव पर्शियन वर्स विथ् दे प्र हिंदुस्तानी सिनोनिम्स' ६०	
'पंजाबी डिक्शनरी' १०६	
'पंदनानौ' (?) १८६	
'पदनामा' ५३, १८५, १६८, २०१	
'पञ्चीसी' (बंगला) १३६	
पद्मलोचन १२३, १४०	
'पद्मावत' ११६	
'पर्शियन डिक्शनरी' १०८	
'पर्शियन स्कॉलर्स शोर्टैस्ट गाइड डु दि हिंदुस्तानी लैंग्वेज' २०२	
पॉचवाँ परिच्छेद ६२	
पाणिनि १३७	
पालामेंट्री रिफॉर्म...' २०५	
पिट ३८, ३६	
पीअर्स, डब्ल्यू० एच० २६, २६, ३८, ३६, १४२, १४३, १४४	
पीकॉक, बी १५६	
पीयर्स दे०, 'पीअर्स'	
'पुरुष परीक्षा' १०५, १०६	
'पृथ्वीराय चरित्र' ११४	
पोल ३८	
पोम्पन, डब्ल्यू० आर० १०६	
	'पौलीग्लौट डिक्शनरी' १५२
	'पौलीग्लौट फ्रेबिल्स' ६०, १६४
	'पौलीग्लौट फेब्रुलिस्ट' ११६
	पौलीग्लौट मुशी' १५२
	ग्राहम ८१, ८२, ८३, ८८, ८९, ९४, ९६, ९७, १०६, १०७, १०९, ११०, ११२, ११३, ११५, ११६, ११७, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२५, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१, १३३, १३४, १३५, १३६, १४१, १४२, १४३, १४४, १६६, १६८, १७१, १७२, २०४, २०६
	प्रॉक्टर, टी०, १२६, १३०, १३३, १३४, १३६
	प्रिंसेप, एच० टी०, १२८
	'प्रेमसागर' ('नागरी दशम') ५८, ६०, ६३, ७६, ८३, ९७, ९८, १०१, १०२, १०४, १०६, ११०, १११, १२०, १२३, १२४, १३६, १४२, १४४, १५१, १५२, १५३, १५६, १६०, १६३, १६४, १६५, १६८, १८६, १९३, १९५, १९६, १९७, १९९, २०३
	'प्रेमसागर, शब्दावली सहित' १४२, १४४
	'प्रेक्टिकल आउटलाइन्स' १६६
	'प्रेक्टिकल आउटलाइन्स : ऑर, ए स्केच ऑव हिंदुस्तानी ऑरथोगी, एंड दि हिंदुस्तानी प्रिंसिपिल्स' १८३, १६७
	'प्रौस्पैक्टस ऑव दी हिंदी प्रेफ़ेरेट' १६४
	फ़ख़्रुज़्ज़मन १२३, १३१, १३४, १३६
	फ़ख़रुद्दीन १४७
	फ़ख़्रुल्लाह १८६, १६०
	फ़रीदुद्दीन १८६
	फ़र्रुख़ियर १६४

फ्रांसिस ग्लैडविन १८
 फ्रांसिस व्यूकैनैन ७६, ७७
 फ्रितरत ६१, ६६, ७४
 फ्रिदा खाँ १६४
 'फ्रीरोज़शाह' १८८, १९१, १९२
 फ्रेल, ए० ६४
 'फ़ार गोस्पेल्स' ७४
 फ़ौहर्टर ५६
 वक्लैंड, सी० टी० १५७, १६०
 'वकावली' दे०, 'गुलवकावली'
 वरुशीश अली ६२, १२३, १३१, १३२,
 १३६, १३७
 'वत्तीमी सिहासन' दे०, 'सिंहासन वत्तीमी'
 वदनुदीन १२३
 वदर अली १३५
 वनजी, के० एम०, रेव० १५८, १६१
 'वरहान-इ-कातिन' १०८, १०९
 वशरुद्दीन ६९
 वहादुर अली, मीर २२, ५२, ६५, ६९,
 १६७, १८५, १८६, १९३, १९६,
 १९७
 'वहार-इ-इश्क' १०२
 'वहार दानिश' ७५, १०२
 बाकिर अली १२३
 'बाग़-इ-उबू' दे०, 'गुलिस्ता'
 'बाग़ोबहार' ('बाग़-ओ-बहार') ६०,
 १०४, १०५, १०८, ११०, १११,
 १३६, १५९, १६०, १६७, १८३,
 १९७, १९८, २०१
 बाबूराम पंडित ९८, ९९, १०२, १०३,
 १०४, १०६
 'बारहमासा' १०४, १८४, १८७, १९६,
 २००, २०४
 बाली, रॉबर्ट, सर १५७, १६०
 नासिद खाँ १८८, १९१
 बॅंकि, लॉर्ड १२९

बेकेट न० ६४
 बेदार १६६
 बेनी नारायण १०४, १०५, १०८
 बेली ५७, तथा दे०, 'विलियम ब्रटरवर्थ
 बेली'
 'बैताल पन्चीसी' ४८, ४९, ५१, ७४,
 १०४, ११०, १११, १२०, १४२'
 १५२, १५९, १६३, १६७, १८१,
 १८२, १८३, १८७, १९६, १९७,
 १९८, २०१
 बोर्डे ग्रॉव ऐग्जामिनस १५५, १५७, १५८,
 १६०
 'बेस्ता' १८७, १९१, १९२
 'ब्रजभाषा व्याकरण' १००, १०३, १६३
 'ब्रज विलास' १५६
 ब्रह्म सच्चिदानंद १२७, १३८, १३९, १४०,
 १४६
 ब्राइस ६४, ९६,
 'ब्रिटिश इंडियन मोनीटर' १०४, १०८,
 २०५
 व्यूकैनैन ६५, तथा दे०, 'क्लोडियस
 व्यूकैनैन', और 'फ्रांसिस व्यूकैनैन'
 'भागवत' १८४, १९३
 भारतेंदु १६५
 'भावप्रकाश' १९७
 मसूर अली ६९, १८९
 'मख़ज़न-उल-अदबीय' १९७
 'मज़हब इ-इश्क' २०२
 मज़हर अली खाँ विला १९, ४८, ५२,
 ५३, ६९, ८९, १०३, १६३, १६४,
 १६७, १८५, १८७, १९७
 मज़हरुल्लाह १२३
 मधुसूदन (तर्कालकार) १२३, १४६,
 १४७, १४८ १५२
 'मनुस्मृति' १०४
 मरिया ४४ ४८, १५७, १८१ ८,

- १८३, १८४, १८८, १९६,
 'मसनवी' १८३, १९६, १९८, २०१,
 २०२
 मसनवी ख्वाब अलवान' १९६
 'मसनवी भीर हसन', ('भीर हसन') १८१
 १८२
 महानंद (पंडित) ५२, ६६, ६२, ६३,
 ६६, १४१
 माकिन्टोश दे०, 'जेम्स माकिन्टोश'
 'भाघवानल कामकदला' दे०, 'भाघोनल'
 'भाघोनल' ('भाघवानल कामकदला')
 ४८, ४९, १११, १४२, १६३, १६४,
 १६७, १८१, १८२, १८३, १८७, १९७
 मार्टिन (आर०) ३४, ८१, ६२, ६३
 मालें, जे० १०६
 मार्शमैन १२१
 मार्शल, जी० टी० १४१, १४६, १४७,
 १४९, १५०, १५१, १५२, १५३
 मिटो, लॉर्ड ८४, ८७, ८८
 'मिताक्षरा' १०३, १०४
 मिनिट्स, कॉलेज-स्थापना सम्बन्धी १०, ११,
 १७७...
 मिर्जा बेग १०६
 मिर्जा मुगल १८७, १९१
 मिलियस १७५
 मिल्स, ए० जे० एम० १५७, १६०
 'मिसेलेनी' (विविध संग्रह) १०५
 मिस्कीन ४४, ४८, १६६, १८१, १८२,
 १८३, १८४, १८८, १९६, १९७,
 २०१
 मीर १६६, १६६
 मीर अम्मन २२, ५३, ६६, १६७, १८८,
 १९३, १९७
 मीर जाफर १८८
 मीर हसन १८३
 मुर्तजादीन १८६
 मुजफ्फर हुसैन १२३, १४७
 'मुजफ्फरकात १८४
 'मुफ्फरहुल कुल्लूल' १८६
 मुबारक मुहीउद्दीन २३
 मुर्तजा खाँ २२, ६९, ८४,
 १३४, १३६, १३७
 मुहम्मद इस्माईल १४८
 मुहम्मद उमर १८६
 मुहम्मद तकी २३, ६६
 मुहम्मद ताहा १३६
 मुहम्मद बख्श १८८, १८९, १
 मुहम्मद मुस्तकिम १२३
 मुहम्मद वसी १२३, १३१, १
 मुहम्मद वाजिद ६६, ८४, ८८
 मुहम्मद वाजिब १५७, १६१
 मुहम्मद सादिक २२, २३, ६
 मुहम्मदन कॉलेज १६
 मुहिन अली ६६
 मुले खाँ १६४
 'मेम्बायर्स' ३८, ३९
 मेरी ऐन कोवेट्टरी २०६
 मैकन, टी० ११०
 मैकेन्ज़ी, कर्नल ११४
 मैकडूगल ५३, ६३, ६७, ६८
 मोअट दे०, 'जेम्स मोअट'
 मोतीराम कवीश्वर १६४
 मौला बख्श १२३, १३१,
 १४६, १४७, १४८
 यूसुफ अली ६६, ६२
 येट्स, डब्ल्यू० १४३, १४४
 योगध्यान मिश्र १५१, १५२
 रंघम, आर्कडीकन ३६
 रडैल, डो० ६४, ६६, ११३,
 १२२, १२३, १२७,
 १३१, १३३, १३४, १३
 १३६, १४०, १४२, १४

अनुक्रमिका

रहमतुल्लाह खान २२ २३	१०१, १०२, १०३, १०६.
राजकुमार बनर्जी १५२	१४१, १४२, १४३, १५१
'राजकोष' १६७	१६२, १६३, १६४, १६५,
राजनीति' ८३, ८८, ८९, १०१, १२३,	१६७, १६८, १७१, १७२,
१२४, १४३, १४४, १५६, १६३, १६४,	१८६, १८८, १८९, १९४, १९५
१८८, १९७, १९९, २०२	'लाइव्ज ऑव इंडियन ऑक्सिडेंट्स'
रॉबर्ट एबरक्रॉम्बी ६२	४०
रॉबर्ट वालों, सर दे० 'वालॉ'	लीज़, डब्ल्यू० एन० १६०, १६१
रॉबर्ट्सन २७	लो०, जे० १५६
रामकुमार १३६	लोचनराम पंडित १०३
रामचंद्र १२३	लौकेट दे०, 'प्रेमब्राह्म लौकेट'
रामचंद्र राय १४०	बली १६६, १८४, १९६
'राम चरित्र' १६७	वाजिबुद्दीन १२३, १३१, १३४, १३६
रामनारायण १२३	वारेन हेस्टिंग्स १, ३, २८, ४१
रामप्रसाद निरंजनी १६३, १६४, १६५	विद्याकर मिश्र १०६
राममोहन १२३	'विद्या दर्पण' १०८
राममोहन तर्कवागीश १२३, १३८, १४०	विला दे०, 'मजहर अली खॉ'
राममोहन राय १०६	विलियम कर्कपैट्रिक ३, १८, ३५, १७
'रामायण' ७५, ८३, ८६, १०२, १०४,	विलियम केसुमेंट १२२
१६०, १६७, १६९, २०३	विलियम कैरे १६, ३६, ७४, ८५,
रिकेट्स, एच० १५७, १६०	६३, ६७, ६९, १२०, १२१,
'रियाजुल अदबीया' १६७	१२८, १२९, १३०, १३३,
रुक्नुद्दीन १००	१३५, १३६, १४१, १७२
'रुडीमेंट्स ऑव दि हिंदुस्तानी टंग, दि'	विलियम चेपलिन १७१, २०६
१६६	विलियम जोन्स (जोस) २०१, २११
रेग्यूलेशन, कॉलेज-स्थापना सबधी ११,	विलियम पिट दे०, 'प्रेमहर्स्ट'
१२, १३, १४	विलियम प्राइस दे०, 'प्राइस'
रोएबक दे०, 'टॉमस रोएबक'	विलियम बटवर्थ बेली ४०, ७६,
रोमर, जे० २११	१७२, २०६
'लतायफ्त-इ-हिंदी' ८६, १००, १६३, १६६,	विलियम मैक्डूगल १६३
२०३	विलियम स्कॉट १६६
लम्सडन १६, ८५, ८७, ८८, ८९, ९३,	विलियम हटर ६३, ६८, ७४, ७५
९४, ९६, १२७	८४, ८५, ८८, ९९, १०१,
लालूलाल (लाल कवि) ४७, ५०, ५१,	१०३, १०४, १०५, १०७,
५२, ६५, ६६, ७७, ८३, ८६, ९२,	१६३, १६६ २००, २०२,
९३, ९४, ९६, ९७, ९८, ९९, १००,	२०४

- विल्किन्स ७३, ८०
 विल्सफोर्स २६, ३६
 विल्सन ११४
 वुल्मटन १४६
 'वेदान दर्शन' १०६
 वेन्सीटार्ट १७६
 वेलेज़ली १, २, ६, ७, ६, १०, ११, १४,
 १५, १६, १७, २४, २५, २६, २७,
 २८, २९, ३०, ३२, ३३, ३४, ३६,
 ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ५१,
 ५४, ६१, ६५, ७७, ८७, ९३, ११४,
 १५४, १५५, १६२, १७६, १७७,
 २०५, —रेज़ीडेंट, ११३, ११५
 'वेलेज़ली डेस्पैचेज़' ३८, १७७
 वेस्टन ८१, ८८, ९३
 वैर्लोशिया ३२
 'वौकैब्यूलरी, इंगलिश ऐंड हिंदुस्तानी' १६६
 'व्यवहारीययोगी सवादी का संग्रह' १६३
 'व्याकरण' १०८
 'शकुंतला' (नाटक) ४८, ४९, ६३, ६८,
 १११, १६३, १६४, १६७, १८१,
 १८२, १८३, १८७, १८३, १९४,
 १९६, १९७, २०१
 'शहर बवखर्शा की कहानी' १६२
 शाकिर अली १८६, १९१
 शुल्ज़ियस १७५
 शेक्सपियर १३०, १३३
 शेर अली ४५, ५२, ६५, ६८, ६९, ७७,
 ८४, ९८, १६७, १८५, १९६, १९७,
 २०२
 शेष शाली १४६
 'शौर्ट इंड्रोडक्शन टु दि हिंदुस्तानी, ए'
 दे०, 'पैटी जागोनिस्ट'
 'सतसई' (विहारी) ६८, ६९, १०१,
 १९६, २०३
 सदरलैंड, आर्च० सी० सी० १४६
 सदल मित्र ६५, ७५, ९६, १४२, १५१,
 १६२, १६३, १६४, १६५, १६६,
 १७२, १८५, १८८, १९७
 सदासुखलाल १६३, १६४
 'सभा विलास' ८३, १०६, १०७, १४४,
 १६०, १६३, १६४
 'सर्क-इ-उदू' १९६, २०३
 'सहस्रल नयान' २०१
 सातवाँ परिच्छेद ११७
 सादुद्दीन १२३
 'सामुद्रिक शब्दावली' (Mamoo
 Vocabulary) १०२
 'सिहासन बत्तीसी' ४८, ४९, ५१, ७४,
 १०४, १११, १२०, १४२, १६३,
 १६७, १८१, १८२, १८३, १८७,
 १९४, १९६, १९७, १९८, २०१,
 २०२
 सिडमथ, लॉर्ड २०५
 सीताराम पंडित १२२, १२३, १२४
 सु दर पंडित २३, ५०
 सुभान १८६
 'सैहत-उल्-अमराज़' १९७
 'सैफुल सुलूक' १८६
 सैयद अली ८४, ९२, १०१, १२३, १३६
 सैयद जाफ़र २३
 'सैफुलमुताखरीन' १२३
 सोज़, मोर १९६
 सौदा १०१, १११, १६६, १६९, १८४,
 १९६, २०३
 'स्ट्रैजर्स ईस्ट इंडियन गाइड टु दि हिंदुस्तानी
 लैंग्वेज, दि' १६७, १६८, १८४,
 १९४, १९६, २०४, २०५
 'स्ट्रैजर्स गाइड' दे०, 'दि स्ट्रैजर्स ईस्ट
 इंडियन गाइड ...'
 स्पेंगर, ए० १५८, १६१
 ह्यर दे० 'विज्ञियम ह्यर'

अनुक्रमणिका

- हफ्तीजुद्दीन १०६, १८७, १९३
 'हफ्त गुलशन' ('गुलशन'), १८१, १८२,
 १८४, १८७
 'हफ्त पैकर' १००
 हलहैद १६८, १७६
 हसन अली १२३
 हसन, मीर १९६, १९८, २०१, २०२
 'हातिमताई' ६०, ६३, ७६, १८४, १८६,
 १९३, १९५, १९६
 हाफिज मुजफ्फर अली १२३
 हारिगटन ३, १९, ३५, ६५, ७२, १०१
 हॉलवेल ३
 'हिंदी, अरेबिक टेबिल' ६०, १९४
 'हिंदी ऐंड इंगलिश डिक्शनरी' (या, 'हिंदी
 इंगलिश-डिक्शनरी') १४२, १५२
 'हिंदी ऐंड हिंदुस्तानी सेलकशन्स' ('हिंदी-
 हिंदुस्तानी संग्रह') १४३, १४४
 'हिंदी गुलिस्ताँ' १९४, १९६, २०१
 'हिंदी डाइरेक्टरी, दि' १६८
 'हिंदी मैनुअल, दि' ५१ १६७, १८३
 'हिंदी मौरल प्रीसेप्टर, दि' ५५, ६०, १६७,
 १८३, १९४, १९६, १९८, २०२,
 २०५
 'हिंदी-रोमन औरथोपीग्रेफीकल अल्टीमेटम'
 १६८
 'हिंदी स्टोरा टैलर, दि' ५३, ५४, ६०,
 ६३, १०४, १६७, १६८, १७०, १८३,
 १८४, १९३, १९४, १९६, १९८,
 २०४
 'हिंदुई-डिक्शनरी' १४३
 'हिंदुस्तानी' १२२
 'हिंदुस्तानी-इंगलिश डिक्शनरी' या 'हिंदु-
 स्तानी और इंगलिश डिक्शनरी' या
- 'हिंदुस्तानी ऐंड इंगलिश
 ७५, १०१, १०७, १७६, १९
 'हिंदुस्तानी ऐंड इंगलिश डायलॉग
 'हिंदुस्तानी ऐंड इंगलिश नैवल र्
 १०३
 'हिंदुस्तानी कहावतें' १८४
 'हिंदुस्तानी कुरान' ६०, ६३
 'हिंदुस्तानी गुलिस्ताँ' ६०, १८३
 'हिंदुस्तानी ग्रैमर' ५, १४४
 'हिंदुस्तानी डायलॉगज' ६३
 'हिंदुस्तानी डिक्शनरी' ७७, ९८,
 १०३, १०४, १९६, १९७,
 २०२, २०३
 'हिंदुस्तानी प्रिंसिपिल्स' ४८, ५१,
 'हिंदुस्तानी बोस्ताँ' १८४
 'हिंदुस्तानी व्याकरण और कोष' १
 हिंदू कॉलेज, १६
 'हिंदायत-इ-मुतफर्रिक्कत' १८२
 'हितोपदेश' १२०, १३९, १८४,
 १८८, १९३, १९७
 'हिंदायतुल्लुस्लाम' ६३, १९३, १९
 हिलालुद्दीन २२
 हिशामुद्दीन १३९
 'हुस्न (हुस्ने, हुस्नी) इख्तिलात'
 १९१, १९२
 हेनरी डेडिगटन ३०, ३८,
 हेनरी डुंडाज ९, १०, ३८
 हेनरी वेलेजली २०
 हैटरबख्श २१, ७५, १००, १०४,
 १८६, १८८, १८९, १९३,
 १९७
 हैरिस, डॉ १७६, १९७
 हैलीडे १५५

शुद्धि-पत्र

पृ०	प	अशुद्ध	शुद्ध
४०	३	हेलबरी	हेलीबरी
४२	१६	तत्वाधान	तत्वावधान
४५	१५	प्रगति	प्रतीत
१४२	अतिम पंक्ति	सरकारी	सरकारी मंत्री,
१६८	८	स्टीटरी	स्टोरी
१७१	१५, १८	चैपलेन	चैपलिन